



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2010 - 2011

Our services grow with your age!

Indian Bank with a creditable track record of more than a Century in banking sector understands the needs of Senior Citizens. By offering a bouquet of services, we ensure that our care and concern for you are always high.



- Jewel Loans at concessional interest rate
- 0.75% additional interest on all your deposits
- A unique Senior Citizen Maestro enabled ATM Debit Card with photograph, age & blood group
- Reverse Mortgage facility at attractive terms



For further details, please contact our nearest branch

H.O: 66, Rajaji Salai, Chennai 600 001 Email: indmail@indianbank.co.in Toll Free No: 1800 425 00 000 Visit us at: www.indianbank.in





निदेशक मंडल Board of Directors



वी रामगोपाल V RamaGopal कार्यपालक निदेशक Executive Director



टी एम भसीन T M Bhasin अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director



राजीव ऋषि Rajeev Rishi कार्यपालक निदेशक Executive Director

निदेशक Directors



शक्तिकांता दास Shaktikanta Das



एस करुप्पसामी S Karuppasamy



एम जयनाथ M Jayanath



प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल Prof. Narendra Kumar Agrawal



सी के रंगनाथन C K Ranganathan



महा प्रबंधक General Managers



वी श्रीनिवासन V Srinivasan



सी गजपतिराजन C Gajapathirajan



एस के बंद्योपाध्याय S K Bandyopadhyay



एम दामोदर कामत M Damodar Kamath



सेल्वम वीरराघवन Selvam Veeraraghavan



डी भूतलिंगम D Bhuthalingam



एम सवरिमुत्तु M Savarimuthu



मलय मुखर्जी Malay Mukherjee



पी अरिवानंदम P Arivanandam



ए रामचन्द्र राव A Ramachandra Rao



टी एस भास्करन T S Bhaskaran



आर रवि R. Ravi

महा प्रबंधक General Managers



ए टी एम फिलिप जोसफ ATM Philip Joseph



जी एन हेगड़े G N Hegde



एन ईश्वरन N Eswaran



आर महादेवन R Mahadevan



हर्ष कुमार मल्होत्रा Harsh Kumar Malhotra



एम. कदिरेसन M Kathiresan



बनबिहारी पंडा Banabihari Panda



गडिपर्ती सुधाकर Gadiparthi Sudhakar



डी. ए. उलगन D A Ulagan



जनार्दन राव नूति Janardhana Rao Nuty



आर वी चन्द्र शेखर राव R V Chandra Sekhar Rao



निष्पादन की प्रमुख बातें PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹. करोड़ में in crore)

	1			(******	9 1 III CIOIC
विवरण Particulars	31.03.07	31.03.08	31.03.09	31.03.10	31.03.11
कुल व्यापार Total Business	76593	101274	124413	150886	181530
जमाएं (गलोबल) Deposits (Global)	47091	61046	72582	88228	105804
(ग्लोबल) Advances (Global)	29502	40228	51831	62658	75726
निवेश Investments (Gross)	21156	22119	23167	28544	34970
ब्याज आय Interest Income	4195	5213	6830	7714	9361
गैर ब्याज आय Non Interest Income	823	1005	1036	1317	1182
कुल आय Total Income	5018	6218	7866	9031	10543
व्याज व्यय Interest Expenses	2412	3159	4222	4553	5325
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	1247	1400	1588	1730	1926
कुल व्यय Total Expenditure	3659	4559	5810	6283	7251
परिचालनगत लाभ Operating Profit	1359	1659	2056	2747	3292
निवल लाभ Net Profit	760	1009	1245	1555	1714
जमाओं की लागत (%)Cost of Deposits (%)	5.15	5.85	6.27	5.66	5.41
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	9.60	10.59	11.02	10.71	10.28
निवल ब्याज मार्जिन (%) Net Interest Margin (%)	3.57	3.45	3.54	3.55	3.75
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Average Assets (%)	1.46	1.64	1.62	1.67	1.53
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	430	430	430	430	430
स्थायी गैर–संचयी अधिमान शेयर पूंजी Perpetual Non-Cumulative					
Preference Share Capital	400	400	400	400	400
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर)					
Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	2792	4116	5051	6217	7497
निवल संपत्ति Net Worth	3622	4946	5881	7047	8327
सकल एनपीए (प्रतिशत) (%) Gross NPA (%)	1.85	1.21	0.89	0.81	0.98
निवल एनपीए (प्रतिशत) (%) Net NPA (%)	0.35	0.24	0.18	0.23	0.53
पूंजी पर्याप्तता अनुपात – बेसल I (%)					
Capital Adequacy Ratio - Basel I (%)	14.14	12.74	13.27	12.16	12.83
बेसल -II (%) - Basel II(%)	-	12.90	13.98	12.71	13.56
प्रति शेयर अर्जन (रु.) Earning Per Share (₹.)	20.46	22.52	27.96	35.09	38.79
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.) Book Value per Share (₹.)	74.95	98.96	127.52	154.66	184.44
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (रु.) Dividend per Equity Share (₹.)	3.00	4.00	5.00	6.50	7.50*
शाखाओं की संख्या (नंबर) No. of branches (Nos.)	1441	1541	1644	1758	1863
कर्मचारियों की संख्या (नंबर) No. of employees (Nos.)	20892	20548	19993	19641	19311
प्रति कर्मचारी कारोबार (रुपए लाखों में) Business per employee (₹. in lacs)	364	488	617	761	930

प्रस्तावित *proposed

लेखापरीक्षक AUDITORS

- गणेशन एण्ड कं. GANESAN AND COMPANY चन्द्रन एण्ड रामन CHANDRAN & RAMAN
 - सूरी एण्ड कं. SURI & CO कल्याणसुंदरम एण्ड कं. KALYANASUNDARAM & CO
 - एस मोहन एण्ड कं.. S MOHAN & CO ए बी पी एसोशिएट्स A B P ASSOCIATES



विषयवस्तु		Contents		
अध्यक्ष का संदेश	2	Chairman's Message	3	
नोटिस	6	Notice	7	
निदेशकों की रिपोर्ट	36	Directors' Report	37	
प्रबंधन के विचार विमर्श एवं विश्लेषण	42	Management Discussion and Analysis	43	
कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	70	Report on Corporate Governance	71	
कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र	96	Auditors' Certificate on Corporate Governance	97	
वित्तीय विवरण—इंडियन बैंक		Financial Statements - Indian Bank		
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा और अनुसूचियाँ	100	Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	100	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	112	Significant Accounting Policies	113	
लेखों पर टिप्पणियाँ	118	Notes on Accounts	119	
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	158	Auditors' Report	159	
समेकित वित्तीय विवरण		Consolidated Financial Statements		
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा और अनुसूचियाँ	162	Balance Sheet , Profit and Loss Account and Schedules	162	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	170	Significant Accounting Policies	171	
लेखों पर टिप्पणियाँ	184	Notes on Accounts	185	
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	214	Auditors' Report	215	
अतिरिक्त प्रकटीकरण	216	Additional Disclosures	217	
ईसीएस मैनडेट / बैंक खाता विवरण के लिए फार्म	241	Form for ECS Mandate / Bank Account details	242	
प्राक्सी फार्म	243	Proxy Form	244	
उपस्थिति पर्ची	245	Attendance Slip	246	

निवेशक सेवाएँ कक्ष इंडियन बैंक प्रधान कार्यालयः 5 वॉ तल, 66 राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001 दूरभाष 044 25226699

फैक्स नं. 044 25232111 ई-मेल : investors@indianbank.co.in

> शेयर अंतरण एजें ट केमियो कार्पोरेट सर्विसेज लि. यूनिटः इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग

1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002 दूरभाष नं. 044 28460718

फैक्स न 044 28460129

ई-मेल: investor@cameoindia.com

Investor Services Cell

Indian Bank
Head Office: 5th Floor
No. 66, Rajaji Salai
Chennai - 600 001
Tel No. 044 25226699
Fax No. 044 25232111

E – Mail: investors@indianbank.co.in

Share Transfer Agent Cameo Corporate Services Limited

Unit: Indian Bank Subramanian Building, 1, Club House Road Chennai - 600 002

Tel No. 044 28460718, Fax No. 044 28460129

E - Mail: investor@cameoindia.com



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारको

मुझे 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक के कार्यनिष्पादन की जानकारी देते हुए अपार हुई हो रहा है।

अर्थव्यवस्था में आए उछाल से आपके बैंक ने समग्र कारोबार के 1,80,000 करोड़ रुपए के ऑकड़े को पार करते हुए मील का एक और पत्थर तय किया है। बैंक का कारोबार 181530 करोड़ रुपए हो गया है। जमा राशियों में 20 प्रतिशत की बढ़त से 17576 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और वह 100,000 करोड़ रुपए के ऑकड़े को पार कर 105804 करोड़ रुपए हो गई हैं। आपके बैंक में ऋण का विस्तार 21 प्रतिशत हुआ जो 13068 करोड़ रुपए बढ़कर 75,726 करोड़ रुपए हो गया है।

में वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में बताना चाहूँगा कि आपके बैंक का परिचालन लाभ सुधर कर 3292 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि निवल लाभ 10.23 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर 1714 करोड़ रुपए हो गया।

आपके बैंक के पूँजी आधार में 8326.55 करोड़ रुपए की शुद्ध मालियत के साथ बढ़त हुई और बासेल II के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता अनुपात 13.56 प्रतिशत रहा।

आपके बैंक ने सदैव अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के कदम उठाए हैं। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में 4304 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जो 25969 करोड़ रुपए हो गया है। यह निवल समायोजित बैंक ऋण का 43.7 प्रतिशत है, जबिक कृषि क्षेत्र के ऋणों में 1904 करोड़ रुपए की वृद्धि से 31 मार्च 2011 को यह ऋण 11048 करोड़ रुपए हो गए हैं।

आपके बैंक की 62 विशेष शाखाएँ हैं, जो लघु एवं मंझोले उद्यमी (एसएमई) खातों की आवश्यकताओं को देखती हैं और एसएमई के क्षेत्र में 31 मार्च 2011 की स्थिति 8361 करोड़ रुपए से बढ़कर 9681 करोड़ रुपए हो गई है।

प्रतिशेयर अर्जन (ईपीएस) 38.79 रुपए और बही मूल्य प्रति शेयर 184.44 रुपए, पिछले वर्ष के क्रमशः 35.09 रुपए और 154.66 रुपए पर हुए महत्वपूर्ण सुधार को प्रदर्शित करते हैं। चालू वर्ष के दौरान ईक्विटी पर प्रतिलाभ 21.50 प्रतिशत रहा।

कम बैंक वाले और बिना बैंकों वाले इलाकों में पहुँच स्थापित करने और उसे बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 104 शाखाएँ और 123 एटीएम (ऑफ साइट एटीएम सहित) खोले, जिससे भारत में 1860 डिलीवरी प्वाइंट और 1128 एटीएम तक पहुँच हो सके।

सिंगापुर और श्रीलंका के कोलम्बो में अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के अलावा आपके बैंक ने अपनी तीसरी विदेशी शाखा श्रीलंका के जफना में खोली। इसके अतिरिक्त आपके बैंक की 69 देशों में संपर्की बैंकिंग की व्यवस्था है।

कार्यनिष्पादन की समीक्षा

वर्ष 2010–11 के दौरान बैंक के परिचालनगत और वित्तीय निष्पादन की मुख्य बातें निम्नवतु हैं।

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	31.3.2010 को	31.3.2011 को	प्रतिशत वृद्धि
जमा राशियाँ	88228	105804	19.9
अग्रिम (कुल)	62658	75726	20.9
कुल कारोबार	150886	181530	20.3
निवल लाभ	1555	1714	10.2
परिचालन लाभ	2747	3292	19.8

पैरामीटर	31.3.2010 को	31.3.2011 को
प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण	21665	25969
लागत–आय अनुपात (%)	38.64	36.92
निवल ब्याज मार्जिन (%)	3.55	3.75
कुल एनपीए (%)	0.81	0.98
निवल एनपीए (%)	0.23	0.53

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपनी पूँजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने के लिए अपर टियर 🛮 और लीवर टियर 🛭 बौड़ी में प्रत्येक में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि की ।

आपके बैंक के कार्यनिष्पादन की सराहना हुई और चालू वर्ष के दौरान भी पिछले वर्षों की भाँति उसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें से कुछ पुरस्कार निम्नवत् हैं –

- 🌘 लाभप्रदता में फाइनेंशियल एक्स्प्रेस और अन्स्टी एण्ड यंग सर्वेक्षण द्वारा प्रथम स्थान तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच समग्र रैंकिंग में द्वितीय स्थान।
- ''स्वयं सहायता समूह पहल'' शहरी वित्तीय समावेश के लिए ''स्कॉच'' फाइनेंशियल पुरस्कार।
- शिक्षा ऋण वर्ग के अंतर्गत श्रेष्ठतम बैंक का 2010 का आउटलुक मनी अवार्ड ।
- वर्ष 2009–10 के दौरान स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने हेतु तमिलनाडु सरकार से उत्तम बैंक का पुरस्कार।
- सर्वोत्तम ग्राहक सेवा के लिए एमिटी कॉर्पोरेट एक्सेलेन्स पुरस्कार।
- भारत में बैंकों की बेंचमार्किंग पर सेलेंट द्वारा बैंक को प्रथम स्थान।
- एसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए तिमलनाडु राज्य का पुरस्कार।

मुझे आपको अवगत कराते हुए यह प्रसन्नता भी हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक मण्डल ने 75 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है।

ईक्विटी बाज़ार ने आपके बैंक पर भरोसा जताया है जो कि इस बात से स्पष्ट है कि इसके शेयर की कीमत में 32.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 31 मार्च 2010 के 175.8 रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 232.45 रुपए हो गया है।

वित्तीय समावेश के संबंध में आपका बैंक अग्रणी है और वर्ष के दौरान इसने रमार्ट कार्ड आधारित कारोबार सम्पर्कियों, बैंकिंग सेवा केन्द्रों, शाखाओं और चलती—फिरती

CHAIRMAN'S MESSAGE

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure to present the performance of your Bank for the year ended March 31, 2011.

Aided by buoyant growth in the economy, your Bank crossed yet another milestone with overall Business crossing ₹180,000 crore mark. Bank attained a business level of ₹181,530 crore. Deposits crossed the ₹100,000 crore mark to reach ₹105,804 crore, increasing by ₹17,576 crore at 20 per cent. Your Bank's Credit expanded by ₹13,068 crore at 21 per cent to ₹75,726 crore.

With regard to the financials, I would like to share that the Operating Profit of your Bank has improved to ₹3292 crore, while Net Profit surged to ₹1714 crore growing by 10.23 per cent.

The Capital Base of your Bank increased with a Net worth of ₹8326.55 crore and Capital Adequacy Ratio under Basel II was at 13.56 per cent.

Your Bank has always taken steps to fulfill its social obligations. Priority Sector lending has increased by ₹4304 crore to ₹25969 crore, which is 43.7 per cent of the Net Adjusted Bank Credit, while Agriculture lending has risen by ₹1904 crore to ₹11048 crore as on March 31, 2011.

Your Bank has 62 specialised Branches catering to the SME accounts and the SME portfolio increased to ₹9681 crore from ₹8361 crore as on March 31, 2010.

The Earnings per share (EPS) at ₹38.79 and Book value per share at ₹184.44, reflect a significant improvement over previous year's levels of ₹35.09 and ₹154.66 respectively. Return on Equity was at 21.50 per cent in the current year.

Towards reinforcing and extending the reach to the underbanked and unbanked areas, your Bank opened 104 branches and 123 ATMs (including off-site ATMs) during the year to touch 1860 delivery points and 1128 ATMs in India.

Apart from its international presence in Singapore and Colombo in Sri Lanka, your Bank opened its third foreign branch at Jaffna in Sri Lanka. Besides, your Bank has correspondent banking arrangements in 69 countries.

Performance Review

The major highlights of operational and financial performance of the Bank in 2010-11 are as under:

(₹in crore)

Parameters	As on 31.03.2010	As on 31.03.2011	% Growth
Deposits	88228	105804	19.9
Advances (gross)	62658	75726	20.9
Total Business	150886	181530	20.3
Net Profit	1555	1714	10.2
Operating Profit	2747	3292	19.8

Parameters	As on 31.03.2010	As on 31.03.2011
Credit to Priority Sector	21665	25969
Cost to Income ratio (%)	38.64	36.92
Net Interest Margin (%)	3.55	3.75
Gross NPA (%)	0.81	0.98
Net NPA (%)	0.23	0.53

During the year, your Bank raised Upper Tier II and Lower Tier II bonds of र 500 crore each to strengthen its capital adequacy.

Your Bank's performance won recognition and several coveted awards were conferred on it in the current year too, as in the previous years. Some of them are –

- Ranked first in Profitability by the Financial Express and Ernst & Young survey and the overall ranking was second among Public Sector Banks.
- "SKOCH" Financial Award for "SHG Initiatives"- Urban Financial Inclusion.
- OUTLOOK MONEY Awards 2010 for Best Bank under Education loan category.
- Best Bank award from the Government of Tamil Nadu for lending to SHGs during the year 2009-10.
- Amity Corporate Excellence award for Best Customer Service.
- Adjudged No.1 Bank by CELENT on Benchmarking of Banks in India.
- Tamil Nadu State award for meritorious service in SME sector.

I am also happy to inform you that the Board of Directors of your Bank has declared a dividend of 75 per cent.

The equity markets reposed confidence in your Bank as seen by the increase in share price by 32.2 per cent to ₹232.45 as at March 31, 2011 from ₹175.8 on March 31, 2010.



(मोबाइल) शाखा / वैन जैसे विभिन्न डिलीवरी मॉडेलों के माध्यम से 1010 गाँवों तक अपनी पहुँच बनाई है। बैंक ने एटीएम और सिक्के देनेवाली मशीन की सुविधा सहित अपनी पहली—चलती फिरती (मोबाइल) शाखा / वैन का शुभारम्भ सितंबर 2010 में पश्चिम बंगाल के जांगीपुर में किया था। इससे छः गाँवों को बैंकिंग सुविधाएँ मिल रही हैं और दूसरी वैन की शुरुआत मार्च 2011 में वेलूर में की गई, जिससे पाँच गाँव बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान ग्राहकों और शेयरधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में कई नई पहल भी की थीं, जिससे सुविधाजनक रूप से बैंकिंग की जा सके। इसके अंतर्गत ई—मेल customerfirst.cmd@indianbank.com के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से सीधे ही संपर्क करने के लिए "ग्राहक प्रथम" वेबसाइट और ऑनलाइन ग्राहक शिकायत निवारण की सुविधा शामिल है। ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए www.indianbank.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

''सुप्रीम चालू खाता'' नामक स्वास्थ्य एवं सम्पदा कवर देने वाले एक अनूठे चालू खाते की शुरुआत की गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आभूषण ऋण योजना का शुभारम्भ किया गया।

अन्य नए उत्पादों में आवास, वाहन और खुदरा ऋण का कॉम्बो ऋण, एसएमई उत्पाद — आईबी कांट्रैक्टर्स, तिपहिया वाहनों के वित्तीयन के लिए बजाज ऑटो के साथ गठबंधन, ऋण समूहन (सिंडीकेशन) डेस्क की स्थापना, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों को सीबीएस के अंतर्गत लाया जाना शामिल है और सरकारी निर्गम (पिल्लिक इशू) तथा अधिकार निर्गम (राइट्स इशू) के लिए आवेदन करने के योग्य संस्थागत खरीददारों सिहत सभी वर्गों के निवेशकों के लिए अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीएस) को कार्यान्वियत कर दिया गया है। चेन्नै के साथ—साथ मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, बंगलूरु और हैदराबाद में सम्पदा प्रबंधन सेवाएँ शुरू की गई हैं।

हमारा प्रयास एक भारतीय हृदय वाले सुदृढ़, मज़बूत और जीवन्त अंतर—राष्ट्रीय बैंक का निर्माण करना है। आपके अमूल्य संरक्षण और निरंतर मिले समर्थन से बैंक समग्र कारोबार, लाभप्रदता और कॉर्पोरेट अभिशासन के क्षेत्र में और अधिक ऊँचाईयाँ तय करेगा।

हमारा उद्देश्य प्रौद्योगिकी का अनुकूलन और समक्रमीकरण कर और अधिक ग्राहक केन्द्रिक कारोबार की दिशा में समग्र रूप से वृद्धि लाना है, जिससे हमारे शेयरधारकों के मुल्य को अधिकतम बनाया जा सके।

शुभकामनाओं सहित

आपका,

टी एम भसीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2010 - 11

Your Bank is in the forefront with regard to financial inclusion and during the year it covered 1010 villages through various delivery models like Smart card based Business Correspondents, Banking Service Centers, brick and mortar branch and Mobile Branch/Van. The Bank launched its first mobile branch/van with ATM facility and coin vending machine at Jangipur in West Bengal in September 2010 facilitating banking services to six villages and the second at vellore in March 2011 covering 5 villages.

Several new initiatives were also taken by your Bank during the year as a part of its commitment to customers and stakeholders enabling convenience banking. These include customer first website to interact with Chairman and Managing Director directly through e-mail at customerfirst.cmd@indianbank.com, Facility of Online Customer Complaint Redressal wherein customers can log on to www.indianbank.in to register their complaints.

A unique current account 'Supreme Current Account' offering health and wealth insurance cover was introduced. For Senior Citizens, a Jewel Loan Scheme was introduced.

Other new products include Combo Ioan for housing, vehicle and retail, SME product-IB Contractors, Tie-up with Bajaj Auto Ltd. for financing Three Wheelers, Loan Syndication desk has been setup, Public Provident Fund (PPF) accounts were brought under CBS and Application Supported by Blocked Amount (ASBA) has been implemented for all categories of investors including Qualified Institutional Buyers for applying to Public Issues and Rights Issues.

Wealth Management Services has been extended to Mumbai, Chandigarh, Delhi, Bengaluru and Hyderabad in addition to Chennai.

Our endeavour is to build a strong, robust and a vibrant International Bank with an *Indian Heart*. With your invaluable patronage and continued support, the Bank would grow taller in overall business, profitability and corporate governance.

Our objective is *Optimisation and Synchronisation* of technology enabling a more customer-centric business with overall focus on business growth, so as to maximize our stakeholders' value.

With best wishes

Yours sincerely

T M Bhasin Chairman and Managing Director





प्रधान कार्यालय, 66, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की **पाँचवी वार्षिक आम बैठक बुधवार, दिनांक 29 जून 2011** को पूर्वाह्न 10.30 बजे इमेज, एमआरसी नगर, राजाअण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

- 1. बैंक के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे व लेखों द्वारा कवर की गई अविध के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन करना एवं अपनाना।
- 2. वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए लाभाश घोषित करना।
- 3. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 3(2बी) के अन्तर्गत बैंक द्वारा निर्धारित किए जाने वाले 10 / रुपए के 6.14 करोड़ ईक्विटी शेयरों के फॉलो—ऑन पिल्लिक ऑफर द्वारा बही निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से बैंक द्वारा 61.40 करोड़ रुपए की ईक्विटी पूँजी जुटाए जाने के लिए निम्नांकित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में परिवर्तनों सिहत अथवा बिना परिवर्तन के पारित कर अनुमोदित करना :

''संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999, के यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या किसी अन्य प्राधिकारी जो इस संबंध में यथा आवश्यक हो, और ऐसे अनुमोदन मंजूर करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अधीन सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अद्यधीन है, और जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो और इस के अतिरिक्त के रूप में मंजूरी और देने में किया जा सकता बैंक और उन विनियमों के अद्यधीन यथा सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियम) / दिशा निर्देशों के तहत और अन्य सभी लागू कानूनों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जहां बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध कर रहे हैं, उनके साथ किए गए लिस्टिंग समझौते के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जो इसके बाद बोर्ड कहा जाता है और पूरे आबंटन या निर्गम का ऐसा हिस्सा आरक्षण और / या प्रतिस्पर्धी आधार पर उस समय लागू कानून द्वारा अनुमत व्यक्तियों को और ऐसे वर्गों के लिए) को निर्गम प्रस्तुत करने, जारी करने और आंबटित करने (और इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेत् किसी भी समिति को जो बोर्ड ने गठित की है या इसके बाद गठित करेगा, ऐसी समिति मानी जाएगी) को दिया जाता है यदि कोई हो, के अधीन, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक 🖊 के परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 सभी के करने के लिए को में प्रवेश हो सकता है और इसके लिए दी है बैंक के निदेशक संकल्प प्रस्ताव है. को मुद्दा है और आवंटित के रूप में के लिए प्रावधान के साथ (सहित तो लागू जिस तरह से) भारत में या विदेश में एक प्रस्ताव दस्तावेज / सचीपत्र इक्विटी शेयर की इतनी संख्या में इस तरह के अन्य दस्तावेज की और किसी भी मामले में और 6.14 करोड रुपए (केवल छह करोड़ चौदह लाख रुपए) से अधिक नहीं है जारी करने के लिए कल – रू10 / प्रत्येक के अंकित मुल्य से अधिक नहीं जो 61.40 करोड़ रुपए (रूपये इकसठ करोड़ चालीस लाख केवल) के कुल बही मुल्य से अधिक नहीं, निर्माण मार्ग के माध्यम से फॉलो—ऑन पब्लिक ऑफर से जो एक साथ के अनुसार मौजुदा प्रदत्त ईक्विटी के साथ ₹ 429.77 करोड़ राशि जो बैंक की प्राधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा जा रहा है, की शेयर पूंजी बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2 ए) के या संशोधन के अनुसार (यदि कोई हो), जो भविष्य में अधिनियम में इस रीति में किया जा सकता हो कि केंद्रीय सरकार सभी समय पर बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का 51 प्रतिशत से कम न होने वाली पूंजी का धारण करता है, चाहे बाजार मूल्य के प्रीमियम, या डिस्काउंट पर एक या दो दशाओं में

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम प्रस्ताव या आबंटन, सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से अधिक आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना होगा और इस तरह का निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन बैंकंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियम) और सेबी भारतीय रिजर्व बैंक और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यथा प्रयोज्य जारी प्रावधानों, अन्य सभी दिशानिर्देशों के अनुसार और ऐसे समय पर या समयों पर इस तरह के या ऐसे ढंग से और ऐसी शर्तों व निबंधनों पर जो लागू हो, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उपयुक्त समझता है, होगा।"



Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the **Fifth Annual General Meeting** of the Shareholders of Indian Bank will be held on **Wednesday, the June 29, 2011 at 10.30 a.m. at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028** to transact the following business.

- 1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2011, Profit & Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2. To declare dividends for the financial year 2010-11.
- 3. To approve raising of Equity Capital of Rs.61.40 crore by the Bank through book-building process by its Follow-on Public Offer comprising of 6.14 crore Equity Shares of Rs.10/- each at a premium to be decided by the Bank, under Section 3 (2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, by passing the following resolution, with or without modifications as a special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the SEBI, RBI, notifications / circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10/- each and in any case not exceeding 6.14 Crore (Six crore fourteen lakhs only) and aggregating to face value of not more than Rs.61.40 Crore (Rupees Sixty one crore forty lacs only) as Follow-on Public Offer through book-building route, which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs.429.77 crore, being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, with or without overallotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the SEBI, RBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".



- **; g Hh l alYi fd; k t kr k gSfd बोर्ड को निवेशकों को ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों पर ऐसे तरीके से शेयर जारी करने का अधिकार होगा और जहाँ आवश्यक हो वहाँ अग्रणी प्रबन्धकों और /अथवा हामीदारों और /अथवा सलाहकारों के परामर्श से अथवा अन्यथा ऐसी शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से आईसीडीआर विनियमों अन्य विनियमों और किसी और /अथवा सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और अनुदेशों पर, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हों अथवा नहीं. निर्णय करेगा।"
- **; g Hh l alYi fd; k t krk gSfd बोर्ड को प्राधिकार एवं शक्तियाँ होंगी कि वह भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हों, द्वारा प्रस्ताव में किए गए परिवर्तन जो आवश्यक हों अथवा लगाए गए हों, को स्वीकार करे अथवा निर्गम के अनुमोदन, सहमित, अनुमित, आबंटन और उनके सूचीकरण और जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमित हुई हो करे। "
- **; g Hh l alYi fd; k t krk gSfd अनिवासी भारतीयों, विदेशी निवेशक संस्थाओं और /अथवा अन्य पात्र विदेशी हस्तियों को नए ईक्विटी शेयरों का निर्गम और आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन यथा लागू, किन्तु अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई समग्र सीमाओं के अन्दर होगा।"
- **; g Hh l alYi fd; k t kr k gSfd जारी किए जाने वाले कथित नए ईिक्वटी शेयर यथा संशोधित इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 के अधीन होंगे और यदि कोई लाभांश हो तो उसके साथ हर तरह से बैंक के मौजूदा ईिक्वटी शेयरों के समरूप (पारी पासू) ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक अनुदेशों के अनुसार होंगे।"
- **; g Hh l alYi fy; k t krk gS fd िकसी भी निर्गम या ईक्विटी शयरों के आबंटन को प्रभाव देने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्ते निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जिस में निवेशकों के उस वर्ग सिहत जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी है प्रत्येक दशा में आबंटित िकए जाने वाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या निर्गम मूल्य निर्गम पर प्रीमियामराशि जो िक बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कृत्य, विषय, चीजें करे और विलेख दस्तावेज और करार करें जैसा िक वे अपने पूर्ण विवेक में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव निर्गम आवेदन और प्राप्य राशियों का उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी प्रश्नों किठनाइयों या संदेहों का समाधान करने के लिए अनुदेश या निर्देश दें तथा ऐसी शर्ता व निबंधनों के संबंध में ऐसे आशोधन, परिवर्तन, बदलाव, जोड़, घटाव, परिवर्धन को प्रभाव दें जैसा िक अपने पूर्ण विवेक में बैंक के सर्वोच्च हित में किसी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना उचित समझे और इस संकल्प के जिएए बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जाए।"
- **; g Hh l alYi fd; k t krk gSfd बोर्ड को एतद्द्वारा ऐसी ईक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों प्रस्ताव में लगे या रुचि लेने वाले अग्रणी प्रबन्धक(कों), बैकर(रों), निक्षेपागार(रों) और ऐसी सभी मध्यवर्ती संस्थाओं/एजेंसियों के साथ ऐसी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे सभी संस्थानों और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क अथवा ऐसी अन्य मद का पारिश्रमिक देने तथा ऐसी सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेज़ों आदि को ऐसी एजेंसियों के साथ निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"
- **; g Hh l alYi fd; k t krk gSfd उपर्युक्त को लागू करने के उद्देश्य से बोर्ड को अग्रणी प्रबन्धकों, हामीदारों, सलाहकारों और / अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम(मों) के स्वरूप और शर्तों को एतद् द्वारा तय करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । इसमें निदेशकों का वह वर्ग भी शामिल है, जिन्हें शेयर आबंटित करने हैं, प्रत्येक ट्रैंश में आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम का मूल्य(प्रीमियम सहित, यदि कोई हो),अंकित मूल्य, ईिक्वटी शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम राशि और सम्बन्धित या प्रासंगिक प्रकरण, भारत और / अथवा विदेश में एक अथवा अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण, जैसा कि बोर्ड अपने सम्पूर्ण विवेक से उपयुक्त माने, उसे तय करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है ।"
- **; g Hh l alYi fd; k t kr k gSfd ऐसे शेयर जो सबस्क्राइब नहीं किए गए हैं, उन्हें बोर्ड अपने पूर्णविवेक से ऐसे तरीके से, जिसे बोर्ड उपयुक्त माने और जो कानूनी रूप से उचित हो, निपटा सकता है।"
- **; g Hh l alYi fd; k t krk gSfd इस संकल्प को प्रभाव देने के प्रयोजनार्थ बोर्डे को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कार्य, मामले विषय और कृत्य करें जो अपने पूर्ण विवेक में आवश्यक उचित और वांछनीय समझें और शेयरों /प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होनेवाले प्रश्न किवनाई या संदेह का समाधान करें और आगे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करें उन्हें अंतिम रूप दें और सभी दस्तावेजों व लेखों को निष्पादित करें जो कि सदस्यों के आगे के किसी सहमति या अनुमोदन की आवश्यतकता के बिना अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक उचित और वांछनीय समझें या समाप्ति तक और उस आशय को प्राधिकृत करें कि ऐसा समझा जाएगा कि शेयरधारकों ने उसके लिए संकल्प के प्राधिकार के जिए व्यक्त रूप से अपना अनुमोदन दिया है।"
- ; g "h l alYi fd; k t krk gSक उपर्युक्त विनियमों को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को एतदृद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) को यहाँ दी गई समस्त अथवा कोई शक्तियाँ प्रदत्त करे।"
- 4- भारत सरकार के पास रखी 400.00 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण सतत् गैर-संचयी अधिमान शेयर पूँजी को ऐसे ईक्विटी शेयरों की संख्या में ऐसे परिवर्तन मूल्य पर जिसे, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित किया जाए, के परिवर्तन के अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और अन्य नियामक प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन के अधीन विशेष संकल्प के रूप में परिवर्तनों सिहत अथवा उनके बिना निम्नांकित संकल्प पारित किया जाता है -

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and/ or all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign entities be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such intermediaries/agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees. or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue of equity shares and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions".

4. To approve conversion of entire Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital of Rs.400.00 crore held by the Government of India into such number of Equity Shares at such conversion Price as may be determined by the Bank in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, subject to necessary approvals from Reserve Bank of India, Government of India and other regulatory authorities by passing the following resolution, with or without modifications as a special resolution:



**; g l alYi fd; k t kr k है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999, के समय—समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और / या किसी अन्य प्राधिकारी के जो इस संबंध में यथा अपेक्षित हो, ऐसे अनुमोदन, सहमित मंजूरी यदि कोई हो के अद्यधीन और ऐसे अनुमोदन देने में उनके द्वारा यथा निर्धारित ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अधीन और जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो और सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियम) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय—समय पर और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जहां बैंक के निदेशक मंडल (जो इसके बाद बोर्ड कर रहे हैं, उनके साथ किए गए लिस्टिंग समझौते के अधीन निर्धारित विनियमों के अधीन शेयरधारकों की सहमित एतद् द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जो इसके बाद बोर्ड कहा जाएगा जिस में पूंजी निर्गम समिति को सम्मिलित माना जाता है, जिसे बोर्ड ने गठित किया है या इसके बाद इस संकल्प के जिरए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु गठित करते हैं) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित ऐसे परिवर्तन मूल्य पर भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक 100 / रूपये 4,00,00,000 बेमियादी अधिमान्य शेयरों को प्रत्येक 10 / - रूपये के उसी संख्या के शेयरों का सृजन, प्रस्तुत, जारी और आबंटन करें।"

**bl dsvfrfjDr; g l adYi किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसरण में बोर्ड को एतद्द्वारा निर्गम के निर्धारण की संगत तारीख को तय करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

**bl ds vfrfjDr; g Hh l alYi किया जाता है कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हुए हैं, द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित अथवा लागू किए गए किसी परिवर्तन को स्वीकार करने का प्राधिकार और शक्ति होगी अथवा बोर्ड से जैसी सहमित हुई है उनके निर्गम, आबंटन और सूचीकरण के लिए उनके अनुमोदन, सहमितयाँ, अनुमितयाँ और मंजूरियाँ देते समय ऐसे अन्य समुचित प्राधिकार होंगे।"

**; g Hh l alYi fd; k t kr k है कि जारी किए जाने वाले कथित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप(पारीपासू) होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक अनुदेशों के अनुरूप यदि कोई घोषित किए गए लाभांश हों तो उसके पात्र होंगे।"

**; g Hh l alYi fd; k t krk है कि संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, प्रकरणों और मदों को, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित एवं वांछनीय मानता है और किसी प्रश्न, कित्नाई अथवा संदेह को जो ईक्विटी शेयरों के निर्गम के सम्बन्ध में उठें और पुनः ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, प्रकरणों और मदों को अन्तिम रूप देने और सभी दस्तावेज़ों व लेखों को, जो आवश्यक, वांछनीय अथवा व्यावहारिक हों, निष्पादित करने, जो उनके पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा वांछनीय हो, बिना आगे शेयरधारकों की अनुमित अथवा अनुमोदन माँगने की आवश्यकता अथवा समाप्त करने के प्राधिकार और उद्देश्य कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया है मान लिया जाएगा। "

**; g Hh l alYi fd; k t kr k है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभाव में लाने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह एतद्द्वारा उसे मिली सभी या कोई शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक / कों को प्रत्यायोजित करे।"

5- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (अब से ''योजना'' नाम से संदर्भित) तथा इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1999 (अब से ''विनियमन'' नाम से संदर्भित) अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में निर्मित और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी.सं.बीसी.सं.46 / 29.39.001 / 2007—08 दिनांक नवंबर 01, 2007 (अब से ''भारिबैंक की अधिसूचना'' नाम से संदर्भित) के साथ पिठत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक के शेयरधारकों में से (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) दो निदेशकों को चुनने के लिए निम्नलिखित संकल्प पारित करते हुए :—

**l adYi fd; k t krk gSfd योजना, विनियमन और उसके अंतर्गत की गई अधिसूचनाओं के साथ पिठत अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से इतर, शेयरधारकों में से दो निदेशक चुने जाएं जो बैंक के निदेशक के रूप में 01 जुलाई 2011 से कार्य ग्रहण करेंगे और ऐसे पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अविध के पूर्ण होने तक इस पद पर रहेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

Vh., e- Hal hu

दिनांक : 20 मई, 2011

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include Capital Issues Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot to Government of India such number of Equity Shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) by conversion of 4,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of Rs.100/- each held by the Government of India into Equity Shares of the Bank at such conversion Price as may be determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to fix the Relevant Date for determination of the Issue Price in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the said Equity Shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director/s to give effect to the aforesaid Resolutions".

5. To elect two Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No.DBOD No.BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made there under, be and are hereby elected as the Directors of the Bank to assume office from July 01, 2011 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors

Place: Chennai Date: May 20, 2011 T M Bhasin Chairman and Managing Director



ukV

ı 0, k[; kRed oDr0, %

बैठक की कार्रवाई के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य निर्धारित करनेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य यहाँ इसके साथ संलग्न है।

ıı erkf∕kdkj %&

अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक अपने पास रखे किन्हीं भी शेयरों के सम्बन्ध में मताधिकार का इस्तेमाल करने का पात्र नहीं होगा। उपर्युक्त के अधीन, प्रत्येक अंशधारक जिसे आम बैठक की तारीख़ के पहले रिजस्टर के बन्द होने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसका हाथ उठाने पर एक मत होगा तथा निर्वाचन होने के स्थिति में उसके पास रखे प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा।

ii £rfuf/k dh fu; £Dr

c\$d eaHkx ysuso ernku dk vf/kdkj j[kuskys'ksj/kkjd dksvius cnys c\$d eaHkx ysuso ernku djus gsrqi£rfuf/k fu; Pr djus dk gd g\$vk\$, d k i£rfuf/k c\$d dk 'ksj/kkjd gkuk vko'; d uglag\$.

बैंक का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि नहीं होगा। प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रतिनिधि फॉर्म प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के प्रधान कार्यालय के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख़ से कम से कम **pkj** fnu igys अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2011 को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

v, dilf/kÑr i frfuf/k dh fu; fDr

कोई भी व्यक्ति, किसी भी कार्पोरेट निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, नं.66 राजाजी साले, <u>पाँचवीं मंजिल,</u> चेन्नै 600 001 के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2011 को या उससे पहले बैंक बंद होने के समय के पूर्व आ जानी चाहिए।

v mifLFkfr ipkZ& lg & ifof"V ikl

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची — सह प्रविष्टि पास को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उपस्थिति पर्ची—सह प्रविष्टि पास को स्थान पर सौंप दें। एक शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची—सह प्रविष्टि पास पर ''प्रतिनिधि'' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करेंगे। मतदान के समय मत पत्र प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रवेश पासों को वापस करना पड़ेगा।

vı 'kş j/kkjdkads jft LVj dks clh fd; k t kuk

शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की शेयर हस्तांतरण बहियाँ दिनांक 01 जून 2011 से शुक्रवार, दिनांक 05 जून, 2011 तक (दोनों दिन सिम्मिलित है), शेयरधारकों के नामों को तय करने के लिए, जो कि पात्र हैं, बन्द रहेंगी

- (क) दिनांक 29 जून 2011 को होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक के लिए नोटिस प्राप्त करने के लिए
- (ख) वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित यदि कोई लाभांश हों तो उन्हें प्राप्त करने के लिए
- (ग) वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान करने के लिए तथा
- (घ) भाग लेने के लिए अर्थात् वार्षिक आम बैठक के सम्बन्ध में जारी की गई नोटिस की मद संख्या 3 में हुए उल्लेख के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशकों को नामित करने, निर्वाचन लड़ने और मतदान के लिए।

vii ykHkak dk Hoxrku

बोर्ड ने वर्ष 2010—11 के लिए ईक्विटी पूँजी पर ₹10/— के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹7.50 और सतत् गैर—संचयी अधिमान पूँजी पर ₹100/— के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹10/— के लाभांश की अनुशंसा की है। इसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम सदस्यों के रिजस्टर बेनीफीशियल ओनर्स के रिजस्टर में हैं और जिन्हें एनएसडीएल / सीडीएसएल ने दिनांक शुक्रवार, जून 03 2011 को प्रस्तुत किया है। इनका भुगतान वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा की तारीख़ से 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाएगा।

NOTES

I. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

II. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

III. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

THE PROXY SHALL NOT BE AN EMPLOYEE OR OFFICER OF THE BANK. The Proxy shall not have any right to speak at the Meeting.

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the June 24, 2011.

IV. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed has been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the June 24, 2011.

V. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

VI. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, the June 01, 2011 to Friday, the June 03, 2011 (both days inclusive) for the purpose of determining the name of the shareholders entitled to:

- (a) receive the Notice for the Annual General Meeting to be held on June 29, 2011,
- (b) receive the dividends declared if any at the Annual General Meeting,
- (c) vote at the Annual General Meeting, and
- (d) participate i.e., to nominate, contest and vote for election of two directors representing the shareholders of the Bank as mentioned in item No.5 of the Notice issued in connection with the Annual General Meeting.

VII. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Board has recommended a dividend of Rs.7.50 (75%) per Equity Share of face value Rs.10/- on the Equity Capital and Rs.10/- (10%) per share of face value Rs.100/- on the Perpetual Non-Cumulative Preference Capital for the year 2010-11. It shall be paid to those Shareholders whose names appear on the Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as on Friday, June 03 2011 and the same shall be mailed within 30 days from the date of declaration of dividend at the Annual General Meeting.



viii ykHkkak i =ks@jk"Vtr, bysDVkWhud lek'kksku lsok ¼ ub7, h, l½esacsid [kkrs dk fooj.k

सेबी ने बैंकों सिहत सभी सूचीबद्ध कम्पिनयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे लाभांश संवितिरत करते समय शेयरधारकों द्वारा दिए गए बैंक खाते के विवरण का उल्लेख लाभांश पत्रों में करें और जहाँ कहीं राष्ट्रीय इलेक्ट्रनिक क्लियरिंग सिर्विस (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) सेवा उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बताया है, कुछ नगरों में एनइसीएस/एनइएफटी के माध्यम से शेयरधारक के बैंक खाते में सीधे जमा दी जाती है। कितपय केन्द्रों में ऐसी सुविधा के न होने पर और कुछ शेयरधारकों द्वारा ऐसी सुविधा का इस्तेमाल न करने की स्थिति में, बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक खाते के विवरण लाभांश पत्रों में मुद्रित करेगा। ऐसे शेयरधारक जो अपने शेयर भौतिक रूप से रखे हुए हैं, वे, अपने रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक सेवा कक्ष को या रिजस्ट्रार को और नीचे पैरा (ix) में दिए गए पते पर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को .जून 24 2011 को या उससे पूर्व भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक जो अपने शेयरों को डीमैट रूप में रखे हुए हैं, वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मात्र से संपर्क कर सकते हैं। ईसीएस अधिदेश वेंक अधिदेश का एक प्रारूप संलग्न है।

irs eaifjor Z

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना पंजीयक तथा बैंक के शेयर अन्तरण एजेन्ट को निम्नांकित पते पर दें:

e\$\frac{1}{2}\d\$\text{e}; \text{ ks d\text{kiNkj}.\text{s}} \frac{1}{2}\text{ fo}\text{\$\text{f}\$ t + fyfeV\text{s}M} (; \text{fu}V \%\text{b}\text{kM}; u c\text{s}d)

l quef.k, u fOlfYMax] ual] Dyc glaml jlaM pstuS600 002

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन और ईसीएस अधिदेश के विवरण की सूचना सिर्फ अपने डिपॉज़िटरी प्रतिभागी/प्रतिभागियों; को दें।

x 'kş j/kkj dkal svujjk/k

- क) शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी।
- ख) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई भेंट / कृपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

जो शेयरधारक लेखों पर कोई सूचना पाना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के प्रधान कार्यालय में निवेशक सेवा कक्ष को लिखें, जो वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले बैंक को प्राप्त हो सके, तािक प्रबंधन, जानकारी को तैयार रख सके। शेयरधारक यह नोट करें कि सचना /स्पष्टीकरण सिर्फ वार्षिक सामान्य बैठक में ही दिये जाएंगे।

VIII. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS / NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS):

SEBI has made it mandatory for all the listed companies, including banks, to mention in the dividend warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use the National Electronic Clearing Service (NECS) / National Electronic Funds Transfer (NEFT) facility wherever available. Direct Credit to the Bank Account of the shareholder is done through NECS / NEFT in certain towns as specified by the Reserve Bank of India. In the absence of such facility and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the Bank Account details, as available with it, in the dividend warrants. The Shareholders who are holding their shares in physical form may send their Bank Mandate details to the Investor Services Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (ix) below on or before June 24, 2011 for updating of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their Depository Participants for necessary action in this connection. A proforma of ECS Mandate / Bank Mandate is enclosed.

IX. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Cameo Corporate Services Limited (Unit : Indian Bank) Subramanian Building, No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002.

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details only to their respective Depository Participant(s).

X. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

- a) Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of Annual Report to the Meeting. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.
- b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the Meeting.

Shareholders who wish to seek any information on the accounts are kindly requested to write to the *Investor Services Cell* of the Bank at its Head Office, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.



en 1 a03 dk 0, k[; kRed fooj.k

csid dk Qkbylks vkby i fCyd vkbyj ¼ Qi hvkb/2%

- 1. बैंक, बैंककारी कारोबार और उससे सम्बन्धित गतिविधियों में लगा है। वर्तमान में बैंक की प्राधिकृत पूँजी 3000 करोड़ रुपए (तीन हज़ार करोड़ रुपए मात्र) है।
- 2. आपका बैंक फरवरी 2007 में प्रति शेयर 81/— रुपए के प्रीमियम पर 10/— रुपए प्रत्येक वाले 8,59,50,000 ईक्विटी शेयरों के साथ एक प्रारंभिक लोक प्रस्ताव (आईपीओ) लाया था। बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूँजी में 429.77 करोड़ रुपए की ईक्विटी शेयर पूँजी और 400.00 करोड़ रुपए की सतत गैर—संचयी अधिमान शेयर पूँजी शामिल है। केन्द्र सरकार के पास बैंक की 80 प्रतिशत ईक्विटी पूँजी है।
- 3. वर्ष 2013 से बेसल III मानदण्डों के कार्यान्वयन के संदर्भ में तथा भविष्य में बैंक के कारोबार विस्तार के परिदृश्य को ध्यान में रखकर और अनुमानित लाभप्रदता के परिप्रेक्ष्य में यह विचार किया गया है कि बैंक अपने ईक्विटी पूँजी आधार को बढ़ाए तथा अगले तीन वर्ष की समयाविध के लिए पर्याप्त सीआरएआर रखे।
- 4. भारत सरकार ने दिनांक 05 मई 2011 के अपने पत्र एफ.सं.11/10/2010—बीओए में बैंक को अपना अनुमोदन दिया है कि वह बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अन्तर्गत 10/- रुपए प्रत्येक के 6.14 करोड़ के ईक्विटी शेयरों वाले फॉलोऑन पब्लिक ऑफर द्वारा बही—निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से 61.40 करोड़ रुपए की ईक्विटी पूँजी जुटाए, जो उसमें दी गयी शर्तों के अधीन होगा । भारत सरकार से प्राप्त पत्र की एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध है ।
- 5. स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण करार की धारा 23 की शर्तों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 के विनियम 72 के अनुसार चूँकि बैंक का प्रस्ताव पब्लिक ऑफर के बजाए उन व्यक्तियों को शेयर जारी करने का है, जो वर्तमान में शेयरधारक हैं, इसलिए बैंक को वर्तमान शेयरधारकों से उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए सहमति लेना आवश्यक है।
- 6. तदनुसार विशेष संकल्प के रूप में सूचना की मद संख्या 3 में इंगित किए गए अनुसार बैंक की वार्षिक आम बैठक आयोजित कर संकल्प में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन माँगा गया है।
- 7. आपके निदेशक आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की अनुशंसा करते हैं।
- 8. बैंक के निदेशकों का संकल्प में सम्बन्ध अथवा रुचि, बैंक में उनके व्यक्तिगतरूप में शेयरों की धारिता तक अथवा भारत सरकार के नामिती के रूप में मानी जाएगी।

en 14; k4 dk0, k[; kRed fooj. k

x\$\mathbf{S} lap; h vfEkeku 'ks j dksAfDoVh 'ks jkses ifjorZa

- d- vf/keku fuxZe ds mnns; %
 - 1. बैंक, बैंककारी कारोबार और उससे सम्बन्धित गतिविधियों में लगा है। वर्तमान में बैंक की प्राधिकृत पूँजी 3000 करोड़ रुपए(तीन हज़ार करोड़ रुपए मात्र) है। बैंक की प्रदत्त पूँजी में 429.77 करोड़ की ईिक्वटी शेयर पूँजी और 400.00 करोड़ की सतत् गैर—संचयी अधिमान शेयर पूँजी शामिल है। सम्पूर्ण सतत् गैर—संचयी अधिमान शेयर पूँजी भारत सरकार के पास है।
 - 2. वर्ष 2013 से बेसल III मानदण्डों के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में तथा भविष्य में बैंक के कारोबार विस्तार के परिदृश्य को ध्यान में रखकर और अनुमानित लाभप्रदता के परिप्रेक्ष्य में यह विचार किया गया है कि बैंक अपने ईक्विटी पूँजी आधार को बढ़ाए। बेसल III की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त कोर पूँजी बनाए रखकर बैंक की साख के क्रम निर्धारण और बैंक के प्रति जन अवबोधन में और सुधार की अपेक्षा है। अतः यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार के पास रखी सतत् गैर—संचयी अधिमान शेयर पूँजी को बैंक ईक्विटी पूँजी में परिवर्तित करे, जिससे सीआरएआर में सुधार होगा। सतत् गैर—संचयी अधिमान शेयर पूँजी के ईक्विटी पूँजी में कथित परिवर्तन से बैंक के ईक्विटी शेयरों के बही मूल्य में भी सुधार होने की अपेक्षा है।
 - 3. यह प्रस्ताव भारत सरकार तथा अन्य नियामक प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन मिलने के अधीन है और इसकी कीमत का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
 - 4. परिवर्तन के पश्चात् जारी किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 में बताए गए अनुसार लॉक–इन पीरियड में रखा जाएगा।
- ख. सम्पूर्ण निर्गम बैंक के प्रवर्तक (प्रोमोटर) भारत सरकार को जारी किया जाएगा।
- ग. बैंक का प्रयास निर्गम प्रक्रिया को सेबी आईसीडीआर विनियमों में बताए गए अनुसार निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने का होगा।
- घ. चूँकि सम्पूर्ण निर्गम भारत सरकार को, जो कि बैंक का बड़ा शेयर धारक और प्रवर्तक (प्रोमोटर) है, किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए नियन्त्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO. 3

FOLLOW-ON PUBLIC OFFER (FPO) OF THE BANK:

- 1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs.3000 crore (Rupees three thousand crore only).
- 2. Your Bank came out with an Initial Public Offer (IPO) of 8,59,50,000 Equity Shares of Rs.10/- each at a premium of Rs.81/- per share in February 2007. The present Paid-up Capital of the Bank consists of Equity Share Capital of Rs.429.77 crore and Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital of Rs.400.00 crore. Central Government holds 80% of the Equity Capital of the Bank.
- 3. In the context of implementation of Basel III from 2013 and taking into account the future scenario of business expansion of the Bank and the projected profitability, it is felt that the Bank should expand its Equity Capital base and have adequate CRAR for the next three years time period.
- 4. The Government of India has vide letter F.No.11/10/2010-BOA dated May 05, 2011 accorded its approval to the Bank to raise Equity Capital of Rs.61.40 crore through book-building process by a Follow-on Public Offer comprising 6.14 crore Equity Shares of Rs.10/- each at a premium to be decided by the Bank, under Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, subject to the terms and conditions mentioned therein. A copy of the letter received from Government of India is available for inspection.
- 5. In terms of Clause 23 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges as well as Regulation 72 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as the Bank proposes to issue shares to persons who are existing shareholders or not by way of a Public Offering, the Bank is required to obtain the consent of the existing shareholders for above mentioned proposal.
- 6. Accordingly, approval of the shareholders of the Bank is sought to the Resolution as indicated in item No.3 of the Notice convening the Annual Meeting of the Bank, as a Special Resolution.
- 7. Your Directors recommend the resolution for your approval.
- 8. The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO. 4

CONVERSION OF PERPETUAL NON-CUMULATIVE PREFERENCE SHARES INTO EQUITY SHARES:

a) Objects of the Preferential Issue:

- The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs.3000 crore (Rupees three thousand crore only). The Paid-up Capital of the Bank consists of Equity Share Capital of Rs.429.77 crore and Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital (PNCPSC) of Rs.400.00 crore. The entire Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital is held by Government of India.
- 2. In the context of implementation of Basel III from 2013 and taking into account the future scenario of business expansion of the Bank and the projected profitability, it is felt that the Bank should expand its Equity Capital base. By maintaining sufficient core capital for Basel III requirement, the credit rating and public perception of the Bank is expected to improve further. Thus, it is proposed that the Bank convert the PNCPSC held by the Government of India into Equity Capital so that the CRAR would improve. The said conversion of PNCPSC into Equity Capital is also expected to improve the Book Value of the Equity Shares of the Bank.
- 3. The proposal is subject to necessary approval from Government of India, other regulatory authorities and would be at a price to be determined by Government of India.
- 4. The Equity Shares to be issued on conversion shall be subject to a lock-in period as specified in Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.
- b) The entire issue will be issued to Government of India, the Promoter of the Bank
- c) The Bank shall endeavour to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- d) As the entire issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.



- ड. बैंक के ईक्विटी शेयरों को छः माह से अधिक के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76(3) और 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- च. इस प्रकार भारत सरकार को जारी एवं आबंटित सभी शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध (लॉक) हो जाएँगे।

सांविधिक लेखा परीक्षक(कों) द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्गम किया जा रहा है, वार्षिक आम बैठक में रखा जाएगा।

भारत सरकार के पास रखे सभी शेयर अमूर्तरूप में हैं और बैंक के ईक्विटी शेयर जहाँ सूचीबद्ध हुए हैं, उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण करार में बताए गए अनुसार बैंक ईक्विटी शेयरों के सतत् सूचीकरण की परिस्थितियों के अनुपालन में है। भारत सरकार ने बैंक के किन्हीं भी ईक्विटी शेयरों को संगत तारीख से पूर्व छः माह के दौरान नहीं बेचा है।

बैंक के निदेशकों का संकल्प में सम्बन्ध अथवा रुचि, बैंक में उनके व्यक्तिगत रूप में शेयरों की धारिता तक अथवा भारत सरकार के नामिती के रूप में मानी जाएगी।

तद्नुसार, विशेष संकल्प के रूप में बैंक की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने से सम्बन्धित सूचना की मद संख्या 4 में इंगित हुए अनुसार संकल्प पर बैंक के शेयर धारकों का अनुमोदन मांगा गया है ।

en 1 a05 dk 0, k[; kRed fooj.k

funs kaka ak fuokou

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 (यहाँ इसके बाद अधिनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा) की धारा 3(2 बी)(सी) के प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक वर्ष 2007 में शेयरों के वितरण का एक प्रारम्भिक लोक प्रस्ताव(आईपीओ) लाया था। आईपीओ के परिणामस्वरूप बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी में केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों के पास शेयरों की धारिता 20 प्रतिशत हो गई थी। चूंकि जनता को जारी की गई पूँजी बैंक की कुल शेयर पूँजी से 16 प्रतिशत अधिक, किन्तु 32 प्रतिशत से कम है, इसलिए अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार दो शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन किया जाना अपेक्षित है। अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार से इतर) विभिन्न सम्बन्धित अधिनियम /योजना /विनियमों /अधिसूचना में बताई गई पद्धित के अनुसार अपने नामांकन भेजने के पात्र हैं। इसके महत्वपूर्ण हिस्से को यहाँ नीचे दिया जा रहा है। बैंक के पास शेयरधारक जो नामांकन जमा कराते हैं, उनकी जाँच के पश्चात् दो निदेशकों का निर्वाचन किया जाएगा अथवा वार्षिक आम बैठक में बाद में निर्वाचन किया जाएगा। इस प्रकार निर्वाचित हुए निदेशक के सम्बन्ध में यह माना जाएगा कि उसने 01 जुलाई 2011 से प्रभार ग्रहण कर लिया है और वह तीन वर्षों की अविध के लिए उस पद पर बना रहेगा।

1. fuok fou en Hekkelnkijh %

ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर / हितकारी स्वामियों के रजिस्टर में एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा बही बन्दी की तारीख अर्थात् मंगलवार, 31 मई 2011 के पूर्ववती दिन को कारोबार समय की समाप्ति पर दिए गए हैं वे केन्द्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने के पात्र होंगे अर्थात् वे नामित कर सकेंगे, निर्वाचन लड़ सकेंगे और मतदान कर सकेंगे।

2. c Std ds funskd ds: i es fuoktor gkus ds fy, vis {kr; ks; rk; ks

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अन्तर्गत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होना चाहता है, उसकी निम्नांकित योग्यताएँ होनी चाहिए —

- (क) निम्नांकित मदों में से एक अथवा अधिक की विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :--
 - कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघ उदयोग
 - किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो।
- (ख) जो जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व कर सके; अथवा
- (ग) कृषकों, कामगारों और दस्तकारों के हित का प्रतिनिधित्व कर सके।
- (ख) अधिनियम की धारा ९(३एए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार, जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसमें ''उचित एवं उपयुक्त'' होने की स्थिति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख (डीड ऑफ कोवनेंट) निष्पादित करने चाहिए तथा उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

- e) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.
- f) All the shares issued and allotted thus to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Annual General Meeting.

All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

g) Accordingly, approval of the shareholders of the Bank is sought to the Resolution as indicated in item No.4 of the Notice convening the Annual Meeting of the Bank, as a Special Resolution.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO. 5

ELECTION OF DIRECTORS:

Pursuant to the provisions of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "Act"), the Bank had made an Initial Public Offer (IPO) in the year 2007. As a result of the IPO, the holdings of the shareholders other than the Central Government became 20%, in the paid up share capital of the Bank. As the capital issued to the public is more than 16% but less than 32% of the total share capital of the Bank, two Shareholder Directors are required to be elected in terms of Section 9(3)(i) of the Act.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. Two directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank or subsequent election at the Annual General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from July 01, 2011 and hold office for a period of three years.

1. PARTICIPATION IN ELECTION:

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Members / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as at the close of business hours on the previous day of Book Closure Date Tuesday, May 31, 2011 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

2. (a) QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9 (3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - agriculture and rural economy
 - banking
 - co-operation
 - economics
 - finance
 - law
 - small scale industry
 - any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans
- (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.



3. chid ds funskid ds: i ea fuoktor gkrus ea v; kk; rk, ; %

- अ. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य कर दिया जाएगा;
 - (क) यदि कभी दिवालिया करार दे दिया गया हो अथवा उसने भुगतान रोक दिया हो अथवा उसने अपने लेनदारों के साथ भुगतान में समझौता कर लिया हो: अथवा
 - (ख) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसा घोषित कर दिया हो; अथवा
 - (ग) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो; अथवा
 - (घ) बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (3) के खण्ड (ई) तथा (एफ) के अन्तर्गत नामित हुए प्रबन्ध निदेशक और निदेशकों सिहत पूर्णकालिक निदेशक का पद सम्भालने के अतिरिक्त, यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उप—धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ के किसी पद पर है, और
- आ. यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना बीसी संख्या.46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी सं.47/29.39.001/2007-08 डीबीयोडी सं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1/11/2007 के अनुसार ''योग्य एवं उपयुक्त'' नहीं पाया जाता है।

4. fuokipu dsfy, mEelnokjkadk ukekadu

निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि

- (क) वह निर्वाचन में भाग लेने की तारीख मंगलवार, मई 31 2011 को बैंक का शेयरधारक न हो तथा उसके पास 100 (सौ) शेयरों से कम शेयर न हों :
- (ख) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख शनिवार, जून 11 2011 को अधिनियम अथवा योजना के अन्तर्गत निदेशक होने के अयोग्य न ठहरा दिया गया हो।
- (ग) नामांकन लिखित रूप में तथा अधिनियम के अन्तर्गत निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए अधिकृत कम से कम सौ शेयरधारकों द्वारा अथवा उनके विधिवत् नियुक्त अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, बशर्ते कि शेयरधारक जो एक कम्पनी है, का नामांकन कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए और जहाँ ऐसा किया जाता है, वहाँ उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय, 66, राजाजी सालै, चेन्नै 600 001 के पते पर भेज दिया जाए और ऐसी प्रति इस प्रकार की कम्पनी की तरफ से नामांकन मानी जाएगी।
- (घ) नामांकन के साथ एक घोषणा होती है, जिसे उम्मीदवार किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रिजस्ट्रार अथवा आश्वासनों के सब—रिजस्ट्रार अथवा अन्य राजपित्रत अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करता / करती है कि वह नामांकन स्वीकार करता / करती है और निर्वाचन के लिए खड़े होने का / की इच्छुक है और यह कि उसे अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों के अन्तर्गत निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। साथ में उसका विधिवत् हस्ताक्षरित निजी विवरण (बायोडाटा) होता है, जिसमें यह पुष्टि की जाती है कि ऐसे विवरण उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और यह भी वचन देना होता है कि ऐसी घटनाओं की पूर्ण जानकारी, जो घोषणा के पश्चात् सूचना से सम्बन्धित हैं. यथाशीघ बैंक को देगा / देंगी।
- (ङ.) वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं. डीबीओडी.सं.बीसीएनओ.46/29.39.001/2007-08 के अन्तर्गत निदेशक होने के अयोग्य न ठहराया गया हो।
- (च) उसके द्वारा रखे गए शेयरों के सम्बन्ध में बकाया में कोई माँग न हो।

5. 'ks j/kkjdkadh l yoh

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1999 के विनियम 56 की व्यवस्थानुसार शेयरधारकों की सूची की एक प्रति(इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात्, सीडी में) बैंक के प्रधान कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष में दिनांक सोमवार, जून 6 .2011 से दिनांक शनिवार, जून 11 2011 तक उपलब्ध रहेगी। यह शेयरधारकों द्वारा चेन्नै में देय इंडियन बैंक के नाम से बने 50,000/— रुपए (पचास हज़ार रुपए मात्र) के ड्राफ़्ट के माध्यम से खरीदे जाने के लिए है।

शेयरधारकों का रजिस्टर दिनांक सोमवार, जून 6 2011 से प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 के बीच सभी कार्य के दिनों में निवेशक सेवा कक्ष, प्रधान कार्यालय, 66, राजाजी सालै में निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

यदि कोई शेयरधारक चुनिन्दा/आंशिक सूचना की एक प्रति अथवा कम्प्यूटर प्रिंट चाहता है तो उसे सूचना की प्रति दी जाएगी। इसके लिए 5/ – रुपए प्रति 1000 शब्द अथवा उसके आंशिक भाग, जिसकी प्रति लेनी है, की दर से पहले भुगतान करना होगा।

3. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - a) If he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) If he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) If he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under subsection (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- B. If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007

4. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless

- (a) He / she is a shareholder holding not less 100 (One hundred) shares of the Bank as on Tuesday, the May 31, 2011 being the date of reckoning for participation in the election.
- (b) As on Saturday, June 11, 2011, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act or Scheme.
- (c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (IED), Head Office, 66, Rajaji Salai, Chennai 600 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (d) The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- (e) He/She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India, from being a director.
- (f) There are no calls in arrears in respect of the shares held by him.

5. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 56 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., (C.D.) will be available at Investor Services Cell at Head Office, of the bank from Monday, the June 06, 2011 to Saturday, the June 11, 2011 for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft in favour of Indian Bank payable at Chennai.

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Investor Services Cell, Head Office, 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001 on all working days commencing from Monday, the June 06, 2011 between 11 a.m. to 4 p.m..

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.



6. ukekadu QkekaZdk i Łrachdj.k

बैंक के निदेशकों का निर्वाचन लड़ने के इच्छुक शेयरधारक अपने नामांकन फॉर्म (न्यूनतम 100) इस सूचना के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र सिहत जीवनवृत्त (बायोडाटा), प्रमाणपत्र आदि जैसे दस्तावेज़ मुहरबद लिफाफे में महा प्रबन्धक (आईईडी) इंडियन बैंक, प्रधान कार्यालय, 66 राजाजी सालै, चेन्नै 600 001 के पास किसी भी कार्यदिवस वाले दिन जमा करा दें। उन्हें यह फार्म वार्षिक आम बैठक के लिए नियत तारीख़ से कम से कम चौदह दिनों के पहले अर्थात् शनिवार, दिनांक 11 जून 2011 शनिवार को अपराहन 2.00 बजे तक या इससे पहले जमा करा दें। कथित नामांकन प्रपत्र तथा अन्य दस्तावेज़ हर प्रकार से पूर्ण होने चाहिए। ऐसा न होने पर नामांकनों को रदद किया जा सकता है।

7. ukekaduka dh t kao vka funs kadka adk fuokaou %

- (i) नामांकनों के प्राप्त होने की नियत तारीख़ के पश्चात् पहले कार्य दिवस . सोमवार 13 जून 2011 को नामांकनों की जाँच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे रदद कर दिया जाएगा।
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2007 को जारी किए गए ''योग्य एवं उपयुक्त'' होने के अनुदेशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति भी नामांकनों की जांच करेगी।
- (iii) यदि निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के लिए मात्र दो वैध नामांकन हैं तो नामित हुए ऐसे उम्मीदवारों को उसी समय निर्वाचित हुआ मान लिया जाएगा और उसके नाम तथा पते इस प्रकार निर्वाचित हुए के रूप में प्रकाशित कर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में कार्यसूची की मद सं.5 को वार्षिक आम बैठक में नहीं लिया जाएगा। नये निर्वाचित हुए निदेशक 01 जुलाई 2011 से कार्य भार ग्रहण करेंगे।
- (iv) निर्वाचन होने की स्थिति में यदि वैध नामांकनों की संख्या दो से अधिक है तो निर्वाचन में अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित हुआ मान लिया जाएगा और उनके नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दिए जाएँगे।

8. ukekadu okil fy;ktkuk%

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह दिनांक .27 जून 2011 सोमवार को बैंक के बन्द होने के समय पहले अर्थात् 2.00 बजे के पहले, किसी भी समय पत्र या फैक्स भेजकर ऐसा कर सकता है।

9. funskdkads: i eadk, Zdky

मौजूदा रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हुए निदेशकों के लिए यह माना जाएगा कि उन्होंने निर्वाचित हुआ माने जाने की तारीख के बाद से कार्यग्रहण कर लिया है।

योजना की धारा 9(4) के अनुसरण में, निर्वाचित हुआ निदेशक तीन वर्ष तक इस पद पर बना रहेगा और पुनःनिर्वाचन का पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छः वर्ष से अधिक की अविध के लिए लगातार अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

10. funskdkadks gVk, k t kuk %

कथित अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अन्तर्गत निर्वाचित हुए किसी निदेशक को, जो कथित अधिनियम की धारा 9(3ए) की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है, हटाए जाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार पर शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3बी) की तरफ आकर्षित किया जाता है।

11. fookn %

किसी विवाद का निपटान इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 के विनियम 59 के अनुसार किया जाएगा।

12. l kj %

शेयरधारकों के लाभ के लिए लाग् अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसचना के संगत अंशों का सार संलग्न है।

13. funskdkadk LoRo %

बैंक के निदेशकों को अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशकों को जो अपने नामांकन दाखिल करते हैं, उपर्युक्त कारोबार की मदों में सम्बद्ध अथवा हितबद्ध माना जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

स्थान : चेन्नै Vh.e Hd hu

दिनांक : मई 20, 2011 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

6. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank should submit their Nomination Forms (a minimum of 100) in the format annexed to this Notice alongwith the declaration form and connected documents such as testimonials viz., Bio data, certificates etc., in a sealed envelope to the General Manager (IED), Indian Bank, Head Office, 66, Rajaji Salai, Chennai- 600 001 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before 2.00 p.m., on Saturday, the June 11, 2011. The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

7. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- (i) Nominations shall be scrutinized on Monday, the June 13, 2011 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- (ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India.
- (iii) If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Agenda Item No.5 would not be taken up at the Annual General Meeting. The newly elected directors will assume office on July 01, 2011.
- (iv) In the event of an election being held, if valid nominations are more than two the candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their name will be published in newspapers.

8. WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e.3.00 p.m., on Monday, the June 27, 2011.

9. TENURE OF OFFICE AS DIRECTORS:

Directors elected to fill in an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which they are, or are deemed to have been elected.

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

10. REMOVAL OF A DIRECTOR:

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

11. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 59 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999.

12. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification are annexed for the benefit of the shareholders.

13. INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors

Place: Chennai Date: May 20, 2011 **T M Bhasin**Chairman and Managing Director



funskdkadk fuokou & 1 xxf/kr vf/kfu; eka ; kxt uk rFkk fofu; ekavkfn dsm) j.k

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2 आ) के खंड (ग) के अंतर्गत जारी पूंजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 तथा इंडियन बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 1999 के संबंधित विनियमों को शयरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुनः प्रस्तूत किया जाता है।

c**s**dax fofu; eu vf/kfu; el 1949

l kekU; funskdkadk fu"kkk & Ëkkjk 16141½

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक मंडल में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो। ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध — धारा 20

- 1. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, बैंकिंग कंपनी
 - क) अपने ही शेयरों की प्रतिभृति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा
 - ख) निम्नलिखित को या उसकी ओर से, न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी —
 - (i) अपने किसी निदेशक
 - (ii) किसी भी फर्म जिसमें कोई निदेशक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखता हो, या
 - (iii) कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो जिसमें या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी में बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप में हितबद्ध हो. अथवा
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो।
- अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था, उस तिथि को उपधारा(1) के खंड(ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम,1968 (1968 का 58) के आरंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सिहत ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अविधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अविधि निर्धारित की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किए जाने चाहिए। शर्त है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अविधि को ऐसी तिथि तक बढा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अविध की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा जिन्हें रिज़र्व बैंक उचित समझे।यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।
- 3. उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।
- 4. जहां उप धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अविध की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

0, k[; k&bl /kkjk ea

- क) "ऋण या अग्रिम" में कोई भी ऐसा लेन–देन शामिल नहीं होगा जिसे रिजर्व बैंक लेन–देन के स्वरूप, उक्त लेन–देन के कारण देय होनेवाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिसंपत्तियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सकें।
- (ख) "निदेशक" से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।
- 5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि तो इस धारा के प्रयोजन से कोई लेन—देन ऋण या अग्रिम है, तो मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of Common Directors - Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section -

- (a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- (b) "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.



2- c St dax da uh ¼mi Øeka dk vt Zi , oa varj. k½ vf/kfu; e] 1970

मतदान अधिकार पर प्रतिबंघ

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 ई) की शर्तों में तदुनुरूपी नये बैंक के कोई शेयरधारक जो केन्द्रीय सरकार से अन्य हो, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक भारित करता हो, इस संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

funskd eMy dk xBu

धारा 9(3) (i) : धारा 3 की उपधारा (2 ख) के खण्ड (ग) के अंतर्गत जारी की गई पूंजी :

- (i) कुल प्रदत्त पुंजी के 16 प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक
- (ii) कुल प्रदत्त पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक किंतु 32 प्रतिशत से अधिक नहीं, दो निदेशक
- (iii) कुल प्रदत्त पूंजी के 32 प्रतिशत से अधिक, तो केन्द्रीय सरकार के अलावा, अन्य शेयरधारकों को अपने में से, तीन निदेशकों का निर्वाचन करना है। केन्द्र सरकार को छोडकर अन्य शेयरधारकों में से निर्वाचन करना होगा।

बशर्ते कि इस खण्ड के अधीन ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर इस योजना में विशिष्ट रूप से दिए गए अनुसार खण्ड (ज) समसंख्या में निदेशको को निवृत्त होना चाहिए।

बशर्ते कि आगे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम एवं वित्तीय संस्था कानून (संशोधन अधिनियम 2006) के आरंभ होने पर या उसके पहले तदनुरूपी किसी नये बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या के मामले में उपखंड 1 या उपखंड 2 उपखंड 3 में निर्दिष्ट निर्वाचित निदेशकों की संख्या से अधिक हो, यथास्थिति निदेशकों की ऐसी अधिक संख्या, जो ऐसे आरंभ के पहले निर्वाचित किए गए, ऐसी रीति में सेवानिवृत होंगे जैसा कि योजना में निर्दिष्ट की जाएगी और ऐसे निदेशक अपने कार्यावधि के अवधिपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

9(3A) [k M ds v/khu fuoktor funskd dks 1/4/2

- क) निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो :
 - कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में नये बैंक के लिए उपयोगी हो।
- ख) निवेशकों के हित का प्रतिनिधित्व करता हैं या
- ग) कृषकों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता है।

9(3एए) उप धारा 3 (ए) के प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम या अन्य कानून जो अभी प्रचलित हो, इसके विरूद्ध किसी बात के होते हुए भी उप धारा 3 खंड (i) के तहत कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक उसका पिछला रिकार्ड, सत्यिनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंड जोकि रिजर्व बैंक इस संबंध में समय समय पर अधिसूचित करता हो, के आधार पर योग्य एवं उचित हैसियत की व्यक्ति न हो।

9(3एबी) उप धारा 3(एए) के तहत जारी किए गए अधिसूचना में, रिजर्व बैंक, यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि, ''उचित व योग्य'' हैसियत निर्धारित करने वाला प्राधिकारी कौन है, यह निर्धारण कैसा किया जाएगा, निर्धारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी और अन्य मामले जो आवश्यक या प्रासंगिक माने जाएँगे।

9(3बी) जहां रिजर्व बैंक का यह मत हो कि तदनुरूपी नये बैंक के कोई निदेशक जो उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निर्वाचित हो, उप धारा (3ए) उप धारा 3 (एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, ऐसे निदेशक और बैंक को उनकी सुनवाई के लिए समूचित अवसर देने के बाद आदेश के जिरए ऐसे निदेशक को हटा सकता है और ऐसे हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3ए) उप धारा 3 (एए) की अपेक्षा को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित करेगा जब तक तदनुरूपी नये बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक सामान्य बैठक में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तदनुरूपी नये बैंक के शेयरधारकों द्वारा सम्यक रूप से निर्देशक के रूप में निर्वाचित किया गया माना जाता है।

2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- (i) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- (ii) more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- (iii) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors

to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall -

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -
 - agriculture and rural economy
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small scale industry
 - Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the corresponding new Bank.
- (B) represents the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.



fu"Bk, oaxkiuh, rk dk nkf; Ro

धारा 13 (2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरूपी नये बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

3- jk'Vtr, dr csid ½ záku, oafofo/k i zho/kku½; kt uk 1970

fuoktpr funskd dsin dh vofik

[kM 9 1/41/2

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और पुनर्निर्वाचित होने के लिए भी पात्र होगा।

बशर्तें कि ऐसा निदेशक नियमित रूप से अपने कार्यालय में 6 वर्ष से अधिक अवधि तक अपने पद पर बना नही रह सकेगा।

funskdkadh vug#k

[kM 10

निम्नलिखित तरह के व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के अयोग्य है :

- (क) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भृगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया है, अथवा
- (ख) यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया है, अथवा
- (ग) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने आपराधिक सजा सुनायी है अथवा उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा
- (घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायक बैंक में लाभ का पद धारित करता है किंतु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (च) व (छ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक ओर निदेशकों को सिम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

funskd dsin dkfjDr gkuk

[kM 11

- 1. यदि कोई निदेशक धारा 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अनर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमित लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित हो तो उसके बारे में यह समझ जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
- 2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप से सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
- 3. उपर्युक्त उपखण्डों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ड) और (च) में संदर्भित निदेशक का पद, उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी, के अलावा कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्ति होते ही रिक्त हो जाएगा।
- 4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा, निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

fuoktor funskd dksin lsgVkuk

[kM11, %

सरकार को छोडकर अन्य शेयरधारक ऐसे सभी शेयधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी का कम आधा या अससे अधिक भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा(3) के, खण्ड(1) के तहत निर्वाचित निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे को निर्वाचित कर सकते हैं।

fuolitor funskd dsin dh fjfDr Hijuk

[kM 11 ch%

1. जहाँ किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी बशर्तें कि जहाँ रिक्ति की अवधि छः महीने से कम होने की संभावना है, वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है।

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director

Clause 9 (4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude
- (d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under subsection (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11

- If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- 4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.
 - Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors



2. उप खण्ड(1) के अंतर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यालय की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

funskdka}kjk fgrkadh?kkkkk%

[k M 12 1/81/2

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखनेवाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्तेकि इस उपखण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह -

- i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का l) में यथा परिभाषित किसी सार्वजिनक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी सिनित में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत धारित करनेवाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है, या
- ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि इस अधिनियम की उपधारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) के तहत निदेशक हो।

iv) baM; u cad 4ks j rFkk casda2fofu; ekoyh 1999

la Dr/kkjdka ds vf/kdkjka dk iz ksk djuk

fofu; e 10-

यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर शेयर होता है तो शेयर अंतरण को छोड़कर, वोटिंग, लाभांश प्राप्ति, सूचनाओं का निपटान या इंडियन बैंक से संबंधित अन्य कोई मामलों के संबंध में रिजस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा।

lkeklt, cSd eapqust kusokys funškd

fofu: e 55-

- i) अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खण्ड (i) के अधीन इंडियन बैंक की सामान्य बैठक में केन्द्रीय सरकार को छोडकर रजिस्टर में दर्ज शेयर धारकों द्वारा अपने ही में से निदेशक को चुन लिया जाएगा।
- ii) जहाँ किसी सामान्य बैठक में निदेशक का निर्वाचन होने वाला हो, इसकी नोटिस बैठक के आयोजन संबंधी नोटिस में ही जोड दी जाएगी, इस प्रकार की हर नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए निर्वाचन होने वाला हो, भी दिए जाएँगे।

'ks, j/kkj dka dh l yoh

fofu: e 56-

- i) इन नियमों के विनियम 55 के उप विनियम (i) के अधीन निदेशक के निर्वाचन हेतु, रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिसके द्वारा निदेशक का निर्वाचन किया जाएगा।
- ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीख और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह निर्वाचन होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या, आदि शामिल होंगे और इस सूची की प्रतियाँ खरीद जाने हेतु, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले से निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय से आवेदन करने पर, उपलब्ध करायी जाएगी।

fuokibu gsrqmEehnokijkadk ukekadu

fofu: e 57-

- (i) निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब
 - (क) इंडियन बैंक में 100 से कम शेयर नहीं रखने वाला एक शेयरधारक हो :
 - (ख) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को योजना अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।
 - (ग) उसने अपने द्वारा चाहे अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के संबंध मे मांग—राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व मांग राशि अदा कर दी हो।
 - (घ) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने को हक रखने कम—से—कम एक सौ शेयर धारकों या उनके द्वारा विधिवत संगठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परंतु यह कि कोई शेयरधारक जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहां ऐसा

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

IV. INDIAN BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1999

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Indian Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting

Regulation 55

- (i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of Indian Bank.
- (ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 56

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 57:

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Indian Bank
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company



- किया जाता है वहां जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो उसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- (ङ) नामांकन में या उसके साथ उम्मीदवार द्वारा किसी नयायधीश, मेजिस्ट्रेट, पंजीयक आवश्वासनों के उपपंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और निर्वाचन के लए खड़े होने का इच्छक है और इस अधिनियम या इस योजना या इन विनियमाविलयों के तहत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- (ii) ऐसे स्थिति में इस प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और अगर बैठक केवल इस प्रयोजन के लिए आयोजित किया गया है तो वह रह किया जाएगा।

ukekadu dhtkap

fofu; e 58-

- (i) नामांकनों की जांच नामांकन की प्रति के लिए निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य दिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन मान्य नहीं है तो इसके लिए कारणों को अभिलेखित करने के बाद उसे अस्वीकार किया जाएगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए केवल एक वैध नामांकन होता हैं तो नामित उम्मीदवार को उसी समय चयनित माना जाएगा और उसके नाम और ठीक पते को चयनित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। कोई भी नामांकन, तव तक वैध न होगा, जव तक वह सभी पहलुओं में संपूर्ण और संबंधित दस्तावेजों के साथ ईडियन वैंक प्रधान कार्यालय में, वैठक को निर्धारित तारीख से चौदह दिनों पूर्व एक कार्य दिवस को प्राप्त न होता हो।
- (ii) निर्वाचन आयोजित होने की स्थिति में, यदि चयनित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या से वैध नामांकन अधिक है, तो अधिक वोट प्राप्त उम्मीदवारों को चयनित किया जाएगा।
- (iii) वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए चयनित निदेशक को उनके चयनित होने की आगामी तारीख से या चयनित माने जाने की तारीख से कार्यालय का कार्यभार लेना माना जाएगा।

fuokou 1 acakh fookn

fofu; e 59-

- i) निर्वाचित माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में यदि कोई संदेह या विवाद उठाया है तो, कोई इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे निर्वाचन में उम्मीदवार या मतदान का हक रखने वाला शेयरधारक हो ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से सात दिनों के अंदर उसके संबंध में लिखित रूप में इंडियन बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को सूचना भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन आधारों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, जिन की वजह से उसे निर्वाचन की वैधता पर संदेह हो या विवाद हो।
- ii) उप विनियम (i) के तहत सूचना की प्राप्ति पर इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद पर निर्णय हेतु इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा(3) के खंड (ख) और (ग) के तहत नामित किन्ही दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे।
- iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित सिमित आवश्यकतानुसार जांच पड़ताल करेंगी और यदि वह पाती है कि निर्वाचन था तो वह निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या, यदि वह पाती है निर्वाचन वैध नहीं था, तो वह जाँच पड़ताल शुरू करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर—अंदर फिर से निर्वाचन कराने सिहत ऐसा आदेश तैयार करेगी और ऐसा निर्देश देगी जो सिमित को उस परिस्थिति में न्यायसंगत प्रतीत हो।
- iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

'ks j/kkjdka dsernku vf/kdkj

ernku vf/kdkjkadk fu.kZ

fofu; e 60 %

- i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंध के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जिसका सामान्य बैठक की तारीख से पूर्व रजिस्टर बंद होने की तारीख तक शेयरधारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो, ऐसी बैठक में हाथ दिखा कर एक मत ओर मतदान होने के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।
- ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंधों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो कि एक कंपनी न हो, मतदान पूर्वोक्त रूप में करने का हक रखने वाला प्रत्येक शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी के जिरए उपस्थित हो या जो एक कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्राक्सी के माध्यम से उपस्थित हो तो प्रत्येक शेयरधारक हाथ दिखा कर एक मत देने और मतदान होने के मामले में यहाँ ऊपर उप विनियम (i) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।
 - व्याख्या इस अध्याय के लिए ''कंपनी'' से आशय कोई निगम निकाय से है।
- iii) सामान्य बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने का हक रखनेवाले शेयरधारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने ओर मतदान करने के लिए अपने प्राक्सी के रूप में किसी और व्यक्ति को (चाहे शेयरधारनक हो या नहीं) नियुक्त करने का हक रखते हैं परंतु इस तरह नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा।

- may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Indian Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
- (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Indian Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:

Regulation 58:

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:

Regulation 59:

- (i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Indian Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Indian Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:

Determination of voting rights:

Regulation 60:

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)
 - Explanation for this chapter, "Company" means any body corporate.
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.



fof/kor i lf/kÑr i lfrfuf/k } kj k ernku

fofu; e 61 %

- i) ऐसा शेयर धारक, जो केन्द्र सरकार या एक कंपनी हो, यथास्थित, संकल्प द्वारा किसी सामान्य बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है ओर इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कंपनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह इंडियन बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस तरह दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में इनमें से एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार / कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- ii) कोई भी व्यक्ति तब तक कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इंडियन बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बेठक में भाग नहीं ले सकेगा और मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से चार दिन पहले प्रेषित नहीं कर दिया जाता।
- V. <u>Hkýrh; fjt o Zcád ch v f/kl pouk l 4; k Mhchvk Mh chl h l 4; k 46@29-39-001@2007&08</u>, oa Mhchvk Mh chl h l 4; k 47@29-39-001@2007&08 fnukad 01 uo Ecj 2007

Haligrh; fit oZcaid us fu Eukud kj vf/kl fyor fd; k gS%

कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक बैंक के निदेशक मंडल द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त नामांकन समिति द्वारा "योग्य एवं उचित स्थिति" की अनुमित नहीं दी जाती। नामांकनों के साथ उम्मीदवारों के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जानी चाहिए तािक शैक्षिक योग्यता, अनुभव और क्षेत्र विशेषज्ञता, पिछले रिकार्ड और उम्मीदवारों की सत्यिनष्ठा के संबंध में नामांकन समिति "योग्य एवं उचित स्थिति" पर निर्णय कर सके। किसी प्राधिकारी / विनियामक अभिकरण की कोई प्रतिकूल सूचना या दिवालिया या किसी बैंक से या वित्तीय संस्था से किसी ऋण की चूक संबंधित उम्मीदवार को बोर्ड के एक निदेशक के रूप निर्वाचित किए जाने के लिए अयोग्य और अनुचित बना देगा।

Voting by duly authorized representative:

Regulation 61:

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Indian Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Indian Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

V. <u>Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08</u> dated 1st November 2007

The Reserve Bank of India has notified as under :-

No nomination shall be valid unless 'Fit and Proper' status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the 'Fit and Proper status' with regard to educational qualification, experience and field expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a director on the Board.



funs kaka ah fji kWZ2010-11

सदस्यों को:-

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों के विवरण, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

forth, eq; ckra

बैंक ने अपनी विकास की यात्रा जारी रखी और मुख्य बातें निम्नलिखित है:

- परिचालन लाभ वर्ष 2009—10 के 2747.4 करोड़ रुपए के मुकाबले 19.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 3291.7 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2010–11 का निवल लाभ 1700 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया जोकि वर्ष 2009–10 के 1555 करोड़ के मुकाबले 1714.1 करोड़ था, जो 10.2 प्रतिशत की वृद्धि थी।
- निवल ब्याज मार्जिन 3.55 प्रतिशत से सूधरकर 3.75 प्रतिशत हो गया।
- औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.53 प्रतिशत था।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2010 के 12.71 प्रतिशत की तुलना में 13.56 प्रतिशत रहा।
- वर्ष २०१०–११ के लिए निवल मालियत पर प्रतिलाभ २१.५० प्रतिशत रहा।
- प्रति शेयर अर्जन 38.79 रुपए था और प्रति शेयर बही मृल्य 184.44 रुपए रहा।
- बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष के दौरान 180,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए 181,530 करोड़ रुपए रहा और 20.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- वर्ष 2010-11 के दौरान कुल जमा राशियों में 17,576 करोड़ रुपए की बढ़त हुई
 और वह 19.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 105,804 करोड़ रुपए हो गई।
- दिनांक 31.03.2011 को कुल अग्रिम 75,726 करोड़ रुपए थे, जिसमें 13,068 करोड़ रुपए की वृद्धि (20.9 प्रतिशत) दर्ज हुई। समग्र रूप से ऋण जमा अनुपात 71.6 प्रतिशत था।
- प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ४३०४ करोड़ रुपए बढ़ कर (19.9 प्रतिशत) 25,969 करोड़ रुपए हो गए।
- कृषि ऋण 1904 करोड़ रुपए बढ़कर (20.8 प्रतिशत) 11,048 करोड़ रुपए हो गए और जोकि समायोजित निवल बैंक ऋण के 18.57 प्रतिशत रहे।
- अनर्जक आस्तियों की वसूली में बैंक ने नई ऊचाईयों का स्पर्श किया। वर्ष
 2010—11 के दौरान अनर्जक आस्तियों (एयूसी सिहत) की कुल वसूली पिछले वर्ष
 की 587.48 करोड़ रुपए की वसुली के मुकाबले 756,58 करोड़ रुपए हुई।
- कुल अनर्जक आस्तियां मार्च 2010 के 0.81 प्रतिशत के मुकाबले 0.98 प्रतिशत
 थीं और निवल अनर्जक आस्तियां मार्च 2010 के 0.23 प्रतिशत के मुकाबले 0.53
 प्रतिशत रही।
- वित्तीय समावेशन परियोजना के अंतर्गत कुल 1.53 लाख "नो-फ्रिल खाते" खोले

जा चुके हैं।

- भारत में कुल देशी शाखाओं का नेटवर्क 31.3.2011 को बढ़कर 1860 हो गया और सभी शाखाएं सीबीएस सुविधा से सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की 3 शाखाएं विदेश में हैं।
- कुल एटीएम बढ़कर 1128 हो गए, जिसमें 322 ऑफ साईट एटीएम शामिल हैं और हमारे ग्राहको की पहुंच साझा नेटवर्क के अंतर्गत 70,000 एटीएम तक हो गई है।

vk, , oaQ;

- वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 10542.9 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें ब्याज आय में 9361.0 करोड़ रुपए अर्थात् 21.4 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि शामिल है।
- निवल ब्याज आय में 4036 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज हुई (27.7 प्रतिशत)।
- कोर ब्याजेतर आय 905.65 करोड़ रुपए बढ़ गई (26.7 प्रतिशत)।
- व्यय के संबंध में बैंक का ब्याज व्यय 5324.9 करोड़ रुपए था, जिसमें 771.7 करोड़ रुपए अथवा 16.9 प्रतिशत की बढ़त हुई।
- वर्ष 2010–11 के दौरान 1926.3 करोड़ रुपए के पिरचालन व्यय में 196.0 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और वर्ष 2009–10 के 1730.3 करोड़ रुपए के स्तर से तुलना करने पर इसमें 11.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए आय एवं व्यय निम्नवत है:

(₹. करोड में)

विवरण	2009-10	2010-11	संपूर्ण वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
कुल ब्याज आय	7714.37	9361.02	1646.65	21.4
कुल ब्याज व्यय	4553.18	5324.92	771.74	16.9
निवल ब्याज आय	3161.19	4036.12	874.93	27.7
निवल परिचालनगत आय	4477.60	5217.99	740.39	16.5
परिचालनगत व्यय	1730.25	1926.31	196.06	11.3
परिचालनगत लाभ	2747.35	3291.68	544.33	19.8
प्रतिभूतियों को एचटीएम वर्ग में अंतरित करने के कारण मूल्यहास सहित प्रावधान और आकस्मिकताएं	1192.36	1577.60	385.24	32.3
निवल लाभ	1554.99	1714.07	159.08	10.2

DIRECTORS' REPORT 2010-11

То

The Members,

Your Directors have great pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash flow statement for the year ended 31st March 2011.

Financial Highlights

The Bank took forward its growth story and the major highlights are as follows:

- Operating profit increased to ₹3291.7 crore as against ₹2747.4 crore for 2009-10 registering a growth of 19.8 per cent.
- Net profit for 2010-11 crossed the ₹1700 crore mark and was at ₹1714.1 crore as compared to ₹1555 crore for 2009-10, showing a growth of 10.2 per cent.
- Net Interest Margin improved to 3.75 per cent from 3.55 per cent.
- Return on average assets was at 1.53 per cent.
- Capital Adequacy Ratio was at 13.56 per cent as compared to 12.71 per cent as of March 2010.
- Return on Net worth for 2010-11 was at 21.50 per cent.
- Earnings per share was at ₹38.79 and Book value per share was ₹184.44.
- Global Business of the Bank crossed ₹180,000 crore during the year and was at ₹181,530 crore, registering a growth of 20.3 per cent.
- Total Deposits grew by ₹17,576 crore to ₹105,804 crore, a growth of 19.9 per cent for the year 2010-11.
- Gross Advances were at ₹75,726 crore, registering an increase of ₹13,068 crore (20.9 per cent) as on 31.3.2011. Overall Credit Deposit ratio was at 71.6 per cent.
- Priority Sector Advances at ₹25,969 crore, grew by ₹4304 crore (19.9 per cent).
- Agriculture Credit grew by ₹1904 crore (20.8 per cent) to ₹11,048 crore and accounted for 18.57 per cent of Adjusted Net Bank Credit.
- The Bank scaled new heights in the recovery of NPA. During 2010-11, total recovery of NPA (including AUC) amounted to ₹756.58 crore as against ₹587.48 crore last year.
- Gross NPA was at 0.98 per cent as against 0.81per cent for March 2010 and Net NPA was at 0.53 per cent as against 0.23 per cent in March 2010.

- Under Financial Inclusion project, a total of 1.53 lakh 'No-Frill' accounts have been opened.
- Total domestic branch network of the Bank in India increased to 1860 as on 31.3.2011 and all the branches are under CBS. Besides, the Bank has 3 overseas branches.
- Total number of ATMs increased to 1128, which included 322 offsite ATMs and our customers can have access to 70000 ATMs in the shared network.

Income and Expenditure

- During the year, total income of the Bank increased to ₹10542.9 crore with a strong growth in interest income to the tune of ₹9361.0 crore or 21.4 per cent.
- Net interest income registered a rise to ₹4036 crore (27.7 per cent).
- Core non-interest income increased to ₹905.65 crore (26.7 per cent).
- On the Expenditure side, the Bank's interest expenditure was at ₹5324.9 crore, an increase of ₹771.7 crore or 16.9 per cent.
- Total operating expenses at ₹1926.3 crore for 2010-11 has shown an increase of ₹196.0 crore, an increase of 11.3 per cent, when compared to the level of ₹1730.3 crore in 2009-10.

The income and expenditure for the period 2010-11 are given hereunder:

(₹. in crore)

Particulars	2009-10	2010-11	Absolute Growth	% Growth
Total Interest Income	7714.37	9361.02	1646.65	21.4
Total Interest Expenditure	4553.18	5324.92	771.74	16.9
Net Interest Income	3161.19	4036.12	874.93	27.7
Net Operating Income	4477.60	5217.99	740.39	16.5
Operating Expenses	1730.25	1926.31	196.06	11.3
Operating Profit	2747.35	3291.68	544.33	19.8
Provisions & Contingencies including depreciation on account of transfer of securities to HTM category	1192.36	1577.60	385.24	32.3
Net Profit	1554.99	1714.07	159.08	10.2



dher & ykxr varj ¼Li M½fo'yšk k

- वर्ष 2010—11 में बैंक की निवल ब्याज आय, वर्ष 2009—10 की 3161.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 4036 करोड़ रुपए हो गई। इसमें 27.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।
- मार्च 2011 को ब्याज आय में बढ़त से निवल ब्याज मार्जिन 3.75 प्रतिशत तक बढ गया।

कीमत – लागत अन्तर विश्लेषण निम्नवत् है :

(रुपए करोडों में)

	,		(-	
मानदण्ड	2009-10	2010-11	वृद्धि	
			संपूर्ण	प्रतिशत
ब्याज स्प्रेड	3161.19	4036.12	874.93	27.7
निधियों पर अर्जन	8.28	8.35		
प्रतिशत	0.20	0.33		
निधियों की लागत	4.89	4.75		
प्रतिशत	4.03	4.73		
निवल ब्याज मार्जिन	3.55	3.75		
प्रतिशत	3.33	3.73		

egRoi wkZvu i kr

(प्रतिशत में)

		,
मानदण्ड	2009-10	2010-11
अग्रिमों पर अर्जन	10.71	10.28
निवेश पर अर्जन	6.35	6.91
जमा राशियों की लागत	5.66	5.41
आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.67	1.53
लागत आय अनुपात	38.64	36.92
प्रति कर्मचारी कारोबार (रुपए लाख में)	760.78	929.76
प्रति कर्मचारी लाभ (रुपए लाख में)	7.92	8.88

ykHkak

निदेशक मंडल ने वर्ष 2010—11 के लिए 75 प्रतिशत के लाभांश की अनुशंसा की है। वित्तीय वर्ष 2010—11 का लाभांश बैंक द्वारा अदा किए जानेवाले लाभांश पर कर के अधीन होगा। वर्ष 2010—11 के लिए लाभांश के कारण कुल बर्हिवाह लाभांश कर सहित 362.33 करोड़ रुपए है। पे—आउट अनुपात 21.1 प्रतिशत बनता है।

fuoy elfy; r vkj l hvkj, vkj

- बैंक की निवल मालियत 31.3.2010 के 7047.02 करोड़ रुपए के मुकाबले 31.3.2011 को सुधरकर 8326.55 करोड़ रुपए हो गई। यह लामों के पुनः निवेश के कारण 18.16 प्रतिशत की वृद्धि को परिलक्षित करती है।
- बेसल II के अनुसार मार्च 2010 के पूंजी का जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 12.71 प्रतिशत से तुलना करने पर मार्च 2011 में 13.56 प्रतिशत है जोकि 9 प्रतिशत की अपेक्षा के मुकाबले है।
- टियर—l पूंजी का सीआरएआर मार्च 2010 के 11.13 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2011 को 11.02 प्रतिशत था।

(प्रतिशत में)

	मार्च २०१० को	मार्च २०११ को
टियर–। पूंजी	11.13	11.02
टियर–॥ पूंजी	1.58	2.54
कुल	12.71	13.56

- भारत सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसरण में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को बैंक के अग्रिम 31.03.2011 को 1876.15 करोड़ रुपए हो गए, जोकि कुल प्राथिमकता क्षेत्र में अग्रिमों का 7.22 प्रतिशत बनता है।
- भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नितयों के दौरान अजा/अजजा के कर्मचारियों को भर्ती के पूर्व और पदोन्नित के पूर्व प्रशिक्षण भी दिए गए।
- आविधक रूप से तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया और यदि कोई शिकायतें हुई तो उनका निराकरण उसी समय किया गया। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तत्परता पूर्वक अजा/अजजा कर्मचारियों की शिकायतों / अभ्यावेदनों के निपटान को भी सुनिश्चित करता है। इस कार्य के लिए महा प्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

o"kZdsnkjku ckMZeaifjorZi

समीक्षाधीन अविध के दौरान कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीव ऋषि ने 01 अक्तूबर 2010 को कार्यभार ग्रहण किया था।

कार्यपालक निदेशक श्री ए एस भट्टाचार्य ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी पदोन्नित होने पर 30.09.2010 को कार्यालय छोड दिया।

श्री एस करुप्पसामी को भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती के रूप में बोर्ड में 30 जुलाई, 2010 को नियुक्त किया गया था। श्री एम जयनाथ को भारत सरकार ने बैंक के कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और उन्होंने 21 अप्रैल 2010 को कार्यभार ग्रहण किया था।

श्री सी आर गोपालसुन्दरम, श्री टी टी नटराजन, श्री जी चरतचन्द्रन और श्रीमती सारिया खान क्रमशः 29.07.2010, 21.11.2010, 13.01.2011 और 30.01.2011 तक बैंक के निदेशक रहे।

funskdkadh ft Fesnkjh dk dFku %

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में निदेशक पुष्टि करते हैं कि

- महत्वपूर्ण विचलन होने पर उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखा मानको का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बनायी गयी लेखा नीतियों का लगातार पालन किया गया।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थित पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा मार्च 31, 2011 तक बैंक के लाभ का सही चित्र देने

Spread Analysis

- The Bank's Net Interest Income improved to ₹4036 crore in 2010-11 from ₹3161.2 crore in 2009-10, thereby registering a growth of 27.7 per cent.
- The increase in Interest Income led to an increase in Net Interest Margin to 3.75 per cent as of March 2011.

The Spread analysis is as under:

(₹. in crore)

Davamatava	3000 10 3010 11 Grow	0 2010-11	2010 11	th
Parameters	2009-10		Absolute	%
Interest Spread	3161.19	4036.12	874.93	27.7
Yield on Funds %	8.28	8.35		
Cost of Funds %	4.89	4.75		
Net Interest Margin %	3.55	3.75		

IMPORTANT RATIOS

(in per cent)

Parameters	2009-10	2010-11
Yield on Advances	10.71	10.28
Yield on Investment	6.35	6.91
Cost of Deposits	5.66	5.41
Return on Assets	1.67	1.53
Cost Income ratio	38.64	36.92
Business per employee (₹ in lakh)	760.78	929.76
Profit per employee (₹ in lakh)	7.92	8.88

DIVIDEND

• The Board of Directors has recommended a dividend of 75 per cent for 2010-11. The dividend for financial year 2010-11 shall be subject to tax on dividend to be paid by the Bank. The total outflow on account of dividend for 2010-11 is ₹ 362.33 crore including dividend tax. The payout ratio works out to 21.1 per cent.

NET WORTH AND CRAR

- The Net worth of the Bank improved to ₹8326.55 crore as on 31.3.2011 from ₹7047.02 crore as on 31.03.2010, reflecting a growth of 18.16 per cent due to plough back of profits.
- As per Basel II, the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is 13.56 per cent as of March 2011, compared to 12.71 per cent as of March 2010, against the requirement of 9 per cent.
- The CRAR of Tier I capital was 11.02 per cent as of March 2011 as against 11.13 per cent as of March 2010.

(in per cent)

	As on		
	March 2010 March 2011		
Tier-I Capital	11.13	11.02	
Tier-II Capital	1.58	2.54	
Total	12.71	13.56	

- In accordance with the priorities accorded by the Government of India, the Bank's Advances to SC/ST reached₹1876.15 crore as of 31st March 2011 constituting 7.22 per cent of total Priority Sector advances.
- Also, as per Government guidelines, during the process of Direct Recruitment and Internal Promotions, Prerecruitment and Pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees.
- Periodical Quarterly Meetings were conducted and grievances, if any, were resolved then and there.
 The Cell also ensures prompt disposal of grievances/ representations of SC/ST employees. A Chief Liaison Officer in the rank of General Manager has been nominated for this purpose.

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the period under review, Shri Rajeev Rishi assumed charge as Executive Director on October 1, 2010.

Shri. A S Bhattacharya, Executive Director demitted office on September 30, 2010 on his elevation as Chairman & Managing Director, Bank of Maharashtra.

Shri S Karuppasamy, was appointed as the RBI nominee to the Board on July 30, 2010. Shri M Jayanath, was appointed as the Workmen Employee Director of the Bank by the Government of India and assumed charge on April 21, 2010.

Shri C R Gopalasundaram, Shri T T Natarajan, Shri G Charath Chandran and Mrs. Saria Khan were Directors of the Bank upto 29.07.2010, 21.11.2010, 13.01.2011 and 30.01.2011 respectively.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors' confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2011 –

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2011.



के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।

- भारत में बैंकों को संचालित करनेवाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए समुचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया; तथा
- लेखे लाभकारी कारोबार वाली संस्था के आधार पर बनाये गए है।

आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से मिले बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, वित्तीय संस्थाओं और संपर्की बैंकों के सहयोग और समर्थन के लिए भी अपना धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों और शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति भी आभारी है।

बोर्ड, बैंक के कार्यपालक निदेशक — श्री ए एस भट्टाचार्य के प्रति 01.04.2010 से 30.09.2010 तक मिले उनके बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी सराहना दर्ज

करता है।

श्री सी आर गोपालसुन्दरम, श्री टी टी नटराजन, श्री जी चरतचन्द्रन और श्रीमती सारिया खान जो वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, उनके बहुमूल्य योगदान की भी सराहना दर्ज करता है।

बोर्ड, बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन में स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवाओं और उनके योगदान की भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

v/; {k , oai zak funskd

- Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its sincere appreciation of the valuable contribution made by Shri A S Bhattacharya as Executive Director of the Bank from 01.04.2010 to 30.09.2010 The Board places on record its appreciation of the valuable contribution made by Shri C R Gopalasundaram, Shri T T Natarajan, Shri G Charath Chandran and Mrs. Saria Khan, who ceased to be members during the year.

The Board places on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR



izáku fopkj&foe'kZvk5 fo'yšk k

v- vkfFkt ekgky

2010—11 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट से उबरकर सुधार होने के स्पष्ट लक्षण दिखाई दिए। तथापि प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में चीन की अग्रणी एवं सुदृढ़ भूमिका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति बहुत ही विविध ढंग से रही है। ऐतिहासिक मानकों की तुलना में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लगातार मंद गति का सुधार पाया गया है और बेरोजगारी बहुत अधिक रही है। सीमावर्ती यूरोपीय देशों में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई कठिनाइयों के बावजूद पिछले वर्ष के दौरान यूरोप के अधिकांश भाग में सुधार होने लगा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को होनेवाले जोखिमों में खाद्य वस्तुओं एवं ईंधन के बढ़ते दाम, जापान में विपदा, मध्य—पूर्वी क्षेत्र और उत्तर अफ़्रीकी देशों में अशांति, विश्व के कई भागों में बेरोज़गारी तथा कुछ गतिमान उभरते हुए बाजारों में अतितप्तता के जोखिम शामिल हैं।

Hkjrh, vFkO, oLFkk %

- 2010—11 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज एवं व्यापक आधार का सुधार दर्ज किया जोकि स्वस्थ उपभोग तथा निवेश हेतु अच्छी मांग पर आधारित था। 2009—10 के 8 प्रतिशत से 2010—11 में जीडीपी में वृद्धि की दर 8.6 प्रतिशत रही तथा कृषि में महत्वपूर्ण सुधार के साथ—साथ निर्माण के क्षेत्र में सतत दृढ़ता पायी गयी थी। 2010—11 में औद्योगिक उत्पादन में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि रही और निर्माण में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ हुई। औद्योगिक कार्यकलाप की स्वस्थता, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, कार्पोरेटों में क्षमता—विस्तार योजनाओं के प्रारंभ किए जाने, सरकार द्वारा संरचनागत व्यय में किए जानेवाले अधिक खर्च, ऋण में तथा बैंकिंग से इतर स्रोतों से वित्तीयन में वृद्धि आदि सुदृढ़ निवेश की मांग के आधार थे।
- वित्तीय वर्ष '11 के दौरान कृषि क्षेत्र में सुदृढ़ सुधार हुआ जिससे उसमें पिछले वर्ष उपज में गिरावट की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जीडीपी में 53 प्रतिशत अंशदान करनेवाले सेवा क्षेत्र ने 2010-11 के दौरान 9.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की थी।
- वित्तीय वर्ष '11 के दौरान खाद्य वस्तुओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोत्तरी के कारण प्रमुख रूप से मुद्रास्फीति बढ़े हुए स्तर पर रही। फल और सिंक्जियां, दूध, मांस, मुर्गी और मछली जैसी मदों की कीमतों में वृद्धि के कारण खाद्य वस्तुओं के दामों में मुख्य रूप से वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष '11 के अधिकांश भाग के दौरान शांत रहने के बाद उस वर्ष के अंतिम कुछ महीनों में निर्माण क्षेत्र में मुद्रास्फीति पुनः पायी गयी थी। अत्यधिक बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए और अर्थव्यवस्था में पायी गयी मुद्रास्फीतिगत अपेक्षाओं पर रोक लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सामरिक ढंग से मौद्रिक नीति को तंग बना दिया। मार्च 2011 को डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति 8.98 प्रतिशत पर थी। तथापि पिछले वर्ष के दौरान 20.6 प्रतिशत से मार्च 2011 में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति मंद होकर 9.5 प्रतिशत पर रही।

- नवंबर 2010 से निर्यातों में तेजी आयी ; अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक के संचयी निर्यात, वित्तीय वर्ष '11 के लिए यूएस डॉलर 200 बिलियन के निर्यात—लक्ष्य को पार कर यूएस डॉलर 245.86 बिलियन रहे। मार्च 2011 में वृद्धि 43.8 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष '11 के प्रारंभ में तेज गित से बढ़ने के बाद सितंबर 2010 से आयात मंद होने लगे जिससे व्यापार घाटे में कमी हुई है। अप्रैल—मार्च 2011 में आयात यूएस डॉलर 350.69 बिलियन रहे।
- वित्तीय वर्ष 2011 के पहले वर्षार्ध में चालू खाते का घाटा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया; यह बढ़ते हुए व्यापार घाटे और मंद पडी हुई निवल अप्रत्यक्ष मदों के कारण था। तथापि पूंजी खाते में निधि के बड़ी मात्रा में आगमन के कारण वित्तीय वर्ष '11 के प्रथम वर्षार्ध में समग्र भुगतान संतुलन की बेशी स्थिति रही।
- सुधरनेवाली वैश्विक आर्थिक संभावनाओं और भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वस्थ सुधार के बावजूद एफ़डीआई का आगमन बहुत ही निश्चल रहा; यह पर्यावरण नीति के मुद्दे, तुलनात्मक रूप से अधिक मुद्रा.
 स्फीति और यूरोपीय क्षेत्र में ऋण संकट जैसे वैश्विक मुद्दों के कारण रहा।
- वित्तीय वर्ष 11 के दौरान एफ्आईआई आगमन अस्थिर रहे। अक्तूबर '10 तक अल्पावधि विदेशी निधि आगमन बहुत ही स्वस्थ था परंतु उसके पश्चात् यह कम होने लगा और जून—फरवरी' '10 में निधियों का बहिर्गमन शुरू हुआ। मार्च 2011 के अंत तक निवल आगमनों की राशि यूएस डॉलर 1.53 बिलियन थी। बकाया विदेशी विनिमय निधियाँ यूएस डॉलर 305 बिलियन रहे जिससे एक वर्ष पहले की यूएस डॉलर 279 बिलियन की स्थिति की तुलना में वर्ष—दर—वर्ष आधार पर 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई है।
- क्रूड तेल की अधिक कीमत पर की गई सट्टेबाजी के प्रभाव से आयात—लागतों के बढ़ जाने से रुपए का मूल्य अस्थिर रहा जिससे सीएडी में अंतर बढ़ गया था तथा जापान देश में भूकंप और न्यूक्लियर दुर्घटना के कारण निवेशक, क्षेत्रीय आस्तियों की तुलना में डालर से प्राप्त सुरक्षा की ओर झुक गए थे। वर्ष के अंत तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी और जापान के रक्षा मंत्री से प्राप्त आश्वासन, कि क्षतिग्रस्त एटोमिक रियाक्टर भी शीतल हो रहे हैं, ने भारतीय रुपए हेतु मांग को बढ़ाया था तथा इससे महीने के अंतिम दिन में विनिमय दर 44.65 प्रति डॉलर तक पहुंच गयी।
- भारतीय ईिक्वटी बाज़ार विश्व में आई मुद्रास्फीति और उसके परिणामस्वरूप ब्याज की दरों में हुई वृद्धि के प्रभाव से उतार—चढ़ाव भरा रहा। मुद्रास्फीतिजनक दबावों को रोकने के नीतिगत उपायों से वृद्धि में बाधा आने की चिंता से वर्ष की शुरुआत से 21 मार्च 2011 के दोरान सेंसक्स में 12 प्रतिशत की गिरावट आई। किंतु मार्च के अंतिम सप्ताह में भारतीय स्टॉक में सुधार हुआ क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में होनेवाला जोखिम मन्द होता दिखाई दिया। इसका कारण जापान ने परमाणु संकट को टालने में प्रगति दर्शाई और तेल की कीमतें, जो यद्यपि अधिक थीं, सीमित दायरे में रहीं।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

A. ECONOMIC ENVIRONMENT

The world economy has showed discernible signs of recovery from the economic crisis during 2010-11. However, growth has remained highly divergent in different regions, with the emerging economies under China's lead still firmly at the forefront. Advanced economies, have witnessed continued slow recovery by historical standards, and unemployment has remained high. A large part of Europe continued to recover last year despite the widely reported difficulties encountered by peripheral European countries.

Emerging risks to the global economy included higher food and fuel prices, the disaster in Japan, unrest in the Middle East and North African countries, lingering unemployment in parts of the world and the risk of overheating in some dynamic emerging markets.

INDIAN ECONOMY

- In 2010-11, the Indian economy recorded a sharp and broad-based recovery backed by the robust consumption as well as the investment demand. GDP clocked a growth rate of 8.6 per cent in 2010-11 from 8 per cent in 2009-10, with persistent strength witnessed in manufacturing sector together with a significant recovery in agriculture. Growth in industrial output stood at 7.8 per cent and manufacturing posted a 8.1 per cent growth in 2010-11. The robustness of the industrial activity, increase in production of capital goods, commencement of capacity expansion plans of corporates, increased infrastructure spending by the Government, growth in credit as well as financing from non-banking sources underscored the strong investment demand.
- Agriculture sector output rebounded strongly during FY11 to register a growth of 5.4 per cent against a fall in output in the previous year. Services sector contributing about 53 per cent of GDP registered a growth of 9.6 per cent in 2010-11.
- The sustained rise in the prices of food articles had caused the headline inflation to remain at elevated levels during FY11. The surge in food prices was mainly driven by the increase in the prices of items like fruits and vegetables, milk, meat, poultry and fish. After remaining muted during most part of FY11, manufacturing inflation raised its head again during the terminal months of FY11. In order to control the spiralling inflation and anchor the inflationary expectations in the economy, the RBI resorted to aggressive monetary policy tightening. The inflation based on WPI was at 8.98 per cent in March 2011. Food inflation, however, moderated to 9.5 per cent in March 2011 from 20.6 per cent a year before.

- Exports gained momentum since November 2010; with cumulative exports for Apr-10 to Mar-11 crossing the US\$ 200 bn export target for FY11 to US\$245.86 billion. The growth in the March 2011 was 43.8 per cent. After growing at a faster pace since the beginning of FY11, imports started moderating since Sept-10 leading to a contraction in the trade deficit. Imports for Apr-Mar 2011 was at US\$ 350.69 bn.
- Current account deficit surged significantly during H1
 FY11, especially during Q2 FY11 owing to widening
 trade deficit and moderating net invisibles. However,
 substantial inflow of funds under the capital account
 led to a surplus in the overall BoP during H1 FY11.
- Despite improving global economic prospects and robust recovery of the Indian economy, the FDI inflows largely remained muted owing to a confluence of factors such as environmental policy issues, comparatively higher inflation and global issues like debt crisis in the European region.
- FII inflows remained volatile during FY11. While the short term foreign fund inflows remained quite robust till Oct-10, it started receding since then, with outflows occurring during Jan-Feb'10. As at end March 2011, the net inflows were to the tune of US\$1.53 billion. Outstanding forex reserves stood at US\$305 billion, recording a growth of 9.5 per cent on Y-o-Y basis from US\$279 billion a year ago.
- The Rupee was volatile, impacted by the speculation of high crude-oil prices leading to increase in import costs, in turn widening CAD and Japan's earthquake and nuclear accident which prompted investors to favour the relative safety of the dollar over regional assets. Towards the end of the year, the hike in interest rates by the RBI and the assurance by the Japan's Defence minister that the damaged atomic reactors are cooling too boosted the demand for the Indian rupee due to which the exchange rate touched a high of 44 .65 per dollar on the last day of the month.
- Indian equity markets remained volatile, in line with the global trend impacted by inflation and consequent interest rate hikes. Sensex had slumped 12 per cent from the start of the year to March 21, 2011 on concerns that policy measures to curb inflationary pressures will hamper growth. However, the last week of March saw Indian stocks gaining as the immediate risks to the global economic recovery seemed to abate as Japan made progress in averting the nuclear crisis and oil prices although high, stayed range bound.



31 मार्च 2011 को बीएसई सेंसेक्स 19,445.22 पर बन्द हुआ, जोकि
 31 मार्च 2010 को 17527.77 पर बन्द होने की स्थिति से 1,917.45
 अंक अथवा 10.9 प्रतिशत ऊपर था।

एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी मार्च 2010 की अपनी 5249.1 की स्थिति से 5,833.75 पर बन्द हुआ। यह 11.14 प्रतिशत की वृद्धि थी।

eksnzd?kVukØe

- वित्तीय वर्ष '11 की शुरुआत से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण के अंतर्गत वृद्धि में क्रमिक सुधार दिखाई दिया और विशेष रूप से वित्तीय वर्ष '11 की तीसरी तिमाही से उसमें बढ़त हुई। वर्ष के अंत में बैंक का कुल ऋण 21.4 प्रतिशत की वृद्धि पर था। किंतु जमा राशियों में वित्तीय वर्ष 11 की शुरुआत से मन्दी रही और वित्तीय वर्ष '11 के अधिकांश समय में हल्की रही। हालांकि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कुछ सुधार आया था। दिनांक 25 मार्च 2011 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों में 15.8 प्रतिशत की बढ़त हुई। श्री जी स्पेक्ट्रम नीलामी की वजह से निधियों का कुल बहिर्गमन, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास केन्द्र की शेष राशि का भण्डार, ऋण वृद्धि के साथ मुद्रा की अधिक माँग के चलते वित्तीय वर्ष '11 में तरलता की स्थिति तंग रही। परिणामतः भारतीय रिज़र्व बैंक को अर्थव्यवस्था में तरलता के दबावों को कम करने के लिए कई उपाय करने पड़े।
- वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति की ब्याज दरों की अंशशोधित कसावट और तरलता परिस्थितियों की सुलभता के माध्यम से मौद्रिक नीति के निर्वाधकारी सामान्यीकरण की शुरुआत की। इसका प्रमुख उद्देश्य, विकास में बाधा डाले बिना धीरे—धीरे नीति के मुद्रास्फीति विरोधी बल को बढ़ाना था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उत्पादक क्रियाकलापों में ऋण के प्रवाह को प्रभावित करने वाले तरलता तनाव के जोखिम से बचने के लिए तरलता दबावों को कम करने के उपाय किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 225 मूल अंक तक रिवर्स रेपो दर को बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत, रेपो दर को 175 मूल अंक तक बढ़ाकर 6.75 प्रतिशत तथा प्रारक्षित नकदी अनुपात को 25 मूल अंक तक बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। महत्वपूर्ण बात है कि 18 दिसम्बर 2010 से सांविधिक तरलता अनुपात, अनुसूचित वाणि ाज्यिक बैंकों की निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत से कम होकर एनडीटीएल का 24 प्रतिशत हो गया।

foLrr dkj.kckj leh(kk

os' od dkj kckj

बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च 2011 को 180,000 करोड़ रुपए को पार कर रुपए 181,530 करोड़ हो गया। यह 31 मार्च 2010 को 150886 करोड़ रुपए था, जिसमें 20.3 प्रतिशत की वृद्धि से रुपए 30,644 करोड़ की बढ़त हुई है। बैंक के देशी कारोबार में 31 मार्च 2010 के 145,270 करोड़ रुपए में 29,650 करोड़ रुपए की बढ़त हुई और वह 20.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 174,919 करोड़ रुपए हो गया है।

lakku laxg.k%

- बैंक की वैश्विक जमा राशियाँ 31 मार्च 2011 को 100,000 करोड़ रुपए के ऑकडे को पारकर 105,804 करोड़ रुपए हो गई, जबिक पिछले वर्ष यह 88,228 करोड़ रुपए थीं। इनमें 19.92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17,576 रुपए करोड़ की वृद्धि हुई। बैंक की देशी जमाराशियाँ पिछले वर्ष के 85,307 करोड़ रुपए से 17,026 करोड़ रुपए बढ़कर 31 मार्च 2011 को 102,332 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रकार इसमें 19.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
- 31 मार्च 2011 को कासा जमा राशियाँ पिछले वर्ष के 28,361 करोड़ रुपए से बढ़कर 32,639 करोड़ रुपए हो गई। इसमें 15.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

.k nsık %

- बैंक के कुल अग्रिम 31 मार्च 2010 के 62,658 करोड़ रुपए के मुकाबले
 31 मार्च 2011 को 20.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 75,726 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गए। देशी ऋण में 12,624 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ (21.05 प्रतिशत) और वह पिछले वर्ष के 59963 करोड़ रुपए के मुकाबले 31 मार्च 2011 को 72,587 रुपए करोड़ हो गया।
- देशी खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष के 58,842 करोड़ रुपए के मुकाबले 12,255 करोड़ रुपए बढ़कर (20.78 प्रतिशत) 31 मार्च 2011 को 71.067 करोड़ रुपए हो गया है।
- वैश्विक ऋण जमा (सीडी) अनुपात 31 मार्च 2011 को 71.57 प्रतिशत पर था। बैंक, अग्रिमों से होनेवाली अपनी आय के सुधार और आस्ति की गुणवत्ता पर अधिक बल देना जारी रखेगा।

'kk[kk ræ vk§ foLrkj %

बैंक ने भारत में अपने शाखा तंत्र का विस्तार किया और 104 शाखाएँ खोल कर मार्च 2011 की समाप्ति तक शाखाओं की संख्या 1860 कर दी। इसमें 508 ग्रामीण, 503 अर्धशहरी, 477 शहरी और 372 महानगरीय शाखाएँ हैं। इस शाखा तंत्र के अतिरिक्त 37 विस्तार पटल, 23 उप कार्यालय, 01 संग्रह पटल, 39 ग्रामीण बैंकिंग सेवा केन्द्र तथा 01 फोरेक्स कार्यालय है। इस वर्ष के दौरान बैंक ने 21 जनवरी 2011 को श्रीलंका के जफना में एक शाखा खोली। इस शाखा को मिलाकर कोलम्बो, सिंगापुर शाखाओं सहित बैंक की 03 विदेश स्थित शाखाएँ हो गई हैं।

[k Mokj fu"iknu %

i kaFlyfedrk {ks=ds.k

31 मार्च 2011 को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण 25969.12 करोड़ रुपए के स्तर पर रहे जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 43.66 प्रतिशत था। इस क्षेत्र में 2010—11 के दौरान 19.87 प्रतिशत (4304.18 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई, जबिक 2009—10 में वृद्धि 17.58 प्रतिशत रही।

The BSE Sensex settled at 19,445.22 on March 31, 2011 which was 1,917.45 points or 10.9 per cent up from its close of 17,527.77 on March 31, 2010. The S&P CNX Nifty ended at 5,833.75 from 5249.1 in March 2010, an increase of 11.14 per cent.

MONETARY DEVELOPMENTS

- Scheduled Commercial Banks' (SCBs) credit growth showed gradual improvement since the beginning of FY11 and gained traction, especially since Q3 FY11. Total Bank credit ended the year with a growth of 21.4 per cent. Growth in deposits, however, witnessed significant moderation since the beginning of FY11 and remained muted for most part of FY11, albeit some improvements during the last quarter of the financial year. As on 25th March 2011, total deposits of Scheduled Commercial Banks grew by 15.8 per cent. The total outflows owing to the 3G spectrum auction, build-up of Centre's cash balances with the RBI, sluggish growth in bank deposits as compared to the credit growth along with higher demand for currency led to tight liquidity conditions during FY11. Consequently, a host of measures had been taken by the RBI to ease the liquidity pressures in the economy.
- During the year, the Reserve Bank of India initiated non disruptive normalisation of the Monetary Policy through calibrated tightening of the policy interest rates and easing of liquidity conditions. The predominant objective was to gradually raise the anti-inflationary accent of the policy without disrupting growth. The Reserve Bank undertook measures to ease the liquidity pressures to avoid the risk of liquidity stress affecting the flow of credit to productive activities. RBI raised the reverse repo by 225 bps to 5.75 per cent, repo rate by 175 bps to 6.75 per cent, and increased the CRR by 25 bps to 6 per cent. Significantly, Statutory Liquidity Ratio (SLR) was reduced to 24 per cent of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) from 25 per cent of NDTL of SCBs, with effect from December 18, 2010.

DETAILED BUSINESS OVERVIEW

Global Business

• Global Business of the Bank has crossed the ₹180,000 crore mark to ₹181,530 crore as on March 31, 2011 from ₹150,886 crore as on March 31, 2010 registering an increase of ₹30,644 crore and a growth of 20.3 per cent. Domestic Business of the Bank has increased by ₹29,650 crore to ₹174,919 crore from ₹145,270 crore as on March 31, 2010 registering a growth of 20.4 per cent.

Resource Mobilisation

- Global Deposits of the Bank has crossed the ₹100,000 crore mark to ₹105,804 crore as on March 31, 2011 from ₹ 88,228 crore in the previous year, with an accretion of ₹17,576 crore and growth of 19.92 per cent. Domestic Deposits of the Bank has increased by ₹17,026 crore to ₹102,332 crore as on March 31, 2011 from ₹85,307 crore in the previous year, registering a growth of 19.96 per cent.
- CASA Deposits has reached the level of ₹32,639 crore as on March 31, 2011 from ₹28,361 crore in the previous year, recording a growth of 15.08 per cent.

Credit Deployment

- Gross Advances of the Bank has touched the level of ₹75,726 crore as on March 31, 2011 as against ₹62,658 crore as on March 31, 2010, recording a growth of 20.86 per cent. Domestic Credit has increased by ₹12,624 crore (21.05 per cent) to ₹72,587 crore as on March 31, 2011 as against ₹59,963 crore last year.
- Domestic Non food credit has increased by ₹12,225 crore (20.78 per cent) to ₹71,067 crore as on March 31, 2011 as against ₹58,842 crore in the previous year.
- Global CD ratio as on March 31, 2011 stood at 71.57 per cent. The Bank would continue its thrust on improving its yield on advances and asset quality.

BRANCH NETWORK AND EXPANSION

• The Bank has expanded its network by 104 branches in India to 1860 branches as at end-March 2011, comprising of 508 Rural, 503 Semi Urban, 477 Urban and 372 Metropolitan branches. The branch network is supplemented with 37 Extension Counters, 23 Satellite Offices, 1 Collection Counter, 39 Rural Banking Service Centres and 1 Forex Bureau. During the year, the Bank has opened a branch at Jaffna in Sri Lanka on 21st January 2011, taking the total to 3 foreign branches, including Colombo and Singapore branches.

SEGMENT-WISE PERFORMANCE

Priority Sector Credit

 Priority Sector advances stood at ₹25969.12 crore as on 31st March 2011 and constituted 43.66 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). The sector has registered a growth of 19.87 per cent (₹4304.18 crore) during 2010-11 as against 17.58 per cent achieved during 2009-10.



Ñf''k _ . k%

 मार्च 2011 की समाप्ति पर कृषि अग्रिम ₹.11047.89 करोड़ रहे तथा यह एएनबीसी का 18.57 प्रतिशत था। वर्ष 2010—11 के दौरान इस क्षेत्र में 20.82 प्रतिशत (₹.1903.90 करोड़) की वृद्धि हुई है, जबिक पिछले वर्ष के दौरान 16.67 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई थी।

fo'kk Nf'k _ .k; kt uk

- विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत 2010—11 के दौरान बैंक ने ₹.8227.54 करोड़ के कृषि ऋण वितिरत किये हैं, जबिक वार्षिक लक्ष्य ₹.6510 करोड़ था, जिससे कि 126 प्रतिशत हासिल किया गया है।
- उपर्युक्त में से ₹.1987.03 करोड़ की राशि 450,132 नए कृषकों को और
 ₹.4158.54 करोड़ की राशि 742,343 लघु / सीमांत कृषकों को वितरित की गई है जोिक न्यूनतम 40 प्रतिशत के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों की तुलना में प्रत्यक्ष कृषि वितरणों का 56 प्रतिशत बनता है।
- रबी मौसम के साथ मेल खाते हुए हमारी ग्रामीण शाखाओं ने "गहन कृषि ऋण अभियान" आयोजित किये, जिसके दोहरे उद्देश्य थे। कृषि को ऋण का प्रवाह बढ़ाना और कृषकों के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ बनाना। इस अभियान अवधि के दौरान हमारी शाखाओं ने ₹.888.89 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किए हैं, जिससे 164,408 कृषकों को लाभ पहुँचा है।
- det kj ox ¼ मार्च 2011 की समाप्ति पर कमजोर वर्गों को प्रदत्त बकाया ऋण ₹.6175.15 करोड़ थे जोकि 10 प्रतिशत के अनुबद्ध मानदण्ड के विरुद्ध एएनबीसी का 10.38 प्रतिशत बनता है।
- Mhvkj vkbZ vfxæ% 2010—11 के दौरान बैंक ने ₹.20.74 करोड़ के 17,651 डीआरआई ऋण वितरित किए हैं। बकाया स्तर ₹.27.72 करोड़ पर रहा।
- vtk@vttk dk vfxæ% 31.03.2011 को अजा/अजजा को बकाया ऋण ₹.1876.15 करोड़ रहा, जोिक बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 7.22 प्रतिशत बनता है।
- vYil 4; d l enk, la dls_. l‰अल्प संख्यक समुदायों को ऋण, जो मार्च 2010 को ₹.3193.53 करोड़ रहा, 2010–11 के दौरान ₹.789.
 44 करोड़ की बढ़ोत्तरी के कारण मार्च 2011 की समाप्ति पर ₹.3915.
 15 करोड़ हो गया जोिक 15 प्रतिशत के अनुबद्ध मानदण्ड की तुलना में कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 15.08 प्रतिशत बनता है।

'K**s**{kd .k; kst uk%

- वर्ष के दौरान शैक्षिक ऋण संविभाग को प्रदत्त राशि में
 ₹.502.29 करोड़ की बढोत्तरी से यह ₹.2810.70 करोड़ बन गया है।
- मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने 96953 छात्रों को
 ₹.621.09 करोड़ की राशि वितरित की है।
- आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए बैंक "वंब—आधारित आनलाइन आवेदन सिस्टम" भी कार्यान्वित कर रहा है। मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान 1105 छात्रों को ₹.30.52 करोड़ की "इन—प्रिन्सिपल" मंजूरियां दी गई।

• 01 जुलाई 2009 से मंजूर नए शैक्षिक ऋणों पर प्रयोज्य कार्ड दर से छात्राओं को 0.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज में रियायत अनुमत की जाती है।

xkeh k _ .k c<kus ds fy, dh xbZi gy foRch: l ekos k : kt uk 2010&12

2000 से अधिक जनसंख्यावाले गांवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार तथा भा रि बैंक की सलाह के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्यावाले गांवों को वर्ष 2012 तक कवर करने के लिए बैंक ने एक वित्तीय समावेश योजना बनाई है। 19 राज्यों में 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 1536 गांव बैंक को आबंटित किए गए हैं।

xkooka ds dojst ds fy, jks Me S %

- बैंक ने विभिन्न सुपुर्दगी के चेनलों के जिरए 2000 से अधिक जनसंख्यावाले सभी 1536 गांवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है।
- इसके अतिरिक्त 2000 और उससे कम जनसंख्यावाले 4040 गांवों को बैंक ने पहचाना है ताकि मार्च 2013 तक उनमें स्मार्ट कार्ड आधारित बीसी मॉडल के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें।

for Rrh 1 elosk: kt uk ds varx 7 izefr 1/31-03-2011 dk/2

वित्तीय समावेश योजना 2010—12 के अंतर्गत 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 1010 गांवों को मार्च 2011 की समाप्ति तक नीचे दिए अनुसार विभिन्न सुपुर्दगी के मॉडलों के जिए कवर किया गया है:—

- स्मार्ट कार्ड आधारित व्यापार संपर्की (बीसी) मॉडल के जिरए 978 गांवों को
- बैंकिंग सेवा केन्द्र (20) / शाखाओं (1) के जरिए 21 गांवों को
- मोबाइल शाखा / वेन के जिए 11 गांवों को
 बैंक की वेबसाइट में गांवों और फील्ड बीसी के नाम दिए गए हैं जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

एटीएम सुविधा और सिक्का वेंडिंग मशीन के साथ प्रथम मोबाइल शाखा (वेन) का प्रवर्तन, सितंबर 26, 2010 को माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के जंगीपुर गांव में किया गया। यह मोबाइल शाखा, वित्तीय समावेश के अंतर्गत आबंटित छह गांवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी। मार्च 25, 2011 को एक और मोबाइल शाखा/वेन, पांच गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वेल्लूर, तमिलनाडु में प्रवर्तित किया गया।

पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के मंगलम गांव में बैंक ने स्मार्ट कार्ड जारी करते हुए 100 प्रतिशत घरों को वित्तीय समावेश योजना के अंतर्गत कवर किया है। 05.08.2011 को गांव में आयोजित एक समारोह में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ.सुबीर गोकर्ण ने भाग लिया। अब ग्रामवासी गांव में तैनात एक कारोबार सम्पर्की द्वारा स्मार्ट कार्डों के जरिए लेनदेन करते हैं।

Agriculture Credit

 Agriculture advances stood at ₹11047.89 crore as at end-March 2011 and constituted 18.57 per cent of ANBC. The sector has registered a growth of 20.82 per cent (₹1903.90 crore) during 2010-11 as against 16.67 per cent achieved during the previous year.

Special Agricultural Credit Plan

- Under Special Agricultural Credit Plan (SACP), during 2010-11, the Bank has disbursed farm loans amounting to ₹8227.54 crore as against the annual target of ₹6510 crore, recording 126 per cent achievement.
- Of the above, ₹1987.03 crore has been disbursed to 450,132 new farmers and ₹4158.54 crore to 742,343 small / marginal farmers, which works out to 56 per cent of Direct Agricultural disbursements, as against the RBI directive of minimum 40 per cent.
- Our rural and semi urban branches have observed "INTENSIVE FARM CREDIT CAMPAIGN" coinciding with the Rabi season with the dual objective of enhancing credit flow to agriculture and strengthening our relationship with the farmers. During the campaign period, our branches have disbursed Agriculture credit to the tune of ₹888.89 crore benefitting 164,408 farmers.
- Weaker sections: Credit outstanding to Weaker Sections was at ₹6175.15 crore as at end-March 2011, working out to 10.38 per cent of ANBC as against the stipulated norm of 10 per cent.
- DRI Advances: During 2010-11, the Bank has disbursed 17,651 DRI loans amounting to ₹20.74 crore. The outstanding level stood at ₹27.72 crore.
- Advances to SC/STs: Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹1876.15 crore as at 31.03.2011, working out to 7.22 per cent of Priority Sector Advances of the Bank.
- Lending to Minorities: Advances to Minorities which stood at ₹3193.53 crore as of March 2010 has increased by ₹789.44 crore during 2010-11 to reach ₹3915.15 crore as of end-March 2011, working out to 15.08 per cent of total Priority Sector Advances as against the stipulated norm of 15 per cent.

Education Loan Scheme

- During the year, exposure to education loan portfolio has increased by ₹502.29 crore to ₹2810.70 crore.
- During the year ended March 2011, the Bank has disbursed a sum of ₹621.09 crore as education loans to 96,953 students.
- The Bank is also implementing "Web based on-line education loan application system" to facilitate early disposal of applications. During the year ended March 2011, 1105 students were given "in-principle" sanction amounting to ₹30.52 crore.

 Interest concession to girl students @ 0.5 per cent on the applicable card rate on fresh education loans sanctioned is being allowed from 01st July 2009.

INITIATIVES FOR STEPPING UP RURAL CREDIT

Financial Inclusion Plan 2010-12

As per the recommendations of the High Level Committee of Reserve Bank of India (RBI) on providing banking services to villages with a population of more than 2000 and as advised by RBI, the Bank has prepared a Financial Inclusion Plan for covering villages with population above 2000 by March 2012. The Bank has been allocated 1536 villages with population of more than 2000 in 19 States.

Road map for coverage of villages

- The Bank has planned to provide banking services to all the 1536 villages with population above 2000 through various delivery channels.
- Additionally, the Bank has identified 4040 villages with population 2000 and below, to provide banking services through Smart card based BC Model by March 2013.

Progress under FI Plan (as on 31.03.2011)

Under Financial Inclusion Plan 2010-12, 1010 villages with population above 2000 have been covered upto end-March 2011 through various delivery models as below:

- 978 villages through Smart card based Business Correspondent(BC) model
- 21 villages through Banking Service Centers (20)/ branches (1)
- 11 villages through Mobile Branch/Van

The details of the villages provided with banking services along with the name of the Field BCs are available in the Bank's website.

The first Mobile branch (Van) with ATM facility and coin vending machine was launched at Jangipur in West Bengal by the Hon'ble Union Finance Minister on September 26, 2010. This mobile branch would be providing banking services to six villages allotted under Financial Inclusion. One more Mobile branch/van was launched at Vellore, Tamilnadu on March 25, 2011, for providing banking services in five villages.

The Bank has made 100 per cent coverage of households under Financial Inclusion through issue of smart cards in Mangalam village in Union Territory of Puducherry. Dr.Subir Gokarn, Deputy Governor, RBI participated at a function organized in the village on 05.08.2011. Transactions are now carried out by the villagers through smart cards by the BC engaged in the village.



भारतीय रिज़र्व बैंक के 'आउटरीच' कार्यक्रम के अंतर्गत परमकुडी शाखा (मदुरै अंचल) के अंतर्गत आनेवाले वेन्तोणी गांव में आईसीटी आधारित स्मार्ट कार्ड से समर्थित व्यापार संपर्की मॉडल में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गयीं। 20 दिसंबर, 2010 को डॉ के सी चक्रबर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस कार्यक्रम को प्रवर्तित किया और वेन्तोणी गांव के लिए वित्तीय समावेश योजना 2010—2012 का उन्मोचन किया।

बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्यावाले एफ आई कार्यान्वित करनेवाले गांवों में 152,767 'नो फ़िल' खाते खोले तथा खाताधारकों को 97150 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। वित्तीय समावेश योजना 2010—12 के अंतर्गत इन गांवों में 1500 हिताधिकारियों को बचत बैंक ''नो फ़िल'' खातों में ओवरड्राफ़्ट और जीसीसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

बैंक ने 2005 से ही "नो फ़िल" खाते खोलना शुरू कर दिया था। बैंक ने अब तक 26.41 लाख "नो फ़िल" खाते खोले हैं और देश भर में विभिन्न शाखाओं के जिरए 55821 हिताधिकारियों को ओवरड्राफ्ट और जीसीसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

laä jkT; {kwik implipyjh ena foRrh; lekosk; ket uk dhinzfr &, l, ychl h dk lajket d%

संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्चेरी में, जहां बैंक एसएलबीसी का संयोजक है, वित्तीय समावेश योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 2000 से अधिक आबादी वाले 43 गांवों को पहचाना गया है और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें विभिन्न बैंकों में आबंटित किया गया है। सभी 43 गांवों में 31 मार्च, 2011 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

Nf"k _ . k ekQh vk§ _ . k j kgr ; kt uk 2008%

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत बैंक ने 2.37 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ पहुँचाते हुए ₹.460.26 करोड़ की ऋण माफी प्रदान की।

इसके अलावा 42,896 अन्य कृषकों को ₹.84.62 करोड़ की ऋण राहत के लिए पात्र के रूप में पहचाना गया है। इनमें से 33,593 कृषकों ने 31 मार्च, 2011 तक अपने शेयर (75 प्रतिशत) अदा कर दिए हैं और शाखाओं द्वारा ₹.64.31 करोड़ की राहत उन्हें उपलब्ध कराई गई है।

जुलाई 01, 2008 से ऋण माफी / ऋण राहत योजना के हिताधिकारियों को नए ऋण मंजूर किए गए हैं:

वर्ष	वितरित नए ऋण	
	खाते	राशि (₹.करोड में)
2008-09	97,357	283.19
2009-10	105,566	403.30
2010-11	106,842	469.56

vxzkh c&d: kt uk%

 पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में बैंक की एसएलबीसी जिम्मेदारी है तथा 13 जिलों में इसकी अग्रणी भूमिका है (तिमलनाडु में 10, आंध्र प्रदेश में 2 और केरल में 1)। बैंकिंग सेवाएं रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु सभी अग्रणी जिले वित्तीय समावेश योजना को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं।

y?kq, oaea>ksys m | eka dks_...k dk i zokg%

- बैंक ने मार्च 31, 2011 को लघु उद्यमों के अंतर्गत ₹.7718.00 करोड़ हासिल किया है।
- सूक्ष्म उद्यमों को ऋण में वृद्धि लाने के लिए बैंक ने उनके तिपिहया वाहनों के वित्तीयन हेतु बजाज आटो लि. और टीवीएस के साथ एमओयू व्यवस्था की है।
- एमएसएमई क्षेत्र को क्षेत्र—विशेष के लिए विनिर्दिष्ट नए संरचित ऋण उत्पाद विकिसत करने के लिए बैंक ने भीलवाड़ा क्षेत्र में शिथिल कराए गए मार्जिन और ब्याज दर के साथ टेक्सटाइल क्लस्टर के वित्तीयन हेतु एक योजना बनाई है जिसको 2010—11 के वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में कार्यान्वित किया गया।
- बैंक ने चेन्नै, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलूर, पुणे, कोयम्बत्तूर और कांचीपुरम के नौ मुख्य केन्द्रों में एसएमई प्रस्तावों का तेजी से एवं गुणात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एसएमई केन्द्रीय संसाधन इकाइयां स्थापित की हैं। एसएमई संविभाग की ओर केन्द्रित ध्यान देने और विकास लाने के लिए देश भर में बैंक की 62 विशेषीकृत एसएमई शाखाएं कार्यरत हैं।
- एसएमई के अंतर्गत सभी पात्र खातों को बैंक ने सीजीटीएमएसई कवरेज के अंतर्गत कवर किया है तािक प्रथम पीढी के उद्यमी, संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करने की बाधाओं के बिना ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

of Drd [kMds_.k%

इस वर्ष के दौरान बैंक ने वैयक्तिक खण्ड के ऋणों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा। बैंक के तीसों अंचलों में एक खुदरा बैंकिंग खण्ड केन्द्र कार्यरत हैं जहाँ गृह ऋण, वाहन ऋण, वेतन ऋण, शैक्षिक ऋण, रेंट एनकेश, इंड मार्टगेज, रिवर्स मार्टगेज और एनएससी / एलआईसी पालिसियां आदि वित्तीय प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण आदि वैयक्तिक खण्ड के ऋण उत्पाद (पीएसएलपी) संसाधित एवं स्वीकृत किए जाते हैं।

वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान बैंक ने स्टेप—अप दरों पर गृह ऋण प्रदान किए तथा इस ऑफ़र के अंतर्गत ₹.355.46 करोड़ के गृह ऋण वितरित किए।

तत्काल चुकौती करनेवाले गृह ऋण उधारकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में "होम लोन कांबों" प्रवर्तित किया गया ताकि वे रियायती ब्याज दर और संसाधन के प्रभारों पर अन्य चयनित वैयक्तिक खण्ड के ऋण उत्पाद का लाभ उठा सकें।

बैंक ने टोयोटा – किरलोस्कर मोटर्स, बंगलूर के साथ उनकी कारों के वित्तीयन हेतु गठजोड व्यवस्था की है। Under the RBI outreach programme, Banking services were provided in Venthoni village coming under Paramakudi branch (Madurai Zone) though ICT based Smart Card enabled Business Correspondents Model. Dr.K.C.Chakrabarty, Deputy Governor, RBI launched the programme on 20th December 2010 and released the Financial Inclusion Plan 2010-12 for Venthoni village.

The Bank has opened 152,767 'No Frill' accounts in the FI implementing villages with population above 2000 and 97,150 smart cards have been issued to the account holders. Overdraft in SB 'No frill'accounts and GCC facilities have also been provided to 1500 beneficiaries in these villages under Financial Inclusion Plan 2010-12.

The Bank had started opening 'No frill' accounts way back from 2005. The Bank has so far opened 26.41 lakh 'No frill' accounts; Overdraft and GCC facilities have been provided to 55,821 beneficiaries through various branches across the country.

Financial Inclusion Plan progress in UT of Puducherry - SLBC Convener

In the UT of Puducherry, where the Bank is the SLBC Convener, under Financial Inclusion Plan, a total of 43 villages with population above 2000 have been identified and allotted to various Banks for providing banking services. All the 43 villages have been provided with banking services as on March 31st 2011.

Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

The Bank has provided debt waiver amounting to ₹460.26 crore benefitting 2.37 lakh small and marginal farmers under the above Scheme.

Besides, 42,896 other farmers were identified as eligible for a debt relief of ₹84.62 crore. Of these, 33,593 farmers have paid their share (75 per cent) as of March 31st 2011, and a relief of ₹64.31 crore were passed on by the Branches.

Fresh loans were sanctioned to the beneficiaries of the Debt Waiver/Debt Relief scheme from July 01st 2008.

Year	Fresh Loans disbursed	
	Accounts Amt. (₹ cro	
2008-09	97,357	283.19
2009-10	105,566	403.30
2010-11	106,842	469.56

Lead Bank Scheme

 The Bank holds SLBC responsibility in UT of Puducherry and Lead Bank role in 13 districts (10 in Tamil Nadu, two in Andhra Pradesh and one in Kerala). The Lead Districts are actively involved in implementing Financial Inclusion Plan to provide Banking Services in the unbanked villages.

CREDIT FLOW TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME)

- The Bank has achieved ₹7718.00 crore under Small Enterprises (SE) as on March 31st 2011.
- The Bank has entered into a MoU arrangement with Bajaj Auto Ltd. and TVS for financing their 3 wheelers to augment the Micro Enterprises credit.
- Towards development of region specific new Structured Loan Products for MSME sector, the Bank has formulated a scheme for financing Textile Cluster in Bhilwara Region with relaxed margin, rate of interest etc. which was implemented from the 3rd quarter of FY 2010-11.
- The Bank has established SME Central Processing Units at nine key centres in Chennai, Mumbai, Kolkata, New Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Pune, Coimbatore and Kanchipuram for quick and quality appraisal of SME proposals. The Bank has 62 Specialised SME Branches across the country for focussed attention and growth of SME portfolio.
- The Bank has covered all eligible accounts under SME with CGTMSE coverage to facilitate first generation entrepreneurs to avail the credit facility without the hassles of collaterals.

PERSONAL SEGMENT LOANS

During the year, the Bank continued its focus on Personal Segment Ioans. The Bank has a Retail Banking Segment Centre at each of its 30 Zones for processing and sanctioning of Personal Segment Loan Products (PSLPs) consisting of Home Loans, Vehicle Loans, Salary Loans, Education Loans, Rent Encash, Ind Mortgage, Reverse Mortgage and Ioan against financial securities like NSC/LIC Policies etc.

The Bank offered Home Loans at step-up rates during the third quarter of the year and disbursed home loans amounting to ₹355.46 crore under the offer.

"Home Loan Combo", was introduced as an incentive for home loan borrowers who are prompt in repayment to avail other select personal segment loan products at a concessional interest rate and processing charge.

The Bank has entered into a tie-up arrangement with Toyota-Kirloskar Motors, Bangalore for financing their cars.



31 ekp / 2011 dks [k Mokj _ .k fu Eukud kj g &

(₹. करोड में)

		-1-111
क्रमांक	उत्पाद	ऋण
1	गृह ऋण	5507.96
2	आटोमोबाइल	300.52
3	वैयक्तिक ऋण	450.18
4	एनएससी / केवीपी / एलआईसी पॉलिसी	79.52
	के विरुद्ध ऋण	
5	बंधक ऋण	371.63
6	शैक्षिक ऋण	2806.53
7	जेवर ऋण (गैर प्रा)	1161.29
8	रिवर्स मार्ट्गेज	5.42
9	अन्य	1260.81
	कुल	11943.86

₹.11,943.86 करोड़ के समग्र बकाया पीएसएलपी ऋण, ₹.71,067.08 करोड़ के बैंक के सकल खाद्येतर ऋण का 16.81 प्रतिशत बनता है। ₹.5507.96 करोड़ पर बकाया गृह ऋण, कुल खुदरा ऋणों का 46 प्रतिशत बनता है। वैयक्तिक खण्ड ऋण संविभाग में वर्ष—दर—वर्ष वृद्धि 10.01 प्रतिशत रही।

chidv'; jistl vkj E; popy Q.M (), ki kj%

गैर-जीवन बीमा व्यापार के लिए युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेन्स कंपनी लि (यूआईआईसीओ) तथा जीवन बीमा व्यापार के लिए एचडीएफसी स्टेण्डर्ड जीवन बीमा कंपनी के साथ बैंक का कार्पोरेट एजेन्सी गठजोड़ करार उपलब्ध है।

यूटीआईएएमसी और रिलायन्स एएमसी के साथ उनके म्यूचुवल फण्ड उत्पादों को वितरित करने के लिए बैंक ने गठजोड़ व्यवस्था की है।

यूआईआईसीओ / एलआईसी / कोटक महिन्द्रा ओएम जीवन बीमा कंपनी (कोटक) के साथ व्यवस्था करते हुए वैकल्पिक आधार पर बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदत्त विभिन्न ग्रूप बीमा उत्पाद निम्नानुसार हैं: एलआईसी से आईबी जीवन कल्याण एवं आईबी जीवन विष्ठ, यूआईआईसीओ से सभी ग्राहकों के लिए आईबी यात्रा सुरक्षा, आईबी गृह जीवन (एलआईसी से) और आईबी होम सुरक्षा (कोटक से), गृह ऋण उधारकर्ताओं के जीवन को कवर करने के लिए प्रदान किए जाते हैं और आईबी जीवन विद्या (एलआईसी से), शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं के जीवन को कवर करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा और म्यूचुवल फण्ड उत्पादों आदि तीसरी पार्टी के उत्पादों का विपणन करते हुए ₹.12.55 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

vV, foRrh, mRikn

vloZh Lo. kZeqnX%

मार्च 2006 से बैंक, ने शुद्धता की कसौटी वाले अन्तर राष्ट्रीय अस्से अनुप्रमाणन प्राप्त 999.9 शुद्धतावाले 24 कैरेट के सोने के सिक्के/सिलें बेचनी शुरु की हैं। बैंक सात मूल्यवर्गों वाले, अर्थात् 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम के स्वर्ण के सिक्के/सिलें बेचता है। स्वर्ण के ये सिक्के/सिलें देशभर में फैली 1460 शाखाओं में उपलब्ध हैं।

ØsMV dkM%

इंडियन बैंक ने जनवरी 2006 में अपना क्रेडिट कार्ड परिचालन शुरू किया तथा प्रारंभिक तौर पर वैयक्तिक कार्ड खण्ड में दो तरह के कार्ड, अर्थात् आईबी ग्लोबल गोल्ड और क्लासिक कार्ड प्रवर्तित किए। इसके पश्चात बैंक के वित्तीय समावेश कार्यक्रम के अंश के रूप में आम आदमी हेतु भारत कार्ड प्रवर्तित किया गया, जोकि कम आय वर्ग वाले ग्रूप के लिए अभिप्रेत है।

कार्पोरेट एवं एसएमई ग्राहकगण की कार्ड एवं भुगतान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मार्च 2010 में इंडियन बैंक वीसा व्यापार कार्ड प्रवर्तित किया गया।

इंडियन बैंक के क्रेडिट कार्ड, सिर्फ बैंक के ग्राहकों को जारी किए जाते हैं, तथा कम प्रभार लगाते हुए ये प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर दिए जाते हैं। दुर्घटना से लिंक किया गया निःशुल्क बीमा कवर एवं कार्ड पर उपहार पाइंटों को निश्चित रूप से जमा करना अन्य मुल्य जोड़ हैं।

fu{kikxkj iźrHkxhlok, %

मई 2006 में निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं प्रवर्तित की गईं और अब ये बैंक की 224 शाखाओं के जरिए प्रदान की जा रही हैं।

laifRr izaku look, i 12MCY; we, 1 ½

बैंक अपने उच्च निवल संपत्तिवाले ग्राहकों तथा कार्पोरेटों के लिए ग्राहक की जोखिम—प्रतिलाभ प्रोफाइल के आधार पर तथा उनके जीवन में वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उनको निवेश आयोजना, कर आयोजना, बीमा एवं सेवानिवृत्ति आयोजना, निवेश—योग्य बेशी निधियों का प्रबंधन आदि पर संपत्ति प्रबंधन परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करता है। पेंशन एवं भविष्य निधि न्यासों को निवेश दिशानिर्देश और विनियामक मानदंडों के अनुरूप अपनी निधि का प्रबंधन करने के लिए भी परामर्शदात्री सेवाएं दी जा रही हैं। चयनित अंचलों में एचएनआई ग्राहकों को हमारे पास बनाए रखने और ब्राण्ड / इमेज निर्माण के मुख्य उद्देश्य से ग्राहकों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

डब्ल्यूएमएस बहुत ही व्यक्तिगत बनाई गई सेवा है और संपत्ति प्रबंधक तथा संपत्ति परामर्शदाता, ग्राहकों के साथ नियमित रूप से आपसी सम्पर्क बनाये रखते हैं। यदि ग्राहक को आवश्यकता होती है, तो संपत्ति प्रबंधक उनको विशिष्ट लेनदेन पूरा करने में या लेनदेनों का एक सेट पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं।

The segment- wise exposure as on 31st March 2011 is as under:

(₹ crore)

S.No	Product	Exposure
1	Home Loan	5507.96
2	Automobile	300.52
3	Personal Loan	450.18
4	Loan against NSC/KVP/LIC Policy	79.52
5	Mortgage Loans	371.63
6	Education Loan	2806.53
7	Jewel Loan (NP)	1161.29
8	Reverse Mortgage	5.42
9	Others	1260.81
	Total	11943.86

The overall PSLP loan outstanding at ₹11,943.86 crore works out to 16.81 per cent of the Bank's gross non-food credit of ₹71,067.08 crore. Home Loan outstanding at ₹5,507.96 crore, works out to 46 per cent of the total retail loans. The Y-o-Y growth of the personal segment loan portfolio was at 10.01 per cent.

Bancassurance and Mutual Fund Business

The Bank has Corporate Agency tie up agreement with United India Insurance Co. Ltd. (UIICO) for non life insurance business and with HDFC Standard Life insurance Co for life insurance business.

The Bank also has tie up arrangements with UTI AMC and Reliance AMC for distributing their Mutual Fund Products.

Various Group Insurance Products offered by the Bank to its customers on optional basis by arrangement with UIICO/LIC/Kotak Mahindra OM Life Insurance Co (Kotak) are - IB Jeevan Kalyan & IB Jeevan Varishta from LIC, IB Yatra Suraksha Scheme from UIICO for all Customers. IB Griha Jeevan (from LIC) and IB Home Suraksha (from Kotak) are offered to cover the life of Home loan borrowers and IB Jeevan Vidya (from LIC) is offered to cover the life of education loan student borrowers.

The Bank has earned a commission income of ₹12.55 crore by way of marketing third party products like life insurance, non life insurance and mutual fund products during the year.

OTHER FINANCIAL PRODUCTS

IB Swarna Mudra

The Bank started selling 24 carat, 999.9 purity gold coins/bars from March 2006, with International Assay certification for purity. The Bank sells the gold coins/bars of various denominations to its customers on both retail and bulk basis, in seven denominations viz., 2g, 4g, 5g, 8g, 10g, 20g and 50g. These Gold coins/bars are available through 1460 branches spread across the length and breadth of the country.

Credit Card

Indian Bank had commenced its credit card operations in January 2006 and initially launched two card variants in the Personal Card Segment viz., IB Global Gold and Classic Card. Subsequently, the Bharat Card for the Common Man was launched as part of Bank's financial inclusion programme and meant for lower income groups.

With a view to cater to the card and payment requirements of the Corporate and SME clientele, Indian Bank Visa Business Card was launched in March 2010.

Indian Bank credit cards are issued to the customers of the Bank only and the cards have been priced competitively with lower charges. An accident linked free insurance cover and a sure credit of Reward Points in the Card are other value additions.

Depository Participant Services

The Depository Participant Services launched in May 2006 are now being offered through 224 Branches of the Bank.

Wealth Management Services (WMS)

The Bank is offering wealth management advisory services (non-discretionary) to its High Networth clients and corporates on investment planning, tax planning, insurance and retirement planning, management of investible surplus funds etc. based on client risk-return profile and financial goals in life. Advisory services are also being offered to Pension and PF fund trusts to manage their funds as per investment guidelines and regulatory norms. Services are offered free of cost to clients in select Zones with the prime objectives of retention of HNI clients of the Bank and Brand/Image Building.

WMS is a highly personalised service and Wealth Managers and Wealth Advisors interact with the clients regularly. If required by the client, Wealth Managers assist them in executing specific transaction or set of transactions.



2010—11 के दौरान इन सेवाओं में विस्तार लाया गया और विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति से भारत में 7 प्रमुख केन्द्र कवर किए गए। अपने ग्राहकों को मूल्य प्रस्ताव में वृद्धि लाने के लिए बैंक एक संपत्ति प्रबंधन साफ्टवेयर समाधान अर्जित करने की प्रक्रिया में है।

vktLr xqkoRrk i zcaku%

विवेकपूर्ण ऋण मानीटरिंग उपकरणों के जिरए गुणवत्ता से युक्त आस्तियों पर सतत ध्यान दिए जाने के कारण बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता बनाए रख सका। 2010—11 के दौरान बैंक ने सिस्टम से चालित एनपीए पहचान प्रणाली कार्यान्वित की। नए एनपीए खातों में वसूली/कोटि उन्नयन समय पर करने के लिए बैंक ने समय पर कार्रवाई प्रारंभ की और विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए) का पता लगाकर उनको मानीटर करते हुए स्लिपेज न्यूनतम स्तर पर रखे गए तथा इस तरीके से तनावग्रस्त मानक खातों का लगातार अनुवर्तन किया गया।

- 2010—11 के दौरान नए एनपीए की वसूली / कोटि उन्नयन में बैंक ने सराहनीय काम किया। विवेकपूर्ण एसएमए मानीटरिंग और अपनायी गयी सक्रिय वसूली की रणनीतियों के कारण तनावग्रस्त आस्तियों में वसूली संभव हुई।
- लोक अदालत, डीआरटी, सरफ़ेसी, समझौता के जिए निपटारे और ओटीएस नीति जैसे विभिन्न तंत्रों के परिणामस्वरूप नए एनपीए घट गए हैं।
- आर्थिक परिपेक्ष्य के अनुरूप वसूली नीति और ओटीएस नीतियों में महीन सुधार किए गए तथा वसूली में निष्पादन को और भी आगे बढाने के लिए फ्रंट-लाइन अधिकारियों को और भी सुग्राह्य बनाया गया।
- बैंक के सकल एनपीए अनुपात को घटा दिया गया है।
- ऋण पुनरीक्षण प्रबंधन समिति (एलआरएमसी), नियमित आधार पर ऋण पुनरीक्षण तंत्र एवं ऋण—लेखा परीक्षा क्रियाओं को मानीटर करता है। मानक आस्ति मानीटरिंग समिति (एसएएमसी), निरंतर आधार पर एसएमए की पुनरीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों की कोटि घटकर उनके गैर—निष्पादक आस्ति हो जाने को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।

tks[ke izcaku

जोखिम प्रबंधन तंत्र के सृजन के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। 31 मार्च 2011 से बैंक बेसल II को अनुपालन कर रहा है। बेसल II का अंतर्गत उच्चतर स्तरों तक पहुँच पाने के लिए आवश्यक पहल की गई हैं।

संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है। निम्नलिखित तीन उच्चतम स्तर की समितियों के जरिए जोखिम प्रबंधन किया जाता है:

- (i) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- (ii) आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (आलको) और
- (iii) परिचालनगत जोखम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं। बंक ने जोखिम के प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां नियत की हैं। बेंक के सभी जोखिमों को एकीकृत करने के उद्देश्य से संपूर्ण उद्यम में निहित जोखिम का विश्लेषण करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति नियत की गई है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति एवं देयता प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, व्यापार निरंतरता आयोजना नीति और कार्पोरेट अभिशासन नीति शामिल है। जोखिम प्रबंधन अवधारणाओं के प्रति जानकारी फैलाने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्तों को सुग्राह्य बनाने के उद्देश्य से सभी नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इनपर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कार्यस्थल पर हैण्ड्स—ऑन सत्र आयोजित किए गए हैं।

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने में समर्थ रूप में उनका प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रेटिंग का पुष्टिकरण करने हेतु साफ़्टवेयर से चालित रेटिंग तंत्र लागू किया गया है।

ऋण पुनरीक्षण प्रबंधन समिति, आवधिक रूप से ऋण पुनरीक्षण मेकेनिज़म एवं ऋण लेखा परीक्षा कार्यों की पुनरीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मानक आस्ति मानीटरिंग समिति, आवधिक रूप से विशेष उल्लेख खातों की पुनरीक्षा करती है तािक मानक आस्तियों का गैर—निष्पादक आस्तियों के रूप में रिसन को रोकने हेतु समय पर कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।

दैनिक आधार पर संरचनागत तरलता का अध्ययन करते हुए तरलता जोखिम का प्रबंधन किया जाता है तथा इन पर निधि एवं निवेश समिति में विचार विमर्श किया जाता है और ''आल्को'' द्वारा प्रत्येक महीने के दौरान पुनरीक्षा की जाती है। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन, आल्को द्वारा मानीटर किए जानेवाले मासिक ब्याज दर सेन्सिटिविटी विवरणों के ज़िरए किया जाता है। मिड—ऑफिस, जो सीधे ही जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है, स्वतंत्र रूप से ट्रेशरी लेनेदनों को मानीटर करता है। पिरचालनात्मक जोखिम प्रबंधन तंत्र को दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करते हुए और विभिन्न जोखिम शमन रणनीतियों को अपनाने के ज़िरए पिरचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों / प्रक्रियाओं में जोखिम के बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है। ऋण जोखिम और ब्याज दर / विनिमय दर जोखिम के लिए आविधक तौर पर स्ट्रेस जांच आयोजित की जाती हैं।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति (आईसीएएपी) को नियत किया गया है जहाँ बैंक तिमाही आधार पर पिल्लर II के अंतर्गत पहचाने गए जोखिमों का पता लगाता / मापता है और पूंजी आबंटित करता है तथा बोर्ड इसकी पुनरीक्षा करता है। बोर्ड द्वारा मासिक आधार पर बैंक की सीआरएआर स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है। वार्षिक रूप से प्रक्षेपित व्यापार स्थिति के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए निर्धारण भी प्रदान किया जाता है।

बेसल— II पिल्लर — 3 बाज़ार अनुशासन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने बोर्ड द्वारा उचित रूप से अनुमोदित प्रकटीकरण नीति नियत की है तथा तिमाही / अर्ध वार्षिक / वार्षिक आधार पर नीति के अनुसार प्रकटीकरण, बैंक की वेबसाइट पर पोर्ट / दर्ज किया जाता है। प्रकटीकरण नीति को वार्षिक रूप से संशाधित भी किया जाता है।

During 2010-11, the Services were expanded to cover 7 major centres in India, with the recruitment of specialist officers. The Bank is also in the process of acquiring a Wealth Management software solution for enhancing the value proposition to its customers.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

Consistent focus on quality of assets with prudent credit monitoring tools has enabled the Bank to maintain asset quality. The Bank has implemented system driven NPA identification during 2010-11. The Bank has initiated timely action for recovery/upgradation of fresh NPA accounts and stressed standard accounts were continuously followed up to minimise slippages by identifying and monitoring Special Mention Accounts (SMA).

- Bank continued its good performance in fresh NPA recovery/upgradation during 2010-11. Prudent SMA monitoring and vibrant recovery strategies adopted resulted in recovery in stressed assets.
- Different mechanisms like Lok Adalat, DRT, SARFAESI, Negotiated settlements and OTS policy have resulted in reduction in fresh NPA.
- In line with economic scenario, Recovery Policy and OTS policies were fine tuned and front line officials were sensitised for scaling up recovery performance further.
- Bank's Gross NPA Ratio has been brought down.
- Loan Review Management Committee (LRMC) reviews the Loan Review Mechanism and Credit Audit functions on regular basis. Standard Assets Monitoring Committee (SAMC) reviews the SMA on continuous basis to initiate timely recovery action to prevent slippage of standard accounts to Non-performing assets.

RISK MANAGEMENT

The Bank has complied with all the guidelines of the Reserve Bank of India on creation of Risk Management architecture. The Bank is BASEL II compliant with effect from 31st March 2008. Necessary initiatives have been taken for moving over to higher approaches under BASEL II.

An independent Risk Management Department is functioning for effective Risk Management enterprise-wide. Risk is managed through following three Apex committees viz.,

- (i) Credit Risk Management Committee (CRMC)
- (ii) Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) and
- (iii) Operational Risk Management Committee (ORMC).

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board.

The Bank has put in place various policies to manage risk. To analyse the risk enterprise-wide and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Asset and Liabilities Management Policy, Operational Risk Management Policy, Business continuity Planning Policy and Policy on Corporate Governance. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitise the field level functionaries, all the policies have been circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges and also on the desk hands-on-sessions.

The Risk Management Systems are in place to identify and analyse the risks at the early stage, set and maintain prudential limits and manage them to face the changing risk environment. Software driven rating mechanism is in place to confirm the rating to ensure credit quality. An entry level scoring system has also been put in place.

Loan Review Management Committee reviews the Loan Review Mechanism and Credit Audit functions periodically. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non-performing assets.

The liquidity risk is managed through studying structural liquidity on a daily basis, which is being discussed in the Funds and Investments Committee and reviewed every month by ALCO. The interest rate risk is managed through monthly interest rate sensitivity statements monitored by ALCO. The mid office, directly reporting to Risk Management Department, monitors treasury transactions independently. Operational risk is managed by integrating the operational risk management systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perception in various products / procedures are critically analysed. Stress tests are conducted periodically for the credit risk and interest rate/ exchange rate risk.

Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) has been put in place where the bank identifies / measures and allocates capital for various risks identified under Pillar II on quarterly basis and reviewed by the Board. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a monthly basis. The assessment for the next three years is also provided based on projected business position annually.

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on Quarterly / Half Yearly / Annual basis as per the policy are ported / incorporated in the Bank's Website / Annual Report. The Disclosure Policy is also revised annually.



सितंबर 2010 में मेसर्स सेलेन्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और परामर्शदात्री फर्म ने ''भारत में बैंकों के मानदंड निर्धारण'' पर एक अध्ययन किया। अध्ययन के नमूने में 35 अंग्रणी बैंक (21 सरकारी क्षेत्र बैंक, 8 देशी निजी बैंक और 6 विदेशी बैंक) शामिल थे।

अध्ययन के लिए अपनाई गई पद्धित में, मेसर्स सेलेन्ट ने चार मूल तत्वों पर विचार किया, यथा आकार, वृद्धि, दक्षता और जोखिम प्रबंधन और पिछले पांच वित्तीय वर्षों की अविध (वर्ष 2006 से 2010 तक) में कुल 18 मानदंडों का विश्लेषण किया। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप इंडियन बैंक को भारत के 35 अग्रणी बैंकों में नंबर 1 बैंक निर्णीत किया गया।

ekuo lalkku izaku ¼ek laiz/2

Je'kfDr fLFkfr

31 मार्च 2011 में बैंक की श्रमशक्ति रिथति निम्नानुसार थी:

संवर्ग	कुल	अजा	अजजा	ओबीसी*	पुरुष	महिला
अधिकारी	7996	1403	474	279	7071	925
लिपिक	8601	2017	263	571	5736	2865
सब स्टाफ	2635	956	125	173	2517	118
कुल	19232	4376	862	1023	15324	3908

*प्रत्यक्ष भर्ती में ओबीसी हेतु आरक्षण 08.09.1993 से ही प्रभाव में आया। 08.09.1993 के पूर्व भर्ती किए गए ओबीसी कर्मचारियों को सामान्य संवर्ग में वर्गीकृत किया गया और सामान्य सूची में शामिल किया गया।

HarlZo inklufr

उत्तराधिकार आयोजना के तहत, बैंक में भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया, बैंक की आगामी वृद्धि और विस्तार को संभालने के लक्ष्य से बनाया गया है।

उभरती हुई व्यापारिक अपेक्षाओं के अनुरूप, नये और निपुण युवकों को नियुक्त करने और सभी कार्यक्षेत्रों में दक्ष और कुशल लोगों की नियुक्ति करने के लिए, भर्ती की प्रक्रिया आवधिक तौर पर की जा रही है।

वर्ष 2010—11 के दौरान, देश भर की शाखाओं में 509 लिपिकों की भर्ती की गई है।

तमिलनाडु में 59 सशस्त्र रक्षकों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। अन्य राज्यों / संघशासित क्षेत्रों में रिक्ति भरने के लिए, अंचल प्रबंधकों को भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्रतः पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान वेतनमान I, II, III, IV और V में 189 विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति की गई । वेतनमान I में 84 परिवीक्षाधीन अधिकारी नियुक्त किए गए ।

वर्ष के दौरान उच्च प्रबंधन ग्रेड में 9 उप महाप्रबंधकों को महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया, 46 सहायक महा प्रबंधकों को उप महा प्रबंधक के रूप में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर में पदोन्नत किया गया । 75 मुख्य प्रबंधकों

को पदोन्नित देकर सहायक महा प्रबंधक बनाया गया और 198 वरिष्ठ प्रबंध कि, मुख्य प्रबंधक के रूप में पदोन्नित किए गए । किनष्ठ एवं मध्य प्रबंध न वर्ग में 532 प्रबंधकों को वरिष्ठ प्रबंधक एवं 679 सहायक प्रबंधकों को प्रबंधक के रूप में पदोन्नित किया गया । इसके अतिरिक्त बैंक ने लिपिक संवर्ग के 572 स्टाफ सदस्यों को किनष्ठ प्रबंधन वेतनमान । के अधिकारियों के रूप में पदोन्नित प्रदान की ।

vt@vttk@vknchl h@ihMCY; Whh deZpkfj; kna ds fy, dY; k. kdkjh dne

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्यक्ष भर्ती और आंतरिक पदोन्नितयों में अनुसूचित जातियों (अजा) अनुसूचित जन जातियों (अजजा), पिछडे वर्ग (ओबीसी) और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवारों को आरक्षण दिए जाते हैं।

अखिल भारतीय इंडियन बैंक अजा/अजजा कर्मचारी कल्याण संघ के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं और शिकायतें, यदि हो, का निवारण तत्काल किया जाता है। प्रका/मासंप्र में अजा/अजजा कल्याण कक्ष भी अजा/अजजा कर्मचारियों की शिकायतों/अभ्यावेदनों का तत्काल निपटान सुनिश्चित करता है। अजा/अजजा संवर्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाले कर्मचारियों के हितों की देखरेख हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक महा प्रबंधक नामांकित हैं।

detakih dY; k kdkih dne

बैंक की केंद्रीय कल्याणकारी समिति ने, कर्मचारियों के लिए वर्तमान कल्याणकारी योजनाओं में विशेष सुधार किया है।

b&yfu&

प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने प्रयासों को बढाने के लिए बैंक ने 'स्व शिक्षा अभियान' के रूप में ई—लर्निंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की। ई लर्निंग मोड्यूल के लिए 10,061 सदस्यों ने अपना नाम पंजीकृत कर लिया है।

i 🕅 kfxdh ea dh xbZi gy

बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए प्रौद्योगिकी आधारित कदमों से कर्मचारियों के स्व—मूल्यांकन को प्रस्तुत करने में होने वाला विलंब कम हुआ है, फलस्वरूप दक्षता में वृद्धि हुई है और एकसमान कार्यप्रणाली और पद्धति को सुनिश्चित किया गया है।

प्रका / मासंप्र के सेप—एचआरएमएस में, त्विरत प्रसंस्करण के लिए, भर्ती / प्रवेश से संबंधित आंकडों को भरने के लिए अंतरापृष्ठ के रूप में अंतर संगठन (इन हाउस) स्क्रीन का विकास किया गया है।

if kkkvk fuigkrk fodk

बैंक की प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं में देश भर में ''उत्कर्ष एवं विकास हेतु इंडियन बैंक प्रबंधन अकादमी' इमेज नामक एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण कालेज और 8 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पर स्टाफ एवं अधिकारी अपनी दक्षता का उन्नयन कर लेते हैं।

M/s. Celent, an international research and consulting firm dealing with financial institutions, carried out a study on "Benchmarking Banks in India" in September 2010. The study sample included 35 leading banks (21 Public Sector Banks, 8 domestic private banks and 6 foreign banks).

In the methodology adopted for the study, M/s. Celent considered four basic factors viz., size, growth, efficiency and risk management and a total of 18 parameters were analyzed over a period of last five financial years, i.e., financial years 2006-2010. Based on the outcome of the above study, Indian Bank has been adjudged as *Number 1* Bank among the 35 leading banks in India.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM)

Manpower Position

The manpower position of the Bank as on 31st March 2011 is as follows:

CATEGORY	TOTAL	SC	ST	OBC*	MALE	FEMALE
OFFICERS	7996	1403	474	279	7071	925
CLERKS	8601	2017	263	571	5736	2865
SUB STAFF	2635	956	125	173	2517	118
TOTAL	19232	4376	862	1023	15324	3908

*Reservation for OBCs in Direct Recruitment came into force with effect from 08.09.1993. Employees belonging to OBC recruited in our Bank prior to 08.09.1993 were classified under General Category and included in General list.

RECRUITMENT AND PROMOTION

As part of succession planning, recruitment and promotion process in the Bank are aimed at meeting the future growth and expansion of the Bank.

The process of recruitment is being carried out periodically to induct fresh and young talent and also to infuse variety in skills and talents in all fields of activities to suit the emerging business needs.

During the year 2010-11, 509 clerical recruits have joined the Bank at various branches across the country.

The process of recruitment of 59 Armed Guards in Tamil Nadu has been initiated. In respect of vacancies in other States / UT, Zonal Managers have been advised to complete the process of recruitment shortly.

During the year, 189 specialist officers have been recruited in Scale I, II, III, IV and V and 84 probationary officers were recruited in Scale - I.

During the year, at the Top Management grade, 9 Deputy General Managers were promoted as General Managers, 46 Asst. General Managers were promoted as Deputy General Managers at the Senior Management level 75 Chief Managers were promoted as Asst. General Managers and 198 Senior Managers as Chief Managers. At the Junior and Middle Management group 532 Managers were promoted as Senior Managers and 679 Asst. Managers were promoted as Managers. Additionally the Bank has promoted 572 Clerical Staff as Junior Management Scale I officers.

WELFARE MEASURES FOR SC/ST/OBC/PWD EMPLOYEES

As per Government of India's guidelines, during the process of Direct Recruitment and Internal Promotions, Pre-recruitment and Pre-promotion trainings are offered to SC/ST employees.

Periodical Quarterly Meetings with All India Indian Bank SC/ST Employees' Welfare Association are conducted and grievances, if any, are resolved immediately. The SC/ST Welfare Cell at HO/HRM also ensures prompt disposal of grievances/representations of SC/ST employees. A General Manager is functioning as Chief Liaison Officer to look after the interests of employees belonging to SC/ST and OBC category.

Staff Welfare Measures

The Central Welfare Committee of the Bank has made notable improvements to the existing welfare schemes of the employees.

E-learning

To augment our efforts on the training front, an ambitious e-learning project was launched as a "Self Learning Initiative" by the Bank. 10,061 members have registered for the online E-learning module.

Technology Initiatives

The technology driven initiatives embarked by the Bank has helped in reduction of time lags in the submission of Self Appraisals by the employees, thereby enhancing efficiency and putting in place uniform systems and procedures.

In SAP-HRMS, HO: HRM has developed in-house screens as an interface for keying in data relating to the recruitment/induction for quick processing.

Training and Skill Development

The Bank's training infrastructure with the state-of-theart Training College by name "Indian Bank Management Academy for Growth and Excellence" (IMAGE) and 8 Staff Training Centres spread across the country enable the staff and the officers to hone their skills.



वर्ष के दौरान 12788 अधिकारीकण, 9817 लिपिक और 1227 अधीनस्थ कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण सिस्टम के जरिए प्रशिक्षित किया गया। 614 अधिकारी और कार्यपालकों ने विभिन्न संस्थानों में बाह्य प्रशिक्षण में भाग लिया।

विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 8 कार्यपालकों को नामित किया गया ।

27-04-2010 ds l e>kfrs ds vuq~i] i sku ; kt uk es Hkkx ysus ds fy, , d vk fodYi

16 अगस्त 2010 को पेंशन के लिए दूसरे विकल्प के संबंध में, आईबीए से सूचना की प्राप्ति के तुरंत बाद, पेंशन का एक और विकल्प देने की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा करने में बैंक सर्वप्रथम रहा। बैंक ने त्वरित कदम उठाए और 21 अगस्त 2010 को विस्तृत परिपत्र जारी करने में पहला रहा।

Hkir ljdki lsç'ki k

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित पेंशन विनियम संख्या 2 (ओ),8, 9 और 10 के संशोधन के संबंध में, पूरी तरह से निर्देशों का पालन करने में बैंक सर्व प्रथम रहा। मंत्रालय ने इंडियन बैंक की इस पहल की सराहना की है और अन्य बैंकों को इंडियन बैंक के मॉडल को दोहराने की सलाह दी।

xalged look

ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार लाने के लिए शाखाओं को निर्देश दिया गया है कि संयुक्त ग्राहक सेवा समिति की बैठकों को हर महीने की 15 तारीख को आयोजित करें। इसी प्रकार की संयुक्त ग्राहक सेवा समिति की बैठकें अंचल कार्यालयों में आयोजित की गई। ग्राहक सेवा स्तर में सुधार लाने हेतु समितियों के सुझावों को लागू किया गया है।

प्रधान कार्यालय के स्तर पर, ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति की बैठकें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में तिमाही आधार पर आयोजित की गयी है। ऐसी चार बैठकें 2010—11 के दौरान आयोजित की गई. समितियों ने प्राप्त शिकायतों की प्रकृति की समीक्षा की और ग्राहक शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सुझाव दिए। बैठकों के विचार विमर्श बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष रखे गये और बोर्ड के निर्देश पर कार्रवाई की गई।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, बैंक की वेब साइट में 17 मई 2010 से एक ऑन लाइन शिकायत पोर्टल की व्यवस्था की गयी है तािक बैंक द्वारा प्रदान किए जानेवाले विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकें / प्रश्न कर सकें। ग्राहक अपनी शिकायत / प्रश्न दर्ज करने के तुरंत बाद उन्हें प्रणाली जिनत पावती प्राप्त होती है। शिकायतें शाखाओं / अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा देखी जा सकती है। शिकायतों का तुरंत निवारण किया जाता है और शिकायतकर्ताओं को जवाब ई मेल / एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है। ग्राहकों द्वारा व्यापक रूप से इस सुविधा का उपयोग किया गया और वर्ष के दौरान 7885 प्रश्न / शिकायतें प्राप्त हुई / विचार / हल किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों पर 18 अक्टूबर 2010 को एक विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गयी। बोर्ड के विभिन्न निर्देशों को लागू किया गया।

l wyuk dk vf/kdkj ¼vkjVhvkb½vf/kfu; el 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों / प्रथम अपीलों / द्वितीय अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए ग्राहक सेवा कक्ष में एक अलग डेस्क संबद्ध किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने श्रूरुआती दिनों से ही एकल खिडकी दृष्टिकोण को अपना रहा है।

बैंक ने वर्ष 2010—11 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 2108 आवेदन, 265 प्रथम अपील और 24 द्वितीय अपील प्राप्त किए। सभी आवदेनों को निर्धारित अवधि के भीतर ही निपटाया गया है।

fonskh fofue; dkj krckj

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹. 28008.33 करोड़ का विदेशी विनियम कारोबार किया है। इसमें से निर्यात एवं अन्य आवक प्रेषण ₹.10380.67 करोड़ थे जबिक आयात और अन्य जावक प्रेषण ₹.17627.66 करोड़ थें। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाज़ार में कुल पण्यावर्त ₹.183,736.20 करोड़ रहा। बैंक की 90 शाखाओं को विदेशी विनिमय कारोबार करने का प्राधिकार है जिनमें से 79 शाखाओं को स्विपट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 69 देशों में 188 बैंकों के साथ बैंक की संपर्की व्यवस्था है। 454 शाखाओं को विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खातों को संमालने के लिए प्राधिकार प्राप्त है। 31 मार्च 2011 को अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाएं ₹.3267 करोड़ थीं।

ç⁸k k

सिंगापुर से बैंक की उद्यम प्रेषण योजना (ईआरएसं) के तहत सिंगापुर में निधि प्राप्ति के बाद मिनटों में विदेशी प्रेषणों के बराबर रुपए भारत में ग्राहक के खातों में क्रेडिट किए जाते हैं और क्रेडिट की सूचना देते हुए सिंगापुर में प्रेषणकर्ता को एक एसएमएस संदेश अग्रेषित किया जाता है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध है।

विश्व में कहीं से भी स्विपट आधारित सामान्य धन अंतरण के अलावा बैंक द्वारा एनआरआई को दी जानेवाली अन्य प्रेषण सुविधाओं में "एक्स्प्रेस मनी", "मनीग्राम" और इंट्रानेट आधारित "इंडरेमिट" तथा सिंगापुर से स्पीड रेमिट शामिल हैं।

बैंक ने वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से प्रेषणों को संभालने के लिए वेजमन फारेक्स लिमिटेड के साथ उप एजेंसी की व्यवस्था की है और यह योजना सभी शाखाओं में सकिय है।

varjkWh, ifjpkyu

विदेश में बैंक की तीन शाखाएं सिंगापूर कोलंबों एवं जाफना में स्थित हैं। 31 मार्च 2011 को विदेशी शाखाओं में कुल जमा एवं अग्रिम राशि क्रमशः ₹ 3472 करोड और ₹ 3254 करोड थी।

1941 में स्थापित की गई सिंगापूर शाखा ने आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अपनी धाक जमाई है एवं अत्यंत सुनाम तथा ग्राहक विश्वास प्राप्त किया है। शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाईयों में रक्षित करती है, सिंगापूर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापूर डॉलर के अलावा अन्य

During the year, 12788 officers, 9817 clerks and 1227 substaff members were trained through internal training system; 614 officers and Executives have attended external trainings at various institutions.

8 Executives were nominated for overseas training.

Another option to join the pension scheme in terms of the Settlement dated 27.04.2010

Immediately upon receipt of IBA's communication on second option for pension on 16th August 2010, the Bank took the initiative on a fast track basis and was among the first to come out with a detailed circular on 21st August 2010 to exercise another option for pension. The Bank emerged as the first Bank in completing the process in record time.

Government of India's Appreciation

With regard to Amendment to Pension Regulations No. 2(o), 8, 9 and 10 initiated by the Ministry of Finance, the Bank was the first to comply fully with the instructions. *The Ministry appreciated Indian Bank's intitative and has advised other Banks to replicate Indian Bank's model.*

Customer Service

For improving the level of customer satisfaction, the branches were directed to conduct Joint Customer Service Committee meetings on the 15th of every month. Similar Joint Customer Service Committee meetings have been conducted at Zonal Offices. The suggestions of the Committees have been implemented to improve the level of customer service.

At Head Office level, meetings of the Standing Committee on Customer Service have been conducted on quarterly basis under the chairmanship of Chairman and Managing Director. Four such meetings were conducted during 2010-11. The Committees reviewed the nature of complaints received and made suggestions for speedy redressal of customer grievances. The deliberations of the meetings were placed to the Customer Service Committee of the Board and action was taken on the directions of the Board.

Leveraging technology, an on-line complaint portal has been provided in the Bank's web-site from 17th May 2010 to enable the customers to lodge their complaints/raise queries on various products and services provided by the Bank. The customers get system-generated acknowledgement immediately on lodging the complaint/ query. The complaints can be viewed by branches/ Zonal offices and Head Office. The grievances are redressed immediately and reply sent to the complainants through e-mail/ SMS. This facility has been widely used by the customers and during the year, 7885 queries /complaints were received/ attended /resolved.

As per directions of RBI, an exclusive Board Meeting was held on 18th October 2010 on issues relating to customer service; the various directions of the Board have been implemented.

Right to Information (RTI) Act, 2005

A separate desk attached to customer service cell at Head Office is handling the applications/first appeals/second appeals received by the Bank under the RTI Act. Since its inception, the Bank has been adopting a single window approach as suggested by the Parliamentary Committee on implementation of RTI Act.

The Bank received 2108 applications, 265 first appeals and 24 second appeals under the RTI Act during FY2010-11. All applications were disposed of within the time frame.

FOREX BUSINESS

The Bank had a forex business turnover of ₹28008.33 crore during the year. Export and other inward remittances amounted to ₹10380.67 crore, while imports and other outward remittances amounted to ₹17627.66 crore. Total turnover in the interbank forex market amounted to ₹183,736.20 crore. The Bank has 90 Authorised Branches to handle forex business, of which 79 branches are provided with SWIFT connectivity. The Bank has correspondent arrangements with 188 banks in 69 countries. 454 branches of the Bank are authorised to handle Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Accounts. Non Resident Indian (NRI) Deposits as on March 31, 2011 amounted to ₹3267 crore.

Remittances

The Bank's Enterprise Remittances Scheme (ERS) from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances within minutes of receipt at Singapore and an SMS message is forwarded to the remitter at Singapore informing the credit. This facility is available on all days of the week.

The other remittance facilities for NRIs offered by the Bank include "Xpress Money", "Money Gram", internet based "IndRemit" and Speed Remit from Singapore, besides normal SWIFT based Money Transfer from across the globe.

The Bank has entered into sub agency arrangement with Weizmann Forex Ltd for handling remittances through Western Union and the scheme is operative in all branches.

International Operations:

The Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna. The Total Deposits and Advances of the foreign branches as on 31st March 2011 were at ₹3472 crore and ₹3254 crore respectively.

Singapore branch, established in 1941, has carved a niche in offering a variety of banking services using the latest technology and enjoys enormous goodwill and customer loyalty. The branch is presently maintaining its business in two accounting units, Domestic Banking Unit (DBU) for



मुद्राओं में कारोबार हेत् एशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू)।

कोलंबो शाखा, जो 1932 में स्थापित की गई, व्यापार वित्त प्रदान करने में सक्रिय भागीदार है। देशी मुद्रा बैंकिंग इकाई (एफसीबीयू), कोलंबो, ऑफशोर बैंकिंग परिचालन में लगी है।

जफना शाखा, जो 21 जनवरी 2011 को स्थापित की गई, जफना क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ik kath igy

l youk, oal apkjits | kfxdh

 बैंक अपने कारोबार के लक्ष्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी को संबद्ध करते हुए सभी स्तरों पर ग्राहक सेवा और ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने हेतु ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं को उपलब्ध कराने द्वारा सक्रिय प्रौद्योगिकी पहल करता रहा है। बैंक महत्वपूर्ण आईटी प्रणालियों और व्यापार समाधान का शुद्धता, विश्वसनीयता, उपलब्धता और बेहतर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है।

dkij csidax lek/kku

- अब भारत की सभी 1860 शाखाएं 37 विस्तार काउंटर एवं 65 प्रशासनिक कार्यालय सीबीएस प्लैटफार्म पर हैं। तीन विदेशी शाखाएं सिंगापुर, कोलंबों एवं जफना अब सीबीएस नेटवर्क के साथ जुड़ी हैं।
- वित्तीय समावेश के तहत पहुंच को बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 32 बैंकिंग सेवा केंद्र (बीएससी) परिचालनगत हैं।
- निर्वाध कनेक्टिवटी सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने आईएसडीएन बैकअप, वीसाट, जीपीआरएस आदि के लीज लाईन जैसे बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया है।
- बैंक द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (पल्लवन ग्राम बैंक, सप्तिगिरि ग्रामीण बैंक और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक) ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से काफी पहले ही 100 प्रतिशत सीबीएस कार्यान्वयन हासिल किया है।

1 hch, 1 ds rgr xhgdhads fy, miy 0/k 1 sok, a

- रोमिंग खाता सुविधा मिल्ट सिटी चेक तथा ''स्वीप'' सुविधा द्वारा
- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, टेली बैंकिंग
- नकदी प्रबंधन सेवाएँ
- "मनीग्राम" एक्सप्रेस मनी" आदि द्वारा सभी सीबीएस शाखाओं में आवक प्रेषण स्विधा।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूली, सीमा शुल्क और सेवा कर के लिए ई-भुगतान
- चयनित केन्द्रों में 324 शाखाओं में डिपाजिटरी सेवाएं उपलब्ध कराई गयी है।
- आरटीजीएस, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा अंतर बैंक प्रेषण स्विधा
- कंपनी रजिस्ट्रार को शुल्क / प्रभार का भुगतान

- कार्पीरेट ग्राहकों के लिए इंड कार्प नेट बैंकिंग (कार्पीरेट इंटरनेट बैंकिंग) की सुविधा
- बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए बहुउपयोगी भुगतान मॉड्यूल
- लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों को सीबीएस के अंतर्गत लाया गया है
- केंद्रीकृत उपलब्ध सेवाएं एटीएम सेवा केन्द्र, पेंशन प्रसंस्करण, जमा प्रसंस्करण, समाशोधन परिचालन और पुराने टीबीसी आंकड़ों का भंडारण
- सीबीएस शाखाओं में द्विभाषी सुविधा को लागू करने में बैंक सर्वप्रथम है।

. Vh e

बैंक के 1128 एटीएम (322 ऑफसाइट एटीएमों सहित) हैं, जिन में स्वयं सहायता समूहों को चौबीसों घण्टे व सातों दिन एटीएम सेवाएं प्रदान करने हेतु 79 बायोमेट्रिक एटीएम और 59 रेलवे स्टेशनों में संस्थापित एटीएम तथा रेल्वे स्टेशनों में संस्थापित कियोस्क सहित 34 एटीएम शामिल हैं। मार्गदर्शन करने के लिए एटीएमों में वायस इंटरफेस और कैमेरा की व्यवस्था की गयी है।

31 मार्च 2011 तक मेस्ट्रो तथा मास्टर कार्ड ब्राण्डेड कार्डों सिहत बैंक का एटीएम कार्ड–बेस 57.12 लाख रहा।

बैंक ने अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भी अपने एटीएम उपयोग किए जाने की सुविधा प्रदान की है।

अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी मास्टर कार्ड ब्राण्डेड पीओएस टर्मिनलों में बैंक के मेस्ट्रो कार्डों का प्रयोग किया जा सकता है। बैंक के एटीएमों में सभी मेस्ट्रो और मास्टर कार्ड को शेष राशि की पूछताछ करने तथा नकद का आहरण करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

साझेदारी व्यवस्था के जरिए बैंक के ग्राहकों के लिए 70000 से ज्यादा एटीएम उपलब्ध हैं।

हमारे डेबिट कार्ड धारकों को विश्वविद्यालयों के लिए शुल्क की वसूली, किंगफिशर एयरलाइन्स के लिए हवाई टिकट बुकिंग, आईआरसीटीसी द्वारा रेलवे टिकट बुकिंग, टीएनईबी बिल प्रभार आदि के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

जहाँ कहीं बैंक के साथ कार्डधारक का मोबाइल नंबर पंजीकृत किया गया है 5000 / — रुपए से अधिक के सभी लेनदेनों के लिए एक स्वतः और मुफ्त एसएमएस मोबाइल चेतावनी संदेश सक्षम किया गया है।

vkink läkki Mhvki%vH, kl

हमारे सीबीएस परिवेश के कारोबार निरंतरता योजना परीक्षण की दिशा में एक कदम के रूप में और भारतीय रिजर्व बैंक की आपदा सुधार नीति के अनुसार 2010—11 के लिए आपदा सुधार अभ्यास सीबीएस परिचालनों, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम परिचालनों के लिए, 20 सितम्बर 2010 और 25 जनवरी 2011 को आयोजित किए गए। हैदराबाद में स्थित आपदा सुधार स्थल से सीबीएस उत्पादन सर्वर से सभी ऑनलाइन लेनदेन चलाए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2010—11 के लिए क्रिटिकल सिस्टेम के लिए आपदा सुधार अभ्यास का आयोजन किया गया। आरटीजीएस हेतु आपदा सुधार अभ्यास 28, 30 व 31 अगस्त 2010 को आयोजित किया गया।

Singapore Dollar business and Asian Currency Unit (ACU) for business in currencies other than Singapore Dollar.

Colombo branch, established in 1932, has active market presence extending trade finance. The Foreign Currency Banking Unit (FCBU), Colombo is engaged in off-shore banking operations.

Jaffna branch, established on 21st January 2011 plays a crucial role in the economic development of Jaffna Region.

Technology Initiatives:

Information & Communication Technology

 The Bank has been taking proactive technology initiatives to enhance customer service and customer experience at all levels by aligning IT with its business objectives and providing technology-enabled services in tune with customers' requirements. The Bank aims to ensure the integrity, reliability, availability and superior performance of critical IT Systems and business solutions.

Core Banking Solution

- All the 1860 branches, 37 Extension counters and 65 administrative offices in India are on CBS platform. The three overseas branches at Singapore, Colombo and Jaffna are connected to the CBS network.
- 32 Banking Services Centers (BSCs) are operational in various parts of the country to increase outreach under Financial inclusion
- The Bank has adopted a versatile approach for ensuring uninterrupted connectivity like Leased line with ISDN Backup, VSATs, GPRS etc.
- The three Regional Rural Banks (Pallavan Grama Bank, Saptagiri Grameena Bank and Pudhuvai Bharathiar Grama Bank) sponsored by the Bank have achieved 100 per cent CBS implementation, much before the stipulated date fixed by Gol.

Services available to customers under CBS

- Roaming Account Facility Through Multicity cheques & 'Sweep' facility
- · Internet Banking, Mobile Banking, Tele-Banking
- · Cash Management Services
- Inward remittance facility in all CBS branches through 'Money Gram', 'Xpressmoney' etc.
- E-payment for Central Excise collection, Customs duty and Service Tax
- Depository Services made available at 324 branches in select centres.
- Interbank remittance facility through RTGS, National Electronic Funds Transfer.

- · Payment of fees / charges to Registrar of Companies.
- INDCORP NET BANKING (Corporate Internet Banking) facility to corporate customers.
- Multi-utility payment module for payment of Bills online.
- Public Provident Fund (PPF) accounts have been brought under CBS.
- Centralised services available ATM Service centre, Pension Processing, Deposit Processing, clearing operations and Storage of old TBC data
- Bank is the first to implement bilingual facility in CBS branches.

ATMs

The Bank has 1128 ATMs (including 322 offsite ATMs) in operation, including 79 biometric ATMs for extending 24x7 services to Self Help Groups and ATMs at 59 railway stations including ATM with Kiosk installed at 34 railway stations. Voice interface and installation of cameras have been provided in ATMs for better service to customers.

The Bank has an ATM card base of 57.12 lakh including 'Maestro' & 'Master card' branded cards as on 31st March 2011.

Bank has also enabled the usage of its ATMs by the RRBs sponsored by it.

Bank's Maestro cards can be used in the MasterCard branded PoS terminals internationally also. All the Maestro and MasterCard cards can be used in Bank's ATMs as well as other Bank's ATMs for balance enquiry and cash withdrawal.

More than 70000 ATMs are available to Bank's customers through sharing arrangements.

Collection of fees for Universities, booking air tickets for Kingfisher Airlines, railway ticket booking through IRCTC, paying TNEB Bill charges etc. have been facilitated for our Debit Card holders.

An automatic and free SMS mobile alert message for all ATM transactions above ₹5000/- has been enabled, wherever the mobile number of the cardholder has been registered with the bank.

Disaster Recovery (DR) Drill

As a step towards testing business continuity planning of our CBS environment and as per Disaster Recovery Policy, the live disaster recovery drills for 2010-11, for CBS operations, Internet Banking and ATM operations were conducted on 20th September 2010 and 25th January 2011. All the online transactions were carried out from the CBS production server at the Disaster Recovery site at Hyderabad. In accordance with RBI guidelines, Disaster Recovery drills for the critical systems have been conducted twice in the year 2010-11. Disaster recovery drill for RTGS operations was conducted on 28th, 30th and 31st August 2010.



vl, igy

- बैंक ने 1568 सीबीएस शाखाओं में एएमएल मोनिटरिंग हेतु "िफन डीएनए". सीबीएस साफ्टवेयर को कायार्न्वित किया है।
- इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग करते हुए बैंक के ग्राहकों द्वारा "एपी ऑन लाइन" द्वारा विद्युत बिल, जल कर, संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस, एलआईसी प्रीमियम आदि के भुगतान के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है।
- समन्वत ट्रेशरी लेनदेनों और विदेशी विनिमय लेनदेनों के लिए ट्रेशरी शाखा खोली गई। बैंक की ट्रेशरी शाखा में कामन गेटवे सर्वर स्थापित किया गया है और इनिफनेट को लीज़्ड लाइन के जिरए जोडा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित सभी अंतर—बैंक, प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआईपीएस) के अनुप्रयोग के लिए यह सामान्य गेटवे है।
- उत्पाद शुल्क और सेवा कर में नई इलेक्ट्रानिक लेखाकरण प्रणाली (इएएसआईईएसटी) वेब प्लाटफार्म में इन हाऊस विकसित की गई तथा इस ने वसूली, फोकल एवं लिंक स्तरीय शाखाओं के वर्तमान पैकेजों को प्रतिस्थापित किया है।
- कंपनी कार्य मंत्रालय के लिए एमसीए 21 प्रोग्राम कार्यान्वित करने के लिए पहचाने गए पांच बैंकों में से हमारा बैंक एक है।
- निम्नलिखित अंतर बैंक अप्लिकेशन जैसे नेगोशियेटेड डीलिंग्स सेटिलमेंट सिस्टम (एनडीएस), रियल टाइम ग्रॉस सेटिलमेंट प्रणाली (आरटीजीएस) स्ट्रक्चर्ड फिनान्शियल मेसेजिंग सोल्यूशन (एसएफएमएस), सेन्ट्रलाइसड फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस), कोलाटरलाइज़ड बारोईंग एण्ड लेंडिंग ऑबलिगेशन (सीबीएलओ) विदेशी विनिमय परिचालनों के लिए एफएक्स क्लियर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), ऑनलाइन टैक्स अकाऊंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस), सभी निर्दिष्ट शाखाओं में कार्यान्वित की गई है।
- सभी सीबीएस शाखाओं में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस दोनों डेबिट एवं क्रेडिट) सक्षम बनाई गई है।
- हार्बर शाखा तथा चेन्नै समुन्दर सीमा शुल्क के बीच (आयात शुल्क का भुगतान तथा आयात कर वापसी रकम के वितरण के लिए) तथा पोर्ट ट्रस्ट चेन्नै (शिप्पर प्रभार का भुगतान करने के लिए) तथा हार्बर शाखा के बीच इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) का कार्यान्वयन किया गया है। हैदराबाद इनलैण्ड कन्टैनर डिपो, कोच्चिन एयरपोर्ट, चेन्नै एयरपोर्ट तथा विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट में भी सीमा शुल्क की वसूली के लिए ईडीआई का कार्यान्वयन किया गया है।
- psd Vadsku ifj; kt uk % भारतीय रिजर्व बैंक ने पाइलट आधार पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली को एनसीआर दिल्ली में कार्यान्वित किया है। एनसीआर में स्थित बैंक की सभी शाखाएं सीटीएस में भाग ले रही हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने 3 डी सेक्यूर प्रमाणीकरण सेवाओं का कार्यान्वित किया है। यह समाधान बैंक के ग्राहकों (डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड धारक दोनों) को, कार्ड पर उपलब्ध न होनेवाली जानकारी के आधार पर अतिरिक्त प्रमाणीकरण / वैध

- ीकरण प्रदान करने के जिए एक सुरक्षित परिवेश में इंटरनेट का प्रयोग करके लेनदेन करने में समर्थ करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशोनुसार सभी ₹.5000 / और ऊपर के मूल्य के सभी "कार्ड नाट प्रेजेंट" लेनदेनों के लिए कार्ड धारकों को मोबाइल फोन के जरिए "आन—लाइन एलर्टस" को कार्यान्वित किया है।
- वैंक में अवरुद्ध राशि समर्थित आवेदन (एएसबीए) मॉड्यूल को लागू किया गया है। आवेदन प्रक्रिया, ग्राहकों के खातों से आवश्यक धन अवरुद्ध करना और अनवरुद्ध करना, एनएसई / बीएसई के लिए आवश्यक प्रारूपों में फाईलें पैदा करना और डेटा अद्यतन बनाना इसके प्रमुख कार्य होंगे। बैंक में एएसबीए के द्वितीय चरण की सेवा भी चालू कर दी गई है। वर्तमान में बुक बिल्डिंग मार्ग और साधिकार निर्गम के माध्यम से आनेवाले आईपीओ के लिए आवेदन करने के लिए योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीदारों सहित सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा एएसबीए की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
- चुनिंदा शाखाओं में यूसर आईडी और पासवर्ड के अलावा सेकंड फेक्टर प्रमाणीकरण के रूप में सुरक्षित लेनदेनों हेतु बयोमेट्रिक प्रमाणीकरण।
- 24 घंटे—क्षेत्र कार्यान्वित किए गए हैं जिनमें चौबीसों घंटे एटीएम ऑन लाइन कारोबार समर्थ किया गया है तथा उच्च सुपुर्दगी माध्यमों से रातभर में भी लेनदेन अनुमत हैं।
- बैंक में जे 2 एम ई (जावा 2 माइक्रो एडिशन) अप्लिकेशन का प्रयोग करते हुए, जो रक्षित, मेनु आधारित और प्रयोक्ता के प्रति मैत्रीपूर्ण जे2एमई प्रौद्योगिकी पर काम करता है, वर्धित मोबाइल बैंकिंग सुविधा (इंड मोबाइल) प्रवर्तित की गयी है।
- ऑनलाइन ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था इंडियन बैंक के ग्राहकों के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति देखने के लिए शुरू किया गया है। हमारे बैंक की वेबसाइट में शाखा / विभागों का जिक करते हुए ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आईटी संबंधित बैंक के उत्पाद पर सीडी का शुभारंभ किया गया और शाखाओं में बैंक आईटी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्राहकों के लिए भेजी गई।
- विश्वविद्यालयों के परामर्श शुल्क की वसूली करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है
- सीबीएस के तहत अन्य शाखा के पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र की प्राप्ति को सक्षम किया गया है। बैंक के पेंशनभोगी अब किसी भी शाखा में अपने जीवन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत कर सकते हैं।
- शाखा के सभी आकिस्मिक खातों के लिए खाते का विवरण प्रदान किया जा रहा है। गैर निधि आधारित सीमाएं रखनेवाली कंपनियों के लाभार्थ प्रत्येक महीने के अंत में उपरोक्त विवरण प्रदान किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में लेनदेन करनेवाले ग्राहकों को सीएसवी प्रारूप में खाते का विवरण या तो अपने डाटा बेस में अपलोड करने के लिए या इसे एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए और देखने के लिए प्रदान किया जा रहा है।
- ऑनलाइन एटीएम निकासी शिकायतें : अगर कोई एटीएम से धन निकासी में विफलता का कोई मामला हो तो इंडियन बैंक के ग्राहक बैंक की वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

Other initiatives

- The Bank has implemented "FinDNA" software for AML monitoring in 1568 CBS branches.
- The Bank has been authorized by 'AP Online" for payment of Electricity Bills, Water Tax, Property Tax, Trade License, LIC premia, etc., by Bank's customers using Internet Banking services.
- Treasury Branch opened for integrated treasury transactions and Forex transactions. Common Gateway Server installed at Bank's Treasury Branch and connected to INFINET through leased line. This is the common gateway for all inter-bank, Systemically Important Payment System (SIPS) applications developed by Reserve Bank of India.
- New Electronic Accounting System in Excise and Service
 Tax (EASIEST) in web platform has been developed
 in-house and has replaced the existing packages at
 Collecting, Focal as well as Link level branches.
- The Bank is one among the five banks identified to implement MCA21 programme for Ministry of Company Affairs.
- The following interbank applications like Negotiated Dealings Settlement System (NDS), Real Time Gross Settlement Systems (RTGS), Structured Financial Messaging Solution (SFMS), Centralised Funds Management System (CFMS), Collateralised Borrowing and Lending Obligations (CBLO), FX Clear for Foreign Exchange operations, National Electronic Funds Transfer (NEFT), On-line Tax Accounting System (OLTAS), has been implemented in all designated branches.
- Electronic Clearing Service (ECS both debit and credit) has been enabled in all CBS branches.
- Electronic Data Interchange (EDI) between Harbour branch and Chennai Sea Customs (for payment of import duty and disbursement of duty drawback amounts) and between Port Trust, Chennai (for payment of shippers' charges) and Harbour branch have been implemented. EDI also implemented with Hyderabad Inland Container Depot, Cochin Airport, Chennai Airport and Visakhapatnam Port Trust for collection of customs duty.
- Cheque Truncation Project: RBI had implemented CTS in National Capital Region, Delhi on pilot basis. All the branches of the Bank in NCR are participating in CTS.
- In compliance with the RBI guidelines, the Bank has implemented 3D Secure Authentication services for both Debit card and Credit card holders. This solution enables the customers to transact using internet in a secure environment by providing additional authentication / validation based on the information not present on the card.

- As per RBI guidelines, the Bank has implemented "Online Alerts" through mobile phone to the card holders for all 'Card not present' transactions of the value of ₹.5000/and above.
- Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) module has been implemented in the Bank. Application processing, blocking and unblocking of required funds from the customers accounts, generating files in the required formats for NSE/BSE and updating the data would be the major functionality. ASBA Phase II service is also made operational in the Bank. The ASBA facility can be utilised presently by all categories of investors including Qualified Institutional Buyers for applying to IPOs coming through the Book Building route and Rights Issues.
- Use of Bio-metric Authentication for secured transactions and authentication, besides User ID and Password introduced as second factor authentication in select branches.
- The 24-hour region has been implemented successfully facilitating 24 hours ATM online transactions, full permitted transactions throughout night also in other Delivery Channels.
- The enhanced Mobile banking facility (INDMobile) has been introduced in the Bank using J2ME (Java 2 Micro Edition) application which works on a secured, menu based and user friendly J2ME technology.
- ONLINE CUSTOMER COMPLAINT REDRESSAL provision launched for Indian Bank customers to register their complaints and seeing the status of their complaint in our bank website. The customers can register their complaint by referring a branch / Departments in our Bank website.
 CD on IT related Products of the Bank was launched and sent to customers in the branches for popularising the Bank's IT Products.
- Web based software has been developed for collecting the counselling fees of Universities.
- Obtention of Life Certificate of other branch pensioners has been enabled under CBS. Pensioners of the bank can now submit their life certificates at any branch.
- Statement of account for Contingent Accounts is being provided for all contingent accounts of a branch. The above statement will be provided every month-end for the benefit of the corporates having non fund based limits. Statement of account in CSV format is being provided to Customers with large volume of transactions either to upload in their data base or to convert it to Excel and view.
- Online ATM Withdrawal Complaints: Indian Bank Customers can register the complaint details through the Bank's website, if they have any ATM withdrawal failure issues.



- सभी खाता धारकों के लिए जब खाते में चेक बुक जारी किया जाता है एसएमएस चेतावनी भेजी जाएगी, बशर्ते कि सही मोबाइल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत हो।
- सीबीएस मॉड्यूल में ग्राहक को वीआईपी के रूप में पहचानने के लिए वीआईपी ग्राहक चेतावनी सुविधा उपलब्ध है। जब कभी वीआईपी ग्राहक कोई वित्तीय लेनदेन करता है, उस समय प्रणाली बताएगी कि "वीआईपी ग्राहक है— प्राथमिकता दें"।

llich, lea Qkyyol lslaca/krckra %

- सभी विदेशी मुद्रा जमाओं (एफसीएनआर, ईईएफसी और आरएफ़सी) तथा ऋणों (एफसीपीसी, एफसीएफबीडी और एफसीएल) को सीबीएस में अंतरित किया गया है तथा उन्हें मूल मुद्राओं में अनुरक्षित किया जा रहा हैं। मूल मुद्राओं में आस्ति एवं देयताएं रखनेवाली शाखाओं के लिए बैंक मिल्टि—करेन्सी तुलन पत्र सृजित कर रहा है।
- विभिन्न शाखाओं में अविलम्ब ग्राहकों के खातों को सीधे जमा देने के लिए ट्रेशरी शाखा में स्विपट एमटी 103 संदेशों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

izcáku l pouk izkkyh

 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग समाधान द्वारा स्वचालन का पूरा फायदा उठाने के लिए एमआईएस विभाग विभिन्न अभिकरणों एवं विभागों को विभिन्न रिपोर्ट / डेटा प्रदान करता रहा हैं। इससे आगे, निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए बहुमूल्य सूचना दी जाती है। एमआईएस आंतरिक रूप में डेटा की तैयारी से विभिन्न स्तरों को राहत दिलाने का काम करती है। अंततः अप्लिकेशनों को और आगे बढ़ाकर प्रौद्योगिकी से अधिकतम लाभ पाने का विचार है।

l wuk ç. kkyh l ji{kk

- 24 x 7 आधार पर विद्यमान तथा प्रस्तावित सुरक्षा उपकरणों परिनगरानी करने के लिए सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत फायर वाल, नेटवर्क इन्द्रूशन रोक प्रणाली (एनआईपीएस), होस्ट इंन्द्रूशन डिटेक्शन प्रणाली (एचआईडीएस) को सीडीसी तथा डी आर साइट में विस्तृत मात्रा में प्रयोग किया गया है।
- आस्ति और पैच प्रबंधन समाधान का कार्यान्वयन : उद्यमव्यापी सुरक्षा परियोजना के एक अंश के रूप में आस्ति और पैच प्रबंधन समाधान कार्यान्वित है जिससे आवश्यक प्रचालन प्रणाली पैचों को प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर हार्डवेयर / आस्तियों की पहचान, ट्रांक अनुरक्षण किया जा सकता है। यह समाधान प्र.का., अंचल कार्यालय और सभी सीबीएस शाखाओं में प्रयोग में लाया गया है। बैंक के डाटा केन्द्र में डीसी और डीआर साइट पर बैंक के विभिन्न क्रिटिकल सर्वरों के "रियल टाइम मानीटरिंग" हेतु एंटरप्राइज़ सिस्टम मेनेज्मेंट सल्यूशन, जो एक अत्युन्नत सर्वर मानीटरिंग औजार है, संस्थापित किया गया है।

b\langle ju\langle c\langle dax ds fy, in ku fd, x, , \langle VfQf kx mi k, %

 बैंक के ऐसे ग्राहकों के लिए, जो साइबर कैफ़े या शेयर किए गए नेटवर्कों से खाते तक पहुँच रखते हैं, बैंक के लागिन पेज पर डाइनिमक वर्चुअल कीपेड।

- एचटीएमएल के सोर्स कोड की नकल करने/ड्यूप्लिकेट करने को रोकने हेतु राइट क्लिक और मेनु बार को असमर्थ किया गया है।
- ग्राहकों केलिए बेहतर सुरक्षा लागू करने के लिए लागिन पृष्ठ को 2 स्क्रीनों में विभाजित किया गया है। पहले स्क्रीन में यूसर द्वारा सिर्फ यूसर आईडी प्रविष्ट किया जाता है। अगले स्क्रीन में ही यूसर को पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहा जाएगा, तथा इस स्क्रीन में ग्राहक के खाते के नाम के साथ उनके लिए स्वागत संदेश तथा व्यक्तिगत संदेश एवं उनके विकल्प का रंग—ढांचा होगा। फ़िश किए गए साइटों पर ये लक्षण उपलब्ध नहीं होंगे।
- ग्राहकों के शिक्षण और जानकारी हेतु इंटरनेट बैंकिंग होम पेज पर आवश्यक सुरक्षा की सलाहें प्रदर्शित किया जाना, जो फि्शिंग हमलों को रोकने पर होंगे, उदा. "इंटरनेट बैंकिंग साइट के लागिन पेज के अलावा किसी अन्य साइट में व्यक्तिगत ब्यौरों के विवरण व्यक्त न करें।"
- सभी इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए एक एसएमएस भेज दिया गया है कि बैंक अधिकारियों सहित किसी को पासवर्ड विवरण न दें।

, fWIVM l apkj

- इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों द्वारा किए जानेवाले ऑनलाइन लेनदेनों की सुरक्षा एवं आंकडों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बैंक वेरिसाइन से डिजिटल प्रमाणीकरण और 256 बिट एन्क्रिप्शन सुविधा का प्रयोग करता है। वेरिसाइन से वर्धित किया गया वैधीकरण प्रमाणपत्र, जो वर्तमान लॉक चिह्न के अलावा वास्तविक साइटों पर हरे रंग में यूआरएल बार को प्रदर्शित करेगा। फिशिंग साइटों के मामले में ब्राउसरों के हायर वेर्शन में यूआरएल बार, लाल रंग में प्रदर्शित किया जाएगा।
- ग्राहकों के ब्राउसर से इंटरनेट बैंकिंग सर्वर में प्राप्त सभी यूआरएल अनुरोधों की एन्क्रिप्ट करने हेतु साल्टेड हैश अल्गोरिथम का उपयोग करनेवाला यूआरएल एन्क्रिप्शन।
- ट्रान्सिमशन के पहले एसएचए हैश अल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए पासवर्ड एन्क्रिप्शन।

çf'k(kk

 सभी कर्मचारियों को निरंतर आधार पर कंप्यूटर संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। 9000 अधिकारियों और 7000 क्लर्कों के लक्ष्य के मुकाबले 9439 अधिकारियों और 8478 क्लर्कों को कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

vkarfjd fu; æ. k

1425 शाखाओं में जोखिम आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई है और सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा से 1422 शाखाओं को कवर किया गया। वर्ष के दौरान एटीएमों की 1315 अर्धवार्षिक समीक्षा के अतिरिक्त 778 एटीएम लेखा परीक्षाएँ की गईं। एक विदेशी शाखा (कोलम्बो) का निरीक्षण पूरा किया जा चुका है।

549 खातों को कवर करते हुए साख लेखा परीक्षा की गई है ।

आरबीआईए व संगामी लेखापरीक्षा के दौरान अभिपहचानित आय रिसन के अतिरिक्त ₹.2 करोड़ और उस से अधिक के क्रेडिट एक्सपोशर सहित 1575 शाखाओं को कवर करनेवाली राजस्व लेखापरीक्षा की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹.1791.10 लाख तक की आय रिसन की अभिपहचान और वसूली हो सकी।

- SMS alert will be sent to all account holders, when cheque book is issued to the account, provided the correct mobile number is registered with the bank.
- VIP Customers alert Facility is available in CBS module to tag the customer as VIP. Whenever the VIP customer does any financial transactions, system will give the prompt "VIP CUSTOMERS – GIVE PRIORITY" at the time of authorization.

Forex related developments in CBS:

- All Foreign Currency deposits (FCNR, EEFC and RFC) and loans (FCPC, FCFBD and FCL) have been migrated to CBS and being maintained in their true currencies. Also, the bank is generating the Multi-currency balance sheet for the branches having the assets and liabilities in true currencies.
- A facility has been provided to Treasury Branch to upload the SWIFT MT103 messages for direct credit to customer accounts at various branches without any time delay.

Management Information System:

To derive full benefit of automation through 100% CBS, the MIS department has been providing various reports/data for furnishing to different agencies and departments. Further, valuable information is being provided for decision making process. Internally the MIS acts to relieve the various tiers from preparation of data. Ultimately the accent is to push applications further and maximize the fruits of technology.

Information Systems Security:

- Security Operation Center (SOC) has been established for monitoring all the existing and proposed security devices on a 24x7 basis. Under this project firewalls, Network Intrusion Prevention System (NIPS), Host Intrusion Detection System (HIDS) have been deployed in CDC and DR site.
- Implementation of Asset and Patch Management Solution: As part of the enterprise wide security project, the Asset and Patch Management Solution has been implemented, using which the computer hardware / assets can be identified, tracked and maintained by deploying the necessary operating system patches. The solution has been deployed in HO, Circle Offices and all CBS branches. Enterprise System Management Solution, a sophisticated server monitoring tool has been installed at Bank's data Centre for real time monitoring of the various critical servers at DC and DR site.

Antiphishing measures provided for internet banking:

 Dynamic Virtual Keypad in Bank's Login Page for those customers accessing from cyber-cafes or shared networks.

- Right Click and Menu Bar disabled to avoid copying/ duplication of the HTML source codes.
- To enforce better security to the customers, the login page has been segregated into 2 screens. In the first screen, the user has to enter only the user-id. User will be prompted to enter the password only in the next screen which will have the welcome message for the customer with his account name, along with a personalised message and colour pattern of customers' choice. These features will not be available in phished sites.
- Display of necessary Security Tips in the Internet Banking Home Page about Phishing attacks for customer education and guidance on how to avoid such attacks like "Not to part with details of personal credentials on any site other than the login page of Internet Banking site".
- An SMS has been sent to all internet Banking customers not to part with password details to anybody including Bank officials.

Encrypted Communication:

- The Bank uses digital certification from VERISIGN and 256 bit encryption facility to ensure security of online transactions and confidentiality of the data of Internet Banking Customers. Extended validation Certificate from VERISIGN which, in addition to the existing lock symbol, will display the URL bar in green colour for genuine sites. In the case of phishing sites, the URL bar will be displayed in Red colour in higher versions of browsers.
- URL Encryption using Salted Hash Algorithm to encrypt all URL requests from the Customers Browser to the Internet Banking Server.
- Password encryption using SHA Hash Algorithm before transmission.

Training

 Computer related training is imparted to staff on an ongoing basis. Computer related training imparted to 9439 officers and 8478 award staff as against the target of 9000 officers and 7000 clerks.

INTERNAL CONTROLS

Risk Based Internal Audit has been carried out in 1425 branches and Information System Audit covered in 1422 branches. 778 ATM Audits, in addition to 1315 half yearly review of ATMs, were carried out during the year. Inspection of one Foreign Branch (Colombo) has been completed.

Credit Audit has been carried out covering 549 accounts.

Revenue audit covering 1575 branches with credit exposure of ₹2 crore and above were carried out, in addition to leakage identified during RBIA and Concurrent Audit. This has resulted in identification and recovery of leaked income to the tune of ₹1791.10 lakh, during the year.



समीक्षा वर्ष के दौरान 28 अंचलों को कवर करते हुए 49 प्रबंधन लेखापरीक्षाएं और प्रधान कार्यालय के सभी विभागों, 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 3 अनुषंगियों, बैंक अश्यूरेंस को कवर करते हुए 14 लेखापरीक्षा रिपोर्टों का आयोजन किया गया और अनुपालन हेतु कार्रवाई की गई।

सूचना प्रणाली (आई एस) — आई एस लेखापरीक्षा फर्म द्वारा सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा (आइसीटी) आधारिक संरचना —सीबीएस अप्लिकेशन सूट, डेटा सेंटर व परियोजना कार्यालय की बाह्य लेखापरीक्षा भी की गई तािक आई एस लेखा परीक्षा में अभिपहचािनत किमयों / मदों को ठीक किया जा सके। क्षेत्र व्यापार करेस्पांडेंट (वित्तीय समावेश योजना के तहत) की गतिविधियों की लेखा परीक्षा के लिए नये प्रारूप शुरू किए गए।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआइए) प्रारूप पर पुनः विचार किया गया और अद्यतन किया गया तथा आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया तािक नियंत्रण कमजोरी क्षेत्र, यदि हों, को प्रभावी रूप से पकड़ा जा सकें और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

निरीक्षण केन्द्र सीबीएस कनेक्टिविटी के जिए अपने परिचालन क्षेत्र में शाखाओं को कवर करते हुए आफ—साइट मानीटिरेंग कर रहे हैं। सभी निरीक्षकों को सीबीएस परिवेश में प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें सी बी एस परिवेश में लेखा परीक्षा करने और आर बी आई ए रिपोर्ट के प्रारूप में रिपोटिंग करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

vuqkyu

बैंक की अनुपालन नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शनों के अनुसार बैंक में उप महा प्रबंधक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग बैंक के कार्यों को अधिशासित करने वाले विभिन्न सांविधिक एवं नियामक मार्गदर्शनों के अनुपालन की निगरानी करता है।

- विभिन्न विधानों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, मनी लॉड्रिंग निवारण अधिनियम आदि।
- भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा नियामक एवं विकास एजेंसी (आईआरडीए) आदि द्वारा जारी नियामक मार्गदर्शन।
- भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई), भारतीय विदेशी मुद्रा डालर संघ (एफईडीएआई), फिक्स्ड मनी मार्केट डीलर्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) आदि जैसे उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानक एवं कोड।
- परिपत्रों, मैनुअलों के जिरए जारी बैंक की आंतरिक नीतियां, आचरण कोड. दिशानिर्देश आदि।

l rdkk

एक सुसंरचित सतर्कता प्रणाली लागू है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सतर्कता मामलों को निपटाने में यह सक्रिय रूप से कार्यरत है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सभी अंचलों में फैली 141 चिह्नित शाखाओं का सतर्कता निरीक्षण किया गया। सतर्कता जागरूकता अवधि 25 अक्तूबर 2010 से 01 नवम्बर 2010 तक मनाया गया । वर्ष के दौरान अनुशासनात्मक

अधिकारियों प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों / जांच अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों के लिए तीन खास इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा दो सीटीई प्रकार के निरीक्षण आयोजित किए गए।

सतर्कता स्टडी सर्कल, हैदराबाद की 07 वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर, राष्ट्रीय सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार — 2010 महाप्रबंधक (सतर्कता) / सीवीओ को दिया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा महाप्रबंधक (सतर्कता) / सीवीओ को एक स्क्रॉल के रूप में नकद पुरस्कार सिहत एक प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया गया। हमारे सीवीओ ने लगातार दूसरे वर्ष यह पुरस्कार जीता है।

निवारक सतर्कता के क्षेत्र में, बैंक अपने तिमाही न्यूज लेटर "इंड—चेतना" के ज़िरए संगठन के सभी स्टाफ सदस्यों को शाखाओं में हुई धोखाधड़ी की जानकारी देता है और धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु निवारक उपायों को बताता है।

1 **ġ**{kk

बैंक में प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली से युक्त एक सुव्यवस्थित सुरक्षा तंत्र लागू है। शाखाओं और एटीएमों को वर्तमान समय की जरूरत के अनुसार अद्यतन सुरक्षा गैजेट यथा बर्गलर अलार्म और आग ऑटो डायलर, सीसीटीवी दिए गए हैं। सभी नए एटीएम ग्राउट किए गए हैं। नियंत्रक कार्यालयों से कैश वैनों के आवागमन पर निरंतर निगरानी रखने हेतु रिसोर्स ट्रेकिंग मेनेजमेंट सिस्टम (आरटीएमएस) की व्यवस्था की गई है।

बॉयोमीट्रिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली उच्च जोखिम वाली मुद्रा पेटियों में स्थापित की गई है और सर्वर कक्षों में स्वचालित रूप से आग बुझाने वाले शामक स्थापित किये गये। सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम द्वारा शाखाओं / मुद्रा पेटियों के नियमित निरीक्षण के जरिए एक समर्पित सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है। सुरक्षा अधिकारियों व सशस्त्र रक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अद्यतन प्रौद्योगिकीय प्रगति की जानकारी है।

jkt Hkk'kk dk dk; k**z**b; u

बैंक राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के आधार पर राजभाषा का सिक्रयता पूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है। राजभाषा का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम तथा समय—समय पर वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जानेवाले दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

"आपका प्रौद्योगिकी हितैषी बैंक" के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीबीएस में हिन्दी की सुविधा का प्रावधान किया गया है। एटीएमों में भी हिन्दी स्क्रीन की सुविधा को उपलब्ध कराया गया है। टच स्क्रीन सामग्री हिन्दी में उपलब्ध करायी गयी है, जो बैंक के विभिन्न उत्पादों के बारे में सूचना प्रदान करती है। बैंक के सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी में शब्द संसाधन की सुविधा उपलब्ध है।

49 Management Audits covering 28 Zones and 14 Audit report covering all departments at HO, 3 RRBs, 3 subsidiaries, BANCASSURANCE have been conducted during the year under review and follow up action initiated for compliance.

Information Systems (IS) Audit of Information & Communication Technology (ICT) Infrastructure – CBS application suite, Data Centre & Project Office carried out by the external I S Audit firm completed; followed up by confirmation audit, on fixing up of the deficiencies/issues identified in I S Audit. New formats for Audit of activities of Field Business Correspondent (under Financial Inclusion Plan) introduced.

Report Formats for Information Systems Audit, ATM Audit and Risk Based Internal Audit (RBIA) have been revisited and updated with focus on areas of internal control so as to effectively capture areas of control weakness, if any, and to initiate necessary corrective measures.

Inspection centres are carrying out off-site monitoring covering the branches in their area of operation through CBS connectivity. All the inspectors have been trained in CBS environment with focus on "Auditing in CBS environment" and reporting in RBIA report format.

Compliance

The Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by a Deputy General Manager has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning such as:

- Various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc.
- Regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Agency etc.
- Voluntary standards and codes prescribed by industry Associations such as Indian Banks' Association, Banking Codes and Standards Board of India, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Fixed Income Money Market Dealers Association etc. and
- Bank's internal policies, codes of conduct, guidelines etc. issued by way of Circulars, Manuals etc.

VIGILANCE

Awell structured vigilance system is in place and is functioning in a proactive manner in disposing of all vigilance cases in line with the Central Vigilance Commission's guidelines.

During the year, Vigilance Inspection was carried out in 141 identified branches spread over all Zones. The Vigilance Awareness Period was observed from 25th October 2010

to 01st November 2010. Three exclusive in-house training programmes were held for the Disciplinary Authorities, Presenting Officers / Inquiring Authorities and Vigilance Officers during the year. Two CTE type inspections were conducted by the Bank during the year.

On the occasion of the 07th Anniversary Celebration of Vigilance Study Circle, Hyderabad, the "National Vigilance Excellence Award – 2010" was given to General Manager (VG)/CVO. The award in the form of a Scroll containing a citation and a cash prize was presented to General Manager (VG)/CVO by the Central Vigilance Commissioner. Our CVO has won this award for the second consecutive year.

In the area of preventive vigilance, the Bank, through its quarterly Newsletter 'Ind-Chetana', shares with all the members of staff in the organisation, the details of frauds and the preventive measures to be adopted against recurrence of such frauds.

SECURITY

The Bank has a well established security machinery to supplement the Operational Risk Management System. Latest security gadgets, namely, Burglar and Fire alarms with auto dialer, CCTV systems concurrent with the present day requirements are provided to branches and ATMs. All new ATMs are grouted. To track the movement of cash vans from Controlling Offices, Resource Tracking Management System (RTMS) has been put in place.

Biometric Access Control system has been installed in high risk Currency Chests, and Automatic Fire extinguishers installed in Server Rooms. A dedicated security cover is provided by regular inspection of Branches/Currency Chests by a team of Security Officers. Training of Security Officers and Armed Guards is carried out regularly to ensure that they are updated with the latest technological advancement.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank is actively implementing Official Language based on the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages Rule, 1976. Official Language is implemented as per the Annual Programme issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India and the guidelines issued from time to time by the Ministry of Finance and Reserve Bank of India

In keeping with the Bank's objective of "Your Tech-Friendly Bank", the facility of Hindi in CBS has been provided. Hindi screens have also been made available in the ATMs. The touch-screen material has been provided in Hindi, which gives information on the various products of the Bank. All the computers of the Bank have the facility of word processing in Hindi.



कार्यशालाओं के जिरए स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाने पर बैंक द्वारा विशेष जोर दिया जाना जारी रहा। विभिन्न अंचल कार्यालयों में भी हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। बैंक ने वर्ष के दौरान पूरे देश में 36 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं।

बैंक के होम पेज के साथ—साथ वेबसाइट भी हिन्दी में उपलब्ध है। बैंक के इंट्रानेट में भी हिन्दी खंड उपलब्ध कराया गया है।

dki kiji. V l kekft d nkf; Ro %

LosPNd jDrnku %

बैंक ने वर्ष 2010—11 के दौरान 29 रक्तदान शिविरों का आयोजन कर तथा आपात् कालीन शल्यक्रियाओं के लिए रक्तदाता भेजकर 3140 रक्तदाताओं को प्रायोजित किया। बैंक वर्ष 1980 से 56,957 रक्तदाता प्रायोजित कर चुका है। मद्रास स्वैच्छिक रक्त बैंक ने रक्तदान के क्षेत्र में सभी संस्थानों के बीच सर्वोत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए बैंक को दो चल वैजयन्तियों से पुरस्कृत किया तथा बैंक इस सम्बन्ध में 1988 से लगातार 23वें वर्ष में अपना प्रथम स्थान बरकरार रखे हुए है।

us= ijh(k,kf'hfoj %

अम्बत्तूर, वेंकटापुरम, तिरुमिळसै और टीवी नगर शाखाओं में विद्यालय के बच्चों, ग्रामवासियों और विरष्ठ नागरिकों के लिए एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिवर लगाया गया। आनन्दम ओल्ड एज होम में नेत्र सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के लिए 770 लोगों का परीक्षण किया गया तथा विभिन्न नेत्र चिकित्सालयों में 54 विरष्ठ नागरिकों के मोतियाबिन्द का शल्यक्रिया द्वारा उपचार किया गया।

nUr f'kfoj %

अम्बत्तूर, टी वी नगर और आनन्दम ओल्ड एज होम में निःशुल्क दन्त शिविर लगाए गए, जहाँ दाँत सम्बन्धी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 1040 व्यक्तियों का उपचार किया गया।

l kelft d nkf: Ro %

कार्यपालक निदेशक — श्री ए.एस. भट्टाचार्य, महा प्रबन्धक — श्री आर राधाकृष्णन तथा उप महाप्रबन्धक—श्री डीडी देशपाँडे ने गली के बच्चों के उत्थान हेतु कार्यरत "सियर्स" नामक एक संगठन के कार्यक्रम में भाग लेकर उसके बच्चों को वर्दियाँ (यूनीफाँमी) प्रदान कीं। कर्मचारियों के सामाजिक सेवा अभियान "कनसर्न" ने सेवा चक्र तथा नगर निगम विद्यालय, चिन्ताद्रिपेट नामक ज़रूरतमंद दो संगठनों को वर्दियाँ (यूनीफाँमी), अभ्यास पुरितकाएँ, लेखन सामग्री, पंखे आदि दान में दिए।

[kydw eamiyf0/k %

भारतीय खेलकूद के क्षेत्र में इंडियन बैंक, एक सुपरिचित नाम है। बैंकिंग उद्योग में इंडियन बैंक के खिलाड़ियों का दल श्रेष्ठतम दलों में से एक है। आज ऐथलेटिक्स, बास्केट बॉल, कैरम, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबिल टेनिस और वॉलीबॉल जैसी 9 खेल विधाओं में बैंक की अच्छी टीमें हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 125 सक्रिय खिलाड़ी हैं और 30 से अधिक

खिलाड़ियों ने किनष्ठ एवं विष्ठ अन्तर-राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व किया है। हमारी टीमों का अच्छा प्रदर्शन रहा है और उन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार मिला है।

बैंक तीन दशक से अधिक समय से खेलकूल सम्बन्धी क्रियाकलापों का प्रोत्साहन एवं समर्थन करता रहा है। इस वर्ष हमने अपने चार खिलाड़ियों को राष्ट्रीय /अन्तर—राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नित देकर सहायक प्रबन्धक बनाया है। बैंक खेलकूद में श्रेष्ट बीस व्यक्तियों को भर्ती करने की प्रक्रिया में है।

gekjsf[kykfM+kadhdqN mRN"V miyfVk, k, fuEuor~g&%

- नई दिल्ली में अक्तूबर 2010 के दौरान आयोजित 19वें राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 में हमारे दो खिलाडियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया।
- हमारी गिण्डी शाखा के श्री एस सत्या ने 4 x 100 मीटर की रिले दौड़ में काँस्य पदक जीत कर अपने देश और बैंक को गौरवान्वित किया। उन्हें तमिलनाडु के माननीय मुख्यमन्त्री ने 26 जनवरी 2011 को चेन्नै में आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोह में 10 लाख रुपए का नक़द प्रस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।
- सेवा शाखा, चेन्नै के श्री ए.एल. मुत्तु को तकनीकी अधिकारी/ उदघोषक नामित किया गया।
- चीन में नवम्बर 2010 के दौरान आयोजित 16वें एशियाई खेल, 2010 में हमारे तीन खिलाडियों ने भाग लिया —

1	श्री एस सत्या	ऐथलीटिक्स	200 मी. तथा 4x100 मी. रिले
2	श्री सय्यद सबीर पाशा	फुटबॉल	सहायक कोच
3	श्री के. शंकर	फुटबॉल	रेफरी इंस्ट्रक्टर

- सुश्री आर इलवरसी ने पुणे/बंगलूर/चेन्नै में आयोजित एशियाई प्रथम/द्वितीय/तृतीय ग्रैंड प्री ऐथलीटिक चैम्पियनशिप के 4,100 मीटर रिले के मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने पुणे/बेंगलूर/चेन्नै में सम्पन्न हुए प्रथम/द्वितीय/तृतीय भारतीय ग्रैंड प्री ऐथलीटिक चैम्पियनशिप के 200 मीटर के मुकाबलों में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
- सुश्री जी रेवती ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका में आयोजित तृतीय विश्व कप कैरम प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया और उसकी युगल प्रतियोगिता का स्वर्णपदक जीता और एकल प्रतियोगिता में काँस्य पदक प्राप्त किया।
- हमारी प्रायोजित टेबिल टेनिस खिलाड़ी, सुश्री टी रीथ ऋष्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के कई खिताब जीतने के अलावा फरवरी 2011 में राँची में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय महिला चैम्पियन बनीं।
- बैंकॉक में अक्तूबर 2010 के दौरान आयोजित 16 वें एशियाई जूनियर पुरुष वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में श्री डी सौंदर ने देश का प्रतिनिधित्व किया और कॉस्य पदक जीता।
- फरवरी 2011 में राँची में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता वॉलीबॉल टीम के कप्तान श्री पी. कलैवाणन थे।

Special emphasis is continuously being laid by the Bank to train the staff members in Hindi through Workshops. Hindi workshops have also been organised by the various Zonal Offices. The Bank has organised 36 workshops across the country during this year.

The Bank's Home Page as well as its website is available in Hindi. A Hindi portion has been allocated by the Bank in its intranet also.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Voluntary Blood Donation:

The Bank has sponsored 3140 blood donors during the year 2010-11 by organizing 29 blood donation camps and sending donors for emergency operations. Since 1980, the Bank has sponsored 56,957 donors. The Bank was awarded 2 Rolling shields by Madras Voluntary Blood Bank for its highest performance among all institutions and the Bank maintains its number one position for the 23rd consecutive year since 1988.

Eye Screening Camp:

A free eye screening camp was organised for the school children, villagers and senior citizens at Ambattur, Venkatapuram, Thirumazhisai and T V Nagar branches. At Anandam Old Age Home, 770 people were screened for various eye problems and 54 senior citizens were treated for cataract surgery in various eye hospitals.

Dental Camp

Free dental camps were organised at Ambattur, T V Nagar and Anandam Old Age Home, wherein 1040 persons were treated for various dental problems.

Social Responsibility:

Shri A S Bhattacharya, Executive Director, Shri R Radhakrishnan, General Manager and Shri Deshpande, Deputy General Manager, participated and donated uniforms to the children of "SEERS"- an organisation working for uplifting street children. Uniforms, note books, stationery items, fans etc. were donated to two needy organisations viz., Seva Chakra and Corporation School, Chindatripet by the Employees Social Service Movement - "CONCERN".

Achievement in Sports

The Bank is a familiar name in Indian sports. The Bank's team is one of the best in the banking industry. Today, it boasts of teams in 9 disciplines like Athletics, Basketball, Carrom, Chess, Cricket, Football, Hockey, Table Tennis and Volleyball. At present, we have 125 active sports persons, and more

than 30 sports persons have represented the country in the Junior and Senior International events. Our teams have performed well and have attracted wide publicity in the print and electronic media.

The Bank has been encouraging and supporting sports activities for more than three decades. This year four of our sports persons have been promoted from clerical cadre to Asst. Manager cadre for their outstanding achievements at National/International level. The Bank is in the process of recruiting twenty outstanding sports persons.

Some of the outstanding achievements by our sport persons are-

- Two of our Sports persons represented the country in the XIX Commonwealth Games, 2010 held at New Delhi during October 2010.
- Shri. S. Sathya of our Guindy Branch made our country and Bank proud when he won Bronze medal in 4x100m relay. He was awarded a cash prize of ₹10 lakh by the Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu at the Republic Day celebrations at Chennai on 26th January 2011.
- Shri A L Muthu of Service Branch, Chennai was nominated as Technical Official/Announcer.
- Three of our sports persons represented the 16th Asian Games, 2010 held in China during November 2010.

1	Shri S. Sathya	Athletics	200m &
			4x100m
			Relay
2	Shri Syed Sabir Pasha	Football	Asst. Coach
	· '		
3	Shri K Shankar	Football	Referee

- Ms. R Elavarsi represented the country and won silver medal in 4x100m relay in the Asian First/Second/ Third Grand Prix Athletic Championships held at Pune/ Bangalore/ Chennai. She also won the Gold Medal in 200m in the First/Second/Third Indian Grand Prix Athletic Championships held at Pune / Bangalore/Chennai.
- Ms. G Revathy represented the country in the 3rd World Cup Carrom Tournament held in USA and won Gold medal in Doubles and Bronze medal in the Singles tournaments.
- Ms. T Reeth Rishya, our Sponsored Table Tennis player, apart from winning many state ranking titles became the National Women Champion in the National Games held at Ranchi during February 2011
- Shri. D Sounder represented the country in the 16th Asian Junior Men Volleyball Championship held at Bangkok during October 2010 and won the Bronze medal.
- Shri. P Kalaivannan was the Captain of the volleyball team which won the Gold Medal in the National Games held at Ranchi during February 2011.



vuğlafıx; k, vkj {ks=h, xkneh k c\fid %

vuäktx; ķ

बैंक की तीन अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि., इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड और इंड फंड मैनेजमेंट लिमिटेड हैं।

{ks=k; xxkeh k c\footbold %

बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं। इनमें सप्तिगिर ग्रामीण बैंक का मुख्यालय चित्तूर में, पल्लवन ग्राम बैंक का मुख्यालय सेलम में और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक का मुख्यालय पुदुच्चेरी में है। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2010—11 के दौरान 37 शाखाएँ खोलकर अपने शाखा तन्त्र को बढ़ाकर 279 शाखाएँ कर दिया है। मार्च 2011 की समाप्ति पर कारोबार की स्थिति निम्नवत् रही:—

- l Irfxfj xheh k chl की 144 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार 3308.37 करोड़ रुपए है (जमा राशियाँ 1553.62 करोड़ रुपए और अग्रिम 1754.75 करोड़ रुपए)
- i Yyou xhe chd की 110 शाखाएँ है और कुल कारोबार 1522.53 करोड़ रुपए है (जमा राशियाँ 682.50 करोड़ रुपए और अग्रिम 841.03 करोड़ रुपए)
- i mpS Hkg fr; kj xhe cht की 25 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार 190.52 करोड़ रुपए है (जमा राशियाँ 92.29 करोड़ तथा अग्रिम 98.23 करोड़)

सभी तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नियत समय सीमा से काफी पहले पूर्ण रूप से सीबीएस सुविधा से सुसज्जित हो चुके हैं। भारत सरकार ने इसके लिए सितम्बर 2011 तक की समय सीमा निर्धारित की थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मैसर्स वाइज़मैन फोरेक्स लिमिटेड के साथ हुई एजेंसी व्यवस्था के अन्तर्गत धन अन्तरण सेवाओं का शुभारम्भ किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इंडियन बैंक के साथ सह ब्रांड वाले एटीएम कार्ड उतारे हैं और 13254 एटीएम कार्ड जारी किए हैं।

igLdkj, oaizkfLr; k

- बैंक को वित्तीय वर्ष 2009—10 के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस तथा अन्स्ट एण्ड यंग सर्वेक्षण ने लाभप्रदता के क्षेत्र में प्रथम स्थान दिया। समग्रतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दूसरे श्रेष्ठ बैंक का स्थान इंडियन बैंक को दिया गया।
- शहरी वित्तीय समावेश के अन्तर्गत बैंक को स्वयं सहायता समूह पहल के लिए प्रतिष्ठित "स्कॉच वित्तीय पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
- बैंक को शिक्षा ऋण वर्ग के अन्तर्गत श्रेष्ठ बैंक का आउटलुक मनी अवार्ड 2010 प्रदान किया गया।
- स्वयं सहायता समूहों को वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण देने के लिए बैंक को तमिलनाडु सरकार से श्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- उत्तम ग्राहक सेवा के लिए बैंक को एमिटी कॉर्पोरेट एक्सेलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया।
- भारत में बैंकों की बेंचमार्किंग पर सेलेंट ने बैंक को प्रथम बैंक के रूप में तय किया।
- बैंक को लघु एवं मंझोले उद्यमी क्षेत्र (एसएमई) में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

vkxkeh o"kZ

बैंक का वित्तीय वर्ष 2011—12 में 225000 करोड़ रुपए का कुल कारोबार करने का इरादा है, क्योंकि घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों क्षेत्रों में ज़बर्दस्त रूप से यह विस्तार के लिए प्रयासशील है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए घेन्नै और मुंबई स्थित अपनी ई—शाखाओं के माध्यम से सुविधा बैंकिंग भी प्रशस्त कराएगा।

बैंक विकिसत होने और देश की सेवा करने की अपनी ललक के साथ अपने सभी शेयरधारकों के विश्वास और गुडविल से और अधिक ऊँचाइयों पर पहुँचने के लिए कटिबद्ध है। बैंक आगे बढ़ते हुए विकास और गुणवत्ता पर अपना अधिक ध्यान केन्द्रित कर अपने विस्तार की गित को जारी रखेगा।

SUBSIDIARIES & REGIONAL RURAL BANKS Subsidiaries

The Bank has three Subsidiaries viz., Indbank Merchant Banking Services Ltd., Indbank Housing Ltd. and Indfund Management Ltd.

Regional Rural Banks

The Bank has sponsored three Regional Rural Banks, namely, Saptagiri Grameena Bank head quartered at Chittoor, Pallavan Grama Bank head quartered at Salem and Puduvai Bharathiar Grama Bank head quartered at Puducherry. The three RRBs have expanded their network to 279 branches by opening 37 branches during the year 2010-11. The Business position as at end March 2011 is as below:

- Saptagiri Grameena Bank has 144 branches and a total business of ₹3308.37 crore. (Deposits - ₹1553.62 crore and Advances - ₹1754.75 crore)
- Pallavan Grama Bank has 110 branches and a total business of ₹1522.53 crore. (Deposits - ₹682.50 crore and Advances - ₹841.03 crore
- Puduvai Bharathiar Grama Bank has 25 branches and a total business of ₹190.52 crore. (Deposits - ₹92.29 crore and Advances - ₹98.23 crore)

All the three RRBs have fully migrated to CBS, well ahead of the stipulated time limit set by the Government of India i.e., September 2011.

The RRBs have introduced money transfer services under agency arrangement with M/s Weizmann Forex Ltd.

The RRBs have launched co-branded ATM cards with Indian Bank and issued 13,254 ATM cards.

Awards & Accolades

- The Bank was ranked first in profitability for FY 2009-10 by the Financial Express and Ernst & Young survey, overall the Bank was ranked Second Best among Public Sector Banks.
- The Bank has been awarded the prestigious "SKOCH" Financial Award for "SHG Initiatives"- Urban Financial Inclusion.
- The Bank received OUTLOOK MONEY Awards 2010 for Best Bank under Education loan category.
- The Bank received the Best Bank award from the Government of Tamil Nadu for lending to SHGs for FY 2009-10.
- The Bank received the Amity Corporate Excellence award for Best Customer Service.
- The Bank was adjudged No.1 Bank by CELENT on Benchmarking of Banks in India.
- The Bank also received the Tamil Nadu State award for meritorious service in SME sector.

YEAR AHEAD

The Bank envisages a total business of ₹225,000 crore in FY 2011-12, as it looks to expand aggressively both domestically and internationally. The Bank would also facilitate convenience banking for its customers through its e-branches in Chennai and Mumbai.

The Bank with its passion to grow and serve the country is poised to reach greater heights with the trust and goodwill of all its stakeholders. Going forward, the Bank would continue to expand with its thrust on growth with quality.



dki kiji. V v f H ki ki u 2010 & 11 i j baM; u cad ds funski d e My dh fji k V Z

vkjik vkj nf"Vdksk

कार्पोरेट अभिशासन में बैंक के प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के साथ संबंध का एक सेट होता है और इसमें उस संरचना हेतु प्रावधान किया जाता है जिसके जिए संगठन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और ऐसे उद्देश्यों को हासिल करने तथा निष्पादन पर निगरानी रखने के साधन नियत किए जाते हैं। बैंकिंग संगठनों में सुदृढ़ कार्पोरेट अभिशासन का अस्तित्व, उनकी सुचारु कार्यप्रणाली और पूरे बैंकिंग तंत्र की सुदृढ़ता का बुनियाद बन जाता है और किसी भी मात्रा के नियंत्रण, सिस्टम एवं आपसी संबंध, सुदृढ़ कार्पोरेट अभिशासन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। अपने उत्तम स्तर पर बैंकों में सुदृढ़ कार्पोरेट अभिशासन कुशल, जानकार एवं तटस्थ पर्यवेक्षी प्राधिकारी जैसी भूमिका निभाता है जिससे सुदृढ़ बैंकिंग पर्यवेक्षण स्थापित होने में सुविधा मिलती है। बैंक निरंतर रूप से पारदर्शिता, जवाबदेयता, ईमानदारी और व्यावसायिक अभिवृत्ति अपनाने के जिरए अच्छे कार्पोरेट

अभिशासन का अनुपालन करने के प्रयत्न करता है। बैंक अपने सभी स्टेकधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध रहा है और इस बात से अवगत है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बनाए रहने व बढने हेतु गवर्नेंस मानदंडों का अतिसावधानीपूर्वक पालन करना और अत्युत्तम कार्पोरेट प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक है। बैंक अपने स्टेकधारकों को मूल्य बढाने के उद्देश्य से "प्रबंधन में व्यावसायिकता के साथ दृढता एवं सतत वृद्धि" का उद्देश्य रखता है।

1-funšká eMy dhl jpuk

निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक, एक कामगार कर्मचारी निदेशक सम्मिलित है और इसके अलावा चार अंशकालिक गैर—सरकारी निदेशक हैं (दो शेयरधारक निदेशकों सहित)।

ekpZ31] 2011 dks funskd eMy ds fooj.k fuEuor~g%A

Øekad	funskd dk uke	i nuke	funskd in dk Lo: i	fu; ��r dh rkjh[k
1	श्री टी एम भसीन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	01.04.2010
2	श्री वी रामगोपाल	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	07.12.2009
3	श्री राजीव ऋषि	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	01.10.2010
4	श्री शक्तिकांता दास	सरकार का नामिती	गैर–कार्यपालक	09.12.2009
5	श्री एस करुप्पसामी	भा रि बैंक का नामिती	गैर–कार्यपालक	30.07.2010
6	श्री एम जयनाथ	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर–कार्यपालक	30.12.2009
7	श्री सी के रंगनाथन	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	30.06.2008
8	फ्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	30.06.2008

शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किये गए हैं। 30.09.2010 तक श्री ए एस भट्टाचार्य कार्यपालक निदेशक थे। क्रमशः 29.07.2010, 21.11.2010, 13.01.2011 एवं 30.01.2011 तक श्री सी आर गोपालसुन्दरम, श्री टी टी नटराजन, श्री जी चरत चंद्रन एवं श्रीमती सारिया खान बैंक के निदेशक थे।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF INDIAN BANK ON CORPORATE GOVERNANCE 2010 - 11

Introduction and Philosophy

Corporate Governance involves a set of relationships between a bank's management, its Board, its shareholders and other stakeholders and provides the structure through which the objectives of the organization are set and the means of attaining those objectives and monitoring the performance are determined. The existence of sound Corporate Governance in banking organizations is fundamental to their own sound functioning and to the stability of the banking system as a whole and no amount of controls, systems and relations can be a replacement for sound Corporate Governance. At its best, sound Corporate Governance in banks almost takes on a role akin to that of an efficient, well-informed and detached supervisory authority thereby facilitating sound banking supervision. The Bank consistently

endeavours to follow good Corporate Governance practices through transparency, accountability, integrity and professionalism. The Bank remains committed to its responsibilities towards all its stakeholders and is also aware that in order to sustain and grow in the present competitive environment, it needs to meticulously adhere to the Governance norms and adopt the best corporate practices. The Bank aims at stability and sustained growth with professionalism in management with a view to enhance the value for its stakeholders.

1. Composition of Board of Directors

The Board of Directors comprises of one whole-time Chairman and Managing Director, two whole-time Executive Directors, one Workmen Employee Director besides four part-time Non-Official Directors (including two Shareholder Directors).

Particulars of Board of Directors as on March 31, 2011 are as under:

No	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment
1.	Shri T M Bhasin	Chairman and Managing Director	Executive	01.04.2010
2.	Shri V RamaGopal	Executive Director	Executive	07.12.2009
3.	Shri Rajeev Rishi	Executive Director	Executive	01.10.2010
4.	Shri Shaktikanta Das	Govt. Nominee	Non-Executive	09.12.2009
5.	Shri S Karuppasamy	RBI Nominee	Non-Executive	30.07.2010
6.	Shri M Jayanath	Workmen Employee Director	Non-Executive	30.12.2009
7.	Shri C K Ranganathan	Shareholder Director	Non-Executive	30.06.2008
8.	Prof. Narendra Kumar Agrawal	Shareholder Director	Non-Executive	30.06.2008

All the directors have been appointed / nominated by the Government of India (GOI) except Shareholder Directors. Shri A S Bhattacharya was Executive Director upto 30.09.2010. Shri C R Gopalasundaram, Shri T T Natarajan, Shri G Charath Chandran and Mrs. Saria Khan were Directors of the Bank upto 29.07.2010, 21.11.2010, 13.01.2011 and 30.01.2011, respectively.



funskdkadkikkQkby %

अप्रैल 01, 2010 को Jh Vh, e Hd hu, आयु 54, ने बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए (वित्त) हैं और जेएफके स्कूल ऑफ गवन्मैंट, हावर्ड में एडवान्स्ड वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम करने से हावर्ड अलुमिनस हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेन्टर से एल.एल.बी है और विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। इंडियन बैंक में आने के पहले नवंबर 07, 2007 से ये यनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यबीआई) के कार्यपालक निदेशक थे। यूबीआई के कार्यपालक निदेशक रहते समय इन्होंने यूबीआई की पूंजी पुनः संरचना में महत्वपूर्ण अंशदान किया जिसे भारत सरकार ने बाद में अनुमोदित किया था। इन्होंने यूबीआई की इनिशियल पब्लिक ऑफर की सफलता में मुख्य भूमिका निभाई। इनके नेतृत्व के कारण ही युबीआई में उत्तम वृद्धि हुई और 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग समाधान कार्यान्वित किया गया। जून 1978 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स में इन्होंने अपना करियर आरंभ किया तथा वहां तीन दशकों से अधिक की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। अगस्त 2000 से नवंबर 2007 तक ये आईबीए, दिल्ली चैप्टर के मानद सचिव थे। इंडो मियान्मार व्यापार संबंध के लिए भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त व्यापार समिति में ये सदस्य रहे तथा इन्होंने विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण एवं समनूदेशनों में भाग लिया है। वे यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं और भारतीय बैंक संघ की प्रबंधन समित के सदस्य हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

Jh oh j kexki ky, आयु 59 को दिसंबर 07, 2009 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये बायो—केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। ये 1976 में आंध्रा बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले 1973 में इंडियन बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। आंध्रा बैंक में विभिन्न समनुदेशनों को निभाने के अलावा ये निधि एवं निवेश तथा आईबीडी के प्रभारी महा प्रबंधक थे, अंचल कार्यालय, गुंटूर एवं कोलकाता में उमप्र थे। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

Jh jkt ho _ f'k आयु 51, बैंक में अक्तूबर 01, 2010 को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये। ये चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) के हैं। ये कला में स्नातक हैं और एलएलबी हैं। इंडियन बैंक में आने के पहले ये ओरियंटल बैंक ऑफ़ कामर्स में महा प्रबंधक थे तथा चंडीगढ़, भुबनेश्वर, कोलकाता, देहरादून, पुणे, मुंबई, लुधियाना आदि देश के विभिन्न स्थानों में कार्य करने से इनको प्रचुर अनुभव प्राप्त है। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

Jh 'ktDrdkrk nkl] आई.ए.एस, आयु 54, दिसंबर 09, 2009 को भारत सरकार ने बैंक के बोर्ड में नामित किया। ये दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कालेज से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव (बजट) हैं। इन्होंने संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, विशेष आयुक्त एवं राजस्व प्रावधान के आयुक्त, तमिलनाडु सरकार, सचिव, तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग और अन्य विशिष्ट पदों में श्रेष्ठ सेवाएं की हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं है।

Jh d#lil keh आयु 57 वर्ष को जुलाई 30, 2010 को बैंक के बोर्ड में भारि बैंक के नामिती के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। इनको स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है और ये एनआईबीएम से बैंक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के धारक हैं तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित असोसिएट भी हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नै के बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज के मुख्य महा प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य तथा भारिबैंक, कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक थे। इनको भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न केन्द्रों में निर्गम विभाग, आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग, बैंकिंग विभाग, कृषि ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, शहरी बैंक विभाग आदि कई स्थानों में कार्य करने का प्रचुर अनुभव प्राप्त है। ये बैंक के ईविवटी शेयर के धारक नहीं हैं।

Jh, et; ukk आयु 55, को भारत सरकार ने बैंक के कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया तथा अप्रैल 21, 2010 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। ये जुलाई 10, 1978 को बैंक में नियुक्त हुए थे। ये विज्ञान में स्नातक उपाधि धारी हैं। ये इंडियन बैंक कर्मचारी संघ की कर्नाटका इकाई के महा सचिव हैं। वर्तमान में बैंक की बैंगलूर सिटी शाखा (बेंगलूरु) में विशेष सहायक है। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं है।

Jh l h ds jaculflu, आयु 50, को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में 30 जून, 2008 को निर्वाचित किया गया था। ये विज्ञान में स्नातक हैं। ये मेसर्स केविनकर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। ये बैंक के 200 ईक्विटी शेयरों के धारक हैं।

iks ujshz delj vxxly, आयु 61, को बैंक के एक शेयरधारक निदेशक के रूप में 30 जून, 2008 को निर्वाचित किया गया। ये बी.ई., एमएमएस डिग्री धारी हैं और आईआईएम – ए के फेलो हैं। अभी ये संगठनात्मक आचरण और मानव संसाधन प्रबंधन में एक प्रोफेसर हैं जो कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर में उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। ये कई विदेशी विश्वविद्यालयों में एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं। ये बैंक के 100 ईक्विटी शेयरों के धारक हैं।

Profile of Directors:

Shri T M Bhasin aged 54 years assumed charge as Chairman & Managing Director of the Bank on April 01, 2010. He is an MBA (Finance) from University of Delhi and a Harvard alumnus having done Advanced Management Programme at JFK School of Government, Harvard. He is also an L.L.B. from Campus Law Centre, University of Delhi and holds a master's degree in Science. Prior to this assignment, he was the Executive Director, United Bank of India (UBI) since November 07, 2007, As Executive Director of UBI, he made significant contribution to the United Bank of India's Capital Re-structuring and eventual approval by Government of India. He was instrumental in the success of Initial Public Offer of UBI. The outstanding growth of UBI and achievement of 100% Core Banking solution was due to his leadership. He joined the banking system as Probationary Officer in June 1978 in Oriental Bank of Commerce and served that bank for over three decades in various capacities. He was Honorary Secretary of IBA Delhi Chapter during August 2000 - November 2007. He was a Member of Joint Trade Committee constituted by Government of India, Ministry of Commerce for Indo Myanmar Trade Relations. He is a Director on the Board of the United India Insurance Company Limited and a Member of the Managing Committee of Indian Banks' Association. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri V RamaGopal, Executive Director, aged 59 years was appointed as Executive Director of the Bank on December 07, 2009. He has a Masters degree in Biochemistry. He joined as Probationary Officer in Indian Bank in 1973, before moving to Andhra Bank in 1976. He was General Manger in charge of Funds and Investments and IBD, served as DGM in Zonal Office, Kolkata and Guntur besides other assignments in Andhra Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Rajeev Rishi, aged 51 years, was appointed as the Executive Director of the Bank on October 01, 2010. He belongs to Chandigarh (UT). He holds Bachelor's degree in Arts and L.L.B. Before joining Indian Bank, he was the General Manager of Oriental Bank of Commerce with rich experience in banking for having worked in various parts of the country such as Chandigarh, Bhubaneshwar, Kolkata, Dehradun, Pune, Mumbai, Ludhiana, etc. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Shaktikanta Das, IAS, aged 54 years, was nominated by the Government of India to the Board of the Bank on December 09, 2009. He has a Master's Degree from St. Stephen's College, Delhi. He is the Additional Secretary (Budget) in Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India. He had distinguished services as Joint Secretary, Ministry of Finance, Dept. of Expenditure, Government of India, Special Commissioner and Commissioner of Revenue Administration, Government of Tamil Nadu, Secretary, Industries Department in Government of Tamil Nadu and various other distinguished services. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri S Karuppasamy, aged 57 years, was appointed as the RBI nominee to the Board on July 30, 2010. He is the Executive Director of Reserve Bank of India. He has a Master's degree and holds PG diploma in Bank Management (NIBM) and he is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He was the Chief General Manager and Principal, Bankers Training College, Reserve Bank of India, Chennai and the Regional Director, RBI, Kolkata. He has rich experience of having worked in Issue Department, Department of Economic Analysis and Policy, Banking Department, Agricultural Credit Department, Department of Banking Operations and Development, Urban Banks Department, etc., of RBI in various centres. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri M Jayanath, aged 55 years, was appointed as the Workmen Employee Director of the Bank by the Government of India and assumed charge on April 21, 2010. He joined the Bank on July 10, 1978. He has a Bachelor's degree in Science. He is the General Secretary of the Karnataka Unit of Indian Bank Employees' Union. Presently he is a Special Assistant of Bangalore City Branch (Bengaluru) of the Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri C K Ranganathan, aged 50 years, was elected as the Shareholder Director of the Bank on June 30, 2008. He has a Bachelor's degree in Science. He is the Chairman and Managing Director of M/s Cavinkare Pvt. Ltd. He holds 200 Equity Shares of the Bank.

Prof. Narendra Kumar Agrawal, aged 61 years, was elected as the Shareholder Director of the Bank on June 30, 2008. He holds B.E, MMS degrees and is a Fellow of IIM- A. Presently he is a Professor in Organizational Behaviour and Human Resources Management which is his area of specialization in Indian Institute of Management, Bangalore. He is a visiting faculty in many foreign Universities. He holds 100 Equity Shares of the Bank.



ckMZcBdkaeafunskdkadh mifLFkfr dsfooj.k

funskd dk uke 1/1 oZ/h1/2	vof/k	mudh dk, kðf/k ds nkýku vk, kft r c\$3da	mifLFkr c B da
1. टी एम भसीन	01.04.2010 — 31.03.2011	15	14
2. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	9	9
3. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	15	15
4. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	6	6
5. शक्तिकांता दास	01.04.2010 — 31.03.2011	15	7
6. सी आर गोपालसुन्दरम	01.04.2010 — 29.07.2010	6	6
7. एस करुप्पसामी	30.07.2010 — 31.03.2011	9	8
8. टी टी नटराजन	01.04.2010 — 21.11.2010	11	10
9. एम जयनाथ	01.04.2010 — 31.03.2011	15	15
10. श्रीमती सारिया खान	01.04.2010 — 30.01.2011	13	11
11. सी के रंगनाथन	01.04.2010 — 31.03.2011	15	3
12. प्रो नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2010 — 31.03.2011	15	6
13. जी चरथ चन्द्रन	01.04.2010 — 13.01.2011	12	12

3 ck/MZdh l fefr; k

बोर्ड ने निम्न समितियाँ गठित की हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में निर्दिष्ट एवं केन्द्रित नियंत्रण प्रदान करती हैं और बैंक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करती हैं।

Øla	l fefr dk uke
₹.	लेखापरीक्षा समिति
बी.	पारिश्रमिक समिति
सी.	शेयर धारक / निवेशक शिकायत समिति
डी.	शेयर अंतरण समिति
ई.	प्रबंधन समिति
एफ.	प्रौद्योगिकी समिति
जी.	जोखिम प्रबंधन समिति
एच.	बडे मूल्य की धोखाधिडयों को मानीटर करने की समिति
आई.	ग्राहक सेवा समिति
जे.	निदेशकों की समिति (सतर्कता)
के.	नामांकन समिति

, ½ys[kkijh(kk l fefr

लेखा परीक्षा समिति का गठन 13 अक्तूबर 1995 को गठित किया गया और इसकी संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित शामिल है।

- बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना, जिससे बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण को व्यवस्थित, परिचालित करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना अभिप्रेत है तथा बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन शामिल है।
- अंतर-शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में लंबे समय से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में शेष काम, धोखाधिडयाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई
 करना और वार्षिक / अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने
 से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।
 - दिनांक 23 नवंबर, 2006 को निदेशक मंडल के संकल्प की शर्तों के अनुसार, निम्निलिखित को शामिल करने के लिए लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र को बढाया गया:
- लेखा, लेखा—नीतियों, प्रकटीकरण की नियमित पुनरीक्षा ;

Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings

	Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	T M Bhasin	01.04.2010 – 31.03.2011	15	14
2.	A S Bhattacharya	01.04.2010 – 30.09.2010	9	9
3	V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	15	15
4	Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	6	6
5	Shaktikanta Das	01.04.2010 – 31.03.2011	15	7
6	C R Gopalasundaram	01.04.2010 – 29.07.2010	6	6
7	S Karuppasamy	30.07.2010 – 31.03.2011	9	8
8	T T Natarajan	01.04.2010 – 21.11.2010	11	10
9	M Jayanath	01.04.2010 – 31.03.2011	15	15
10	Mrs. Saria Khan	01.04.2010 – 30.01.2011	13	11
11	C K Ranganathan	01.04.2010 – 31.03.2011	15	3
12	Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2010 – 31.03.2011	15	6
13	G Charath Chandran	01.04.2010 – 13.01.2011	12	12

3. Committees of the Board

The Board has constituted the following Committees which provide specific and focused governance in important functional areas and to oversee the affairs of the Bank.

SI.No.	Name of the Committee
a.	Audit Committee
b.	Remuneration Committee
C.	Shareholders'/Investors' Grievance Committee
d.	Share Transfer Committee
e.	Management Committee
f.	Technology Committee
g.	Risk Management Committee
h.	Committee to Monitor Large Value Frauds
i.	Customer Service Committee
j.	Committee of Directors (Vigilance)
k.	Nomination Committee

a) Audit Committee

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India;
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts, nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping;
- Review quarterly reports from the compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports.
 - In terms of the resolution of the Board of Directors dated November 23, 2006, the scope of reference of the Audit Committee was enhanced to include the following:
- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures;



- प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने पर आधारित मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा और लेखा परीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण समायोजन की पुनरीक्षा;
- डाफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की शर्तै:
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा ;
- आंतिरक लेखा परीक्षा का स्वरूप और निरंतरता स्थापित करना, आंतिरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतिरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;

- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक शेयर बाज़ार की आवश्यकता का अनुपालन ;
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है; और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय—समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं द्वारा जरूरी हों,

ys[kkijh(kkl fefresafunskdkadh mifLFkfrdsfooj.k(

funskd dk uke ¼ oØh½	vof/k	mudh dk, kðf/k ds nkj ku vk, kftr c\$ds	mi fLFkr c \$ d a
1. शक्तिकांता दास	01.04.2010 — 31.03.2011	10	6
2. सी आर गोपालसुन्दरम	01.04.2010 — 29.07.2010	4	4
3. सी के रंगनाथन	01.04.2010 — 27.08.2010	5	0
4. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	5	5
5. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	10	9
6. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	5	5
7. एस करुप्पसामी	30.07.2010 — 31.03.2011	6	5
8. प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	28.08.2010 — 31.03.2011	6	3

ch/2ikfjJfed l fefr %

29 ekp/2 2007 dksikfj Jfed l fefr xfBr dh x; h Fkh

भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमानुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक एवं यात्रा और ठहरने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। गैर—कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को कोई भी अन्य पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है, उन्हें भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड / समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार गैर—कार्यपालक निर्दशकों को यात्रा एवं ठहरने हेतु भत्ते सिहत पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

i kfj Jfed 1 fefr 1 fefr ea funskdkadh mi fLFkfr ds fooj.k

funskd dkuke ¼ oZh½	vof/k	mudh dk, köf/k dsnkjku vk, kftr c\$da	mi fLFkr c S da
1. शक्तिकांता दास	01.04.2010 — 31.03.2011	1	1
2. सी आर गोपालसुन्दरम	01.04.2010 — 29.07.2010	1	1
3. प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2010 — 31.03.2011	1	1
4. जी चरत चन्द्रन	01.04.2010 — 13.01.2011	1	1

भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमानुसार बोर्ड की बैठकों भें भाग लेने के लिए गैर—सरकारी निदेशक ₹5000 / — तथा अन्य बोर्ड की समितियों की बैठकों के लिए ₹2500 / — का बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit;
- · Qualifications in the draft audit report;
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;

- Compliance with Accounting Standards and Accounting policies of the Bank
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large; and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements

Details of Attendance of the Directors at the Audit Committee:

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shaktikanta Das	01.04.2010 – 31.03.2011	10	6
2. C R Gopalasundaram	01.04.2010 – 29.07.2010	4	4
3. C K Ranganathan	01.04.2010 – 27.08.2010	5	0
4. A S Bhattacharya	01.04.2010 – 30.09.2010	5	5
5. V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	10	9
6. Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	5	5
7. S Karuppasamy	30.07.2010 – 31.03.2011	6	5
8. Prof. Narendra Kumar Agrawal	28.08.2010 – 31.03.2011	6	3

b) Remuneration Committee:

The Remuneration Committee was constituted on March 29, 2007.

The Chairman and Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. The part-time Non-Official Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board / Committee as per the guidelines of Government of India. The remuneration including travelling and halting expenses to part-time Non-Official Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

Details of Attendance of the Directors at the Remuneration Committee:

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shaktikanta Das	01.04.2010 – 31.03.2011	1	1
2. C R Gopalasundaram	01.04.2010 – 29.07.2010	1	1
3. Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2010 – 31.03.2011	1	1
4. G Charath Chandran	01.04.2010 – 13.01.2011	1	1

The Non-Official Directors are entitled to sitting fees of Rs.5,000/- and Rs.2,500/- for attending Board meetings and meetings of the Committees of the Board as per Government of India guidelines.



1 h½'ks, j/kkj dka@ fuoskdka dh f'kdk, r 1 fefr %

शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य संभालने हेतु 23 नवंबर, 2006 के प्रभाव से सिमित गठित की गई और इस सिमित का कार्य सिर्फ शेयरों के अंतरण, लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने एवं और किसी प्रकार की शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के विरुद्ध किसी शेयर धारक या निवेशक की शिकायतों के निवारण का कार्य भी शामिल है।

'ks j/kkjdka@ fuoskdkadh f'kdk; r l fefr eafunskdkadh mifLFkfr dsfooj.k (

funskd dk uke ¼ o 7 h½	vof/k	mudh dk; köf/k ds nkjku vk; kftr c\$da	mifLFkrc\$Bda
1. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	2	2
2. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	4	4
3. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	2	2
4. श्रीमती सारिया खान	01.04.2010 — 30.01.2011	4	3

Mh½'ksj varj.klfefr %

इंडियन बैंक (शेयरों और बैठकों) विनियमन, 1999, के विनियमन संख्या 2ए के अनुसार, 13 मार्च 2007 को बैंक की शेयर अंतरण समिति गठित की गई। यह समिति रीमेटिरियलैसेशन आदि हेतु अनुरोध पर विचार करती है।

'kş j varj.k l fefr ea funskdka dh mifLFkfr dsfooj.k (

funskd dk uke ¼ o 刀 h½	vof/k	mudh dk, köf/k dsnkjku vk, kftr c\$da	mifLFkr c B da
1. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	2	2
2. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	3	3
3. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	1	1
4. सी के रंगनाथन	01.04.2010 — 31.03.2011	3	1

bZ2izaku l fefr %

प्रबंधन समिति का गठन 08 सितंबर, 1990 को हुआ था और यह भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह से केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करता है। प्रबंधन समिति निम्न विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है:

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त)
- ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहरण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- उनके बचाव के लिए मुकदमा / अपील आदि दायर करने ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और कंपनियों के डिबेंचरों सहित जोखिम अंकन में निवेश
- दान ; और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले।

c) Shareholders' / Investors' Grievance Committee:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Shareholders / Investors Grievance Committee

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. A S Bhattacharaya	01.04.2010 – 30.09.2010	2	2
2. V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	4	4
3. Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	2	2
4. Mrs. Saria Khan	01.04.2010 – 30.01.2011	4	3

d) Share Transfer Committee

Pursuant to Regulation No. 2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007. The Committee considers requests for rematerialization, etc.

Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee:

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. A S Bhattacharaya	01.04.2010 – 30.09.2010	2	2
2. V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	3	3
3. Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	1	1
4. C K Ranganathan	01.04.2010 – 31.03.2011	3	1

e) Management Committee:

The Management Committee was constituted on September 08, 1990 and exercises such powers of the Board as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- · Loans compromise / write off proposals;
- · Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- · Filing of suits / appeals, defending them, etc.;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- · Donations; and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board.



izaku l fefr es funsk dka dh mi fLFkfr dk fooj.k %

funskd dk uke ¼ o Z H½	vof/k	mudh dk, kōf/k ds nk5ku vk, kft r c\$6ds	mifLFkrc S ds
1. टी एम भसीन	01.04.2010 — 31.03.2011	16	15
2. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	8	8
3. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	16	16
4. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	8	8
5. सी आर गोपालसुन्दरम	01.04.2010 — 29.07.2010	5	5
6. टी टी नटराजन	20.10.2010 — 21.11.2010	1	1
7. श्रीमती सारिया खान	12.04.2010 — 11.10.2010	7	7
	30.12.2010 — 30.01.2011	2	2
8 सी के रंगनाथन	20.04.2010 — 19.10.2010	9	1
	22.11.2010 — 31.03.2011	5	2
9. प्रो नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	12.10.2010 — 31.03.2011	8	4
10. जी चरथ चन्द्रन	01.04.2010 — 29.06.2010	4	4
11. एम जयनाथ	24.07.2010 — 11.12.2010	8	8
	01.03.2011 — 31.03.2011	1	1
12. एस करुप्पसामी	30.07.2010 — 31.03.2011	11	9

, Q½ik6 kfxdh l fefr%

प्रौद्योगिकी समिति 11 मार्च, 2002 को गठित की गई।

प्रौद्योगिकी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं को देखने और स्पष्ट परिभाषित माइल स्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है।

ikS kfxdh l fefr eafunskdkadh mifLFkfr dk fooj.k%

funskd dk uke ¼ oØk½	vof/k	mudh dk; köf/k ds nkjku vk; kstr c\$da	mifLFkr c S ds
1. टी एम भसीन	01.04.2010 — 30.03.2011	5	5
2. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	2	2
3. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	5	5
4. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	3	3
5. प्रो नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2010 — 31.03.2011	5	4
6. श्रीमती सारिया खान	01.04.2010 — 30.01.2011	3	2

th/2 th/s i zaku l fefr %

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 18 जनवरी, 2003 को किया गया था। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन जिसमें ऋण जोखिम सिहत बैंक के विभिन्न ऋण जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- समिति के दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- बाज़ार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
 - यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि करती हैं।
 - ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भवन पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाजार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
 - अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाज़ार जोखिम प्रबंधक / कों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. T M Bhasin	01.04.2010 – 31.03.2011	16	15
2. A S Bhattacharaya	01.04.2010 – 30.09.2010	8	8
3. V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	16	16
4. Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	8	8
5. C R Gopalasundaram	01.04.2010 – 29.07.2010	5	5
6. T T Natarajan	20.10.2010 - 21.11.2010	1	1
7. Mrs. Saria Khan	12.04.2010 – 11.10.2010	7	7
	30.12.2010 – 30.01.2011	2	2
8. C K Ranganathan	20.04.2010 – 19.10.2010	9	1
	22.11.2010 – 31.03.2011	5	2
9. Prof. Narendra Kumar Agrawal	12.10.2010 – 31.03.2011	8	4
10. G Charath Chandran	01.04.2010 – 29.06.2010	4	4
11. M Jayanath	24.07.2010 – 11.12.2010	8	8
	01.03.2011 – 31.03.2011	1	1
12. S Karuppasamy	30.07.2010 – 31.03.2011	11	9

f) Technology Committee:

- The Technology Committee was constituted on March 11, 2002.
- The Technology Committee has been set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones.

Details of Attendance of the Directors at the Technology Committee

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. T M Bhasin	01.04.2010 – 30.03.2011	5	5
2. A S Bhattacharaya	01.04.2010 – 30.09.2010	2	2
3. V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	5	5
4. Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	3	3
5. Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2010 – 31.03.2011	5	4
6. Mrs. Saria Khan	01.04.2010 – 30.01.2011	3	2

g) Risk Management Committee:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003. The functions of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- The responsibility of the Committee include:

- Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting
- Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy
- Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios
- Appointment of qualified and competent staff; ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.



tkf[ke izaku l fefr en funskdka dh mifLFkfr dk fooj.k %

funskd dk uke ¼ oØk/2	vof/k	mudh dk, köf/k ds nkj ku vk, kst r c&ds	mi fLFkr c \$ Bd a
1. टी एम भसीन	01.04.2010 — 31.03.2011	5	5
2. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	3	3
3. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	5	5
4. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	2	2
5. एस करुप्पसामी	30.07.2010 — 31.03.2011	3	2
6. श्रीमती सारिया खान	01.04.2010 — 31.03.2011	4	3
7. सी आर गोपालसुन्दरम	01.04.2010 — 30.07.2010	1	1

एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधिडयों को मानीटर करने हेत् इस समिति का गठन 31 जनवरी 2004 को किया गया था।

cMs eW; dh/kkf kk/kfM; ka dks ekulWj djus grqfo'kkk l fefr ea funs kdka dh mi fLFkfr ds fooj. k %

funskd dk uke ¼ oZh½	vof/k	mudh dk, köf/k ds nkjku vk, kft r cSids	mi fLFkr c \$ 8d a
1. टी एम भसीन	01.04.2010 — 31.03.2011	4	4
2. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	1	1
3. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	4	4
4. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	3	3
5. शक्तिकांता दास	09.12.2010 — 31.03.2011	4	1
6. प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2010 — 31.03.2011	4	2

vlo Zzxłagdlok lifefr

ग्राहक सेवा समिति अगस्त 24, 2004 को गठित की गई थी। ग्राहक सेवा समिति के कार्य में निम्नलिखित भी शामिल हैं।

- आम व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रक्रियाविधियों व पद्धतियों के सरलीकरण पर ध्यान देने हेतु ;
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु पद्धतियों की पुनरीक्षा और
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उन विनियमों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा जोकि बैंक की ग्राहक सेवा का अतिक्रमण कर रही हैं।

xkgd look l fefr eafunskdkadh mifLFkfr dk fooj.k %

funskd dk uke ¼ o 刀 h½	vof/k	mudh dk, köf/k ds nkjku vk, kft r cBds	mifLFkr c S da
1. टी एम भसीन	01.04.2010 — 31.03.2011	4	4
2. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	2	2
3. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	4	4
4. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	2	2
5. शक्तिकांता दास	01.04.2010 — 31.03.2011	4	1
6. सी आर गोपालसुन्दरम	01.04.2010 — 29.07.2010	1	1
7. एस करुप्पसामी	30.07.2010 — 31.03.2011	2	1

t ½ funškdkadh l fefr ¼ rdZk½

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। सतर्कता समिति तिमाही में एक बार बैठक करती है और लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करती है। निदेशक समिति की टिप्पणी, सतर्कता मामलों के अर्धवार्षिक पुनरीक्षण हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee:

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. T M Bhasin	01.04.2010 – 31.03.2011	5	5
2. A S Bhattacharaya	01.04.2010 – 30.09.2010	3	3
3. V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	5	5
4. Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	2	2
5. S Karuppasamy	30.07.2010 – 31.03.2011	3	2
6. Mrs. Saria Khan	01.04.2010 – 30.01.2011	4	3
7. C R Gopalasundaram	01.04.2010 – 30.07.2010	1	1

h) Special Committee for monitoring Large Value Frauds:

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of Rs.1 crore and above

Details of Attendance of the Directors at the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. T M Bhasin	01.04.2010 – 31.03.2011	4	4
2. A S Bhattacharaya	01.04.2010 – 30.09.2010	1	1
3. V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	4	4
4. Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	3	3
5. Shaktikanta Das	09.12.2010 – 31.03.2011	4	1
6. Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2010 – 31.03.2011	4	2

i) Customer Service Committee

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004. The functions of the Customer Service Committee include the following.

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interests of common persons:
- To review the systems in place for providing service to the customers; and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinges on customer service of banks.

Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee:

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. T M Bhasin	01.04.2010 – 31.03.2011	4	4
2. A S Bhattacharaya	01.04.2010 – 30.09.2010	2	2
3. V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	4	4
4. Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	2	2
5. Shaktikanta Das	01.04.2010 – 31.03.2011	4	1
6. C R Gopalasundaram	01.04.2010 – 29.07.2010	1	1
7. S Karuppasamy	30.07.2010 – 31.03.2011	2	1

i) Committee of Directors (Vigilance):

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The observation of the Vigilance Committee is put up to the Board in the half yearly review of vigilance matters.



lrdZk lfefr eafunskdkadh mifLFkfr dsfooj.k%

funskol olk uke ¼ o 7 0 h½	vof/k	mudh dk, köf/k ds nkjku vk, kft r c\$da	mifLFkrc\$da
1. टी एम भसीन	01.04.2010 — 31.03.2011	4	4
2. ए एस भट्टाचार्य	01.04.2010 — 30.09.2010	2	2
3. वी रामगोपाल	01.04.2010 — 31.03.2011	4	4
4. राजीव ऋषि	01.10.2010 — 31.03.2011	2	2
5. शक्तिकांता दास	01.04.2010 — 31.03.2011	4	1
6. सी आर गोपालसुन्दरम	01.04.2010 — 29.07.2010	1	1
7. एस करुप्पसामी	30.07.2010 — 31.03.2011	3	2

ds/zukekalu 1 fefr

नामांकन समिति दिसंबर 01, 2007 को निम्नलिखित निदेशकों के साथ गठित की गई है :

- 1. भारत सरकार के नामिती निदेशक (समिति का अध्यक्ष)
- 2. भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक
- 3. सनदी लेखाकार निदेशक

बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरधारक – निदेशकों को चुनने की प्रक्रिया के दौरान इस समिति की बैठक की जाती है। अप्रैल 01, 2010 से मार्च 31, 2011 तक की अवधि के दौरान किसी शेयरधारक निदेशक ने अपना पद नहीं छोड़ा है।

4-1 lekti cBda

बैंक के शेयरधारकों की पिछली सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) के विवरण निम्न प्रकार हैं;

	, ,		
okt"köd lkektt, cSid	fnu, oafnukad	le;	t xg
प्रथम	बुधवार,	11.00 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर
	जून 27, 2007		राजा अण्णामलैपुरम
			चेन्नै — 600 028
द्वितीय	सोमवार,	11.00 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर
	जुन 30, 2008		राजा अण्णामलैपुरम
	~ .		चेन्नै — 600 028
तृतीय	सोमवार,	10.00 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर
	जून 29, 2009		राजा अण्णामलैपुरम
	6 .		चेन्नै — 600 028
चौथा	गुरुवार	10.30 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर
	जून 10, 2010		राजा अण्णामलैपुरम
	<i>e</i> .		चेन्नै — 600 028

उक्त सामान्य वार्षिक बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए।

5- izdVhdj.k

- क. बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहार में आनेवाली मदों के अलावा बैंक ने अपने प्रवर्तकों / निदेशकों, प्रबंधन, उनकी अनुषंगियाँ, अथवा रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी प्रकार के भौतिक प्रमुख लेनदेनों में भाग नहीं लिया है जिससे बैंक के हितों के साथ संभाव्यत: टकराव हो।
- ख. बैंक ने पूंजी बाज़ार से संबंधी मामलों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और पिछले वर्ष के दौरान स्टॉक एक्स्चेंज अथवा सेबी

अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया या आलोचना नहीं की गई।

x- vfuok, Zvk x vfuok, Zvko'; drk, a%

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंटों के खंड 49 में बताए गए अनुसार सभी प्रयोज्य आवश्यकताओं का पालन किया है। गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा नीचे प्रस्तुत है।

Details of Attendance of the Directors at the Vigilance Committee:

Name of Director (Sarvashree)	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. T M Bhasin	01.04.2010 – 31.03.2011	4	4
2. A S Bhattacharaya	01.04.2010 – 30.09.2010	2	2
3. V RamaGopal	01.04.2010 – 31.03.2011	4	4
4. Rajeev Rishi	01.10.2010 – 31.03.2011	2	2
5. Shakikanta Das	01.04.2010 – 31.03.2011	4	1
6. C R Gopalasundaram	01.04.2010 – 29.07.2010	1	1
7. S Karuppasamy	30.07.2010 – 31.03.2011	3	2

k) Nomination Committee:

The Nomination Committee was constituted on December 01, 2007 with the following Directors:

- 1. Government of India Nominee Director (Chairman of the Committee)
- 2. RBI Nominee Director
- 3. Chartered Accountant Director.

The Committee meets during the process of election of Shareholder Directors representing the shareholders of the Bank. During the period April 01, 2010 to March 31, 2011, no shareholder director vacated office.

4. General Body Meetings:

The details of previous Annual General Meetings (AGM) of shareholders of the Bank are as follows:

Annual General Meeting	Day & Date	Time	Venue
First	Wednesday, June 27, 2007	11.00 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai - 600 028.
Second	Monday, June 30, 2008	11.00 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai - 600 028.
Third	Monday, June 29, 2009	10.00 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai - 600 028
Fourth	Thursday June 10, 2010	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai 600 028.

No special resolutions were passed at the above Annual General Meetings.

5. Disclosures

- a. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b. The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been

imposed any penalty or stricture by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authority during last year.

c. Mandatory and non-mandatory requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under:



vko'; drk	vu ģ kyu
गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे बैंक के खर्चें पर अध्यक्ष	बैंक की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत सरकार
का कार्यालय बनाए रखें ओर उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों	द्वारा नियुक्त होने हैं और उनके द्वारा वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत के
की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
बोर्ड को चाहिए कि एक पारिश्रमिक समिति बनाएं ताकि वह उनकी ओर से व	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक पैकेज निर्धारित करने के लिए
शेयरधारकों की ओर से स्वीकृत शर्तों पर कार्यपालक निदेशकों के लिए निर्दिष्ट	बोर्ड की पारिश्रमिक समिति गठित की गई है।
पारिश्रमिक पैकेजों पर पेंशन अधिकार व अन्य कोई क्षतिपूर्ति भुगतान शामिल करते	
हुए बैंक नीति निर्धारित करें।	
fofl y Cyks j ikWyl h % बैंक एक ऐसी प्रक्रियाविधि स्थापित करें जिसके	
द्वारा कर्मचारी अनाचार पूर्ण व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद विषय, धोखाधडी	
अथवा अपनी कंपनी की आचार संहिता अथवा आचार नीति के उल्लंघन के बारे	
में प्रबंधन को बताएं और कर्मचारियों के प्रति अत्याचार के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा	
उपाय किए जाए।	
ikt.Vy csyst/	संचालित कारोबार में ऐसा कोई संकल्प नहीं था, जिनपर पोस्टल बेलेट द्वारा
	निर्णय लिया जाना हो।

6- l ppkj dsek/; e

बैंक से संबंधित जानकारी प्रमुखतः वार्षिक रिपोर्ट द्वारा जारी की जाएगी जिसमें निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण, समेकित लेखा परीक्षित लेखे आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्स्वेंजों को सूचना (एनएसई एवं बीएसई) प्रेस विज्ञप्तियां, जहाँ भी संभव हो – ईमेल, जोकि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, के द्वारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निष्पादनों की जानकारी दी जाएगी। बैंक ब्याज दरों में संशोधन, नए उत्पादों के प्रारंभ, नई शाखाओं के प्रारंभ, जैसे विभिन्न परिचालन मामलों पर प्रेस विज्ञाप्तियाँ जारी करता है जोकि बैंक की वेबसाइट (www.indianbank.in) पर भी उपलब्ध है।

7- 1 kekU; 'ks j/kkjdkadh t kudkjh

इंडियन बैंक के लेखों पर विचार करने व लाभांश की घोषणा	अप्रैल 23, 2011
वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान	जून 29, 2011
	सुबह 10.30 बजे
	इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णभलैपुरम
	चेन्नै 600028
वित्तीय वर्ष	2010-11
बही समापन तारीख	जून 01, 2011 से जून 03, 2011 (दोनों दिनों को शामिल करते हुए)
2010-11 के लिए लाभांश	ईक्विटी शेयर – प्रति ईक्विटी शेयर रु.7.5 (75 प्रतिशत)
	अधिमान शेयर – 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष
प्राक्सी फ़ार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	जून 24, 2011
लाभांशों के भुगतान की तारीख	आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर

Requirement	Compliance
A non-executive Chairman should be entitled to maintain a	The Bank is chaired by an Executive Chairman appointed
Chairman's Office at the Bank's expense and also allowed	by the Government of India and the reimbursement of
reimbursement of expenses incurred in performance of his	expenses incurred by him are in terms of Government of
duties.	India guidelines.
The Bank should set up a remuneration committee to	Remuneration Committee of the Board has been formed
determine on their behalf and on behalf of the shareholders	to determine the remuneration package in terms of the
with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific	Government of India guidelines.
remuneration packages for executive directors including	
pension rights and any compensation payment.	
Whistle Blower Policy: The Bank may establish a mechanism	The Bank has put in place a Whistle Blower policy.
for employees to report to the management concerns about	
unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of	
the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for	
adequate safeguards against victimization of employees.	
Postal Ballot	The business transacted did not require any special resolution
	to be put through postal ballot.

6. Means of Communication

Information relating to Bank will be mainly issued through the Annual Report which includes the Directors Report, Auditors' Report, Cash Flow Statements, Consolidated Audited Accounts, etc. The shareholders will also be intimated on the quarterly, half yearly and annual performance through publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges (NSE & BSE), press release, email wherever possible, which is also available on the website of the Bank. The Bank issues press release on various operational matters such as revision in interest rates, launching of new products, opening of new branches, etc. which are also available on the website of the Bank (www.indianbank.in).

7. General Shareholder Information

Board Meeting for considering accounts of Indian	April 23, 2011
bank and declaration of dividend	
Date, Time and venue of AGM	June 29, 2011
	10.30 a.m.
	IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram,
	Chennai 600 028.
Financial Year	2010-11
Book closure dates	June 01, 2011 to June 03, 2011 (both days inclusive)
Dividend for 2010-11	Equity Shares @ Rs.7.50 (75%) per share.
	Preference Shares @ 10.00% p.a.
Last date of receipt of proxy forms	June 24, 2011
Date of payment of Dividend	Within 30 days from the date of the ensuing Annual General
	Meeting



d- LVkM , DLkpst kaij fyfLVax

मार्च 01, 2007 से बैंक के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के पास सूचीबद्ध है। एक्सचेंज के स्क्रिप कोड निम्नानुसार है।

क्रमांक	LVKM , Dl pst	LVkM	fLØi dkM
1.	एन एस ई	ईक्विटी	INDIANB
2.	बी एस ई	ईक्विटी	INDIANB / 532814

बैंक ने वर्ष 2010–11 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

[k vunikyu vf/kdkjh

श्री आर. रिव, महा प्रबंधक को अनुपालन अधिकारी के रूप में मई 10, 2011 से पदनामित किया गया है। श्री ए. कामाट्ची, उप महाप्रवंधक (लेखा), सेबी एवं अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालनार्थ अनुपालन अधिकारी के रूप में नामांकित किय गए हैं। ए गणेस रत्नम, कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिए गए लिस्टिंग एग्रिमेंटों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालनार्थ अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

x- 'ks, j gLrkrj. k vks, fuoskdkadh f'kdk, rkadk fuokj. k %

बैंक ने शेयरधारकों के अनुरोधों को रिकॉर्ड करने, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने तथा शेयरों के जारीकरण से संबंधित अन्य कार्यकलापों को संभालने के लिए मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि., चेन्नै को शेयर हस्तांतरण अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। निवेशकों की सुविधा के लिए, उनकी शिकायतें चेन्नै स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक, अपने अनुरोध / शिकायतों को या तो शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास या बैंक के पास निम्नलिखित पतों पर दे सकते हैं :

केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.

यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1 क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002

टेलीफोन : (91 44) 28460718 फैक्स : (91 44) 28460129

ई-मेल : investor@cameoindia.com

कंपनी सचिव

इंडियन बैंक, प्रधान कार्यालय इन्वेस्टार सर्विसेज सेल

5 वां तल, 66 राजाजी सालै

चेन्नै 600 001

टेलीफोन : 91 44 25226699 फैक्स : 91 44 25232111

ई-मेल : investors@indianbank.co.in

iklr| fuokj.k dh xbZ, oayfacr f'kdk, rkadh l 4; k %

2010—11 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई तथा 31.03.2011 को लंबित शिकायतों / अनुरोधों की संख्या निम्नवत् है :

01-04-2010 dksyfacr	01-04-10 ls31-03-11 rd i x ir	fuokj.k fd, x,	31-03-11 dksyafer
0	115	115	0

Mh 31-03-2011 dks ks. j/kkfjrk i S/uZ%

31.03.2011 को 1 प्रतिशत तथा उससे अधिक शेयर धाराण करनेवाले शेयरधारकों की सूची :

l a	'ksj/kkjdkadklaoxZ	/kkfjrˈksˌjksadhla[;k	døy /kkfjrk dslkFk i£r'kr
1.	भारत सरकार	343820000	80.00
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	8035157	1.87
3.	एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	4997977	1.16
4.	उभरते बाज़ारों का प्रबन्धन, एल.एल.सी खाता ईएमएसएएफ – मारीशस	4320005	1.01

31-03-2011 rd day fonskh /kkfjrk

l a	ˈkṣjː/kkjdka.dk.l.aoxZ	/kkfjr 'ksjkadhla[;k	døy/Megrk dsl MFk i £r'kr
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	43376284	10.09
2.	एनआरआई	403038	0.09
	कुल	43779322	10.18

a. Listing on Stock Exchanges

The Equity Shares of the Bank are listed with the National Stock Exchange of India Limited and the Bombay Stock Exchange Limited with effect from March 01, 2007. The Scrip codes of the Exchange are as under

No.	Stock Exchange	Stock	Scrip Code
1.	NSE	Equity	INDIANB
2.	BSE	Equity	INDIANB / 532814

The Bank has paid the listing fees for the year 2010-11 to the stock exchanges.

b. Compliance Officer(s)

Shri R Ravi, General Manager has been designated as the Compliance Officer (with effect from May 10, 2011 Shri A Kamatchi, Deputy General Manager (Accounts) is the Compliance Officer) for complying with various provisions of SEBI and other statutory authorities. Shri. A. Ganesa Rathnam, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer for complying with various provisions of Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

c. Share Transfer & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank has appointed M/s Cameo Corporate Services Ltd., Chennai, as the Share Transfer Agent for recording of shareholders' requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For the convenience of investors, grievances / complaints from them are also accepted at the Bank's Head Office in Chennai.

The investors may lodge their requests / complaints either with the Share Transfer Agent or with the Bank at the following addresses:

Cameo Corporate Services Ltd.

Unit: Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai – 600 002.

Tel: (91 44) 28460718 Fax: (91 44) 28460129

Email: investor@cameoindia.com

Company Secretary Indian Bank, Head Office Investor Services Cell 5th Floor, No.66, Rajaji Salai,

Chennai 600 001.

Telephone : 91 44 25226699 Fax : 91 44 25232111

Email: investors@indianbank.co.in

Number of Complaints received, resolved and pending:

The details of complaints received and resolved during 2010-11 and pending as on 31.03.2011 are as follows:

Pending As on 01.04.2010 Received from 01.04.10 to 31.03.11		Resolved	Pending As on 31.03.11
0	115	115	0

d. Shareholding pattern as on 31.3.2011:

List of shareholders holding shares 1% and above as on 31.03.2011:

No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Government of India	343820000	80.00
2.	Life Insurance Corporation of India	8035157	1.87
3.	SBI Life Insurance Company Limited	4997977	1.16
4.	Emerging Markets Management, L.L.C. A/c EMSAF – Mauritius	4320005	1.01

Total foreign holding as on 31.3.2011:

No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Foreign Institutional Investors	43376284	10.09
2.	NRIs	403038	0.09
	Total	43779322	10.18



31-03-2011 rd 'k, j/kkfjrk dk forj.k

l **a**x**Z**kj %

l a	l axZ	/kkfjr 'ksjkadhla[;k	jkf′k ¼₹-½	ˈksˌj/kkfjrk dk iźrˈkr
1.	भारत सरकार	343820000	3438200000	80.00
2.	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ (केन्द्रीय / राज्य संस्थाएँ)	9542299	95422990	2.22
3.	म्यूचुअल फ़ण्ड और यूटीआई	9594613	95946130	2.23
4.	कार्पोरेट निकाय	11018790	110187900	2.57
5.	एफ़्आईआई	43376284	433762840	10.09
6.	निवासी होल्डिंग्स इत्यादि	12418014	124180140	2.89
	कुल	429770000	4297700000	100.00

e₩; okj %

valdre Wr; ds'ksjka dh'ksj/kkljrk	'ks, j /	ˈks̞ j /kkjd		 j
	l ą; k	i £r'kr	l ą ; k	i £r' kr
5000 तक	69418	96.02	85006990	1.98
5001 से 10000	1665	2.30	12011600	0.28
10001 से 20000	598	0.83	8352720	0.20
20001 से 30000	161	0.22	4045720	0.09
30001 से 40000	71	0.10	2545430	0.06
40001 से 50000	43	0.06	2035120	0.05
50001 से 100000	94	0.13	7033400	0.16
100001 और उससे अधिक	245	0.34	4176669020	97.18
कुल	72295	100.00	4297700000	100.00

ekfl d mPp , oafuEu dkWsku , oa'ksjkadh ek=k

ekg		, u, l bZ			ch, 1 bZ		d y
	mPp 境½	fuEu 境½	ek=k ¼ á; k; yk[k esk⁄2	mPp 境-½	fuEu 境·½	ek⊨k ¼ 4; k; yk[k esk⁄2	ek=k 1/1 a[; k; yk[k esh/2
अप्रैल 2010	224.60	174.50	224.85	228.80	175.05	56.45	281.30
मई 2010	236.60	202.60	176.91	236.40	201.10	23.59	200.50
जून 2010	233.90	209.15	89.96	233.95	215.00	8.93	98.89
जुलाई 2010	260.00	209.55	239.25	252.45	209.20	51.34	290.59
अगस्त 2010	260.55	224.35	156.92	260.80	224.65	16.29	173.21
सितंबर 2010	296.00	247.80	163.79	282.50	246.00	16.35	180.14
अक्तूबर 2010	316.25	272.60	192.93	316.50	279.50	19.54	212.47
नवंबर 2010	310.90	242.80	90.26	309.00	243.25	10.23	100.49
दिसंबर 2010	298.00	233.70	107.17	297.55	234.00	11.89	119.06
जनवरी 2011	254.35	201.25	103.11	254.50	201.00	15.92	119.03
फरवरी 2011	226.50	196.00	78.05	226.50	197.00	6.50	84.55
मार्च 2011	237.00	205.40	77.62	237.00	205.40	7.85	85.47

Distribution of shareholdings as on 31.3.2011:

Category wise:

No.	Category	No. of Shares held	Amount (Rs.)	% of Shareholding
1.	Government of India	343820000	3438200000	80.00
2.	Banks & Financial Institutions (Central / State Institutions)	9542299	95422990	2.22
3.	Mutual Funds & UTI	9594613	95946130	2.23
4.	Bodies Corporate	11018790	110187900	2.57
5.	Fils	43376284	433762840	10.09
6.	Resident Holdings, etc.	12418014	124180140	2.89
	TOTAL	429770000	4297700000	100.00

Value wise:

Shareholding of Nominal value Rs.	Shareho	lders	Shai	es
	Nos.	%age	Nos.	%age
Upto 5000	69418	96.02	85006990	1.98
5001 – 10000	1665	2.30	12011600	0.28
10001 – 20000	598	0.83	8352720	0.20
20001 – 30000	161	0.22	4045720	0.09
30001 – 40000	71	0.10	2545430	0.06
40001 – 50000	43	0.06	2035120	0.05
50001 - 100000	94	0.13	7033400	0.16
100001 & above	245	0.34	4176669020	97.18
TOTAL	72295	100.00	4297700000	100.00

Monthly High and low quotation and volume of shares:

Month		NSE			BSE		Total
	High (a)	Low (a)	Volume (Nos. in lacs)	High (a)	Low (a)	Volume (Nos. in lacs)	Volume (Nos.in lacs)
April 2010	224.60	174.50	224.85	228.80	175.05	56.45	281.30
May 2010	236.60	202.60	176.91	236.40	201.10	23.59	200.50
June 2010	233.90	209.15	89.96	233.95	215.00	8.93	98.89
July 2010	260.00	209.55	239.25	252.45	209.20	51.34	290.59
August 2010	260.55	224.35	156.92	260.80	224.65	16.29	173.21
September 2010	296.00	247.80	163.79	282.50	246.00	16.35	180.14
October 2010	316.25	272.60	192.93	316.50	279.50	19.54	212.47
November 2010	310.90	242.80	90.26	309.00	243.25	10.23	100.49
December 2010	298.00	233.70	107.17	297.55	234.00	11.89	119.06
January 2011	254.35	201.25	103.11	254.50	201.00	15.92	119.03
February 2011	226.50	196.00	78.05	226.50	197.00	6.50	84.55
March 2011	237.00	205.40	77.62	237.00	205.40	7.85	85.47



bZ2 'ks jkadk vewZdj.k%dkxt+jfgr djuk½

बैंक के शेयरों में लेनदेन, अनिवार्यतः कागज – रहित रूप में किए जाते हैं तथा बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज डेपासिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डेपोसिटरी सेक्युरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है तथा आईएसआईएन, आईएनई562ए01011 है। 31.03.2011 को कागज-रहित रूप में और कागज़ के रूप में धारित शेयरों के विवरण निम्नवत हैं :-

l ą ; k	LVkM	'ks, j ka dh l { ; k	QHAZ
1.	अधिमान	400,00,000	कागज़ रहित
2.	ईक्विटी	1,819	कागज़ के रूप में
3.	ईक्विटी	42,97,68,181	कागज़ रहित

, Q½ l Listl ¼mpar½ [kkrs eas'ks j

लिस्टिंग करार में अनुबद्ध किये गये क्लॉज 5ए की अपेक्षा के अनुपालन में इनिशियल पब्लिक ऑफर में जारी किये गये, परंतु बैंक तथा रजिस्ट्रार के प्रयासों के बावजूद भी अदावी रहनेवाले शेयरों को बैंक इस प्रयोजनार्थ खोले गये सस्पेन्स (उचंत) खाते में रखता है। सस्पेन्स, (उचंत) खाते में रखे ऐसे शेयरों के विवरण निम्नवत हैं :

fooj.k	ˈksˌj/kkjdkadhlą́;k	cdk, k vnRr 'ks, j	
वर्ष के आरंभ में बकाया	42	7517	
हस्तांतरण हेतु संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	8	1754	
शेयरधारकों की संख्या जिन्हें शेयर हस्तांतरित किये गये	8	1754	
वर्षांत में बकाया	34	5763	

th/2 vkpkj lágrk%

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू आचार संहिता बनायी है तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 29.03.2007 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अपना लिया है तथा बाद में इसमें संशोधन किया गया है और निदेशक मण्डल ने 23 दिसम्बर 2008 को उसे अनुमोदित किया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

?kkk kk

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बना ली है तथा इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध करा दिया गया है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते इंडियन बैंक

स्थान : चेन्नै टी एम भसीन

दिनांक : अप्रैल 23, 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

e. Dematerialization of Shares

The shares of the Bank are compulsorily traded in dematerialized form and the Bank has entered into agreements with the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the ISIN is INE562A01011. As on 31.03.2011 the details of shares held in dematerialised and physical form were as under.

No.	Stock	No. of shares	Form
1.	Preference	4,00,00,000	D-Mat
2.	Equity	1,819	Physical
3.	Equity	42,97,68,181	D-Mat

f. Shares in Suspense Account

In compliance of the requirement stipulated in Clause 5A of the Listing Agreement, the Bank is keeping the shares issued pursuant to the Initial Public Offer, which remain unclaimed despite the efforts of the Bank and the Registrar in a Suspense Account opened for this purpose. The details of such shares lying in the Suspense Account are as under:

Particulars	No. of Shareholders	Shares outstanding
Outstanding at the beginning of the year	42	7517
No. of shareholders approached for transfer	8	1754
No. of shareholders to whom shares were transferred	8	1754
Outstanding at the end of the year	34	5763

g. Code of Conduct

The Bank has framed the Code of Conduct applicable to Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board of Directors at its meeting held on 29.03.2007 and subsequently amended and approved by the Board of Directors on December 23, 2008 and the same has also been put on the Bank's website viz. www.indianbank.in

Declaration

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank.

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct.

For Indian Bank

Place: Chennai T M Bhasin

Date: April 23, 2011 Chairman & Managing Director



fyfLVax djkj ds [k M 49 ds varx It lb It/ks, oal h, Q+vks i zek k i =

सेवा में

निदेशक मंडल

इंडियन बैंक

प्रमाणित किया जाता है कि

- (ए) हमने वर्ष 2010—11 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकद प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार
 - इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण रूप से अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक हो सकनेवाले विवरण नहीं हैं।
 - (ii) एक साथ रखे जाने पर ये विवरण बैंक के कार्यकलापों का सच्चा एवं उचित रूप दिखाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।
- (बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखात्मक, गैर–कानूनी या बैंक की आचार संहिता के उल्लंघन में हों।
- (सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और आंत. रिक नियंत्रण—तंत्रों के रूप या परिचालन कमियाँ. यदि हों, जिसे हम जानते

हैं तथा इन किमयों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।

- (डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:
 - (i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - (ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है, और
 - (iii) धोखाधडी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि हो, की जानकारी।

(आर रवि) महा प्रबंधक एवं सीएफओ

स्थान : चेन्नै

दिनांक : अप्रैल 23, 2011

(टी एम भसीन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

CEO & CFO Certificate under Clause 49 of the Listing Agreement

To

The Board of Directors

Indian Bank

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2010-11 and that to the best of our knowledge and belief:
 - these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's codes of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or

- operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(R. Ravi) General Manager & CFO (T M Bhasin)
Chairman and Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: April 23, 2011



dkikijk vfkk kkl u ij yslkk ijk kdka dh fjik VZ

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ कथित बैंक के लिस्टिंग करार के खण्ड 49 में अनुबद्ध किए अनुसार हमने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाविधियों और उनके कार्यान्वयन तक की हमारी जांच सीमित थी। यह लेखापरीक्षा भी नहीं है और न ही यह बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत का प्रकटीकरण है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्डों और प्रलेखों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने ऊपर उल्लिखित स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ लिस्टिंग करार में अनुबद्ध किए अनुसार कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम कहते हैं कि शेयरधारक और निवशेक शिकायत समिति द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्डों के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेशकों की कोई शिकायत, एक महीने से अधिक अविध के लिए लंबित नहीं है।

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन, न हीं बेंक की भविष्य व्यवहार्यता का आश्वासन है और न बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावोत्पादकता है।

dirs x. kl u , oadai ul
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. ०००८५१एस

drsplhza , oaj leu सनदी लेखाकार पंजीकरण सं. 000571एस drsl yh, oada सनदी लेखाकार पंजीकरण सं. 004283एस

, l	l LokfeukFku			
	सा	झेदार		
(स	सं.	023998)		

ih, u jkepæu साझेदार (स सं. 13871) , l Lokfeukku साझेदार (स सं. 20583)

dirs dY; k kkl kfnje , oadauh सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. ००१६७७एस

drs, lekgu, oadauh सनदी लेखाकार पंजीकरण सं. 000608एन drs, chih, oa, lkfl; \$\forall 4 सनदी लेखाकार पंजीकरण सं. 315104ई

X6,A6XXV.

साझेदार (स सं. 23962)

c\'**žYÝd_i** \'

साझेदार (स सं. 12457)

ZVmXY^'dbX

साझेदार (स सं. 053714)

स्थान : चेन्नै

दिनींकः अप्रैल 23, 2011

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by INDIAN BANK for the year ended March 31, 2011 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with the Stock Exchanges.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned listing agreement with the Stock Exchanges.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders and Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For GANESAN AND COMPANY	For CHANDRAN & RAMAN	For SURI & CO
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
Registration No. 000859S	Registration No. 000571S	Registration No. 004283S
S SWAMINATHAN	P N RAMACHANDRAN	S SWAMINATHAN
Partner	Partner	Partner
(M. No. 023998)	(M. No.13871)	(M. No.20583)
For KALYANASUNDARAM & CO	For S MOHAN & CO	For A B P & ASSOCIATES
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
Registration No. 001676S	Registration No.000608N	Registration No.315104E
K RAMESHKUMAR	V M BHUTANI	BIMAL KUMAR CHANDUKA

Partner

(M. No.12457)

Place : Chennai

Date : April 23, 2011

Partner

(M. No.23962)

Partner

(M. No.053714)



; g i "B t kucw dj [kkyh NkMk x; k gSA This page is intentionally left blank

तुलन पत्र लाभ व हानि लेखा एवं अनुसूचियां BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES



31 **nM**2011 **H3nVtoZ** nl **BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2011**

(₹. हजारों में) (₹. In Thousands)

{ddaU PARTICULARS	AZıgMrg§ Sch.No.	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
nDr d Xò VnE§ CAPITAL & LIABILITIES			
nor Capital	1	829 77 00	829 77 00
Ana{j {V`n}Ana A{Yelf Reserves and Surplus	2	8691 33 43	7442 34 11
O_nE\Deposits	3	105804 18 27	88227 65 81
CYM2 Borrowings	4	2100 36 94	957 35 76
AÝ` Xì VnE§Ana nndYnZ Other Liabilities & Provisions	5	4292 64 94	3932 18 79
HIID TOTAL		121718 30 58	101389 31 47
AmpriV`n§ASSETS ^maVr`[apDd® fis_bZH\$X Amp enf Cash & Balances with R B I ~fish_lef Eds_n§ VWm Aën gMZmna nn6`YZan(e	6	6877 93 85	7060 71 67
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1684 37 22	1052 48 40
{Zde Investments	8	34783 75 90	28268 32 84
A{J <u>«</u> Advances	9	75249 90 56	62146 13 23
AMb AnnñV`n§Fixed Assets	10	1606 03 92	1579 55 08
AÝ` AnprnV`n§Other Assets	11	1516 29 13	1282 10 25
HIID TOTAL		121718 30 58	101389 31 47
AnH\$pn_H\$ Xi VnE\$Contingent Liabilities	12	33897 35 33	19817 32 03
dg/pr Hi {bE {~b Bills for Collection	-	1919 30 73	1791 32 85

_hËdnU od nH\aU Zr{V`n\significant Accounting Policies 17 bd nina {0\sin{U\ meNotes on Accounts 18

ऊपर संदर्भित अनुसचियाँ तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं

Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी एम भसीन T M BHASIN AÜ j Ed§n+§ {ZXeH\$ Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$mi findoH\${ZXæH Executive Director

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI H\$mi fintoH\${ZX@H Executive Director

आर रवि R RAVI _hmn*§H\$
General Manager

निदेशक DIRECTORS:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH, सी के रंगनाथन C K RANGANATHAN प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल Prof. NARENDRA KUMAR AGRAWAL

साविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कते चंद्रन एंड रामन For CHANDRAN & RAMAN

कृते गणेसन एंड कंपनी For GANESAN AND COMPANY

FOR GANESAN AND CONPANY GZX fol miss Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000859S एस स्वामिनाथन S SWAMINATHAN gnPkma Partner

Partner (M.No. 023998)
कृत कल्याणसुंदरम एंड कंपनी
For KALYANASUNDARAM & CO gZX bi nisa
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.001676S
के रमेशकुमार

K. RAMESHKUMAR gnPkm Partner (M.No. 023962)

gZX bd ntsa gZX bd ntsa Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000571S पी एन रामचन्द्रन P N RAMCHANDRAN gnPkma Partner (M.No. 013871) कृते एस मोहन एण्ड कंपनी For S. MOHAN & CO gZXr bol nH\$na gZAI IV III) III) Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000608N वी एम भुटानी V M BHUTANI gnPkm Partner (M.No. 012457)

कृते सूरी एण्ड कंपनी For SURI & CO g/Xi bi nkbn Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.004283S एस स्वामिनाधन S SWAMINATHAN gnPk/ma Partner Partner
(M.No. 020583)
कृत एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स
For ABP & ASSOCIATES
gZX bd ills Chartered Accountants
पंजीकरण स. Registration, No.315104E
बिमल कुमार चंद्रका
BIMAL KUMĀR CHĀNDUKA

साझेदार Partner (M.No. 053714)

ñWnZ Place : MÝZ¡Chennai Vnarl Date : 23.04.2011

31 ekp**/2011** dks l eldr o"k/ds fy, ni/ [**2** Of] PROFIT AND LOSS ACOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011

(₹. हजारों में) (₹. In Thousands)

{ddaU Particulars	अनुसूची सं Schedule	31.03.2011 H\$ng_má df© Y E 31.03.2011	31.03.2010 H\$nog_ná df [©] Y E 31.03.2010
I. AmIncome A(O♥ â`mO Interest earned AV` Am Other Income	13 14	9361 02 80 1181 88 85	7714 36 95 1316 40 80
Hib TOTAL		10542 91 65	9030 77 75
III. î` Expenditure i` {H\$' mJ`mā`n0 Interest expended n[aMnbZJV i` Operating Expenses nntYnZ Ed\$Ant\pin_H\$Vn' Provisions & Contingencies	15 16	5324 91 58 1926 31 64 1577 60 97	4553 18 38 1730 24 59 1192 36 07
HID TOTAL		8828 84 19	7475 79 04
III. bm` /hntZ PROFIT/LOSS df୴k(bE (Zdb bm` (ଝାଳି) Net Profit / Loss(-) for the year AJntZtV bm` (ଝାଳି) Profit / Loss(-) Brought forward		1714 07 46 87 90 96	1554 98 71 86 08 70
HID TOTAL		1801 98 42	1641 07 41
IV. (d/Z nDZ Appropriations (ZàZ llmAV)(aV Transfer to gn(d/Ylls) (a)d*Statutory Reserves nDr (a)Dd*Statutory Reserves-Others आयकर अधिनियम की घारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl.Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act निवेष रिजर्व Investment Reserves anDid (a)Dd Revenue Reserves anDid (a)Dd Revenue Reserves nonks lls: nU (Z(Y Staff Welfare Fund nñ\v(d/V B/Sd0f bm*n) Proposed Equity Dividend nñ\v(d/V A(Y_m') bm*n) Proposed Preference Dividend bm*n) (d/VaU lls) Dividend Distribution Tax VbZ ni llsmboom mJ*mA(Yef Balance carried over to Balance Sheet		428 52 00 1 18 41 90 00 00 759 00 00 15 00 00 322 32 75 40 00 00 57 22 66 88 72 60	390 00 00 30 07 68 66 00 00 28 83 03 650 00 00 15 00 00 279 35 05 40 00 00 53 90 69
HID TOTAL		1801 98 42	1641 07 41
n{V eù a AOZ, én`n _ (AnYma^)V Ama H\$_{H\$`mJ`n} Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		38.79	35.09

hEdnly od nHaU Zr{V`n Significant Accounting Policies

17 18

bd nina (Offn (U`ne Notes on Accounts ऊपर संदर्भित अनुसूची, लाभ व हानि लेखे के अभिन्न अंग हैं

Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

टी एम भसीन T M BHASIN AÜ`j Ed§n•§ {ZXæH\$ Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$ni AnbH\${ZXeH

राजीव ऋषि H\$m` AmbH\$ {ZXeeH

आर रवि R RAVI _hmn*§H\$
General Manager

निदेशक DIRECTORS:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH, सी के रंगनाथन C K RANGANATHAN प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल Prof. NARENDRA KUMAR AGRAWAL

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS:

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कृते चंद्रन एंड रामन

For CHANDRAN & RAMAN gZXr bil nh3na

Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000571S पी एन रामचन्द्रन

P N RAMCHANDRAN

gnPkm Partner

(M.No. 013871) कृते एस मोहन एण्ड कंपनी For S. MOHAN & CO

gZXr bd nH\$na Chartered Accountants

कृते गणेसन एंड कंपनी For GANESAN AND COMPANY gZXr bil nill\$na

Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000859S एस स्वामिनाथन

S SWAMINATHAN gnPkm Partner (M.No. 023998) कृते कल्याणसुंदरम एंड कंपनी For KALYANASUNDARAM & CO

gZXr bol nH\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.001676S के रमेशकुमार K. RAMESHKUMAR

gnPkma Partner (M.No. 023962)

पंजीकरण सं. Registration No.000608N वी एम भुटानी V M BHUTANI gnPkma Partner (M.No. 012457)

कृते सूरी एण्ड कंपनी For SURI & CO gZXr bil nilfna

Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.004283S एसं स्वामिनाथन S SWAMINATHAN

gnPkma Partner (M.No. 020583) कृते एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स For ABP & ASSOCIATES

gZXr bol nH\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.315104E बिमल कुमार चंदुका BIMAL KUMAR CHANDUKA

साझदार Partner (M.No. 053714)

ñWnZ Place : MVZ¡Chennai Vnarl Date : 23.04.2011



AZm/Mr 1- n/Or SCHEDULE 1- CAPITAL

(₹. हजारों में) (₹. In Thousands)

{ddaU particulars	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
ı. nıı(YH\$V n Or Authorised Capital		
nk े Ы\$ ₹. 10/- के 300,00,00,000 B(ŠdQr eò a		
300,00,00,000 Equity Shares of ₹.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
nk`hl\$₹. 100/- Ho4,00,00,000 ñWmìrJpa-gMìrA{Y_m'ì eòa		
4,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹.100/- each	400 00 00	400 00 00
ıı. Omar, A{^XËV Amp AXmH%r JB®nnDr Issued, Subscribed and Paid up captial:		
B(ŠdQr eò a Equity Shares :		
H\$. ^maV gaH\$ma Ûmamal oJE nË`bl\$ ₹.10/- H\$ 34,38,20,000 B(Šdûr eò a		
a. 34,38,20,000 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India	343 82 00	343 82 00
I. OZVmÛmamaloJEnË`Ы\$₹.10/-H\$8,59,50,000B{ŠdQreòa		
b. 8,59,50,000 Equity shares of ₹.10/- each held by Public	85 95 00	85 95 00
HIID TOTAL	429 77 00	429 77 00
A{Y_nĺ ` eò a Preference Shares :		
^maV gaH\$ma Ûmama I oJE nkî`bl\$₹.100/- H\$4,00,00,000 ñWmìr Ja g\$Mìr A{Y_mÝìeòa		
4,00,00,000 - Perpetual Non Cumulative Preference Shares of Rs.100/- each	400.00.00	400.00.00
held by Government of India.	400 00 00	400 00 00
H#D TOTAL	829 77 00	829 77 00

AZmyllr 2- njDr Am{j {V`njAmp A{Yelf SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS

(₹. हजारों में) (₹. In Thousands)

	{ddaU particulars	31.03.2011 H\$m As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
I	gnfd(YH\$Ama(j (V`nfstatutory reserves		
	H\$) AWe f a. Opening Balance	1778 48 80	1388 48 80
	l) df액 XnanZ On6>b. Additions during the year	428 52 00	390 00 00
	HID TOTALI	2207 00 80	1778 48 80
	nprjy Am(j (V ncApital reserves		
H\$) A	ni_P`nllZ Āma(j {V`n} Revaluation Reserve H\$) AWef a. Opening Balance	1225 08 81	1255 61 54
	1) df 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x		
	J) df% XmmZ HX0n(V`n(c. Deductions during the year	30 52 73	30 52 73
	HILD (E) Total (A)	1194 56 08	1225 08 81
I)B	AÝ Others		
	H\$) AWef a. Opening Balance	60 63 35	30 55 67
	I) df 416 Xmm Z On6> b. Additions during the year	1 18 41	30 07 68
	H(b) (~f) Total (B)	61 81 76	60 63 35
	H(b) (E ~f) TOTAL (A + B)	1256 37 84	1285 72 16
Ш	eòanK(_`_ SHARE PREMIUM H\$) AWef Opening Balance	696 19 50	696 19 50
	HID TOTAL III	696 19 50	696 19 50
IV	anDrid Am Ali Ama(j (V) narevenue and other reserves		
	H\$) anOnd Ana(j {V na A Revenue Reserve		
	AWef Opening Balance	3315 90 47	2665 90 77
	df 40 XmmZ On6> Additions during the year		
	bm` Ed\$hm(Z bd ogoA\$/[aV TRFD from Profit & Loss a/c	750.00.00	050.00.00
	df 46 X pmZ H X p V in Deductions during the year	759 00 00	650 00 00 30
	H(b (E) Total (A)	4074 90 47	3315 90 47
		4074 30 47	3313 90 47
	dr) Anb® A{Y{Z`_ H\$ YnamH636(1)(Viii) H6 A\$\J\$ {def [apd © B) Special Reserve U/S 36(1)(Viii) of IT Act		
	AWef Opening Balance	180 00 00	114 00 00
	df 46 Xmm 2 On Additions during the year	90 00 00	66 00 00
	H(D (~I) Total (B)	270 00 00	180 00 00
	gr) AnB®≨ A{Y{Z`_ H\$\$ Ynam 36(i)(ViiiE) H\$ A\$JJ♥ {deof [apd©		
	C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
	AWef Opening Balance	58 20 00	58 20 00
	D) (Zde [aOd ^q nvestment Reserve		
	AWef Opening Balance	39 92 22	11 09 19
	df%l(XmmZ On6 Additions during the year		28 83 03
	HID (Sr) Total (D)	39 92 22	39 92 22
	Hillo IV $(E + r + gr + Sr)$ TOTAL IV $(A + B + C + D)$	4443 02 69	3594 02 69
V	bm' Edshn(Z I nVmPROFIT & LOSS ACCOUNT	07.00.00	86 08 70
	AWef Opening Balance df % Xmm On6> Additions during the year	87 90 96 81 64	1 82 26
	HID TOTAL V	99 79 69	97.00.00
	HID TOTAL (I + II + III + IV + V)	88 72 60 8691 33 43	87 90 96 7442 34 11



AZmy/ 3- 0_nE S SCHEDULE 3- DEPOSITS

(₹. हजारों में)

(₹. In Thousands))

(ddaU particulars	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
(A) Ing O_man(e`ng. I. DEMAND DEPOSITS		
i. ~FMg0 From Banks	71 21 68	54 75 75
ii. AÝ ngrom Others	6368 35 70	6570 15 51
HIID TOTAL	6439 57 38	6624 91 26
II. ~MV ~#\$O_mm(e`n(savings bank deposits	26270 55 69	21790 25 54
III. gnd{Y 0_nan(e`n{ TERM DEPOSITS		
i. ~ Img0From Banks	1913 81 67	1406 69 31
ii. AÝ 100From Others	71180 23 53	58405 79 70
HIID TOTAL	73094 05 20	59812 49 01
H(b) (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	105804 18 27	88227 65 81
(An) . ^naV _ priWV eml mAnhH\$; O_nE\$		
B. i) Deposits of branches in India	102331 97 25	85306 88 12
ii). ^maV H6 ~mha eml mAnjH% O_mE\$Deposits of branches outside India	3472 21 02	2920 77 69
HID TOTAL	105804 18 27	88227 65 81

AZwyllr 4- CYma SCHEDULE 4- BORROWINGS

(₹. हजारों में)

(₹. In Thousands))

(ddaU PARTICULARS	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
I. ^maV _ CYma BORROWINGS IN INDIA		
i) ^maVr` [apd©_f\$Reserve Bank of India	100 00 00	NIL
ii) AÝ` ∼∰Other Banks	1 93	2 45
iii) AÝ` gʿʿmĒṢAmp A{^HSaU Other Institutions and Agencies*	1624 46 64	554 98 84
H#D TOTAL	1724 48 57	555 01 29
II. ^maV H6~mha CYma BORROWINGS OUTSIDE INDIA **	375 88 37	402 34 47
Hillo (I + II) TOTAL (I+II)	2100 36 94	957 35 76
D\$na g{a_{bv a{j v cyma Secured Borrowings included above	eý` NIL	eý` NIL

^{*{}Q`a || njDr-.₹1300 H\$ann6 H\$mJnJ F\$U en(_b (nr.dnB@.300 H\$ann6)

^{*} Includes Tier II Capital - Subordinated debt of ₹.1300 crore (P.Y. ₹.300 Cr)

^{**} Znñ0m{_aa efn|H\$s Ag_n} n(OV _X|Ed\$_nJfW _Xn|H\$nen_b H\$aVoh|E

^{**} Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

AZwyl/r 5- AÝ` Xô VnE\Amp and YnZ SCHEDULE 5- OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹. हजारों में) (₹. In Thousands)

{ddaU PARTICULARS	31.03.2011 H\$m	31.03.2010 H\$n
(uudu PARTICOLARS	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
i. Xì {~b Bills Payable	711 25 25	728 75 05
ii. AŊa - Hmm nô g_m noZ ((Zdb) Inter Office Adjustments(Net)	72 34 91	97 44 34
iii. nmk²/t/ ã`mOInterest Accrued	547 63 55	310 31 74
iv. AÝ` (nmdYnZ g{hV) Others(including Provisions) *	2961 41 23	2795 67 66
HID TOTAL	4292 64 94	3932 18 79
* मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान ₹. 304.11 करोड (पिछले वर्ष ₹. 289.90 करोड) शामिल है * includes Contingent Provisions against Standard Assets of ₹ 304.11 Cr. (P.Y - ₹ 289.90 Cr.)		

AZmy/ 6- ^maVr` [apd@fis_|ZH\$X Amp A{Yef SCHEDULE 6- CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹.हजारों में)

(₹. In Thousands)

{ddaU particulars	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
I. hnW_ ZH\$Xr ({dXer_iXmZn0>gpå_{bV h})		
Cash in hand (including foreign currency notes)	249 71 11	303 79 05
II. ^maVr` [apOd® #\$ His gmW Mmby I mVo_lesf		
Balances with Reserve Bank of India in Current Account	6628 22 74	6756 92 62
H#b (I + II) TOTAL (I+II)	6877 93 85	7060 71 67

AZmy/ 7- ~ #\$\\mu_| ef Ed_n\) VWmAën g\/MZmna à\(VX\) an\(\(\)e SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजारों में**)** (₹. In Thousands)

{ddaU PARTICULARS	31.03.2011 H\$m As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$m As on 31.03.2010
I. ^maV _ IN INDIA		
i) ^maV _ ~#\$nh_ ef Balances with Banks		
H\$ Mmby I nVo_ in Current Account	55 37 01	57 98 47
I . AÝ` 0_mI n/n in Other Deposit Accounts	96 20	1 32 91
Hilb (i) TOTAL (i)	56 33 21	59 31 38
ii) _m\$ VWm Aën gMZmna à{VXì YZam(e (~H\$n)H6 gmV)		
Money at Call and Short Notice (with Banks)		549 62 16
Hib (ii) TOTAL (ii)		549 62 16
Hilb (I + II) TOTAL (i + ii)	56 33 21	608 93 54
II. ^maV H\$~mha OUTSIDE INDIA		
i) Mmbyl mVo_in Current Accounts	327 58 07	339 27 79
ii) AÝ O_m I nVn_ in other Deposit Accounts	1272 62 98	84 05 23
iii) _n VWm Aën gMZmna à (VX) YZm (e Money at Call and Short Notice	27 82 96	20 21 84
H% (i + ii + iii) TOTAL (i + ii + iii)	1628 04 01	443 54 86
HNO `mJ (I + II) GRAND TOTAL (I + II)	1684 37 22	1052 48 40



AZgy 8- {Zde SCHEDULE 8- INVESTMENTS

(₹. हजारों में)

(₹. In Thousands)

	31.03.2011 H\$n	31.03.2010 H\$n
{ddaU PARTICULARS	As on	As on
	31.03.2011	31.03.2010
I. ^m2V _{Zde INVESTMENTS IN INDIA		
i. gallsmrn(V^fV) i Government Securities	26319 76 66	23086 14 01
ii. ĂÝ` AZwntXV ntV^tV`mOther approved Securities	105 92 86	209 39 75
iii. eì a Shares	546 00 16	520 29 29
iv. {\$> Ma Ama ~m6> Debentures and bonds	1356 05 13	1189 04 90
v. AZrÍJ`nŊAna / `mgŊŘV CÚ_ Subsidiaries and/or joint ventures	88 40 76	8 86 49
vi. AÝ` Others	5397 67 91	2154 74 72
Hill TOTAL	33813 83 48	27168 49 16
II. ^maV H6~mha {Zde INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
i. gaH\$nar n{V^{V \ne(nWmZr \n) nn{YH\$nar g{hV)		
Government Securities (including local authorities)	795 18 05	794 83 83
ii. AÝ` {Zde Other investments		
H\$ eòa (a) Shares	1 35 87	63 81
I F\$U n{V^{V `nt (b) Debt Securities	173 38 50	304 36 04
HIID TOTAL	969 92 42	1099 83 68
Hillo `ml (I + II) GRAND TOTAL (I+II)	34783 75 90	28268 32 84
III. ^m2V _ gH\$b Ed\$(Zdb {Zde gross and net investments in india		
(i) QH\$0 Gross	34000 27 69	27444 11 92
(ii) KORES_E hmg Ht (bE nmdYnZ Less: Provision for depreciation	186 44 21	275 62 76
(iii) {Zdb (H\$) Net (A)	33813 83 48	27168 49 16
IV. ^maV H\$~mha OUTSIDE INDIA		
gH\$b_je` / {Zdb_je` Gross Value / Net Value (B)	969 92 42	1099 83 68
{Zdb Httb `mu (H\$) + (I) NET GRAND TOTAL (A+B)	34783 75 90	28268 32 84

AZWM 9- A{J« SCHEDULE 9- ADVANCES

(₹ हजारों में**)** (₹. In Thousands)

	{ddaU particulars	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
Α.	i) H\$` {H\$E JE Amp ^nZm`oJE {~b Bills purchased and discounted ii) ZH\$X CYma, Amda Smpê0>Amp _n\$I na n{VXô CYma	2092 92 50	1407 83 22
	Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	26948 11 77	26993 90 17
	iii. gnd{Y CYna Term Loans	46208 86 29	33744 39 84
	HIID TOTAL	75249 90 56	62146 13 23
Am.	i) _\V^AmpriV^n \Unamn{v^\V} (~hr F\$Un na A{J_e_gpå_{bV h}}		
	Secured by tangible assets (includes advance against bookdebts)	58432 04 56	49256 97 65
	ii) ~#\$/gaH\$marn@V^gV`n ÛmamH\$da {H\$`mJ`m		
	Covered by bank/Government guarantee	4801 19 86	4263 94 96
	iii) An(V^)/ Unsecured	12016 66 14	8625 20 62
	HNO TOTAL	75249 90 56	62146 13 23
В	I ^m2V _ A{J« ADVANCES IN INDIA		
	i. n⊮W_H\$Vmnwajo Priority Sector	25804 34 68	21649 97 26
	ii. gnd 9(ZH\$ j d Public Sector	4981 25 00	5788 19 40
	iii. ~∄\$ Banks		
	iv. AÝ` Others	41346 11 51	32042 63 31
	HID TOTAL	72131 71 19	59480 79 97
	II. ^maV H6~mha A{J <u>«</u> ADVANCES OUTSIDE INDIA		
	i) ~#\$\\documbox gon\documbox an(e) n\\Dues from Banks	24 27 00	97 41 91
	ii) AÝ ngon® an(e inDues from others		
	H\$) H\$ {H\$ oJE Amp ^n2m oJE {~b a} Bills Purchased and discounted	795 88 09	577 56 19
	I) gm_(hH\$ F\$U b) Syndicated loans	1415 87 06	1254 46 26
	J) AÝ c) Others	882 17 22	735 88 90
	HID TOTAL	3118 19 37	2665 33 26
	HILD `mJ GRAND TOTAL (I + II)	75249 90 56	62146 13 23



AZmyllr 10- AMb AmmV no SCHEDULE 10- FIXED ASSETS

(₹ हजारों में) (₹. In Thousands)

	(ddall papticili apo	31.03.2011 H\$no	31.03.2010 H\$10
	{ddaU PARTICULARS	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
I	n[aga PREMISES		
	npl@Vu df946VboZ-nì H6AZpgma bmJV / nvZ_@^nQ5Z_@^ na		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	1489 85 15	1486 63 07
	df%%XmmZ On6>/ g_mìnDZ Additions/Adjustments during the year	3 80 66	4 62 20
		1493 65 81	1491 25 27
	df%16XmmZ H\$D#(V`n6Deductions during the year		1 40 12
		1493 65 81	1489 85 15
	AÚVZ_je`hng Depreciation to date	201 92 75	167 88 16
	H#b TOTAL	1291 73 06	1321 96 99
II	{Z_nĐnYrZ ^dZ BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	55 30 98	22 00 57
III	AÝ` AMB Annin V`n§()L\$ZuMa Anna ()L\$ŠgMa g{hV h))		
	OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
	nylevu df 46 vloZ-nì H6 AZıyına bod v na At cost as per last Balance Sheet	779 34 69	707 54 13
	df % XmnZ On >/ g_m nOZ Additions/Adjustments during the year	98 25 67	88 28 78
		877 60 36	795 82 91
	df%16XmmZ HDxV no Deductions during the year	18 81 85	16 48 22
		858 78 51	779 34 69
	AÚVZ _je` hmg Depreciation to date	599 78 63	543 77 17
	HID TOTAL	258 99 88	235 57 52
	H#D TOTAL (I+II+III)	1606 03 92	1579 55 08

AZmyWr 11- AÝ` AmmīV`n(s) SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

(₹ हजारों में) (₹. In Thousands)

	{ddaU PARTICULARS	31.03.2011 Hm As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
I II	nmk²/V ā`nD Interest Accrued nkEV A{J« H\$a / ònV na H\$nD#J`mH\$a	468 60 22	435 35 85
III IV	Tax paid in advance/tax deducted at source but Z gm_Jr Amp ñ0m/n Stationery and Stamps Ymrholles of Visits Inma His I'r ulaRHHHmar Amp Visits Ymrholles of Visits Inma His I'r ulaRHHHmar Amp Visits Ymrholles of Visits Inma His I'r ulaRHHHmar Amp Visits I'r ulaRHHHmar Amp Visits Inma His I'r ulaRHHMar Amp Visits I'r ulaRHHMar Amp Visits Inma His I'r ulaRHHMar Amp Visits I'r ulaRHHMar Amp Visits I'r ulaRHHMar Amp Visits I'r ulaRHHMar Amp Visits I'r ula_RHHMar Amp	13 29 79	33 52 05 12 62 95
V	Xndn H\$s g\$\ni Nna H\$s J`r Na - ≈ H\$s Ann V`n Non-banking assets acquired in satisfaction of claims AÍ` Others	22 82 36 1011 56 76	24 00 800 35 40
	HID TOTAL	1516 29 13	1282 10 25

AZmyMr 12- Anhlan_H\$Xò VnE\s SCHEDULE 12- CONTINGENT LIABILITES

(₹. हजारों में) (₹. In Thousands)

	(ddaU PARTICULARS	31.03.2011 H\$m As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$ n As on 31.03.2010
II III	-#\$ H6 {déŌ Xndo{OÝn F\$U H6 è\$n _ ñdrH\$na Zht {H\$`mJ`mh¡ (निवल) Claims against the bank not acknowledged as debts (Net) A&Vg\$KEV {ZdenH6 {bE Xô VmLiability for partly paid investments -H\$n`mdm`Xm{d{Z_`g\$dXmAnH6 H\$naU Xô Vm	124 07 59 19 40 03	120 68 05 33 08 00
IV	Liability on account of outstanding forward exchange contracts □ (KU) (MH) And GOXT JB®N (MY) Guarantee given on behalf of constituents	19506 31 28	8402 88 65
V	H\$, ^maV ~ a) In India I . ^maV H\$ ~mha b) Outside India	9803 05 33 40 61 25	6890 07 86 43 99 54
l v	ndrHKV`n⊧nBnMKZ Anp AY`~nD`VnE\ Acceptance, Endorsements and other obligations AY`_X {OZH6{bE~FI\$AnH\$n_H\$e\$n goCEVaXm`rh;	3777 69 67	3591 58 99
	Other items for which the bank is contingently liable	626 20 18	735 00 94
	HID TOTAL	33897 35 33	19817 32 03

AZmy/ 13- A(O) ã`nO SCHEDULE 13- INTEREST EARNED

(₹. हजारों में)

(₹. In Thousands)

	{ddaU particulars		31.03.2010 H\$ng_ná df © Year ended 31.03.2010
- 1	A{J <u>«</u> n / {~bn na ā`n0 / ~00mInterest/Discount on Advances/Bills	7097 60 54	5799 82 85
ll ll	{Zdenna Am Income on Investments	2230 25 03	1854 68 72
III	^maVr` [apOd©_H\$ Ama AY` A\$Va ~H\$ {Z{Y`n H\$ edf na ā`nO		
	Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	33 17 23	59 85 38
IV	AÝ` Others		
	HID TOTAL	9361 02 80	7714 36 95

AZmy/ 14- AÝ Am SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(₹. हजारों में) (₹. In Thousands)

31.03.2011 H\$ng_ná df 31.03.2010 H\$ng_ná df {ddaU PARTICULARS Year ended 31.03.2011 Year ended 31.03.2010 223 51 11 I. 335 53 37 H\$_reZ, {d{Z_` Ann Xbnbr Commission, Exchange and Brokerage II. 153 06 70 363 15 04 {ZdenH6 {dH6 na bm Profit on Sale of Investments 2 82 93 4 64 08 KONES...(Zden)H6 (dH6 na hn/Z Less: Loss on Sale of Investments 148 42 62 360 32 11 Ш {ZdenHinZ_@`nisZ na bm\ Profit on revaluation of Investments KONES...(Zden) His niz @ nist na hn/Z Less: Loss on revaluation of Investments निवल /Net IV ^√ , ^dZn|Ama AÝ` AmpñV`n|H6{dH6` na bm^ Profit on sale of land, buildings and other assets KOME§...^f_, ^dZnfAmp AY` Amp AY` hH\$ (dH\$` na hm{Z} *1 59 41 *34 84 *49 79 *71 37 Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets 1 09 62 - 36 53 निवल /Net $\{d\{Z_{\hat{}} g\} \hat{} dh n n n a b n (निवल) Profit on exchange transactions (Net)$ 147 21 73 114 84 10 {dXec/~mav_lndwn(nvAznf§u>nj/H§n{z>njAma/>mg§s6vCÚ_njgobm>njeAn(X Hiên A{0♥ Am Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India 8 34 02 10 79 14 VII {d{dY Am Miscellaneous Income 541 27 49 607 30 87 1181 88 85 1316 40 80 HID TOTAL

^{*} g\s, \\ZuMa, dnhZ Ana _erZar gog\{\(\times YV YZan\)(e Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle and Machinery.



AZmy/r 15- i`` (H\$ mJ`ma`mO SCHEDULE 15- INTEREST EXPENDED

(₹. हजारों में) (₹. In Thousands)

	{ddaU PARTICULARS	31.03.2011 H\$ng_ná df [©] Year ended 31.03.2011	31.03.2010 H\$ng_ná df © Year ended 31.03.2010
1	O_mAn na ā`nO Interest on deposits	5133 22 13	4474 16 56
II	^maVr` [apOd@_fl\$ / AfVa ~fl\$ CYman ma ā`nO		
	Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	175 54 34	46 49 79
III	AÝ` Others	16 15 11	32 52 03
	HNO TOTAL	5324 91 58	4553 18 38

AZmy/ 16- n[aMnbZ i`` SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में) (₹. In Thousands)

	{ddaU particulars			31.03.2011 H\$nng_ná df®	
	(dddo l'Altileo	LANO		Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2010
	H\$_f9nfa`n H\$no^wUVmZ Anja CZH6{bE nwdYmZ				
	Payments to and provisions for employe	ees		1332 68 51	1212 39 27
II	{H\$amìm, H\$a Annan H\$me ì`dñWm Rent, Taxes and	l Lighting		131 13 43	110 75 71
III	KKU Amp bol Zgm_Jk Printing and Stationer	У		19 39 44	
IV	{dkmZ AmanMmaAdvertisement and Public	ity		10 33 41	10 63 15
V	~B\$ H\$s g§npËV na _jë`hmg	31.03.11	31.03.10		
	Depreciation on Bank's property	1021599	1184134		
	KQnE§ nwZ_@`n&J\$Z [aOd@goA\$V[aV				
	Less : Trfd from Revaluation Reserve	<u>305273</u>	<u>305273</u>	71 63 26	87 88 61
VI	{ZXneH\$nhH\$sp\\$sg, ^ËVoAnnai`` Directors′ fees	s, allowance a	nd expenses	41 17	32 71
VII	bd mnarj H\$n H\$s j\\$sg Amp i`` (§eml mbd mnarj H	l\$n∤g{hV)			
	Auditors' fees and expenses(including b	ranch auditors	s)	15 91 53	15 20 03
VIII	{d{Y n∢ma Law Charges			6 63 60	3 61 63
IX	Salls, Vna Ana Odorjusnik An(X Postage, Telegran	ns and Teleph	ones	10 75 83	10 28 24
Х	_aå_V Ama AZmj Ü Repairs and Maintenand	e		41 92 28	37 15 38
ΧI	~r_mInsurance			83 29 68	72 17 91
XII	ΑΥ΄ ì` Other Expenditure			202 19 50	150 83 49
	HID TOTAL			1926 31 64	1730 24 59

; g i "B t kucw dj [kkyh NkMk x; k gSA This page is intentionally left blank



vu q poh 17 & eq; y { kkclj.k ulfr; ka

1- ys[kkdj.kdhijajk%

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत प्रथा पर लाभकारी कारोबारवाले संस्थान की संकल्पना का पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं तथा ये भारतीय शाखाओं के संबंध में भारत में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के समनुरूप हैं तथा विदेशों में स्थित शाखाओं के संबंध में अन्यथा न बताये जाने पर उस देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के समनुरूप हैं।

2- ysunsu ft ues fonskh fofue; 'kkfey gsi

भारत में किए गए परिचालन और गैर—समाकलित विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखाकरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक — 11 (एएस — 11) के अनुसार किया गया है।

2-1- Hakir eafd, x, ifjpkyukadslæák eaifjorZi

- विदेशी विनिमय लेनदेनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य वचनबद्धताओं और गारंटियों को फेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिस्चित समापन दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से होनेवाले विनिमय अंतरों को, उनके घटित होने की अवधि के दौरान आय अथवा व्यय माना जाएगा।
- 5. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को संविदात्मक दरों पर प्रकट किया जाता है और फेडाई की समापन दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है और परिणामी प्रभाव को लाभ व हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

2-2- x§ lekdfyr fonskh i fjpkyuka dslæák ea i fjorZi

विदेशी शाखाओं को गैर—समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:

- आकिस्मक देयताओं को शामिल करते हुए, आस्ति एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- आय एवं व्यय को फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- निवल निवेशों के निपटान तक, सभी परिणामी विनिमय अंतरों को "विनिमय उतार-चढाव निधि" नामक पृथक खाते में संचित कर रखा जाता है।

3- fuos k

- 3.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है:
 - परिपक्वता के लिए रखे गए (एचटीएम)
 - बिक्री हेत् उपलब्ध (एएफएस)
 - व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **, pVh, e^** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्प अविध के मूल्य / ब्याज दर में उतार—चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **, p, $QVlf^*$ प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, **, Q, l ** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

- 3.2 एच टी एम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (करों का निवल और सांविधिक प्रारक्षितियों में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित धनराशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है:
- 3.3 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है:
- क) **, pVh e** प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगयों / संयुक्त उद्यमों में जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य हास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे हास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेत् अलग से किया जाता है।
- ख) **, , Q1 ** प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यहास हो, तो उसे लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबिक किसी निवल मूल्यवृद्धि के होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- ग) **, p, QVli* प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक रिक्रपों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबिक निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस वर्ग में वैयक्तिक प्रतिभृतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- घ) **, , Q, l ** , oa **, p, QVlt** प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :
- (i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संयुक्त रूप से प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिब्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआइएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्यों / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।
- (ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन पीडीएआई / एफआईएमएमडीए द्वारा निकाली गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए वाईटीएम पद्धित का अनुप्रयोग करते हुए किया
- (iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक—अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।
- (iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- (v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों से इतर, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।
- (vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India unless otherwise stated and in respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

2.1 Translation in respect of Indian operations

- Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
- Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

2.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Exchange Fluctuation Fund" till the disposal of the net investments.

3. INVESTMENTS

- 3.1 The investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,
 - Held To Maturity (HTM)
 - Available For Sale (AFS)
 - Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price/interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

- 3.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.
- 3.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:
- a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually.
- b) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is pro vided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.
- c) The individual scrips in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.
- d) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:
- i) Central Government Securities are valued at prices / YTM Rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).
- ii) State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.
- iii) Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.
- iv) Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
- All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.
- Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.



- (vii) कोटे होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक—इन अविध में हैं, जहां पुनःखरीद मूल्य / बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक—इन अविध की समाप्ति तक लागत पर किया जाता है।
- 3.4 विदेशी शाखाओं द्वारा किए गए निवेशों का मूल्यांकन संबंधित देशों में प्रचलित पद्धित के अनुसार होता है।
- 3.5 ऐसे डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन जिनमें ब्याज / मूलधन 90 दिनों से अधिक के लिए बकाया हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करते हुए किया जाता है।
- 3.6 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली / कमीशन / अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली / कमीशन / स्टांप शुल्क को संचालनगत व्यय माना जाता है।
- 3.7 बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए ब्याज दरों की अदला—बदली के लेनदेनों की गणना संचयन आधार पर की जाती है और व्यापार संबंधी लेनदेन तिमाही अंतरालों पर बाज़ार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला—बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन—पत्र की तारीख पर अदला—बदली करारों के समाप्त किए जाने पर प्राप्त / प्राप्य या प्रदत्त / प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली यदि कोई हानियों हों तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया है, जबिक लाभ यदि हो, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अदला बदलियों की समाप्ति पर लाभ अथवा हानियों को आस्थिगत किया जाता है और अदला—बदली की बाकी संविदात्मक अविध अथवा विनिर्दिष्ट आस्ति अथवा देयता की बकाया अविध दोनों में जो भी कम हो, हिसाब में लिया जाएगा।
- 3.8 विनिमय में व्यापार किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न अर्थात् मुद्रा वायदे विनिमय निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामित लाभ और हानि को लाभ व हानि लेखा में दर्शाया जाता है।
- 3.9 केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित निवेश हालांकि अतिदेय हैं, को केवल तभी गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) माना जाएगा जब गारंटी का आहवान करने पर सरकार अपनी गारंटी को अस्वीकार करती है।
- 3.10 राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, और "मानित अग्रिमों" की प्रकृति वालों सिहत का विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आिरत वर्गीकरण और प्रावधानीकरण किया जाता है, जब ब्याज / मूलधन की किस्त (पिरपक्वता संप्राप्तियों सिहत) अथवा बैंक को देय कोई अन्य राशि का 90 से अधिक दिनों तक भुगतान नहीं होता है।

4- vk1Lr i quAuek2k daifu; ka dks csph xbZfoRrh; vk1Lr; ka

- 4.1 आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के सम्बन्ध में, जारी की गई प्रतिभूति रसीदों, प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कमतर पर मूल्यांकित किए जाते हैं। प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं और मूल्यह्वास कोई हो तो, के लिए प्रावधान किया जाता है और मूल्य वृद्धि हो तो ध्यान नहीं दिया जाता है।
- 4.2 परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी से बिक्री किए गए वित्तीय आस्तियों के कारण उत्पन्न निवल कमी, लाभ व हानि लेखा में दर्शाई जाती है।

5- vfxze

- 5.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता के आधार पर मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है।
- 5.2 गैर—निष्पादक अग्रिमों के लिए प्रावधान किए जाते हैं भले ही प्रतिभूति की उपलब्धता कितनी भी हो:

- अव—मानक संवर्ग के लिए 20 प्रतिशत अन्यों के लिए 100 प्रतिशत
- 5.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधान किया जाता है।
- 5.4. विदेशी शाखाओं के संबंध में आय—निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण हानियों के लिए प्रावधान स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किए जाते हैं।
- 5.5 प्रकट किये गए अग्रिम, गैर-निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएसआई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, ब्याज वसूली योग्य खाते में शेष, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों के बाद हैं।

6- vpy vkfLr; k @ eW; gkl

- 6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत और पुनर्मृल्यांकित राशि के आधार पर लगाया गया है।
- 6.2. भारत में भवन (जहाँ कहीं अलग नहीं की जा सकती है / अलग नहीं की गई, जमीन की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों (6.3 से 6.5 में बताई गई मदों को छोड़कर) पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धित पर और ''पुनर्मूल्यांकित आस्तियों' के मामले में बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर अवशिष्ट जीवन प्रणाली से किया गया है। पुनर्मूल्यांकित घटक से संबंधित मूल्यहास को पुनर्मूल्यन रिज़र्व के विरुद्ध प्रभारित किया गया है।
- 6.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कंप्यूटरों (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणालियों पर मूल्यहास की गणना सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर 33.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर की जाती है।
- 6.4 मोटर कार पर मूल्यह्रास की दर, सीधी रेखा पद्धति पर 20 प्रतिशत है।
- 6.5 सभी सेल फोन और रु.5,000 / तक के लघु मूल्यवाली मदों, पर 100 प्रतिशत मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।
- 6.6 30 सितंबर को या उसके पहले अर्जित स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास, निर्धारित दरों के 100 प्रतिशत पर और उसके बाद अर्जित आस्तियों के लिए 50 प्रतिशत पर प्रभारित किया जाता है।
- 6.7 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अर्जन के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- 6.8 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्नास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।
- 6.9 गैर—बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।

7- jkt Lo igpku

- 7.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- 7.2 गैर—निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जहां ब्याज नियमित रूप से वसूल किया जाता है), लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख—पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर) खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, लॉकर किराया, वित्तीय प्रभार आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है।

- vii) Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
- 3.4 Investments of Foreign Branches are valued as per the practice prevailing in the respective countries.
- 3.5 Debentures and Bonds, where interest/ principal is in arrears for more than 90 days are valued applying the prudential norms prescribed by RBI.
- 3.6 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.
- 3.7 Interest Rate Swap transactions for hedging are accounted on accrual basis and transactions for trading are marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising therefrom, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored. Gains or loss on termination of swaps is deferred and recognised over the shorter period of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset or liability.
- 3.8 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.
- 3.9 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- 3.10 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/instalment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

4. FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSET RECOVERY COMPANIES

- 4.1 Security Receipts (SR) issued by ARCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by ARCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
- 4.2 The net-shortfall, if any, arising on sale of financial assets to ARCs is charged to Profit & Loss Account.

5 ADVANCES

- 5.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise.
- 5.2 Provisions are made for non performing advances irrespective of availablility of security:

- For substandard category 20 % For others 100 %
- 5.3 General provision is made for standard advances as per RBI directives.
- 5.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.
- 5.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTSI claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates and usance bills rediscounted.

6. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

- 6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at revalued amount in respect of assets revalued.
- 6.2 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets (excluding items referred in 6.3 to 6.5) in India is provided for on the straight-line method at rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 and at the Bank determined rates based on Residual Life in the case of 'Revalued Assets'. Depreciation relatable to revalued component is charged against revaluation reserve.
- 6.3 Depreciation on computers (hardware and software) and Uninterrupted Power Supply Systems (UPS) is provided at the rate of 33.33% per annum on Straight Line Method (SLM).
- 6.4 The rate of depreciation on motor car is 20 % on straight line method.
- 6.5 100% depreciation is provided on all cell phones and on small value items costing upto Rs.5000/-
- 6.6 Depreciation on fixed assets acquired on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter.
- 6.7 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.
- 6.8 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.
- 6.9 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

7. REVENUE RECOGNITION

- 7.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.
- 7.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from bancassurance products, additional interest/ overdue charges on bills purchased, locker rent, finance charges on credit cards income on Bank's right to recompense, etc. are accounted for on realisation.



अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को 7.3 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्टलाईजेशन की तारीख तक माना गया है।

8- ØsMV dkMZi j Ldkj lokbV

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को ही इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

9- fuoy ykHk @ gkfu

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात है :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पूनः संरचित अग्रिमों हेतू प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मृल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

10+LVkQ dksl soktuofRr ij iktr gkus okys yktk

- पेंशन निधि व ग्रेच्यटि निधि में वार्षिक अंशदानों का निर्धारण एवं प्रावधान किया जाता है :
- बीमांकिक मृल्यांकन के आधार पर i)
- विदेशी शाखाओं के संबंध में वहां के स्थानीय कानुनों के अनुसार किया ii)
- 10.2 स्टाफ सदस्यों के लिए छुट्टी की भुनाई का लाभ, बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- 10.3.1 कर्मचारी लाभों से संबंधित संक्रमणकालीन देयता का निर्धारण बीमांकिक मृल्यांकन के आधार पर किया जाता है व आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखाकरण मानक 15 (एएस) ''कर्मचारी लाभों' के संबंध में पांच वर्षों की अवधि में बटटे खाते में डाला जाता है।

टी एम भसीन **T M BHASIN** AÜ j Ed§n*§ (ZXeH\$ Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$mi @mbH\$ {7XeeH Executive Director 10.3.2 पेंशन (द्वितीय विकल्प) वर्तमान कर्मचारियों के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों के अनुसार देयता निर्धारित की जाती है तथा ग्रेच्युटी पांच वर्षों की समान अवधि के लिए परिशोधित किया जाता

11-vkdfLed ns rk, avks i ko/kku

- पिछली घटनाएँ, जिनसे संभावित या वर्तमान बाध्यताएं आती हैं को आकरिमक देयता के रूप में लिया जाता है। मौजुदा बाध्यताओं के मामले में, जहां विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है तथा जहां पर बाध्यताओं के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देनेवाले संभावित संसाधानों का बहिर्गमन हो, प्रावधान को पहचाना जाता है।
- बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किया जाता है।
- बैंक प्रबंधन द्वारा पता लगाए गए अस्थायी प्रावधान के लिए व्यवस्था की जाती है।

12-vlfLr; kaeagkfu

आस्तियों में हानि यदि हो की पहचान, इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 28 के समनुरूप की जाती

13- vk, ij dj

- वर्तमान कर एवं आस्थगित कर, दोनों के लिए कर का प्रावधान किया
- वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित 132 राशि के अनुसार लाग् कर दरों पर कानुनों एवं अनुकुल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।
- समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक तैयार अथवा बाद में तैयार कर दरों एवं कर नियमों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थिगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक ''वर्च्अल निश्चितता'' नहीं हो जाती कि पर्याप्त भविष्य के योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थिगत कर आस्तियां उगाही जाएंगी।

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI HSmi AmbHS (7 Xee H **Executive Director**

R RAVI hmn«-VHS General Manager

निदेशक DIRECTORS:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH, सी के रंगनाथन C K RANGANATHAN प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल Prof. NARENDRA KUMAR AGRAWAL

साविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कते चंदन एंद रामन

For CHANDRAN & RAMAN

कते गणेसन एंड कंपनी कृत गणसन एड कंपना For GANESAN AND COMPANY gZXr bi nisa Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000859S एसं स्वामिनाथन

S SWAMINATHAN

gnPkma Partner (M.No. 023998) कृते कल्याणसुंदरम एंड कंपनी For KALYANASUNDARAM & CO gZXr bol nH\$ma

Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.001676S के रमेशकमार

K. RAMESHKUMAR gnPkm Partner (M.No. 023962)

gZXr bol nhl\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000571S पी एन रामचन्दन P N RAMCHANDRAN gnPkma Partner (M.No. 013871) कृते एस मोहन एण्ड कंपनी For S. MOHAN & CO gZXr bol nH\$ma Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000608N वीँ एम भुटानी V M BHUTANI gnPkma Partner (M.No. 012457)

कृते सूरी एण्ड कंपनी For SURI & CO gZXr bol nH\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.004283S एसं स्वामिनाथन S SWAMINATHAN gnPk/ma Partner (M.No. 020583) कृते एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स For ABP & ASSOCIATES gZXr bol nH\$ma Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.315104E बिमल कुमार चंदुका **BIMAL KUMAR CHANDUKA**

Partner (M.No. 053714)

ñWnZ Place: MúZ¡Chennai VnarI Date: 23.04.2011

7.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

CREDIT CARD REWARD POINTS 8.

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and/ or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Usual or/and other necessary provisions

STAFF RETIREMENT BENEFITS 10.

- 10.1 Annual contributions to Pension Fund and Gratuity Fund are determined and provided for:
- (i) on the basis of actuarial valuation
- as per the local laws in respect of foreign branches.
- 10.2 Leave encashment benefit for employees is accounted for on actuarial basis.
- 10.3.1 Transitional liability relating to employee benefits determined as per actuarial valuation is written off over a period of five years in terms of Revised Accounting Standard 15 (AS -15), "Employee Benefits", issued by ICAI.
- 10.3.2 Liability determined in accordance with RBI Guidelines in respect of pension (second

टी एम भसीन T M BHASIN AÜ` j Ed§n«§ (ZXeH\$ Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$mi @mloH\$ {7XeeH Executive Director option) for existing employees and gratuity is amortised equally over a period of five years

11. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

- Past events leading to, possible or present obligations are treated as contingent liability. Provision is recognised in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations.
- Provisions for Market Risks, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.
- Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, are recognised in accordance with the Accounting Standard 28 issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India.

13. TAXES ON INCOME

- 13.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.
- 13.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable iudicial pronouncements / legal opinion.
- 13.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI H\$mi @mloH\$ {7XeeH Executive Director

आर रति R RAVI hmn«§H\$ General Manager

निदेशक DIRECTORS:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH, सी के रंगनाथन C K RANGANATHAN प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल Prof. NARENDRA KUMAR AGRAWAL

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कते चंदन एंद रामन

कते गणेसन एंड कंपनी For GANESAN AND COMPANY gZXr bi nitha Chartered Accountants

पंजीकरण सं. Registration No.000859S एस स्वामिनाथन S SWAMINATHAN

gnPkma Partner (M.No. 023998) कृते कल्याणसुंदरम एंड कंपनी For KALYANASUNDARAM & CO

gZXr bol nH\$ma Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.001676S के रमेशकमार K. RAMESHKUMAR

qnPkma Partner (M.No. 023962)

For CHANDRAN & RAMAN
gZXr bd nhin
Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000571S पी एन रामचन्दन P N RAMCHANDRAN gnPk/ma Partner (M.No. 013871) कृते एस मोहन एण्ड कंपनी For S. MOHAN & CO gZXr bol nH\$ma Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000608N वीँ एम भुटानी V M BHUTANI gnPkna Partner (M.No. 012457)

कृते सूरी एण्ड कंपनी For SURI & CO gZXr bi nilfin Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.004283S एस स्वामिनाथन S SWAMINATHAN gnPk/ma Partner (M.No. 020583) कृते एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स For ABP & ASSOCIATES gen of image Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.315104E बिमल कुमार चंदुका BIMAL KUMAR CHANDUKA Partner (M.No. 053714)

ñWnZ Place: MVZ¡Chennai Vnarl Date: 23.04.2011



vud ph 18 & ys Haij fVIif.k, k

1- i pt h

	en s	31.03.2011	31.03.2010
i)	सीआरएआर (%)*	12.83	12.16
ii)	सीआरएआर – टियर । पूँजी (%)*	10.43	10.65
iii)	सीआरएआर – टियर ॥ पूँजी (%)*	2.40	1.51
iv)	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	80.00	80.00
v)	आईपीडीआई के जारीकरण से प्राप्त राशि	d ≬ ugh	a d () ugha
vi)	लोयर टियर ॥ लिखतों के जारीकरण से प्राप्त राशि	500.00	d () ugh
vii)	अप्पर टियर ॥ लिखतों के जारीकरण से प्राप्त राशि	500.00	d (N ugh

^{*31.03.2011} तक बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात बेसल ॥ मानदंडों के अनुसार 13.56 प्रतिशत है और बेसल । मानदंडों के अनुसार 12.83 प्रतिशत है। (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल । और बेसल ॥ मानदंडों के अंतर्गत आकलित न्यूनतम सीआरएआर को बैंक द्वारा दर्ज सीआरएआर के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए)

2- fuos k

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के देशी सकल निवेश संविभाग को तीन संवर्गों में बाँटा गया है। 31.03.2011 को यह वर्गीकरण निम्न प्रकार से है: (₹. करोड़ में)

[7]:].	31-03	-2011	31-03-2010		
oxlížlj.k	j kf' k	i£r'kr	j kf' k	i £r'kr	
परिपक्वता तक रखे गए – एच टी एम	21539.69	63.35	17140.63	62.46	
बिक्री के लिए उपलब्ध – एएफएस	12460.59	36.65	10249.57	37.34	
व्यापार के लिए रखे गए – एचएफटी	0.00	0.00	53.92	0.20	
कुल	34000.28	100.00	27444.12	100.00	

^{*}निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में देशी एचटीएम प्रतिभूतियां 25 प्रतिशत के अधिकतम निर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 20.68 प्रतिशत है।

2-2 fuos'k (₹. करोड़ में)

ensa	2010-11	2009-10
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	34000.28	27444.12
(ख) भारत के बाहर	969.92	1099.84
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	186.44	275.63
(ख) भारत के बाहर		
(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	33813.84	27168.49
(ख) भारत के बाहर	969.92	1099.84
(2) निवेशों पर मूल्यह़ास के लिए बनाए गए प्रावधानों में आवागमन*		
(i) अथशेष	275.63	366.62
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	56.85	7.80
उप – कुल	332.48	374.42
(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन करना	174.03	98.79
(iv) शेष	158.45	275.63
(v) जोड़े : ए आर सी द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों के लिए एनबीवी पर किया गया प्रावधान	27.99	0.00
(vi) अंतिम शेष	186.44	275.63

^{*}पिछले वर्ष के आंकडों को यथावश्यक पुनः वर्गीकृत किया गया है।

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. CAPITAL

Items	31.03.2011	31.03.2010
i) CRAR (%) *	12.83	12.16
ii) CRAR - Tier I Capital (%) *	10.43	10.65
iii) CRAR - Tier II Capital (%) *	2.40	1.51
iv) Percentage of Shareholding of the Government of India	80.00	80.00
v) Amount raised by issue of IPDI	NIL	NIL
vi) Amount raised by issue of Lower Tier II Instruments	500.00	NIL
vii) Amount raised by issue of Upper Tier II Instruments	500.00	NIL

^{*} The Capital Adequacy Ratio of the Bank as at 31.03.2011 as per Basel II Norms is at 13.56 % and as per Basel I Norms at 12.83%. (As per the RBI guidelines, the least of the CRAR computed under Basel I and Basel II Norms has to be reported as CRAR recorded by the Bank)

2. INVESTMENTS

2.1. In accordance with the RBI guidelines, the Bank's domestic investment portfolio has been classified into three categories. The classification as at 31.03.11 is given hereunder: (₹. in crore)

Classification	31/03/2011		31/03/2010	
	Amount	%	Amount	%
Held to Maturity – HTM*	21539.69	63.35	17140.63	62.46
Available for sale – AFS	12460.59	36.65	10249.57	37.34
Held for Trading – HFT	0.00	0.00	53.92	0.20
Total	34000.28	100.00	27444.12	100.00

^{*} Domestic HTM securities as a percentage of Net Demand and Time Liabilities works out to 20.68% against a stipulated maximum level of 25%

2.2. Investments (₹. in crore)

Items	2010-11	2009-10
(1) Value of Investments		
(i) Gross value of investments		
(a) In India	34000.28	27444.12
(b) Outside India	969.92	1099.84
(ii) Provision for Depreciation		
(a) In India	186.44	275.63
(b) Outside India		
(iii) Net value of Investments		
(a) In India	33813.84	27168.49
(b) Outside India	969.92	1099.84
(2) Movement of provision held towards depreciation on investments *		
(i) Opening Balance	275.63	366.62
(ii) Add: Provision made during the year	56.85	7.80
Sub – Total	332.48	374.42
(iii) Less: Write back of excess provisions during the year	174.03	98.79
(iv) Balance	158.45	275.63
(v) Add: Provision held for stating Security Receipts issued by ARCs at NBV	27.99	0.00
(vi) Closing Balance	186.44	275.63

^{*} Previous year figures regrouped where ever necessary



2-2-1 ekd**¾** j**i** ks ysunsu (₹. करोड़ में)

ysınsı dk Ádkj	,	§ku U, wre dk, k	o"kZds nk§k cd	u vf/kdre k, k	o"kZds nk vk	jku nSud I r	c	lks
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	31-03-11	31-03-10
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	0.00	0.00	537.99	76.42	90.21	2.20	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	0.00	0.00	101.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00

88& 1Gž žnj_^ZcP TV1

fnukad 31-03-2011 dks x\$&, l, yvkj fuoskka ij t kjhdrkZl japuk

l a	t kjhdrk	jkt'k	futhvkcVu dh l hek	fuosk Lrj 1s fuEu oxZdh i£rHwfr; knadh 1 hek	nj fu/kkJ.k ughadh xbZ i £rlkfvr; kadh l hek	l pohe) ughadh xbZi£rHwfr; ka dh l hek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	436.12	293.49	0.00	0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	385.31	336.45	0.00	0.00	36.85
3	बैंक	5767.28	5674.89	0.00	0.00	0.00
4	निजी कंपनियाँ	781.69	619.64	0.00	0.00	0.51
5	आनुषंगिक / संयुक्त उद्यम	140.02	140.02	0.00	0.00	61.15
6	अन्य	18.30	10.29	0.00	0.00	1.16
7	मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधान	-140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	dy	7388.14	7074.78	0.00	0.00	99.67

(ii) x fu"i knd x \$\%, l, yv kj fuos' k

(₹. करोड़ में)

fooj.k	2010-11	2009-10
अथ शेष	0.15	4.89
वर्ष के दौरान जोड़	0.51	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	0.15	4.74
समापन शेष	0.51	0.15
धारित कुल प्रावधान	0.51	0.15

3- Q, Ri Uu

3-1 ok, nk nj djkj@C; kt nj Lo**\$** ½/kbZ/kj, l½

तुलन पत्र आस्तियों में संभावित क्षति की रोकथाम के लिए, सिंगापुर शाखा ने, ब्याज दर अदला—बदली से संबंधित, व्युत्पन्न संविदा किया। 1 1/2 वर्ष से 3 1/2 वर्ष तक की अविध के लिए आनुमानिक मूल कीमत सिंगापुर डालर 12.30 मिलियन (43.48 करोड़ रुपए) था। बकाया अदला—बदली स्थिति, ब्याज की अस्थायी दर प्राप्त कर, स्थायी ब्याज दर भुगतान करने की थी। (₹. करोड़ में)

ena	31.03.2011	31.03.2010
1. अदला–बदली करार का अनुमानित मूलधन	43.48	61.12
2. करार के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में यदि विपक्षी पक्षकार चूक करें तो वहन की जानेवाली		
हानियाँ	d≬N ugha	d≬N ugha
3. स्वाप करार करने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	daN ugha	daN ugha
4. स्वाप करार करने पर उत्पन्न जोखिमों का संकेन्द्रण	0.25	0.56
5. स्वाप बही का उचित मूल्य	d≬N ugha	d≬N ugha

पुनरीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने कोई वायदा दर करार नहीं किया है।

2.2.1 Market REPO Transactions:

(₹. in crore)

Туре		outstanding year ended	Maximum o during the y	U	outstandin	average g during the ended	As	on
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	31.03.11	31.03.10
Securities sold under repos	0.00	0.00	537.99	76.42	90.21	2.20	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repos	0.00	0.00	101.00	0.00	3.92	0.00	NIL	NIL

2.2.2 NON-SLR INVESTMENT PORTFOLIO

i) Issuer Composition of Non SLR Investments as on 31.03.2011

(₹. In crore)

						,
NO.	ISSUER	AMOUNT	EXTENT OF	EXTENT	EXTENT OF	EXTENT OF
			PRIVATE	OF BELOW	UNRATED	UNLISTED
			PLACEMENT	INVESTMENT	SECURITIES	SECURITIES
				GRADE		
				SECURITIES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSU	436.12	293.49	0.00	0.00	0.00
2	Fls	385.31	336.45	0.00	0.00	36.85
3	Banks	5767.28	5674.89	0.00	0.00	0.00
4	Private Companies	781.69	619.64	0.00	0.00	0.51
5	Subsidiaries/Joint Ventures	140.02	140.02	0.00	0.00	61.15
6	Others	18.30	10.29	0.00	0.00	1.16
7	Provision held towards	-140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	depreciation					
	Total	7388.14	7074.78	0.00	0.00	99.67

ii) Non Performing Non-SLR Investments

(₹. in crore)

		•
Particulars	2010-11	2009-10
Opening Balance	0.15	4.89
Additions during the year	0.51	0.00
Reductions during the year	0.15	4.74
Closing Balance	0.51	0.15
Total provisions held	0.51	0.15

3. **DERIVATIVES**

3.1 Forward Rate Agreements/ Interest Rate Swaps (IRS)

Singapore branch entered into Derivatives contracts of the nature of Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets. The notional principal value of Swaps was SGD 12.30 Mio (₹.43.48 crore) for tenor ranging from 1-1/2 years to 3-1/2 years. IRS was undertaken for hedging purposes. The outstanding swap position was to receive floating rate of interest and pay fixed rate of interest.

(₹. in crore)

Items	31.03.2011	31.03.2010
i) The notional Principal of Swap agreement	43.48	61.12
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations		
under the agreement	Nil	Nil
iii) Collateral required by bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.25	0.56
v) The fair value of swap book	Nil	Nil

The Bank has not entered into any Forward Rate Agreement during the year under review.



3-2 fofue; O, ki kj fd, x, C, kt nj O, Ri U %

पुनरीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

3-3 0, **Q Q Uka ea _** . **k t k f** [ke %

3-3-1 xqkkRed izdVhdj.k

आईआरएस का उपयोग करते हुए बैंक आस्तियों तथा देयताओं की प्रतिरक्षा कर रहा हैं। उपचय आधार पर हेजिंग लेनदेनों को हिसाब में लिया जाता है। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में हिसाब में लिया जाता है। बकाया स्वैप संविदाएं बाजार को मार्क किए गए आधार पर है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वेप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैक—ऑफ़िस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड में बैंक, मुद्रा वायदे सौदे और ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओाअईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन किए जाते हैं।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ व घाटा, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाते हैं।

ओआईएस लेनदेन में उत्पन्न लाभ व हानि, लेनदेन के परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शायी जाती है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला—बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र के दिनांक पर अदला—बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे हुई हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और लाभ की अगर हो तो, उपेक्षा की जाती है।

O, Maillu cht hij earcaid dsfu Eufyf [hr mRihn gan %

- ओवरनाइट इंडक्स स्वैपस
- मुद्रा वायदे सौदे

31 मार्च 2011 को इन शीर्षों के अंतर्गत कोई भी प्रावधान रहित भदें पायी नहीं गई।

3-3-2- ek⊨kRed izdVhdj.k

(₹. करोड़ में)

Øe la	fooj.k	C; kt nj	0, K i Uu
		2010-11	2009-10
1	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल रकम)		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	43.48	61.12
	ख) व्यापार के लिए	0.00	0.00
2	बाज़ार की स्थितियों पर अंतिम (1)		
	क) आस्ति <u>(</u> +)	0.00	0.00
	ख) देयता (–)	0.48	0.44
3	ऋण जोखिम (2)	0.25	0.56
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100* पीवी 01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	1.20	0.48
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.00
5	वर्ष के दौरान प्राप्त गए 100 पीवी 01 का लक्षित अधिकतम और न्यूनतम		
	क) प्रतिरक्षा पर		
	अधिकतम	1.20	0.83
	न्यूनतम	0.53	0.48
	ख) व्यापार पर		
	अधिकतम	लागू नहीं	लागू नहीं
	न्यूनतम	लागू नहीं	लागू नहीं

^{3.4.1} एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री के कारण प्राप्त जो रु.2.36 करोड़ को लाभ (गत वर्ष 30.08 करोड़) लाभ—हानि लेखा में दर्ज़ किया गया और तत्पश्चात् 1.18 करोड रुपए की राशि पूंजी आरक्षित निधि के लिए विनियोजित किया गया (कर काटने के बाद निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित निधि)।

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

The Bank has not contracted any Exchange Traded Interest Rate Derivatives during the year under review.

3.3 Risk Exposure in Derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures:

Bank has been doing hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions have been accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Valuation of outstanding swap contracts is on marked to market basis.

All swap deals have been undertaken based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate internal approvals and control systems prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank is doing proprietary trading in Currency Futures (CF) and Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the bank's Board.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising therefrom, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

The Bank is having the following products under derivatives.

- Overnight Index Swaps
- · Currency Futures

No naked positions under the said heads were outstanding as on 31 March 2011.

3.3.2 Quantitative Disclosures:

(₹.in crore)

SI.No.	Particulars	Interest Rate	Derivatives
		2010-11	2009-10
1	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	43.48	61.12
	b) For trading	0.00	0.00
2	Marked to Market Positions (1)		
	a) Asset (+)	0.00	0.00
	b) Liability (-)	0.48	0.44
3	Credit Exposure (2)	0.25	0.56
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) On hedging derivatives	1.20	0.48
	b) On trading derivatives	0.00	0.00
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) On hedging		
	Maximum	1.20	0.83
	Minimum	0.53	0.48
	b) On trading		
	Maximum	NA	NA
	Minimum	NA	NA

3.4.1 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹2.36 crore (previous year ₹30.08 crore) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of ₹1.18 crore was appropriated towards Capital Reserve Account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves)

123



- 3.4.2 वर्ष के दौरान बैंक ने बिक्री के लिए उपलब्ध सवर्ग में रखी हुई अपनी सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) का एक भाग को लागत / बही मूल्य / बाज़ार मूल्य पर जो भी कम हो एचटीएम संवर्ग में अंतरित किया तािक विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा सके। 4982.05 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1710.12 करोड़ रुपए) की प्रतिभूतियां के अंतरण के कारण ₹.176.23 (गत वर्ष ₹.49.23 करोड़) का मूल्यहास हुआ। 31 मार्च 2010 को जीओआई एएफएस प्रतिभूतियों में उपलब्ध 138.72 करोड़ रुपए के मूल्यहास प्रावधान को उपयोग किया गया तथा परिवर्तन के कारण 37.51 करोड़ रुपए की राशि को लाभ एवं हािन लेखे में नामे डाला गया। बैंक ने कोई मूल्यहास वहन किए बिना 1718.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1127.08 करोड़ रुपए) राशि की सरकारी प्रतिभूतियों को एचटीएम में परिवर्तित किया।
- 3.4.3 एचटीएम सवंर्ग में वर्गीकृत प्रतिभूतियों के मामले में यदि अर्जन की लागत उसके अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता के लिए शेष अविध में प्रीमियम को परिशोधित कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010—11 में ₹.43.38 करोड़ की राशि को (गत वर्ष में ₹.71.05 करोड़) परिशोधित किया जा चुका है तथा इसे "निवेशों पर आय" के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

4- vktLr xqkoRrk

4-1-1 x\$&fu"iknd vkfLr; k

(₹-करोड़ में)

ena	2010-11	2009-10
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (:)	0.53	0.23
(ii) सकल एनपीए की गति		
(ए) अथशेष	510.10	459.18
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	953.92	586.19
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	723.71	535.27
(डी) अंतशेष	740.31	510.10
(iii) निवल एनपीए की गति		
(ए) अथशेष	144.93	93.81
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	544.48	427.53
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	292.37	376.41
(डी) अंतशेष	397.04	144.93
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों की गति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों और चल प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) अथशेष	117.21	195.50
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	705.00	303.24
(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टेखाते में डालना / पुनरांकन करना	662.48	381.53
(डी) अंतरोष	159.73	117.21

4-1-2 x\$&fu"i knd _ .k i ko/kku dojst vuoj kr 84-30 i £r' kr ½ ki Nys o"kZ93-65 i £r' kr½

4-2 i qw%l j puk ds v/khu yk; s x; s [kkrka dk fooj.k

(₹. करोड़ में)

		2010-11		
		l lMhvkj exdkfut e	, l , ebZk i q % l j puk	vŲ
पुनःसंरचित मानक	उधारकर्ताओं की संख्या	&	96	5457
ऋण	बकाया राशि	&	17.24	671.15
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	&	0.25	13.59
पुनःसंरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	&	13	500
अवमानक ऋण	बकाया राशि	&	0.67	5.98
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	&	0.01	0.04
पुनःसंरचित संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या	&	&	7
ऋण	बकाया राशि	&	&	0.04
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	&	&	0
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	&	109	5964
	बकाया राशि	&	17.91	677.17
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	&	0.26	13.63

- 3.4.2 During the year, the Bank had transferred a portion of its Government Securities (SLR) held in the AFS category to the HTM category at the least of Cost / Book Value / Market price pursuant to enabling regulatory guidelines. The shifting of securities of ₹4982.05 crore (previous year ₹1710.12 crore) resulted in depreciation of ₹176.23 crore (previous year ₹49.23 crore). The depreciation provision available as on 31st March 2010 in GOI AFS securities amounting to ₹138.72 crore was utilized and the balance amount of ₹37.51 crore was debited to P&L account on account of shifting. The Bank also shifted ₹1718.31 crore (previous year ₹1127.08 crore) of government securities from HTM to AFS with out incurring any depreciation.
- 3.4.3 In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2010-11, a sum of ₹43.38 crore (previous year ₹71.05 crore) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

4. ASSETS QUALITY

4.1.1 Non-Performing Assets

(₹. In crore)

Items	2010-11	2009-10
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.53	0.23
(ii) Movement of Gross NPAs		
(a) Opening Balance	510.10	459.18
(b) Additions during the year	953.92	586.19
(c) Reductions during the above period	723.71	535.27
(d) Closing Balance	740.31	510.10
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	144.93	93.81
(b) Additions during the year	544.48	427.53
(c) Reductions during the above period	292.37	376.41
(d) Closing Balance	397.04	144.93
(iv) Movement of Provision for NPAs (excluding provisions on standard assets and Floating Provisions)		
(a) Opening Balance	117.21	195.50
(b) Provisions made during the year	705.00	303.24
(c) Write-off / write-back of excess provision	662.48	381.53
(d) Closing Balance	159.73	117.21

4.1.2 Non Performing Loan Provisioning Coverage Ratio is 84.30% (previous year 93.65%)

4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹. In crore)

		2010-11		
		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard	No. of Borrowers		96	5457
advances	Amount outstanding		17.24	671.15
restructured	Sacrifice (diminution in the fair value)		0.25	13.59
Sub Standard	No. of Borrowers		13	500
advances	Amount outstanding		0.67	5.98
restructured	Sacrifice (diminution in the fair value)		0.01	0.04
Doubtful	No. of Borrowers			7
advances	Amount outstanding			0.04
restructured	Sacrifice (diminution in the fair value)			0
	No. of Borrowers		109	5964
	Amount outstanding		17.91	677.17
TOTAL	Sacrifice (diminution in the fair value)		0.26	13.63



(₹. करोड़ में)

		2009-10		
		l hMhvkj	, l, ebZk i ф %	vŲ;
		e x dkfut e	l j ipuk	
पुनःसंरचित मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	4	161	3161
	बकाया राशि	153.87	141.80	2937.88
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	14.92	2.60	82.32
पुनःसंरचित अवमानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	&	1	30
	बकाया राशि	&	0.69	0.47
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	&	&	0.03
पुनःसंरचित संदिग्ध ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	&	&	&
	बकाया राशि	&	&	&
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	&	&	&
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	4	162	3191
	बकाया राशि	153.87	142.49	2938.35
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	14.92	2.60	82.35

(!`` j_Z6"]#ZNN\X#Z#QZFYEX"|4j_Z6"]#ZNN\XJi\XZ9J\1VYE\\'j_Z6\'<u>J</u>X\Zc\''_`

i zdVhdj. k	2010-11	2009-10
(i) खातों की संख्या	117591	शून्य
(ii) एससी / आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों से निवल)	347.40	शून्य
(iii) सकल प्रतिफल	393.54	शून्य
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खाते के संबंध में वसूला गया अतिरित प्रतिफल	0.00	शून्य
(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ / हानि	46.14	शून्य

4-4 [kj hnh @ cph x; h x \S fu"Ikknd foRrh, vkfLr; kadsfooj.k

,- [kj lmh x; h xj &fu"i knd foRrh; vkLr; ka ds fooj.k

(₹. करोड़ में)

(₹. करोड़ में)

	fooj.k	2010-11	2009-10
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदी गई खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
2.	(क) इनमे से वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य

बी. बेची गयी गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹. करोड़ में)

	fooj.k	2010-11	2009-10
1.	बेची गई खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	शन्य	शन्य

4.5. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(₹. करोड़ में)

ena	2010-11	2009-10
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए मानक आस्तियों के	6.00	91-V
प्रावधान	0.00	शून्य

5. व्यापार अनुपात

fooj.k	2010-11	2009-10
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.35	8.44
(ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	1.05	1.26
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	2.94	2.95
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	1.53	1.67
(v) कारोबार (जमाएँ एवं अग्रिम) प्रति कर्मचारी (₹. करोड में)	9.30	7.61
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹. लाख में)	8.88	7.92

(₹. In crore)

			2009-10	,
		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
	No. of Borrowers	4	161	3161
Standard advances	Amount outstanding	153.87	141.80	2937.88
restructured	Sacrifice (diminution in the fair value)	14.92	2.60	82.32
Sub Standard	No. of Borrowers		1	30
advances	Amount outstanding		0.69	0.47
restructured	Sacrifice (diminution in the fair value)			0.03
	No. of Borrowers			
Doubtful advances	Amount outstanding			
restructured	Sacrifice (diminution in the fair value)			
	No. of Borrowers	4	162	3191
	Amount outstanding	153.87	142.49	2938.35
TOTAL	Sacrifice (diminution in the fair value)	14.92	2.60	82.35

4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹. In crore)

		(
Items	2010-11	2009-10
(i) No. of Accounts sold	117591	Nil
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	347.40	Nil
(iii) Aggregate consideration	393.54	Nil
(iv) Additional consideration realised in respect of account transferred in earlier years	0.00	Nil
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	46.14	Nil

4.4 Details of non-performing financial assets purchased /sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹. In crore)

Particulars	2010-11	2009-10
1. (a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold

(₹. In crore)

		. ,
Particulars	2010-11	2009-10
1. No. of accounts sold	NIL	NIL
2. Aggregate Outstanding	NIL	NIL
3. Aggregate consideration received	NIL	NIL

4.5 **Provision on Standard Assets**

(₹. In crore)

Items	2010-11	2009-10
Provision towards Standard Assets made during the year as per prudential norms issued by RBI	6.00	NIL

5. Business Ratios

Particulars Particulars	2010-11	2009-10
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds	8.35	8.44
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	1.05	1.26
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.94	2.95
(iv) Return on Assets (%)	1.53	1.67
(v) Business (Deposits plus Advances) per employee (Rs. in Crore)	9.30	7.61
(vi) Profit per employee (Rs in lakh)	8.88	7.92



6. आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों / देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न (बैंक द्वारा यथा संकलित)

(₹. करोड़ में)

fooj.k	1 fnu	2 & 7 fnu	8&14 fnu	15&28 fnu	29 fnu rFkk 3 eghuka	3 eghukal s vf/kd rFkk 6 eghuka		1 o"kZls vf/kcl rFkk3	3 o"kk# 1 s vf/kd rFkk 5	5 o"kk#11 s vf/kcl	dy
					rd	rd	o"kZrd	o"kkZrd	o"kkard		
जमाएं	1036.79	4093.06	2972.19	3415.05	10578.39	9704.88	17874.58	31638.96	2467.10	22023.17	105804.18
अग्रिम	5.77	100.00	0.00	0.00	455.27	343.35	2.84	102.70	90.40	1000.04	2100.37
निवेश	166.30	2030.36	1142.65	1969.26	5159.12	2092.71	5459.83	8082.84	913.29	7767.40	34783.76
उधार	1029.57	817.52	2254.21	2534.02	7784.67	4774.32	12594.68	22253.37	10924.73	10282.83	75249.91
जिसमें											
विदेशी मुद्रा देयतायँ	438.58	119.54	212.83	678.02	1521.39	854.59	702.70	248.98	48.59	0.00	4825.22
विदेशी मुद्रा आस्तियां	415.57	170.81	115.83	362.08	1578.02	532.31	338.47	450.13	743.93	429.77	5136.92

7- laonsu'khy (ks=ka dks m/kkj

7-1- fj; y , LVV {ks= dks_.k

(₹. करोड़ में)

cxZ	31.03.2011	31.03.2010
ए) प्रत्यक्ष ऋण		
(i) घरेलू बंधक	5855.95	5645.68
जिसमें से वैयक्तिक गृह ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने हेतु योग्य है	3996.58	3967.83
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	3095.34	3226.07
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण		
क) घरेलू	1.17	2.32
ख) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
बी) अप्रत्यक्ष ऋण		
एनएचबी तथा एचएफसी पर निधिक तथा गैर—निधिक ऋण	699.41	783.59

7-2 iwth ckt kjea, Dlikt j

(₹. करोड़ में)

ena	31.03.2011	31.03.2010
(i) प्रत्यक्ष निवेश		
ईक्विटी शेयर में	571.74	509.63
बांड्स / परिवर्तनीय डिबेंचरों में	शून्य	शून्य
ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में जिसका कॉरपस मात्र कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है।	8.00	59.00
(ii) व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित) बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के		
यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों की जमानत पर अग्रिम	0.11	231.70
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख		
म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।	शून्य	शून्य
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबे.		
ंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात शेयरों / परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय	71-71	W-W
डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं	शून्य	शून्य
करती।		
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी	134.27	171.78
गारंटियां।	104.27	171.70

6. Asset Liability Management

Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities (As compiled by the Bank)

(₹. In crore)

	1 day	2 to 7	8 to 14	15 to 28	29 days	Over 3	Over 6	Over 1	Over 3	Over 5	Total
Particulars		days	days	days	to 3	months to	months	year to 3	years to	years	
					months	6 months	to 1 year	years	5 years		
Deposits	1036.79	4093.06	2972.19	3415.05	10578.39	9704.88	17874.58	31638.96	2467.10	22023.17	105804.18
Borrowings	5.77	100.00	0.00	0.00	455.27	343.35	2.84	102.70	90.40	1000.04	2100.37
Investments	166.30	2030.36	1142.65	1969.26	5159.12	2092.71	5459.83	8082.84	913.29	7767.40	34783.76
Advances	1029.57	817.52	2254.21	2534.02	7784.67	4774.32	12594.68	22253.37	10924.73	10282.83	75249.91
Of which											
Foreign											
Currency											
Liabilities	438.58	119.54	212.83	678.02	1521.39	854.59	702.70	248.98	48.59	0.00	4825.22
Foreign											
Currency											
Assets	415.57	170.81	115.83	362.08	1578.02	532.31	338.47	450.13	743.93	429.77	5136.92

7. Lending to Sensitive Sector

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹. In crore)

Category	31.03.2011	31.03.2010
A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	5855.95	5645.68
Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector	3996.58	3967.83
(ii) Commercial Real Estate -	3095.34	3226.07
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposure		
a) Residential	1.17	2.32
b) Commercial Real Estate	NIL	NIL
B) Indirect Exposure		
Fund based and Non-fund based exposure on National Housing Bank and Housing Finance Corporation	699.41	783.59

7.2 Exposure to Capital Market

(₹. In crore)

Items	31.03.2011	31.03.2010
(i) Direct investment		
In equity shares	571.74	509.63
In bonds/ convertible debentures	NIL	NIL
In units of equity- oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	8.00	59.00
(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares (including IPOs/ESOPs) convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds	0.11	231.70
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	NIL	NIL
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover advances	NIL	NIL
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	134.27	171.78



(vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अथवा निःशर्त आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण।	158.26	5.65
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को ब्रीज लोन।	शून्य	शून्य
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथिमक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामिदारी कटिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	शून्य	शून्य
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्पोजर	22.50	10.00
istrhoktkj dkodoy, Dliktj	894.88	987.76

7.3 जोखिम वर्गीकरण वार देश का ऋण

k t kf[ke	31 ekpZ2011 rd k 16uoy1/2	31 ekpZ2011 rd fd, x, ikno/kku	31 ekpZ2010 rdk 16uoy1/2	31 ekpZ2010 rd fd, x, i ko/kku
नगण्य	3156.20	3.47	2985.27	3.61
न्यून	1570.68	_	719.53	_
मध्यम रूप से न्यून	108.92	_	165.87	_
मध्यम	11.98	_	5.76	_
मध्यम रूप से उच्च	23.26	_	22.07	_
उच्च	36.03	_	32.90	_
सर्वोच्च	0.00	_	0.00	_
कुल	4907.07	3.47	3931.40	3.61

^{*}ईसीजीसी के दिनांक 01.01.2011 के परिपत्र के अनुसार अद्यतन बनाए गए देश जोखिम के आधार पर

nsk fo'ksk dksiznRr _ .k dk t ks[ke izcaku %

बैंक ने 31.03.2011 को विभिन्न देशों को प्रदत्त निवल ऋण का विश्लेषण किया है और सिंगापुर को छोड़ कर अन्य देशों के प्रति यह ऋण बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। सिंगापुर, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड ने गैर महत्वपूर्ण ऋण जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, ₹.3.47 करोड़ (गत वर्ष – ₹.3.61 करोड़) का प्रावधान उपलब्ध है।

7-4 câd } kj k , dy m/kkj drkZl hek ¼ l ch, y½ l ew m/kkj l hek ½ l kh, y½ ds vfrØe. k ds fooj. k

(₹. करोड़ में)

m/kkj drkZdk uke	vfrfjDrk	d y mPprek	vfrfj Dr k dk Áfr'kkr	d g ykdk Áfr'kkr
		शून्य		

7-5 vi£rHow vfxæ

कुल अप्रतिभूत अग्निमों में, परियोजनाओं (संरचनात्मक परियोजनाओं सिहत) के लिए संपाहिर्वक प्रतिभूति के रूप में प्रदत्त, अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार, जैसे अभूर्त प्रतिभूति से रक्षित अग्निम की राशि 611.22 करोड़ रुपए है। प्रभार रखने वाले देनदारों के लिए उपलब्ध, उपर्युक्त अभूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित कुल मृत्य 31.03.2011 को 12206.28 करोड़ रुपए है।

8- fofo/k

8-1 ys[kklek/kku, oalek; kt u

- 8.1.1 अंतर शाखा मदों का लेखा समाधान 31.03.2011 तक पूरा किया जा चुका है। बकाया प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार, 7.55 करोड़ रुपए कुल मूल्य के 10548 प्रविष्टियां बकाया हैं।
- 8.1.2 दिनांक 31.03.2011 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अविध के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में कुल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।
- 8.1.3 देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्त राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	158.26	5.65
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	NIL	NIL
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	22.50	10.00
Total Exposure to Capital Market	894.88	987.76

7.3 Risk Category-wise Country Exposure

(₹. In crore)

	Exposure (net)	Provision held as	Exposure (net)	Provision held as at
Risk Category*	as at 31st Mar 2011	at 31st Mar 2011	as at 31st Mar 2010	31st Mar 2010
Insignificant	3156.20	3.47	2985.27	3.61
Low	1570.68		719.53	
Moderately low	108.92		165.87	
Moderate	11.98		5.76	
Moderately high	23.26		22.07	
High	36.03		32.90	
Very high	0.00		0.00	
Total	4907.07	3.47	3931.40	3.61

^{*}As per the updated country risk classification by the ECGC vide its Circular dated 01.01.2011.

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2011 and such exposure to countries other than Singapore is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank. In respect of Singapore, which is classified under 'Insignificant' risk category by ECGC Ltd., a provision of ₹ 3.47 Crore (previous year ₹ 3.61Crore) is available.

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

(₹. In crore)

	Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
.			NIL		

7.5 Unsecured Advances

Out of total unsecured advances, advances secured by intangible securities such as rights, licenses, authority etc charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is ₹.611.22 Crore. Estimated total value of such intangible collaterals mentioned above as on 31.03.2011 is ₹ 12206.28 Crore available for lenders having charge.

8. MISCELLANEOUS

8.1 Reconciliation and Adjustments

- 8.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2011. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding entries. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 10548 entries aggregating to ₹ 7.55 crore are outstanding.
- 8.1.2 In view of net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2011, no provision is required.
- 8.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.



- 8.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों / रिजस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।
- 8.2 वर्ष के दौरान आय कर के लिए बनाए गए प्रावधानों की राशि :

(₹. करोड में)

	2010-11	2009-10
कराधान के लिए प्रावधान (आईटी तथा डव्लूटी)	920.39	796.62

अ. 31.03.2011 को विवादित आयकर मांग बकाया शेष 507.35 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 574.94 करोड़ रुपए) था, जिसमें से 348.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 348.34 करोड़ रुपए) वापसी आदेशों के प्रति विभाग द्वारा अदा / समायोजित कर दिए गए। एक ही तरह के मुद्दों पर बैंक के अनुकूल की गई विभिन्न न्यायिक घोषणाओं तथा गत—निर्धारण वर्षों में बैंक द्वारा दायर की गई अपीलें पर जो विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, विचार करते हुए किसी तरह के प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं माना गया है।

इस वर्ष में बैंक को सामान्य तरीके के अधीन कर अदा करना है इसलिए वर्ष के दौरान 120.00 करोड़ रुपए के अर्ह ऋण को पूर्व वर्ष के दौरान सृजित एमएटी ऋण अर्ह आस्तियों में हटा दिया गया है। दि. 31.03.2011 तक एमएटी अर्ह ऋण खाते के अधीन शेष 436.27 करोड़ रुपए है।

8-3 Haligring fit eZcald } kijk yxk, x, n. Maadk izdVhdj. k %

वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने, नकदी आरक्षित निधि में कमी के लिए 7.87 करोड़ रुपए और मुद्रा कोष विप्रेषण में विसंगति के लिए 2.50 लाख रुपए जुर्माना लगाया।

8-4 vpy vktr; k

- 8.4.1. परिसर में रु.11.11 करोड़ लागत वाली परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनका बही मूल्य 64.50 करोड़ रुपए है (पिछले वर्ष क्रमशः 11.11 करोड़ रुपए और 66.27 करोड़ रुपए), जिनके लिए पंजीकरण की औपचारिकताएं की जा रही हैं।
- 8.4.2 बैंक ने वर्ष 2008—09 के दौरान अपनी अचल संपित्तयों का अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मल्यन किया तथा इसके परिणामस्वरूप 1057.76 करोड़ रुपए की मूल्य वृद्धि राशि को "पुनर्मूल्यन रिज़र्व खाते" में जमा किया गया। पुनर्मूल्यन किए गए अंश पर अतिरिक्त मूल्यहास 30.52 करोड़ रुपए था (गत वर्ष में 30.52 करोड़ रुपए) जिसे लाभ व हानि लेखे को प्रभारित किया गया है तथा उसकी समतुल्य राशि का आहरण "पूनर्मूल्यन रिज़र्व खाते" से कर दिया गया है।

8-5 ykłk, oagkiu yske ea (); 'klik/dsrgr~fn kk, x, **i ko/kku vk\$ vkdfledrkvk* dk czlvi

(₹. करोड में)

	fuEu dsi£or fd, x, ikno/kku	2010 -11	2009-10
i)	निवेश के मूल्य में मूल्यहास	61.43	(95.95)
ii)	गैर—निष्पादक अग्रिम	719.36	
	निवेश	(5.71)	(10.04)
iii)	मानक अग्रिम	13.61	(0.38)
iv)	आयकर और एफ बी टी	920.39	796.62
v)	पुनः संरचित अग्रिम	(2.50)	80.43
vi)	अन्य	(128.97)	19.54
	dy	1577.61	1192.36

8-6 py ikto/ktu %

(₹. करोड़ में)

	py ikho/kku [kkrk	2010-11	2009-10
(ক)	अथशेष (1 अप्रैल)	205.00	105.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़	0.00	100.00
(ग)	उपर्युक्त वर्ष के दौरान कमी	65.42*	शून्य
(ঘ)	अंतरोष (31 मार्च)	139.58	205.00

^{*} कृषि उधार छूट और ऋण राहत योजना 2008 के अधीन गैर निष्पादक आस्तियों के लिए अपेक्षित प्रावधान

8-7 x kgd f'kdk; r

v- xxlgd f'kdk; r

(ক)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	26
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	1806
(ग)	वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	1757
(ਬ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	75

- 8.1.4 Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.
- 8.2 Amount of Provision made for Income Tax during the year:

(₹. In crore)

	2010-11	2009-10
Provision for Taxation (IT & WT)	920.39	796.62

a) The disputed Income Tax demand outstanding as at 31 03 2011 amounts to ₹ 507.35 Crore (previous year ₹.574.94 Crore), out of which ₹ 348.60 Crore (previous year ₹.348.34 Crore) has been paid / adjusted by the Department against refund orders. Considering the various judicial pronouncements on similar issues in favour of the Bank and the Appeals filed by the Bank for earlier Assessment Years pending before various appellate authorities, no provision is considered necessary.

The Bank has to pay tax under normal method for the current year. Hence, during the year, MAT entitlement credit to the tune of ₹ 120.00 Crore has been reversed out of the MAT credit entitlement assets created in the earlier years. Balance outstanding under MAT entitlement Credit account as on 31.03.2011 is ₹436.27 Crore.

8.3 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the year, RBI has imposed penalty of ₹ 7.87 lakhs for shortfall in CRR and ₹ 2.50 lakhs for discrepancy in Currency Chest remittances.

8.4 Fixed Assets

- 8.4.1 Premises include properties costing ₹.11.11 Crore, the book value of which is ₹.64.50 Crore (previous year ₹.11.11 Crore and ₹.66.27 Crore respectively), for which registration formalities are in progress.
- 8.4.2 Bank revalued its immovable properties during the year 2008-09 at fair market value by approved valuers and the resultant appreciation of ₹.1057.76 Crore was credited to "Revaluation Reserve Account". Depreciation on the revalued portion amounting to ₹.30.52 Crore (previous year ₹.30.52 Crore) has been charged to Profit & Loss A/c and an equivalent withdrawal is made from the "Revaluation Reserve Account".
- 8.5 Break-up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account:

(₹. In crore)

	Provision made towards	2010 -11	2009-10
i)	Depreciation in the value of Investments	61.43	(95.95)
ii)	Non-Performing Advances	719.36	402.14
	Investments	(5.71)	(10.04)
iii)	Standard Advances	13.61	(0.38)
iv)	Income Tax & FBT	920.39	796.62
v)	Restructured Advances	(2.50)	80.43
vi)	Others	(128.97)	19.54
	Total	1577.61	1192.36

8.6 Floating Provisions:

(₹. In crore)

	Floating Provisions Account	2010-11	2009-10
(a)	Opening Balance (1st April)	205.00	105.00
(b)	Additions during the year	0.00	100.00
(c)	Reduction during the above year	65.42*	NIL
(d)	Closing Balance (31st March)	139.58	205.00

^{*}Towards NPA provisioning requirement under Agricultural Debt waiver and Debt Relief Scheme 2008

8.7 Customer Complaints :

A. Customer Complaints

	•	
a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	26
b)	No. of complaints received during the year	1806
c)	No. of complaints redressed during the year	1757
d)	No. of complaints pending at the end of the year	75



आ. क्रेडिट कार्ड

(ਬ)

(क)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	7
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	528
(ग)	वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	522
(ঘ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	13

भारिबैंक के दिशानिर्देशों और बोर्ड अनुमादित नीति के अनुसार क्रेडिट कार्ड प्राप्त राशियों मै एनपीए उतार—चढ़ाव का वर्गीकरण / रिपोर्टिंग किया जाता है। इ. एटीएम शिकायत

478 (क) वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं. 71679 (ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. 71670 वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. (ग) 487

वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. 8-8 c Stdax ykdiky } kjk i kfjr vkS c Std ds } kjk dk, kUbr fd, x, vf/kfu.kZ

(क)	वर्ष की शुरुआत में अकार्यान्वित अधिनिर्णय	5
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पास किए गए अधिनिर्णय	3
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय	6
(ঘ)	उच्च न्यायालय में अधिनिर्णय के विरुद्ध अनुमत अपील	-
(ङ)	वर्ष के अंत में लंबित अकार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	2

8-9 31-12-2010 dkslektr frekgh vk5 i wZfrekfg; kadsrvyu est 31-03-2011 dkslektr frekgh existir xtgd f'kdk, rkadk oxkElj.k

			2 1 4 1 5 1 7 1 19 6 12 4 13 2 12 2 2 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 10 3 27 5 17 3						
Ø-l a	oxl i člj.k	30.06	.2010	30.09	.2010	31.12	.2010	31.03	.2011
		सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	चेकों की वापसी	2	1	4	1	5	1	7	1
2	बाहरी चेकों / बिलों की वापसी	19	6	12	4	13	2	12	2
3	डीडी / टीटी / एमटी के जारी करने और भुगतान तथा अनुलिपि डीडी का जारी करना	2	1	3	1	2	1	0	0
4	ग्राहकों के स्थायी अनुदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
5	पासबुक अद्यतन करना / खाता विवरणी जारी करना	4	1	10	3	27	5	17	3
6	पेंशन का भुगतान	31	9	40	12	79	13	76	14
7	जमा / ब्याज का भुगतान	80	24	47	14	116	19	102	19
8	ऋण आवेदनों का निपटान	112	34	137	40	186	31	205	39
9	कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत	4	1	9	3	9	2	12	2
10	दावाओं का निपटान	4	1	6	2	7	1	7	1
11	एटीएम और अन्य प्रौद्योगिकी संबंधित मामले	75	22	68	20	152	25	103	19
	$\mathrm{d} y$	333	100	336	100	596	100	541	100

बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट : 8.10

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 3214.98 करोड़ रुपए मूल्य के लिए 573 लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए गए हैं। 31.03.2011 को 331 लेटर ऑफ कम्फर्ट बकाया है जिनकी राशि 1180.94 करोड़ रुपए है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारियों को जारी उत्तरदायित्व के पत्र के कारण बैंक, सिंगापुर शाखा के साथ की न्यूनतम निवल समायोजित पुँजी निधि 8.11 आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यूएसडी 43 एमआईओ (31.03.2011 को करीब आईएनआर 191.76 करोड़ की समतुल्य राशि) की जमाएँ अनुरक्षित करता है।

8-12 Hkijr ljdkj}kjk vf/kl fipr Ñf'k _ .k ekQh , oa _ .k jkgr ; kt ukl 2008 dk dk; kTb; u

लघु और सीामंत कृषकों को कृषि उधार चूक के अंतर्गत, बैंक ने 24.06.2009 को भारतीय रिजर्व बैंक को 459.01 करोड़ रुपए का अंतिम लेखा परिक्षित दावा

B. Credit Card

a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	7
b)	No. of complaints received during the year	528
c)	No. of complaints redressed during the year	522
d)	No. of complaints pending at the end of the year	13

Classification / Reporting on Movement of NPA in credit card receivables is done as per RBI guidelines and Board approved Policy

C. ATM Complaints

a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	478
b)	No. of complaints received during the year	71679
c)	No. of complaints redressed during the year	71670
d)	No. of complaints pending at the end of the year	487

8.8 Number of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank is as follows:

a)	Unimplemented awards at the beginning of the year	5
b)	Awards passed by Banking Ombudsman during the year	3
c)	Awards implemented during the year	6
d)	Appeal against the awards allowed in the High Court	-
e)	Unimplemented awards at the end of the year	2

8.9 Classification of customer complaints received during the quarter ended 31.03.2011 compared to the quarters ended 31.12.2010 and previous quarters:

Complaints received during the			e quar	quarter ending					
SI.No.	Classification	30.06	0.06.2010 30.09.2		.2010	31.12.2010		31.03.2011	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	Return of cheques	2	1	4	1	5	1	7	1
2	Collection of outstation cheques/bills	19	6	12	4	13	2	12	2
3	Issue & Payment of DDs/TTs/MTs & Issue of dup. DDs/MTs	2	1	3	1	2	1	0	0
4	Standing instructions of customers	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Updating of passbook/issue of statement of a/c	4	1	10	3	27	5	17	3
6	Payment of Pension	31	9	40	12	79	13	76	14
7	Deposits/Payment of Interest	80	24	47	14	116	19	102	19
8	Disposal of loan applications	112	34	137	40	186	31	205	39
9	Complaint against staff	4	1	9	3	9	2	12	2
10	Settlement of claim	4	1	6	2	7	1	7	1
11	ATM & other technology related matters.	75	22	68	20	152	25	103	19
	TOTAL	333	100	336	100	596	100	541	100

8.10 Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2011, 573 letters of comfort have been issued by the bank amounting to ₹3214.98 Crore. The letters of comfort outstanding as on 31.03.2011 are 331 amounting to ₹1180.94 Crore.

- 8.11 In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank maintains deposit to the extent of USD 43 mio (equivalent to INR 191.76 Crore approx as on 31.03.2011) with Singapore Branch to meet the minimum Net adjusted Capital Funds requirement of the Branch.
- 8.12 Implementation of Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 notified by Government of India
 Under Agricultural Debt Waiver to Small and Marginal Farmers, Bank has submitted Final Audited claim to the tune
 of ₹ 459.01 Crores to RBI on 24.06.2009.The entire claim amount of ₹ 459.01 crores has been reimbursed by RBI.
 The "Supplementary Claim" under Debt Waiver will be submitted to RBI before cut-off date i.e. 30.06.2011.



दाखिल किया। 459.01 करोड़ रुपए का संपूर्ण दावा राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किया गया। 30.06.2011 के अंतिम तारीख के पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को ''अनुपूरक दावा'' दाखिल किया जाएगा।

''अन्य कृषकों'' को ऋण राहत के तहत 57.57 करोड़ रुपए का अंतिम लेखा परीक्षित दावा भारतीय रिजर्व बैंक को दाखिल किया गया और प्रतिपूर्ति की गयी। ऋण राहत के अंतर्गत ''अतिरिक्त अंतिम दावा'' भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम तारीख 30.06.2011 के पहले दाखिल किया जाएगा।

8-13 x zheh k fodkl gsrqbaM; u caid VLV

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है। ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है, ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देना और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लगे हुए अन्य विभिन्न खिलाडियों/अभिकरणों के साथ बेहतर गोचर परिणाम प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करना। बैंक ने ट्रस्ट को 10.00 करोड़ रुपए का अंशदान करने की प्रतिबद्धता की है। बैंक द्वारा इस वर्ष के दौरान किया गया अंशदान 10.00 करोड़ रुपए है।

ट्रस्ट के अंतर्गत दो केन्द्रों (धर्मपुरी और पुदुच्चेरी) में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्शदात्री केन्द्र (एफएलसीसी) स्थापित किए गए हैं जो सामान्य जनता को निःशुल्क वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श प्रदान करेंगे। इंडियन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) की स्थापना, पांच केन्द्रों में की गयी है (सेलम, पुदुच्चेरी, वेल्लूर, चित्तूर और तिरुवल्लूर) जो बेरोजगार युवाओं, एसएचजी सदस्यों, कृषकों और कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

VLV dk fu"i knu	₹ करोड़ में
अब तक बैंक द्वारा की गयी अंशदान (न्यास की मालिक)	10.00
इंडसेटी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान	0.29
अब तक अर्जित बैंक ब्याज	0.31
नाबार्ड से प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03
कुल	10.63
घटाएं : अब तक के व्यय	0.68
ट्रस्ट खाते में उपलब्ध शेष (9.77 करोड़ रुपए की मियादी जमा सहित)	9.95

8-14 tek, | vfxze] _ .k rFkk, uih, dk l zdshzk %c5d }kjk; Fkk l esfdr%

8-14-1 tekvka dk ladkhzk

(₹. करोड़ में)

chl l clscMstekdrkZ/kadh dystek, ; ½ l QZnskh½	10652.15
बैंक की कुल जमाओं के साथ बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	10.40%

8-14-2 vfxækadklæd&hzk

(₹. करोड में)

chi l cl s cMs m/kkj dr kK/ka dh dgy v fxze ka	11105.88
बैंक की कुल अग्रिमों के साथ बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की अग्रिमों का प्रतिशत	12.02%

8-14-3 , DLi ki ki ka dk l adstnz k

(₹. करोड़ में)

chl lclscMsm/kkjdrkk/ka@xkgdkadksday, DLikskj	16617.28
बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्स्पोशर के साथ बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं / ग्राहकों	
को एक्स्पोशर का प्रतिशत	10.22%

8-14-4, uih, dkladsinzk

(₹. करोड़ में)

lclscMspkj, uih, [kkrkadksdyy, DLikskj	92.40
--	-------

8-15 l **DV**kj&okj ds: i , uih,

Øekad	l D Vj	ml 190Vjenadoy vfxzeknadslkFk, uih, dki£r'kr
1.	कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप	1.96%
2.	उद्योग(माइक्रो, लघु, मझोले एवं बड़े)	0.60%
3.	सेवाएँ	1.25%
4.	व्यक्तिगत ऋण	1.20%

The Final Audited claim under Debt Relief to "Other Farmers": has been submitted to RBI for ₹ 57.57 crores on 30.06.2010 and got reimbursed. The "Additional Final Claim" under Debt Relief will be submitted to RBI before the cutoff date i.e. 30.06.2011.

8.13 Indian Bank Trust for Rural Development:

Indian Bank Trust for Rural Development has been set up by the Bank on 22.09.08 to exclusively focus on rural development and accomplish perceptibly better results by coordinating with various other players/ agencies who are also engaged in the development of rural areas. Total Contribution committed by the Bank to the Trust is ₹10.00 Crore. Contribution made by the Bank during the year is ₹10.00 crores.

Under the Trust, Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCCs) have been established in two centres (Dharmapuri & Puducherry) to provide financial literacy and credit counseling to the general public, free of cost. Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETIs) have been established in five centres (Salem, Puducherry, Vellore, Chittoor & Tiruvallur) to impart training to unemployed youth, SHG members, farmers and artisans.

Performance of the Trust	₹ crores
Contributions made by the Bank (Author of the Trust) till date	10.00
Grant made by Government of India for INDSETIs	0.29
Bank Interest earned till date	0.31
Training cost reimbursement received from NABARD	0.03
Total	10.63
Less: Expenditure incurred till date	0.68
Available balance with the Trust account (including FD of Rs 9.77	
crores)	9.95

8.14. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(As compiled by the Bank)

8.14.1 Concentration of Deposits

(Amount in ₹. Crore)

Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	10652.15
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of	
the Bank	10.40%

8.14.2 Concentration of Advances

(Amount in ₹. Crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	11105.88
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of	
the Bank	12.02%

8.14.3 Concentration of Exposures

(Amount in ₹. Crore)

Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	16617.28
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total	
Exposures of the Bank on borrowers/ customers	10.22%

8.14.4 Concentration of NPAs

(Amount in ₹. Crore)

8.15 Sector-wise NPAs

SI No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
1.	Agriculture & Allied activities	1.96%	
2.	Industry (Micro, small, Medium and Large)	0.60%	
3.	Services	1.25%	
4.	Personal Loans	1.20%	



8-16, uih, eaifjorZi

fooj.k	(₹. करोड़ में)a
01 अप्रैल 2010 को सकल एनपीए (अथशेष)	510.10
वर्ष के दोरान जोड (नए एनपीए)	953.92
उप-कुल (ए)	1464.02
घटाएँ :	
(i) कोटि—उन्नयन	13.48
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नयन किए गए खातों से वसूली गयी राशियों को छोड़कर	119.89
(iii) राईट—ऑफ और ए आरसी को बिक्री किए गए	590.34
उप—कुल (बी)	723.71
परवर्ती वर्ष में 31 मार्च 2011 को सकल एनपीए (अंत शेष—बी)	740.31

8-17 vkojl ht + vkfLr; ka, uih, vks jkt Lo

विवरण	₹. djkM+e a
कुल आस्तियां	4344.10
कुल एनपीए	
सकल एनपीए	20.29
निवल एनपीए	0.00
कुल राजस्व	181.16

8-18 i nofrit] ryvui = ds cligj , l i loh Mat Ugays[khdj.k e kun. Mkads vuol kj l esfdr djuk g 5½

देशी	ओवरसीज़
शून्य	शून्य

- 9- yslkk ekudks14, l½dsvuqlkj izdVhdj.k%
- 9-1 udnh i zokg fooj. k $\frac{1}{4}$, l $\frac{3}{2}$

वर्ष 2010-11 हेतु नकदी प्रवाह विवरण अलग से अनुबद्ध किया गया है।

- 9-2 LVkQ dks ykłk ¼, l 15½
- 9.2.1 वर्ष 2007—08 के दौरान एएस 15 के पहली बार कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न संक्रमणकालीन देयता के लिए 92 करोड रुपए की राशि लाभ हानि खाता में रखा गया है। बाकी अमान्य संक्रमणकालीन देयता का 92 करोड रुपए, शेष एक वर्ष में किया जाएगा।
- 9.2.2 वर्ष के दौरान बैंक ने पूर्व में पेंशन विकल्प न देने वाले कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प देने का अवसर दिया। परिणामतः 12018 कर्मचारियों के पेंशन विकल्प देने के कारण बैंक को 961.60 करोड़ रुपए की देयता (सेवा निवृत्त और पृथक कर्मचारियों के लिए 148.38 करोड़ रुपए सहित) संभालना पड़ा। आगे, वर्ष के दौरान, उपदान के भुगतान अधिनियम 1972 में संशोधन के कारण, कर्मचारियों को देय उपदान की राशि में वृद्धि की गई। परिणामतः बैंक का यह उपदान देयता के बीमांकित मूल्यांकन में 166.00 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

लेखा प्रणाली मानक 15 (एएस) के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी हित का संपूर्ण राशि 1127.60 करोड़ रुपए (अर्थात् 961.60 करोड़ रुपए + 166.00 करोड़ रुपए) को लाभ हानि खाते में प्रभारित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी:बीपी:बीसी/80/21.04.018/2010—11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार निम्नांकित राशि का लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

	(₹. करोड़ में)
(क) वर्तमान कर्मचारियों के लिए द्वितीय पेंशन विकल्प के 1/5 वाँ देयता के लिए	162.60
(ख) पृथक / सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए	148.38
(ग) उपदान देयता के लिए 1/5	33.20
कुल	344.18
शेष : पेंशन निधि में उपलब्ध	157.92
	186.26
शेष अवधि में प्रभारित अपरिशोधित अंश निम्नानुसार है :पेंशन देयता	650.62
उपदान देयता	132.80
	783.42

अगर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा परिपत्र जारी न किया होता तो, बैंक का लाभ, एएस 15 के प्रावधानों के लागू करने के कारण, 783.42 करोड़ रुपए कम होता।

8.16 Movement of NPAs

Particulars Particulars	Amount in ₹. Crore
Gross NPAs as on 1st April 2010 (Opening Balance)	510.10
Additions (Fresh NPAs) during the year	953.92
Sub-total (A)	1464.02
Less:	
(i) Upgradations	13.48
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	119.89
(iii) Write-offs and sale to ARCs	590.34
Sub-total (B)	723.71
Gross NPAs as on 31st March 2011 (closing balance (A-B)	740.31

8.17 Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	Amount (in ₹ Crores)
Total Assets	4344.10
Total NPAs	
Gross NPA	20.29
Net NPA	0.00
Total Revenue	181.16

8.18 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Domestic	Overseas
NIL	NIL

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS):

9.1 CASH FLOW STATEMENT (AS 3)

The Cash Flow statement for the year 2010-11 is annexed separately.

9.2 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

- 9.2.1 A sum of ₹ 92 crore has been charged to Profit & Loss Account towards transitional liability arising upon first time implementation of AS 15 during the financial year 2007-08. The remaining unrecognized transitional liability to be charged to Profit & Loss Account in the remaining one year is ₹ 92 crore
- 9.2.2 "During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of 12018 employees opting for pension, the bank has incurred a liability of ₹ 961.60 crores (including ₹148.38 crore for retired / separated employees). Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the actuarial valuation of such gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 166.00 crores..

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of ₹ 1127.60 crores (ie. ₹ 961.60 crores + ₹ 166.00 crores) is required to be charged to the Profit and Loss Account. In accordance with the RBI circular no DBOD:BP:BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the following amounts have been charged to the Profit & Loss Account:

	(₹ crore)
a) Towards 1/5 th Second Option pension liability in respect of exisiting employees	162.60
b) Towards separated/retired employees	148.38
c) Towards 1/5 th of Gratuity liability	33.20
Total	344.18
Less: Available in Pension Fund	157.92
	186.26
The unamortized portion to be charged off over the remaining period is as under:	
Pension liability	650.62
Gratuity liability	132.80
	783.42

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the Bank would have been lower by Rs.783.42 Crore pursuant to application of the requirements of AS-15.



9.2.3 **ng Yi X'%; Dgf "Xifbie] 'mix'c'[Z' ng j z' fed '] | 'YgYI/f 'Zz' l z'QI/ bi \\$^'Zi 'j z' b\' Nini 'XYN'\' fgr dk l j kik fLFkir fuEukul kj g%**

ı. ewy chekadu vuqku (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2011	31/03/2010	
बट्टे की दर	8.45%	8%	
वेतन बढोत्तरी की दर	1% बेसिक पर और 4.70% डीए पर	2% बेसिक पर और 7.5% डीए पर	
पदत्याग की दर	1%	4%	
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर	9%	9%	
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) बीमांकक तरीका		

^{*}योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्टता, पदोन्नित और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए किया जाता है।

pkywo"kZ2010&11 (₹. करोड़ में)

.ck/; rk dsorZku eW; ½hbhvk½eaifjorZt & vFk kk, oavar kk dk y{kk l ek/ku	isaku fuf/k	mi nku fuf/k	N≬Vh HaqukbZ
o"kZdsvkják ea i hohvks	1939.00	572.00	262.00
ब्याज लागत	147.45	42.40	18.72
वर्तमान में सेवा लागत	249.26	65.66	18.03
विगत सेवा लागत – मान्य	162.64	33.20	0
विगत सेवा लागत – अमान्य	650.58	132.80	0
प्रदत्त लाभ	(191.82)	(83.89)	(56.10)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकक हानि / (लाभ)	605.90	(5.17)	10.35
o"kZdh l ekTr ij ihohvks	3563.00	757.00	253.00

fi Nys o"122009&10 (₹. करोड़ में)

u.ck/; rk dsorZku eW; ¼hohvk½eaifjorZu & vFkkkk, oavar'kkkdky{kklek/kku	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	Ney Vh HeyekbZ
o"kZdsvkj#k enaihohvks	1735.00	540.07	238.00
ब्याज लागत	134.99	39.38	16.15
वर्तमान में सेवा लागत	122.32	49.62	18.67
विगत सेवा लागत – (गैर निहित लाभ)	0	0	0
विगत सेवा लागत – (निहित लाभ)	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(95.27)	(29.94)	(45.44)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकक हानि / (लाभ)	41.96	(27.13)	34.62
o"Michilek Trijihohvks	1939.00	572.00	262.00

pkywo"kZ 2010&11 (₹. करोड़ में)

ııı.; kıt uk vk/Lır; kadsımfpr eW; enaifjorZı & vFk 'kkk, oavar'kkk dk yı(kk l ek/kku	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N&y-Vh HaqqkbZ
o"kZdsvkj#k ea; kt uk vkLr; kadk mfpr eW;	1815.80	561.60	0
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	202.07	51.07	0
नियोजक के अंशदान	1050.56	95.64	56.10
प्रदत्त लाभ	(191.82)	(83.89)	(56.10)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकक लाभ / (हानि)	(25.60)	(5.42)	0
o"12dh lekTr ij ;kt uk vkTr;kadk mfpr eW;	2851.00	619.00	0

9.2.3 The summarised position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2011	31/03/2010	
Discount Rate	8.45%	8%	
Salary escalation rate	1% on Basic and 4.70% on DA	2% on Basic and 7.5% on DA	
Attrition rate	1%	4%	
Expected rate of return on Plan Assets *	9%	9%	
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method		

^{*} Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.

Current Year 2010-11 (₹.crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	1939.00	572.00	262.00
Interest Cost	147.45	42.40	18.72
Current service cost	249.26	65.66	18.03
Past service cost - recognised	162.64	33.20	0
Past service cost - unrecognised	650.58	132.80	0
Benefits paid	(191.82)	(83.89)	(56.10)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	605.90	(5.17)	10.35
PVO as at the end of the year	3563.00	757.00	253.00

Previous year 2009-10

(₹.crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	1735.00	540.07	238.00
Interest Cost	134.99	39.38	16.15
Current service cost	122.32	49.62	18.67
Past service cost - (non vested benefits)	0	0	0
Past service cost - (vested benefits)	0	0	0
Benefits paid	(95.27)	(29.94)	(45.44)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	41.96	(27.13)	34.62
PVO as at the end of the year	1939.00	572.00	262.00

Current Year 2010-11

(₹.crore)

			(1.0.0.0)
III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	1815.80	561.60	0
Expected return on plan assets	202.07	51.07	0
Employer's Contributions	1050.56	95.64	56.10
Benefits paid	(191.82)	(83.89)	(56.10)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(25.60)	(5.42)	0
Fair value of plan assets as at the end of the year	2851.00	619.00	0



ııı.; kt uk vkflr; kadsmfpr eW; enifjorZı & vFk 'kik, on ovar' kik dk yş kk l ek/kku	isiku fuf/k	minku fuf/k	N&√Vh HaqukbZ
o"kZdsvkj&k ea; kt uk vkLr; ka dk mfpr eV;	1550.20	524.47	0
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	146.28		0
नियोजक के अंशदान	245.62		45.44
प्रदत्त लाभ	(95.27)	(29.94)	(45.44)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकक लाभ / (हानि)	(31.03)	(7.83)	0
o"kZdh l eklir ij; kt uk vkLr; ka dk mfpr ekl;	1815.80	1	0
pkywo"lZ 2010&11			। (₹. करोड़ में)
ıv.; kıt uk vkılır; kaij oklırfod i <i>l</i> arQy	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛Vh HaqukbZ
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	202.07	51.07	0
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ (हानि)	(25.60)	(5.42)	0
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	176.46	45.65	0
fi Nys o"l Z 2009&10			(₹. करोड़ में)
ıv.; kt uk vkLr; kaij okLrfod i£rQy	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛Vh HaqukbZ
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	146.28	47.11	0
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ (हानि)	(31.03)	(7.83)	0
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	115.25	39.28	0
pkywo"lZ 2010&11			(₹. करोड़ में)
v. i gpkuk x; k chekadd ykłk@gkfu	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	Ney Vh HequkbZ
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि) — बाध्यता	(605.90)	5.17	(10.35)
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि)—योजना आस्तियां	(25.60)	(5.42)	0
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	631.50	0.25	10.35
o"kZdsnk§ku igpkusx, chekadd ½ykHk½egkfu & ck/;rk	631.50	0.25	10.35
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि — बाध्यता	0	0	0
fi Nys o"122009&10			(₹. करोड़ में)
v. i gpkuk x; k chekadd ykłk@gkfu	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛Vh HoqukbZ
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि) — बाध्यता	(41.96)	27.13	(34.62)
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि)—योजना आस्तियां	(31.03)	(7.83)	0
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	72.99	(19.31)	34.62
o"kZdsnk§ku igpkusx, chekadd ½ykHk½@gkfu & ck/;rk	72.99	(19.31)	34.62
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि — बाध्यता	0	0	0
pkywo"lZ 2010&11			(₹. करोड़ में)
vi. ryvu i= ennigpkuh x; h jkf'k, kavkj l nok/kr fo'yšk k	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛√Vh HoqukbZ
बाध्यता का आकलित वर्तमान मूल्य	3563.00	757.00	253.00
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2851.00	619.00	0
अन्तर	712.00	138.00	253.00
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	(61.60) (650.58)	(5.20) (132.80)	(12.40)
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत – गैर निहित लाभ			0

0

240.60

(0.18)

rgyu i= eaigpluh x; h ns rk

Previous year 2009-10 (₹.crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	1550.20	524.47	0
Expected return on plan assets	146.28	47.11	0
Employer's Contributions	245.62	27.79	45.44
Benefits paid	(95.27)	(29.94)	(45.44)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(31.03)	(7.83)	0
Fair value of plan assets as at the end of the year	1815.80	561.60	0

Current Year 2010-11 (₹.crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	202.07	51.07	0
Actuarial gain (loss) on plan assets	(25.60)	(5.42)	0
Actual return on plan assets	176.46	45.65	0

Previous Year 2009-10 (₹.crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	146.28	47.11	0
Actuarial gain (loss) on plan assets	(31.03)	(7.83)	0
Actual return on plan assets	115.25	39.28	0

Current Year 2010-11 (₹.crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(605.90)	5.17	(10.35)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(25.60)	(5.42)	0
Total (gain) / loss for the year	631.50	0.25	10.35
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	631.50	0.25	10.35
Unrecognized actuarial (gain) / loss at the end of the year	0	0	0

Previous Year 2009-10 (₹.crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(41.96)	27.13	(34.62)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(31.03)	(7.83)	0
Total (gain) / loss for the year	72.99	(19.31)	34.62
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	72.99	(19.31)	34.62
Unrecognized actuarial (gain) / loss at the end of the year	0	0	0

Current Year 2010-11 (₹.crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Estimated Present value of the obligation	3563.00	757.00	253.00
Fair value of plan assets	2851.00	619.00	0
Difference	712.00	138.00	253.00
Unrecognised transitional liability	(61.60)	(5.20)	(12.40)
Unrecognised past service cost – non vested benefits	(650.58)	(132.80)	0
Liability recognized in the balance sheet	(0.18)	0	240.60



fi Nys o"IZ2009&10 (₹. करोड़ में)

vi. ryvi i= enigpkuh x; h j kf'k, kavkj l no kf fo'yšk k	isaku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛√h HaqukbZ
बाध्यता का आकलित वर्तमान मूल्य	1939.00	572.00	262.00
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1815.80	561.60	0
अन्तर	123.20	10.40	262.00
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	(123.20)	(10.40)	(24.80)
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत – गैर निहित लाभ	0	0	0
ryu i = eaigpkuh x; h n; rk	0	0	237.20

pkywo"kZ 2010&11 (₹. करोड़ में)

vII. ykłk, oagklu yd kaesi gpkus x; s 0; ;	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	NoV√h HoqukbZ
वर्तमान सेवा लागत	249.26	65.66	18.03
ब्याज लागत	147.45	42.40	18.72
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(202.07)	(51.07)	0
निवल बीमांकक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	631.50	0.25	10.35
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	61.60	5.20	12.40
विगत सेवा लागत – मान्य	162.64	0	0
विगत सेवा लागत – निहित लाभ	0	33.20	0
ykłk, oagklu y (kaea i gpkus x; s 0, ;	1050.38	95.64	59.60

fi Nys o"122009&10 (₹. करोड़ में)

vII. ykłk, oagkfu ys kaeaigpkus x; s Q;	isaku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛yVh HoqukbZ
वर्तमान सेवा लागत	122.32	49.62	18.67
ब्याज लागत	134.99	39.38	16.15
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(146.28)	(47.11)	0
निवल बीमांकक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	72.99	(19.31)	34.62
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	61.60	5.20	12.40
विगत सेवा लागत – गैर निहित लाभ	0	0	0
विगत सेवा लागत – निहित लाभ	0	0	0
yldk, oagldu yd kaeaigphus x; s ();	245.62	27.79	81.84

pkywo"kZ 2010&11 (₹. करोड़ में)

vIII. ryu i= enigpkuh x; h ns, krkvknenifjorZi	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	Ney-Vh HequkbZ
निवल देयता का आरंभ शेष	0	0	237.20
उपर्युक्तानुसार व्यय	1050.38	95.64	59.50
प्रदत्त अंशदान	(1050.56)	(95.64)	(56.10)
fuoy nş rk dk var' kik	(0.18)	0	240.60

fi Nys o"12009&10 (₹. करोड़ में)

viii. ryu i= eaigpkuh x; h ns rkvkaeaifjorZi	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N&y√h HaqukbZ
निवल देयता का आरंभ शेष	0	0	200.80
उपर्युक्तानुसार व्यय	245.62	27.79	81.84
प्रदत्त अंशदान	(245.62)	(27.79)	(45.44)
fuoy nş rk dk var'kkk	0	0	237.20

Previous Year 2009-10 (₹.crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Estimated Present value of the obligation	1939.00	572.00	262.00
Fair value of plan assets	1815.80	561.60	0
Difference	123.20	10.40	262.00
Unrecognised transitional liability	(123.20)	(10.40)	(24.80)
Unrecognised past service cost – non vested benefits	0	0	0
Liability recognized in the balance sheet	0	0	237.20

Current Year 2010-11 (₹.crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	249.26	65.66	18.03
Interest Cost	147.45	42.40	18.72
Expected return on plan assets	(202.07)	(51.07)	0
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	631.50	0.25	10.35
Transitional Liability recognised in the year	61.60	5.20	12.40
Past service cost - recognised	162.64	0	0
Past service cost - vested benefits	0	33.20	0
Expenses recognized in the statement of profit and loss	1050.38	95.64	59.60

Previous Year 2009-10 (₹.crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	122.32	49.62	18.67
Interest Cost	134.99	39.38	16.15
Expected return on plan assets	(146.28)	(47.11)	0
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	72.99	(19.31)	34.62
Transitional Liability recognised in the year	61.60	5.20	12.40
Past service cost - non-vested benefits	0	0	0
Past service cost - vested benefits	0	0	0
Expenses recognized in the statement of profit and loss	245.62	27.79	81.84

Current Year 2010-11 (₹.crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0	0	237.20
Expense as above	1050.38	95.64	59.50
Contribution paid	(1050.56)	(95.64)	(56.10)
Closing net liability	(0.18)	0	240.60

Previous Year 2009-10 (₹.crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0	0	200.80
Expense as above	245.62	27.79	81.84
Contribution paid	(245.62)	(27.79)	(45.44)
Closing net liability	0	0	237.20



(₹. करोड़ में)

ıx. orZeku o'kZdsfy, jkf'k	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛yVh HoqukbZ
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3563.00	757.00	253.00
योजना आस्तियां	2851.00	619.00	0
अधिशेष (घाटा)	(712.00)	(138.00)	(253.00)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	956.99	(17.83)	(37.35)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन	(25.60)	(5.42)	0

(₹. करोड़ में)

ıx. fi Nys o"lÆds fy, jlf' k	isaku fuf/k	mi nku fuf/k	N&y√h HaqukbZ
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1939.00	572.00	262.00
योजना आस्तियां	1815.80	561.60	0
अधिशेष (घाटा)	(123.20)	(10.40)	(262.00)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	(41.96)	27.13	(34.62)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन	(31.03)	(7.83)	0

(₹. करोड़ में)

x; kt uk vklLr; knadseq(; l noxZkdqy; kt uk vklLr; knadsifer kr enk2	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	isiku fuf/k	mi nku fuf/k
	201	0-11	2009-10	
भारत सरकार प्रतिभूतियां	25.00%	20.00%	25.00%	22.00%
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	29.00%	18.00%	27.00%	22.00%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	44.00%	42.00%	45.00%	53.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
परिसम्पत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियां	0.00%	18.00%	0.00%	0.00%
अन्य (उल्लेख करें) निजी क्षेत्र बांड	2.00%	1.00%	3.00%	3.00%
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(₹. करोड़ में)

	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	isiku fuf/k	mi nku fuf/k
	2010-11		2009	9-10
XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	20.00	10.00	0	0

(₹.crore)

IX. AMOUNT FOR THE CURRENT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	3563.00	757.00	253.00
Plan Assets	2851.00	619.00	0
Surplus (Deficit)	(712.00)	(138.00)	(253.00)
Experience adjustments on plan liabilities	956.99	(17.83)	(37.35)
Experience adjustments on plan assets	(25.60)	(5.42)	0

(₹.crore)

IX. AMOUNT FOR THE PREVIOUS YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	1939.00	572.00	262.00
Plan Assets	1815.80	561.60	0
Surplus (Deficit)	(123.20)	(10.40)	(262.00)
Experience adjustments on plan liabilities	(41.96)	27.13	(34.62)
Experience adjustments on plan assets	(31.03)	(7.83)	0

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2010	2010-11		9-10
Government of India Securities	25.00%	20.00%	25.00%	22.00%
State Government Securities	29.00%	18.00%	27.00%	22.00%
High Quality Corporate Bonds	44.00%	42.00%	45.00%	53.00%
Equity shares of listed companies	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Property	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.00%	18.00%	0.00%	0.00%
Others (to specify) Private Sector Bonds	2.00%	1.00%	3.00%	3.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(₹.crore)

	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2010	D-11	2009-10	
XI. ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	20.00	10.00	0	0



9-3 [k M fjik V k ¼, 1 17½

लेखाकरण मानकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के परिचालनों को प्राथमिक खण्ड यथा, कारोबार खण्ड जिसमें ''राजकोष'', ''कापोरेंट/थोक बैंकिंग'', ''खुदरा बैंकिंग'' एवं ''अन्य बैंकिंग परिचालन'' शामिल है तथा द्वितीय खण्ड जो कि भौगोलिक खण्ड है जिसे ''देशी'' एवं ''अंतर्राष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निम्नानुसार है :

खंड परिणाम ₹. करोड़ में)

व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट / १	प्रोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2010-11	2009—10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010—11	2009-10	2010-11	2009-10
राजस्व	2426.62	2 293.71	4598.92	3575.00	3456.87	3 100.15	60.51	61.91	10542.92	9 030.77
परिणाम	641.73	712.84	1558.47	1 110.21	1030.97	862.39	60.51	61.91	3291.68	2 747.35
अनाबंटित व्यय									657.22	395.74
कर पूर्व निवल									2634.46	2 351.61
लाभ आयकर									920.39	796.62
कर पश्चात् निवल	_								1714.07	1 554.99
लाभ										
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	42783.96	36821.18	45475.74	34948.64	32860.85	29011.42	31.62	16.86	121152.17	100798.10
अनाबंटित आस्तियां									566.14	591.21
कुल आस्तियां									121718.31	101389.31
खण्डीय देयताएं	38909.04	34594.58	42644.52	31661.62	30093.40	26412.20	0.00	0.00	111646.96	92668.40
अनाबंटित देयताएं							<u> </u>	l	10071.35	8720.91
कुल देयताएं									121718.31	101389.31

		How ch & Howkingd [k M				
	ns'kh		∨ a rj l ZV1 r,		$\mathrm{d} y$	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
राजस्व	10361.76	8865.06	181.16	165.71	10542.92	9030.77
आस्तियां	117374.21	97436.46	4344.10	3952.85	121718.31	101389.31

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।

9-4 l ϵ) i {kha dk fooj. k $\frac{1}{4}$, l 18 $\frac{1}{2}$

l sca) i (kkna dsuke r Fkk c Sch dsl kFk mudsl scak

, ½ vuöjktx; k%

- i. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
- ii. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
- iii. इंडफंड मैनेजमेंट लिमिटेड

9.3 **SEGMENT REPORTING (AS 17)**

As per the Reserve Bank of India guidelines on Accounting Standards, the Bank's operations are classified into Primary segment i.e. the business segment comprising of 'Treasury', 'Corporate / Wholesale Banking', 'Retail Banking' and 'Other Banking Operations' and Secondary segment being the geographical segment comprising of 'Domestic' and 'International' as follows:

Segment Reporting

(₹. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Tota	al
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Revenue	2426.62	2 293.71	4598.92	3575.00	3456.87	3 100.15	60.51	61.91	10542.92	9 030.77
Result	641.73	712.84	1558.47	1 110.21	1030.97	862.39	60.51	61.91	3291.68	2 747.35
Unallocated expenses									657.22	395.74
Net Profit before tax									2634.46	2 351.61
Income Taxes									920.39	796.62
Net Profit after tax									1714.07	1 554.99
Other information									0.00	0.00
Segment Assets	42783.96	36821.18	45475.74	34948.64	32860.85	29011.42	31.62	16.86	121152.17	100798.10
Unallocated assets									566.14	591.21
Total assets									121718.31	101389.31
Segment Liabilities	38909.04	34594.58	42644.52	31661.62	30093.40	26412.20	0.00	0.00	111646.96	92668.40
Unallocated liabilities									10071.35	8720.91
Total liabilities									121718.31	101389.31

		Part B Geogra	phic Segments			
	Domestic		International		Total	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Revenue	10361.76	8865.06	181.16	165.71	10542.92	9030.77
Assets	117374.21	97436.46	4344.10	3952.85	121718.31	101389.31

Segmental expenses have been apportioned on the basis of segmental assets, wherever direct allocation is not possible.

9.4 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

a) Subsidiaries:

- i. Ind Bank Housing Ltd.
- ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.
- iii. Indfund Management Ltd.



ch/2 l g; lsxl% l4ls=lr, x4keh k c4l4l2

i. पल्लवन ग्राम बैंक

ii. सप्तगिरि ग्रामीण बैंक

iii. पुद्वै भारतीय ग्राम बैंक

lh equi; izcalkdh; dlafeZd

श्री टी.एम भसीन – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अनूप शंकर भट्टाचार्य – कार्यपालक निदेशक (30.09.2010 तक)

श्री वी रामगोपाल – कार्यपालक निदेशक

श्री राजीव ऋषि - कार्यपालक निदेशक (01.10.2010 से)

गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता

Øekad	x\$ dk; Zkyd funskd dk uke	/kkfjr b2DoVh'ks,jkadhl{;k
1.	श्री सी के रंगनाथन	200
2.	श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	100

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है :

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को वर्ष के दौरान 58.52 लाख रुपये परिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष 67.94 लाख रुपए)

श्री टी.एम. भसीन, अ एवं प्र नि प्रदत्त पारिश्रमिक (01.04.2010 से 31.03.2011)	₹.13.21 लाख
श्री अनूप शंकर भट्टाचार्य, भूतपूर्व —कार्यपालक निदेशक प्रदत्त पारिश्रमिक (01.04.2010 से 30.09.2010) निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन म.भ. बकाया	₹.5.66 लाख ₹.6.50 लाख ₹.0.21 लाख
श्री वी रामगोपाल, का नि प्रदत्त पारिश्रमिक (01.04.2010 से 31.03.2011) निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन	₹.11.53 लाख ₹.2.07 लाख
श्री राजीव ऋषि, का नि प्रदत्त पारिश्रमिक (01.102010 से 31.03.2011)	₹.5.65 लाख

श्री एम एस सुन्दर राजन, (भूतपूर्व – अप्रनि)

निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन ₹.8.00 लाख अ. छ. नकदीकरण ₹.4.06 लाख

श्री ए सुब्रमणियन, (भूतपूर्व – कानि)

निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन ₹.1.63 लाख

ख. अनुषंगियों और सहयोगियों के सभी लेनदेन को ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण'' ए एस—18 के पैरा—9 के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिन्हें राज्य नियंत्रित उपक्रमों को उनके लेनदेन से संबंधित पार्टी, जो स्वयं राजय नियंत्रित उपक्रम है, प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

9-5 i VVs ¼ . 1 19½

पट्टे/किराए के आधार पर ली गई सम्पत्तियों बैंक की इच्छानुसार नवीकृत/रद्द करने योग्य हैं। अतिरिक्त किराए/पट्टा किराए के विवादों के संबंध में बैंक की देयताओं को निपटान अथवा नवीकरण पर माना जाता है।

9-6 ifr 'ks j vt Z ¼, 1 20½

fooj.k	2010-11	2009-10
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलबध कर के बाद निवल लाभ (रु.करोड़ में)	1667.58	1508.19
ईक्विटी शेयरों की भरित औसत संख्या	429770000	429770000
मूल प्रति शेयर तथा कम किया हुआ अर्जन	₹ 38.79	₹ 35.09
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹10.00	₹10.00

b) Associates : (Regional Rural Banks)

- i) Pallavan Grama Bank
- ii) Saptagiri Grameena Bank
- iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

c) Key Managerial Personnel:

Shri. T M Bhasin Chairman & Managing Director
Shri. Anup Sankar Bhattacharya Executive Director (upto 30.09.2010)

Shri. V RamaGopal Executive Director

Shri. Rajeev Rishi Executive Director (from 01.10.2010)

d) Shareholding of non-executive Directors:

SI No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1.	Shri.C K Ranganathan	200
2.	Shri. Narendra Kumar Agrawal	100

Related Party transactions are as under:

a) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 58.52 lakhs (previous year ₹ 67.94 lakhs)

01	T 8	a DL		O 1	40
Shri	1 11	n Bn	asın	1 (.1	VII J

Remuneration paid (01.04.10 to 31.03.11)	₹ ′	13.21 lakhs
Shri. Anup Sankar Bhattacharya, Ex-ED		
Remuneration paid (01.04.10 to 30.09.10)	₹	5.66 lakhs
Performance Linked Incentive	₹	6.50 lakhs
DA Arrears	₹	0.21 lakhs
Shri. V RamaGopal, ED		
Remuneration paid (01.04.2010 to 31.03.2011)	₹ ′	11.53 lakhs
Performance Linked Incentive	₹	2.07 lakhs
Shri. Rajeev Rishi, ED		
Remuneration paid (01.10.2010 to 31.03.2011)	₹	5.65 lakhs
Shri.M S Sundararajan (Ex-CMD)		
Performance Linked Incentive	₹	8.00 lakhs
PL Encashment	₹	4.06 lakhs
Shri A Subramanian (Ex-ED)		
Performance Linked Incentive	₹	1.63 lakhs

b) The transactions with subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled enterprises.

9.5 **Leases (AS 19)**

The properties taken on lease/rental basis are renewable/ cancelable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

9.6 Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2010-11	2009-10
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	1667.58	1508.19
Weighted Average Number of Equity Shares	429770000	429770000
Basic & Diluted Earning Per Share	₹ 38.79	₹ 35.09
Nominal value per Equity Share	₹10.00	₹10.00



9-7 vk, ij djkadsfy, ys[kkdj.k¼, l 22½

डीटीए(अस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

MHVh, @ MHVh, y lakVd

(₹. करोड़ में)

l al Wd	31.03.2011	31.03.2010
vkLFkxr dj vkLr; ka		
1. अग्रानीत हानियां भूगतान / क्रिस्टालेजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	129.29	125.84
2. भावी मूल्यांकनों में अनुमेय व्यय	0.00	1.44
3. स्टाफ़ कल्याण व्यय	0.56	1.41
dy & MWh,	129.85	128.69
vM.FMxr dj ns rk, a		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	44.14	35.73
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	149.97	138.43
3. ऋण आस्तियों हेतु प्रावधान	291.82	250.50
4. विशेष रिजर्व	52.33	22.43
dy & MiVh, y	538.27	447.10
fuoy MNh, @ MNh, y	(408.43)	(318.41)

9.8 vk1Lr; kadk vut Zd gknuk ¼, l 28½

अचल आस्तियाँ जो कि बैंक की गैर-वित्तीय आस्तियाँ हैं, कॉर्पोरेट आस्तियों के रूप में मान लिया गया है न कि नकद अर्जन करने वाली इकाई के रूप में तथा परिणामस्वरूप कोई भी कभी हानि की पहचान न की गई है।।

10. ykHkák

b2DoVh'ks j

कुल 322.33 करोड़ की राशि, 7.50 रुपए प्रति शेयर (75 प्रतिश) के प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान किया गया है। (पिछले वर्ष के लिए यह 6.50 रुपए प्रति शेयर, कुल 279.35 करोड़ रुपए था)

cse; knh x\$ 1 spr vflkekU, 'ks j%

इस वर्ष 31 मार्च 2010 से 31.03.2011 तक का प्रस्तावित अधिमान्य लाभांश ₹40 करोड़ है, जो 10% पर संगपित किया गया है (पिछले वर्ष ₹40 करोड़ 10% प्रति वर्ष पर)

- 11. विविध आय में 128.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 241.30 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है, जो बट्टे खाते लिखे गए खातों में वसूली तथा 146.42 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 142.84 करोड़ रुपए) शामिल है जो वर्ष के दौरान प्रसंस्कारण प्रभार हेतू वसूल की गयी राशि है।
- 12. इस वर्ष के दौरान, मजदूरी बकाया के लिए किए प्रावधान में 73.78 करोड़ रुपए की राशि निकाल दी गयी है, क्योंकि यह अब आवश्यक नहीं है।
- 13. बैंक के एक अनुषंगी द्वारा प्रबंधित एक म्युचूअल फंड योजना से संबंधित मामले में, अक्तूबर 2008 में, बैंक के पक्ष में अपील जारित होने के कारण और आगे इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील न होने के कारण, वर्ष 1999—2000 में 73 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान, अब आवश्यक नहीं है और अतः इसे निकाल दिया गया है।
- 14. बैंक ने अपने दो अनुषंगियों में निवेश के लिए किए गए प्रावधान में से, 76.21 करोड़ रुपए निकाल दिया है।
- 15. विभिन्न बैंक अश्यूरेन्स उत्पादों के व्यय / विपणन से, बैंक ने इस वर्ष के दौरान 12.55 करोड़ का आढ़ात कमाया (पिछले वर्ष यह 18.21 करोड़ रुपए) था।

Øekad	vk, dk Lo: in	2010-11	2009-10
1.	जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	11.02	17.21
2.	गैर-जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	1.08	0.53
3.	अन्य – म्युचूअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	0.45	0.47
	कुल	12.55	18.21

- 16. 31.03.2011 को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा के बाद भी बैंक से एमएसएमई इकाइयों को देय कोई बकाया राशियां नहीं हैं।
- 17. जहां भी आवश्यक हो, चालु वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकडों को पुनःसमूहित / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

9.7 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

The major components of DTA (Deferred Tax Assets) / DTL (Deferred Tax Liabilities) are as follows:

DTA / DTL COMPONENTS

(₹. in Crore)

Components	31.03.2011	31.03.2010
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment / crystallization	129.29	125.84
2. Expenditure allowable in future assessments	0.00	1.44
3. Staff welfare expenses	0.56	1.41
TOTAL- DTA	129.85	128.69
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	44.14	35.73
2. Interest on Government securities	149.97	138.43
3. Provision for Written-off Accounts	291.82	250.50
4. Special Reserve	52.33	22.43
TOTAL – DTL	538.27	447.10
NET DTA/ DTL	(408.43)	(318.41)

9.8 Impairment of Assets (AS 28)

Fixed Assets being the non-financial assets possessed by the Bank are treated as "Corporate Assets" and not as Cash generating units, as such there is no impairment of assets and consequently no impairment loss has been recognized.

10 Dividend

Equity Shares: Provision for Equity Dividend represents proposed dividend at ₹7.50 (75%) per Equity Share amounting to ₹322.33 crore for the year (previous year at ₹.6.50 (65%) per Equity Share amounting to ₹.279.35 crore).

Perpetual non-cumulative Preference Shares: The Preference Dividend proposed for the year is ₹ 40.00 crore, reckoned at 10% from April 01, 2010 to March 31, 2011 (Previous year ₹.40.00 crore at 10% p.a.).

- 11 Miscellaneous income include a sum of ₹128.15 Crore (previous year ₹.241.30 Crore) being recovery in written-off accounts and ₹146.42 Crore (previous year ₹142.84 Crore) being recovery of processing charges during the year.
- During the year a sum of ₹73.78 crore has been retrieved from the provision held for wage arrears which is no longer required.
- Consequent to the disposal of appeals in favour of the Bank in October 2008 and no further appeals having been filed against such order, in the case relating to a Mutual Fund Scheme managed by one of the subsidiaries of the Bank, a sum of ₹ 73 Crore being the provision made during the financial year 1999-2000 is considered no longer required and accordingly retrieved during this year.
- Bank has retrieved a provision of ₹ 76.21Crore, out of provision for depreciation held for its investments in its two subsidiaries.
- During the current year, the Bank has earned commission etc, to the extent of ₹12.55 Crore on sale/ marketing of various Bancassurance products (previous year ₹18.21 Crore).

(₹. in Crore)

SI No.	Nature of Income	2010-11	2009-10
1	For Selling Life Insurance Policies	11.02	17.21
2	For selling Non-life insurance policies	1.08	0.53
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.45	0.47
	Total	12.55	18.21

- There is no outstanding dues payable by the bank to MSME units pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 as on 31.03.2011.
- Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.



_nll/931, 2011 H\$ng_ná df94\${bE ZH\$Xr ndnh {ddaU

(रुपए हजारों में)

v ifinly yarra artafof/le le l gudah imber	31.03.2011 H\$n	31.03.2010 H\$10
v- ifjpkyuxr xfrfof/k, kal sudnh i økg	g_mádf©	g_mádf©
bm^d hn(Z bol H\$AZogma (Zdb bm^	1714 07 46	1554 98 71
{ZåZ{b{I V hWwg_mì nDZ		
nwdYmZ d AnH\$pri_H\$ i```	1577 60 97	1192 36 07
_jë`hmg	71 63 26	87 88 61
AnpñV`n H\$s {~H\$s na hn{Z	(1 09 62)	36 53
अनुषंगी कंपनी से प्राप्त लाभांश	0	(2 15 80)
प्रदत्त आयकर	(631 12 82)	(420 97 00)
dk, Zikjh i trh i fjor Zikadsigysi fjpkyuxryktk (i)	2731 09 25	2412 47 12
n[aMmbZJV AmmîV`n _]d\text{\vec{t}}\tilde{O} / H\tilde{L}_r		
{Zdæn _ d₹Õ	(6426 24 51)	(5376 77 30)
<u>Λ</u> <u>ψ</u> _ d y Ω	(13079 56 90)	(10849 26 16)
AÝ` AmpñV`n _ H\$_r	396 93 95	717 55 22
(ii)	(19108 87 46)	(15508 48 24)
n[aMmbZJV Xô VmAnh_ d¥ō / h\$_r		
O_mAn _ d\(\tilde{O} \)	17576 52 46	15645 82 71
CYman _ dŧÕ ∕ H\$_r	(1391 83 47)	(849 78 39)
(iii)	16184 68 99	14796 04 32
n[aMmbZmlgog¥OV H#b ZH\$Xr (i) + (ii) + (iii)	(193 09 22)	1700 03 20
Am-{Zde J{V{d{Y`n goZH\$Xr ndnh		
AMB AnpriV nHs I arx	(135 36 75)	(110 34 66)
AMB AnpriV`n H% {~H%	7 81 53	6 24 18
अनुषंगी कंपनी से प्राप्त लाभांश		2 15 80
{Zdee J{V{d{Y`n gog¥OV H#D ZH\$Xr	(127 55 22)	(101 94 68)
B- n[aMmbZJV J{V{d{Y`n goZH\$Xr		
अदा किया गया लाभांश	(319 35 05)	(252 38 50)
अदा किया गया लाभांश वितरण कर	(53 90 69)	(42 89 28)
उधार में वृद्धि / (कमी)	1143 01 18	126 57 47
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी	769 75 44	(168 70 31)
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि / (कमी) (अ. + आ. + इ.)	449 11 00	1429 38 21

A. Cash flow from operating Activities	Year ended 31.03.2011 (Rs in 000)	Year ended 31.03.2010 (Rs in 000)
Net Profit as per Profit & Loss Account	1714 07 46	1554 98 71
Adjustments for :		
Provisions & Contingencies	1577 60 97	1192 36 07
Depreciation	71 63 26	87 88 61
(Profit)/Loss on Sale of Assets	(1 09 62)	36 53
Dividend received from subsidiary company	0	(2 15 80)
Income Taxes paid	(631 12 82)	(420 97 00)
Operating Profit before working capital changes (i)	2731 09 25	2412 47 12
INCREASE/DECREASE IN OPERATING ASSETS		
Increase in Investments	(6426 24 51)	(5376 77 30)
Increase in Advances	(13079 56 90)	(10849 26 16)
Decrease in Other Assets	396 93 95	717 55 22
(ii)	(19108 87 46)	(15508 48 24)
INCREASE/DECREASE IN OPERATING LIABILITIES		
Increase in Deposits	17576 52 46	15645 82 71
Increase/(Decrease) in Other Liabilities	(1391 83 47)	(849 78 39)
(iii)	16184 68 99	14796 04 32
Net cash generated from operating Activities (i) + (ii) + (iii)	(193 09 22)	1700 03 20
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Fixed Assets	(135 36 75)	(110 34 66)
Sale proceeds of Fixed Assets	7 81 53	6 24 18
Dividends received from subsidiary company		2 15 80
Net cash generated from Investing Activities	(127 55 22)	(101 94 68)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Dividends paid	(319 35 05)	(252 38 50)
Dividend distribution tax paid	(53 90 69)	(42 89 28)
Increase/(decrease) in borrowings	1143 01 18	126 57 47
Net cash generated from Financing Activities	769 75 44	(168 70 31)
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A+B+C)	449 11 00	1429 38 21



df9H6nma8 _ ZH\$Xr d ZH\$Xr g_H\$aU				
^maVr` [apd @ Bis His ginw ZHsXr Ama edf				
halv ZHSXr	303 79 05		248 02 60	
^maVr` [aiDd@H\$ H6 gmW Mmby I mVo_ledf	6756 92 62		5963 54 91	
~#\$_ e\f A\\\angle_\text{n} _ \text{colored} \text{ A \text{p} _ c\f A\\\angle_\text{n} _ c\f	0,0000			
(本新一ef)				
(H\$) Mnby I nVnj_	57 98 47		57 18 48	
(I) AÝ O_mInVn_	1 32 91		101 82 34	
ng/ EdsAën gMZmna an(e`ns(~Hsh)	549 62 16		50 00 00	
i) Mntoy I nt/nt_	339 27 79		143 46 47	
ii) AÝ` O_mI nVnJ_	84 05 23		110 44 28	
iii) _n\$ Ed\$Aën g}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	20 21 84		9 32 79	
7-2 0 37 0		8113 20 07		6683 81 87
df@HoA\$V_ ZH\$Xr d ZH\$Xr g_H\$aU				
^maVr` [apd@#\$H\$gmW ZH\$Xr Am ef				
hnW _ ZH\$Xr	249 71 11		303 79 05	
^maVr` [apd@el\$ H6 gnW Mnby I nVo_lef	6628 22 74		6756 92 62	
[450 1414 9				
^maVr` [apd@_#\$H6 gmW MmbyI mVo_lef				
~#\$_\ef Ana_n\delta Ed\sA\en g\MZ\mna an\(\epsilon\)				
~#\$\ _ ef				
(H\$) Mnby I nb/nj_	55 37 01		57 98 47	
(I) AÝ O_m n/n _	96 20		1 32 91	
ng/Ed§Aën_gMZmna an(e`ng(~Hsh)			549 62 16	
^maV H6 ~mha				
i) Mmbyl mVmj_	327 58 07		339 27 79	
ii) AÝ O_m I n/n _	1272 62 98		84 05 23	
iii) _n() Ed()Aën g()MZmna an(e`n()	27 82 96		20 21 84	
		8562 31 07		8113 20 07

टी एम भसीन T M BHASIN
AÜ`j Ed§n*§ {ZXæH\$
Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$ni AndH\${ZXeH

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI H\$ni findh\${ZXeH

आर रवि R RAVI _hmn*§H\$ General Manager

निदेशक **DIRECTORS**:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुपसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH, सी के रंगनाथन C K RANGANATHAN प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल Prof. NARENDRA KUMAR AGRAWAL

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS:

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कृते गणेसन एंड कंपनी
For GÁNESAN AND COMPANY
gZXr bi nism
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.000859S
एसं स्वामिनाथन
S SWAMINATHAN

gnPkm Partner (M.No. 023998) कृते कल्याणसुंदरम एंड कंपनी For KALYANASUNDARAM & CO

FOR KALYANAS UNDAKANI & CU g/Xi bi ilita Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.001676S कं रमेशकुमार K. RAMESHKUMAR

gnPkma Partner

(M.No. 023962)

कृते चंद्रन एंड रामन
For CHANDRAN & RAMAN
gZXr bi nilsn
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No. 000571S
पी एन रामचन्द्रन
P N RAMCHANDRAN P N RAMCHANDRAN gnPkm Partner (M.No. 013871) कृते एस मोहन एण्ड कंपनी For S. MOHAN & CO gZXr bi nilsm Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000608N वी एम भुटानी V M BHUTANI gnPk/ma Partner

(M.No. 012457)

कृते सूरी एण्ड कंपनी
For SURI & CO
gZXr bi nksa
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.004283S
एसं स्वामिनाथन S SWAMINATHAN S SWAMINIAI HAN
gmPkme
Partner
(M.No. 020583)
कृत एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स
For ABP & ASSOCIATES
gZXr bi nisa
Chartered Accountants पंजीकरण सं, Registration No.315104E बिमल कुमार चंदुका BIMAL KUMAR CHANDUKA साझेदार

Partner (M.No. 053714)

ñWnZ Place : MÝZ¡Chennai Vnarl Date : 23.04.2011

CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR				
Cash and balances with RBI				
Cash in hand	303 79 05		248 02 60	
Balances with RBI in current account	6756 92 62		5963 54 91	
Balances with Banks and Money at call and short notice				
Balances with Banks				
(a) in current accounts	57 98 47		57 18 48	
(b) in other deposit accounts	1 32 91		101 82 34	
Money at call and short notice (with Banks)	549 62 16		50 00 00	
Outside India				
i) in Current Accounts	339 27 79		143 46 47	
ii) in other deposit accounts	84 05 23		110 44 28	
iii) Money at call and short notice	20 21 84		9 32 79	
		8113 20 07		6683 81 87
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR				
Cash and balances with RBI				
Cash in hand	249 71 11		303 79 05	
Balances with RBI in current account	6628 22 74		6756 92 62	
Balances with Banks and Money at call and short notice				
Balances with Banks				
(a) in current accounts	55 37 01		57 98 47	
(b) in other deposit accounts	96 20		1 32 91	
Money at call and short notice (with Banks)			549 62 16	
Outside India				
i) in Current Accounts	327 58 07		339 27 79	
ii) in other deposit accounts	1272 62 98		84 05 23	
iii) Money at call and short notice	27 82 96		20 21 84	
		8562 31 07		8113 20 07

टी एम भसीन T M BHASIN
AÜ`j Ed§n∗§ {ZXœH\$
Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$ni AndH\${ZXeH Executive Director

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI Executive Director

आर रवि R RAVI hmn« VH\$ General Manager

निदेशक DIRECTORS:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH, सी के रंगनाथन C K RANGANATHAN प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल Prof. NARENDRA KUMAR AGRAWAL

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कृते चंद्रन एंड रामन

कृते गणेसन एंड कंपनी कृत गणसन एड कपना For GANESAN AND COMPANY gZXr bi nisa Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000859S एस स्वामिनाथन

S SWAMINATHAN

gnPMin gnPMin Partner (M.No. 023998) कृते कल्याणसुंदरम एंड कंपनी For KALYANASUNDARAM & CO gZXr bol nH\$na Chartered Accountants

Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.001676S के रमेशाकुमार K. RAMESHKUMAR gnPkm Partner (M.No. 023962)

कृत चंद्रन एड रामन For CHANDRAN & RAMAN gZXr bi nilsa Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000571S पी एन रामचन्द्रन P N RAMCHANDRAN gnPkm Partner (M.No. 013871) कृते एस मोहन एण्ड कंपनी For S. MOHAN & CO gZXr bol nH\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000608N वी एम भुटानी V M BHUTANI gnPkma Partner (M.No. 012457)

कृते सूरी एण्ड कंपनी
For SURI & CO
gZXr bi nills Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.004283S
एसं स्वामिनाथन S SWAMINATHAN S SWAMINATHAN
gmPkm
Partner
(M.No. 020583)
कृते एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स
For ABP & ASSOCIATES
gZXr bl ॥ श्रेक
Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.315104E बिमल कुमार चंदुका BIMAL KUMAR CHANDUKA साझेदार Partner (M.No. 053714)

ñWnZ Place:M∜Z¡Chennai VnarI Date: 23.04.2011



bd mnarj H\$\ph\\$ [anne/9

सेवा में.

भारत के राष्ट्रपति

- 1. h_ZoB\$\$\$\forall Z \new \text{II\$\text{\$\t
 - `o{dËVr` {ddaU, ~#\$ n*\$/Z H\$m CËVaXn() Ëd h& h_nam CËVaXn() Ëd AnZr bol nnarj mH6 AnYna na BZ {dËVr` {dda{U`n|na AnZm{dMna i`ŠV H\$aZmh&
- 3. VubZ-nì Ana bm' Ed\$hn(Z bd m, ~H\$H\$nar {d{Z`_Z A{Y{Z`_, 1949}} H\$ V\Vr` AZ\vg\Mr H\$ H\$_e...\\name{n}_\@E' V\Wm'~r' _|Vi` na {H\$E JE h&
- 4. bol mnarj mHs gr_mAnjHs AÜ`YrZ Anja ~ H\$H\$nar H\$nZr (CnHik_njH\$nAO\textit Anja Anja Anja Cg_| Anja V Cn`s V nam 1 _| C{,,{I V nk!QbH\$aU H\$s qr mAnjHs AÜ`YrZ h [anns)\$Pk\$aVoh\cents{H\$s...}

- (H\$) h_Zog^r OnZH\$nar d ñni;#H\$aU nwá {H\$E h\$ On@H\$ h_nar l ob\$/_ OnZH\$nar d {dídng _| h_nar bd mnarj m H\$ nà mOZnNV© Andî h\$ WoAna h_ZoCÝh|g\$/nfOZH\$ nnì n&
- (1) \sim H\$ H\$ baZXaZ On@H\$ h_mar gyMZm_| AnE h\$ \sim H\$ H\$ A{YH\$man|H\$ ^rVa hr h\$
- (J) H\$m`nB`n|Ed\$eml nAn|VWm~H\$H6H\$m`nB`n|और शाखाओं go nma{ddaUh_nar bd mnarj mH6nanDZnWPn`nB nnE JE h}
- 5. h_mar am` _| VIdoZ-nì, bm' d hm(Z bd m VWm ZH\$Xr ndnh {ddaU n min min bd nH\$aU _nZH\$nH\$m AZmmbZ H\$aVoh&
- 6. h_mar am` _|, ~H\$ H\$s ~{h`n|_|{XE JE A Zugma Anpa h_mar I ði√_ OmZH\$mar VWm h_|{XE JE ñn'i xH\$aUn§H\$ A Zugma...
 - i. ^naV _|, ñdrH\$nì @gm_mí` V... bd nH\$aU Zr{V` n|H6 AZmnbZ _|, {0\$n{U` n|H6 gnW n{RV VIbZ nì, Andí` H\$ OnZH\$nar g{hV, n}U Ana ghr VIbZ-nì h; VWm CgoBg nH\$na C{MV ê\$n go V; na {H\$ mJ` mh; {H\$ Cggo31 _nM 2011 H\$no~H\$ H\$oH\$n_H\$nO H\$mghr Ana dnñ V{dH\$ {MI nX{eV hnVmh}
 - ii. _hEdnyU©od nH\$aU Zr{V`n|Ama bd n|na {XE JE Zm0>H\$ gnNV n{R}V bm^ Ed\$hn{Z bd m, H\$da {H\$E JE df@H\$ {be ^maV _| gm_m^* V ñdrH\$n^ ©od nH\$aU Zr{V`n|H\$ AZmmbZ _|. bm^ H\$m ghr ef Xen#mh; Ama
 - iii. ZH\$Xr ndnh {ddaU Cg Vnarl H\$nog_ná df©H\$ {bE ZH\$Xr ndnhnhH\$ngË Ana C{MV {ddaU Xen@mh;

izdj.kftl ij cy gS

हमारी राय अर्हकारी हुए बिना हम वित्तीय विवरण के नोट 9.2.2 की तरफ ध्यानाकर्षित करते हैं, जिसमें बैंक की 783.42 करोड़ रुपए की पंशन और उपदान (ग्रेच्युटी) की देनदारी को आस्थिगत करने के विषय में बताया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पंशन विकल्प और उपदान (ग्रेच्युटी) सीमाओं की वृद्धि को खोलने सम्बन्धी लेखांकन मानक (एस) 15, कर्मचारी लाभ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दी गई छूट के अनुसरण में जारी किए गए दिनांक 09.02.2011 के उसके परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी./80/21.04.018/2010—11 के अनुसार है जो — विवेकपूर्ण नियामक विवेचन है"।

—rsx. kl u , M dauh gZXr bi nH\$n पंजीकरण सं. 000859S

, l LokfeukFku gnPkma (एम. सं. 023998)

—rs dY; k kl q je , M då uh gZXr bl nH\$n पंजीकरण सं. 001676S

> ds ješ kd **ękj** g**nP km** (एम. सं. 023962)

—rsp**anzı , M jk**eu gZXr b**i nH%n** पंजीकरण सं. 000571S

, l iV-Vkf"jkeu gnPk/ma (एम. सं. 013871)

—rs, l elgu , . M d**a** uh g**ZXr bd nl\n** पंजीकरण सं. 000608N

> johlnj vjkMk gnPkm (एम. सं. 012457)

—rsl ywh,.M daiuh gZXrbol nhlyn पंजीकरण सं. 004283S

, l LokfeukFku gnPk/na (एम. सं. 020583)

—rs , chi h , .M , l kfl , V4 gZXr bd nH9m पंजीकरण सं. 15104E

> fcey **dekj** p**nql**k (एम. सं. 053714)

ñWnZ : MÝZ_i Vnar I : 23.04.2011

AUDITORS' REPORT

To

The President of India

- We have audited the attached Balance Sheet of INDIAN BANK as at 31st March 2011, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of (i) 20 Branches and 31 Zonal Offices audited by us, (ii) 1556 Branches audited by statutory branch auditors, and (iii) 3 foreign branches audited by local statutory auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns of 284 branches and 26 other offices, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.71 % of advances, 2.07 % of deposits, 0.54 % of interest income and 1.77 % of interest expenses.
 - These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 4. As required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject to the limitations of disclosures required therein and the limitations of the audit indicated in Para (1) above, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
- c) The returns received from the branches and offices of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
- In our opinion the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.
- 6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - (i) The Balance Sheet read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2011 in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - (ii) The Profit and Loss Account read with the notes thereon shows a true balance of the Profit in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

"Emphasis of matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 9.2.2 to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹783.42 crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, vide its circular no.DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dt.09.02.2011 on Reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment".

For GANESAN AND COMPANY Chartered Accountants Registration No.000859S

> S SWAMINATHAN Partner (M.No. 023998)

For KALYANASUNDARAM & CO Chartered Accountants Registration No.001676S

> K. RAMESHKUMAR Partner (M.No. 023962)

For CHANDRAN & RAMAN Chartered Accountants Registration No.000571S

P N RAMCHANDRAN Partner (M.No. 013871)

For S. MOHAN & CO Chartered Accountants Registration No.000608N

> V M BHUTANI Partner (M.No. 012457)

For SURI & CO Chartered Accountants Registration No.004283S

> S SWAMINATHAN Partner (M.No. 020583)

For ABP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No.315104E

BIMAL KUMAR CHANDUKA Partner (M.No. 053714)

Place : Chennai Date : April 23, 2011



; g i "B t kucw dj [kkyh NkMk x; k gSA This page is intentionally left blank

समेकित तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा एवं अनुसूचियां

CONSOLIDATED BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES



31 ekpZ2011 dks l ektr o"kZds fy, l ektr ryvu i «k **CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2011**

			(₹.करोड़ों में)
			(₹. in Crore)
{ddaU Particulars	AZıgıMrg§	31.03.2011 H\$mo	31.03.2010 H\$m
	Schedule	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
npr d Xì VnEscapital & Liabilities			
nDr Capital	1	829.77	829.77
Ánna(j (V`nn)Anna A{Yelf Reserves & Surplus	2	8856.53	7582.97
Aëngs H\$ (hV Minority Interest	2A	14.26	17.74
0_ n E§Deposits	3	105718.46	88155.61
CYMa Borrowings	4	2100.37	957.36
AÝ` Xì VnE§Anp nmdYnZ Other Liabilities & Provisions	5	4327.77	3980.40
H # D Total		121847.16	101523.85
AmmîV`n\assets			
ZH\$X Ana ^naVr` [apOd@_H\$ H\$ nmg ef			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	6877.96	7060.74
~#\$\\H\$\nmg\enfAma_m\$\na\VW\mA\enjg\MZ\mna\nu6\`YZan(e			
Balances with Banks and Money at call and short notice	7	1685.33	1056.35
{Zde Investments	8	34861.12	28339.19
A{J <u>«</u> Advances	9	75262.19	62164.70
AMD Ann V no Fixed Assets	10	1612.47	1586.47
AÝ Amn V nother Assets	11	1548.09	1316.40
Hillo Total		121847.16	101523.85
Anhlnn_H\$Xì VnE{Contingent Liabilities	12	33943.74	19858.90
dglpr Hi {bE {~b Bills for Collection		1919.31	1791.33

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies लेखों पर टिप्पणियां Notes on Accounts ऊपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग है Schedules refered to above form an integral part of the Balance Sheet 17 18

टी एम भसीन टा एम मसान T M BHASIN AÜ`j Ed§n∗∛ (ZXæH\$ Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$mi AmbH\${ZXeH Executive Director

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI H\$ni finbH\${ZX@H Executive Director

आर रवि R RAVI _hmn*§H\$
General Manager

निदेशक DIRECTORS:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH,

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कृते गणेसन एंड कंपनी For GANESAN AND COMPANY gZXr bol nH\$na Chartered Accountants

पंजीकरण सं. Registration No.000859S एस स्वामिनाथन S SWAMINATHAN

gnPkma Partner

(M.No. 023998) कृते कल्याणसूंदरम एंड कंपनी

कृत केल्याणसुंदरम एड कंपना For KALYANASUNDARAM & CO gZXr bol nilsa Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.001676S के रमेशकुमार

K. RAMESHKUMAR gnPKm Partner (M.No. 023962)

कृते चंद्रन एंड रामन For CHANDRAN & RAMAN gZXr bol nH\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000571S एस पट्टाभिरामन S. PATTABIRAMAN

S. PAI IABIKAMAN gnPkm Partner (M.No. 14309) कृते एस मोहन एण्ड कंपनी कृत एस महिन एण्ड कपना For S. MOHAN & CO gZXr bi nism Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000608N रवीन्दर अरोड़ा

RAVINDER ARORA

gnPkm Partner (M.No. 085542)

कृते सूरी एण्ड कंपनी For SURI & CO

For SUKI B CO gZV bi iiish Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.004283S एस स्वामिनाधन S SWAMINATHAN

gnPk/ma Partner

Partner
(M.No. 020583)
कृत एबीपी. एण्ड एसीसिएट्स
For ABP & ASSOCIATES
gZX bi nix
Chartered Accountants
पंजीकरण स. Registration No.315104E
विमलं कुमार चंदुका

BIMAL KUMAR CHANDUKA

Partner (M.No. 053714)

31 ekp/2011 dks l eldr o "k/ds fy, nm/ [1 mg

(₹.करोडों में) (₹. in Crore)

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011

{ddaU Particulars	AZmgMrg§ Schedule	31.03.2011 H\$ng_ná df© Y E 31.03.2011	31.03.2010 H\$mg_má df Y E 31.03.2010
I. AmIncome A(O∜ a mO Interest earned AY`Am`Other Income	13 14	9362.76 1188.06	7704.49 1332.82
Hillo Total		10550.82	9037.31
II. i`` Expenditure i`` {H\$' mJ' mā' n0 Interest expended n[aMnbZJV i`` Operating Expenses nndYnZ Ed\$AnH\$n^_H\$\nE±Provisions & Contingencies	15 16	5320.03 1935.79 1566.85	4547.89 1741.66 1189.64
Hillo Total		8822.67	7479.19
III. df៕li (bE g_h go glighV g_liki (Zdb bm / (hm/Z) Consolidated Profit/(loss) for the year attributable to the group एसोसिसेट में अर्जन के शेयर Share of earnings in Associates Aën gligh \text{liking} li		1728.15 13.77 3.49 1745.41 99.25	1558.12 9.72 1.97 1569.81 82.61
Hito {Zdb bm' Total Net Profit		1844.66	1652.42
IV. (d(Z`nDZ Appropriations (ZàZ htmAV[aV Transfer to gntG(Yht [ap]d Statutory Reserves npr [ap]d AY` Capital Reserves-Others आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl.Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act नियेश रिजर्व Investment Reserves anOnd [ap]d Revenue Reserves nom(ap]d Btc in U (Z(Y Staff Welfare Fund navndV Btc in U (Z(Y Staff Welfare Fund navndV Btc in U http://proposed Equity Dividend navndV A(Y_m` birne Proposed Preference Dividend birne (dVaU http://proposed Equity		428.52 1.18 90.00 0.00 754.00 15.00 322.33 40.00 57.23	390.00 30.08 66.00 28.83 650.00 15.00 279.35 40.00 53.91
Hllo {d{Z`nDZ Total Appropriations		1844.66	1652.42
n(V eì a AOZ é. (_b Ed(H)_ (H) mJ`m) Earnings per Share in Rs. (Basic & diluted)		39.53	35.44

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17 लेखों पर टिप्पणियां Notes on Accounts 18 ऊपर संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखे का एक अभिन्न अंग है Schedules refered to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

टी एम भसीन T M BHASIN AÜ`j Ed§n*§ {ZX@H\$ Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$mì fmloH\${ZXæH Executive Director

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI H\$mi fimbH\${ZXæH **Executive Director**

R RAVI General Manager

निदेशक DIRECTORS:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH, साविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS:

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कृते चंद्रन एंड रामन For CHANDRAN & RAMAN

कृते गणेसन एंड कंपनी For GANESAN AND COMPANY gZXr bol nH\$na Chartered Accountants

पंजीकरण सं. Registration No.000859S एस स्वामिनाथन S SWAMINATHAN

gnPKma Partner Partner (M.No. 023998)
कृत कल्याणसुंदरम एंड कंपनी
For KALYANASUNDARAM & CO gZX bi nits
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.001676S
के रमेशकुमार

K. RAMESHKUMAR gnPkma Partner (M.No. 023962)

gZXr b1 nH\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000571S एस पट्टाभिरामन S. PATTABIRAMAN gnPkma Partner (M.No. 14309) कृते एस मोहन एण्ड कंपनी कृत एस महिन ए०ड कपना For S. MOHAN & CO gZXr bl illsn Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000608N रवीन्दर अरोड़ा **RAVINDER ARORA** gnPkm Partner (M.No. 085542)

कृते सूरी एण्ड कंपनी For SURI & CO gZXr bol nH\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.004283S एस स्वामिनाथन S SWAMINATHAN gnPk/ma Partner Partner (M.No. 020583) कृत एबीपी. एण्ड एसीसिएट्स For ABP & ASSOCIATES gZYr bl nls Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.315104E विमलं कुमार चंदुका BIMAL KUMAR CHANDUKA

साझेदार (M.No. 053714)

 $\bar{\Pi}Wn\overline{Z}$ Place : $ZB^{e}\!\!\!/\!\!\!/ X_{\it w}$ Γ New Delhi VnarI Date : 09.05.2011



AZmMr 1- nDr SCHEDULE - 1 - CAPITAL

(₹.करोड़ों में) (₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$no As on 31.03.2010
Inn(YHWIND Authorised Capital		
nk d\\$₹. 10/- H\300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
nk`bl\$₹. 100/- H64,00,00,000 ñWm`r Ja-gN\`r A{Y_m'\`eòa		
4,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of Rs.100/- each	400.00	400.00
II Omar, A{^XËV Amp AXmH\$ JB®n Or Issued, Subscribed and Paid up Capital:		
H\$. H\$Xr` gaH\$na Ûnama I oJE nk े b \$₹.10/- H\$ 34,38,20,000 ईक्विटी शेयर		
a) 34,38,20,000 Equity Shares of Rs.10-/ each held by Government of India	343.82	343.82
I OZVmÛmamal oJE nË` Ы\$ ₹.10/- H\$ 8,59,50,000 ईक्विटी शेयर		
b) 8,59,50,000 Equity Shares of Rs.10-/ each held by Public	85.95	85.95
HID TOTAL	429.77	429.77
A{Y_m^` eò a Preference Shares:		
HKXR` gaH\$ma Ûmama I oJE nKî bK\$ ₹.100/- HK 4,00,00,000 - 8 nKVeV (nwdYm(ZH\$) ñWmìr µla gKNìr		
A(Y_m/^`eòa		
4,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of Rs.100/- each held	400.00	400.00
by Government of India		
HIID TOTAL	829.77	829.77

AZmyllr 2- Am(j (V`n\Am A(Yef SCHEDULE - 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹.करोड़ों में) (₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
gn(d(YH\$ Ana(j (V`n) Statutory Reserves	2207.01	1778.49
nDrJV Ana{j {V`n}- nℤ_@`n∭Z Capital Reserves-Revaluation	1194.56	1225.09
nprJV Ana{j {V`n}- AÝ` Capital Reserve -Others	61.82	60.63
eì a nr(_`_ Share Premium	696.20	696.20
{Zde [apd@nvestment Reserve	39.92	39.92
an Ond Anna AÝ nma{j V {Z{Y me Revenue and other Reserves	4189.45	3442.22
Amì -Ha A{Y{Z`_ Har ynam36(1)(viii) Ha AyJ V {def [apd©Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	272.97	180.00
Am - Ha A{Y{Z _ Ha Ymm36(1)(viii a) Ha AyJ A {def [apd Spl. Reserve u/s 36(1)(viii a) of Income Tax Act	58.20	61.17
bm^ Ed§hn(Z I nVmProfit & Loss account	136.40	99.25
HILD TOTAL	8856.53	7582.97

AZmy/r 2A-Aëngs H\${hV SCHEDULE - 2A - MINORITY INTEREST

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
_b CÚ AZıfışır H\$mg\sy CX^d hmzoH\$s Vmarl na Aën g\sy`H\$\{hV Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came	3.27	3.27
into existence nadVu dŧÕ / K0nd Subsequent increase/decrease	10.99	14.47
Volo Z nì Hs Von I na Aën gs Hs (hV Minority interest on the date of balance sheet	14.26	17.74

AZmy/r 3- O_nE§ SCHEDULE - 3 - DEPOSITS

(₹.करोड़ों में) (₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$n	31.03.2010 H\$10
(uuao Particulars	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
(A) In O_nan(e`n(A.I. Demand Deposits		
i.~#\$\mg0 From Banks	71.22	54.76
ii.AÝ 👊 g0 From others	6364.58	6567.56
IIMV -ĤŠ O_man(e`n € Savings Bank Deposits	26270.56	21790.26
III. gmd{Y O_mm(e`n{Term Deposits		
i.~H\$ng0From Banks	1913.82	1406.69
ii.AÝ nig0From others	71098.28	58336.34
Hillo (I, II d III) Total A (I, II & III)	105718.46	88155.61
(Am)I. ^maV _leml mAn)Hs O_mEsB.I.Deposits of branches in India	102246.25	85234.83
II. ^maV Hi ~mha eml mAnjHs O_nEsDeposits of branches outside India	3472.21	2920.78
H(to (Id II) Total B (I& II)	105718.46	88155.61

AZmyl/r 4- CYma SCHEDULE -4 - BORROWINGS

(₹.करोड़ों में) (₹. in Crore)

31.03.2011 H\$n 31.03.2010 H\$n {ddaU Particulars As on 31.03.2011 As on 31.03.2010 I. ^maV _| CYma Borrowings in India 100.00 i.^m[a~#\$RBI 0.00 0.02 0.02 ii.AÝ`~∰Other Banks 1624.47 554.99 iii.AÝ gồWnESAma A{^HSaU Other Institutions and Agencies 375.88 402.35 II. ^maV H6~mha CYma Borrowings outside India 2100.37 957.36 Hilb (Id II) Total (I& II) D\na | Ama | I $_$ en $_$ b $_$ n (V^{\prime}) CYma Secured borrowings included in | & II above eľ` NIL e∛` NIL

AZmyMr 5- AÝ` Xô VnE§Amp àmdYmZ SCHEDULE -5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹.करोड़ों में) (₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$no As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
I. Xì {~b Bills Payable	711.25	728.75
II. Asva Hsn no q_m no Z ({Zdb) Inter-Office adjustments(net)	72.35	97.44
III. Cn(MV à nO Interest Accrued	547.45	310.32
IV. AÝ (nmdYnZn)g{hV) Others(including provisions)	2996.72	2843.89
HIID Total	4327.77	3980.40

AZmgMr 6- ZH\$X Amp ^maVr` [apd@H\$_|ef SCHEDULE -6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
I. hnW _ ZH\$Xr ({dXer_MmZnbapg{hV) Cash in hand (including foreign currency notes) II. ^maVr` [apd© #\$_ ef - MmbyInVo_	249.73	303.81
Balances with Reserve Bank of India - in Current Account	6628.23	6756.93
Hillo (d) Total (&)	6877.96	7060.74



AZmyllr 7-~1911_ef Ed§_ng VWmAën gylZmna ànt YZante SCHEDULE -7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹.करोड़ों में) (₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
I. ^maV _ In India		
(i) ∼∰n_lef Balances with Banks		
(H\$) Mmby I nVn (a) in Current Accounts	56.33	61.84
(I) AÝ O_mI Mm_ b) in Other Deposit Accounts	0.96	1.33
(ii) _n na VWmAën gMZmna YZam(e Money at call and short notice		
(出)~出加二(a) with Banks	0.00	549.62
H(b (I) Total (I)	57.29	612.79
II. ^maV H6~mha Outside India		
(i) MnbyI nVo_in Current Account	327.58	339.28
(ii) AÝ O_m I nVn_in Other Deposit Accounts	1272.63	84.06
(iii) _mel na VWmAën gMZmna YZ an(e Money at call and short notice	27.83	20.22
H#D Total (II)	1628.04	443.56
H(b) m (I d II) Grand Total (I&II)	1685.33	1056.35

AZmy/r 8- {Zde SCHEDULE -8- INVESTMENTS

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$no	31.03.2010 H\$10
(uudo Farticulais	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
I. ^maV _ {Zde Investments in India in		
i.gaH\mar n(V^(V n)Government securities	26319.82	23086.19
ii. AŸ` AZwn(XV n(V^(V) n(Other approved securities	105.93	209.40
iii. eì à Shares	552.77	534.23
iv. {S>Ma Ana ~n6> Debentures and Bonds	1356.84	1189.94
v. gh`nor gn\man_{Zde Investment in Associates	158.16	64.84
vi. ÅÝ` Others	5397.68	2154.75
Hill Total	33891.20	27239.35
II. ^maV H6~mha {ZåZ _ {Zde Investments outside India in		
i. gaH\$nar n{V^fV`n\$(ñWmZr` n#(YH\$nfa`n g{hV)		
Government securities (including local authorities)	795.18	794.84
ii. gh`nor gh\man_{{Zde Investments in Associates	0.00	0.00
iii. AÝ` {Zdæ ({d{Z{XP (H\$E ONE) Other investments (to be specified)		
H\$ eì a (a) Shares	1.36	0.64
I F\$U n{V^∱V`n±(b) Debt Securities	173.38	304.36
H#b Total	969.92	1099.84
HMD `mJ (I + II) Grand Total (I&II)	34861.12	28339.19
III. ^naV _{Zde Investments in India		
(i) {ZdenH\$mgH\$o _ë` Gross value of Investments	34097.86	27533.78
(ii) _je hmg Ht {bE nmdYmZn Hmm nod Aggregate of Provisions for Depreciation	206.66	294.43
(iii) {Zdb {Zde Net Investment	33891.20	27239.35
IV. ^maV H6~mha {Zde Investments outside India		
{Zden H\$ngH\$b/{Zdb_jë` Gross/Net value of Investments	969.92	1099.84
Hip Total	34861.12	28339.19

AZmy/r 9-A{J(L) SCHEDULE -9- ADVANCES

(₹.करोड़ों में) (₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$n0 As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
A. A. (i) H\$\tilde{\tii	2092.93 26948.12 46221.13 0.01	1407.83 26993.90 33752.53 10.44
Hilb (A) Total (A)	75262.19	62164.70
Am B. (i) _\varphi\varphi\nmmn\v^\v\ (Bg_ ~hr F\$\infty\nH6\de\olive{O} A{J\uangle} en(_b h)\) Secured by tangible assets(includes advances against book debts) (ii) ~\text{H\$ / gaH\$na Jna{0} \n\underbrance}\n\underbrance}\n\underbrance\nu\underbrance}\n\underbrance\nu\under	58441.56 4801.20 12019.43	49267.65 4263.95 8633.10
Hillo (Am) Total (B)	75262.19	62164.70
B. C. I ^maV _ A{J《 Advances in India (i) nnW{ H\$/mj i Priority Sector (ii) gnd {ZH\$ j i Public Sector (iii) ~ #\$ Banks (iv) AŸ Others	25804.35 4981.25 0.00 41358.40	21649.97 5788.20 0.00 32061.20
Hilb (B - I) Total (C-I)	72144.00	59499.37
(II). ^maV Hi ~mha A{J Advances outside India (i) ~时和 A{J Advances outside India (ii) AY mgoXi Due from Banks (Hi) HW Edy-OB	24.27 795.88 1415.87 882.17	97.42 577.56 1254.46 735.89
Hilb (B - II) Total (C-II)	3118.19	2665.33
Hith `mJ (BI + BII) Total (CI+CII)	75262.19	62164.70

AZWYM 10-AMB AMN N

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$n As on 31.03.2011	31.03.2010 H\$n As on 31.03.2010
I. n[aga Premises nd@VuVlbZ-n]nZugna bmJV /nnZ_@`nlsZ na At cost/revaluation as per last Balance Sheet df 4 xnnnZ 0n6 yg_n`nDZ Additions / adjustments during the year df 4 xnnnZ H\QnV nabeductions during the year CŠV VnarI VH\$_\(\text{\text{\$\$\text{\$\tex{	1494.70 3.81 0.00 203.20	1491.48 4.62 1.40 169.07
⟨Zdb _jê` Net Value	1295.31	1325.63
I H\$ {Z_n@mYrZ n[aga A.Premises under Construction	55.31	22.01
II. AÝ` AMb AmīV` n(t) \$2Ma / th \$5Ma g(hV) Other Fixed Assets(including furniture & fixtures) raAUb UN4ANT TU= aTAt cost as per last Balance Sheet df 中 xmm Omb>Additions during the year df 中 xmm H 知文 meDeductions during the year CŠV VmrI VH\$_je` ong Depreciation to date	786.37 98.56 19.04 604.04	713.97 88.95 16.56 547.67
{Zdb _ÿ `Net Value	261.85	238.69
II (H\$) n09mls/AmriV`msI A.Leased Assets raAUb JIMAAÄNZTU'=I aTAt cost as per last Balance Sheet df his Xmmz On6>Additions during the year and Ymznig (hV df his Xmmz H\$0m)V`inDeductions during the year including provisions C°\$ VmrI VH\$_\text{\tex	21.79 0.00 2.00 19.79	30.78 0.00 19.13 11.51
{Zdb _ĝ` Net Value	0.00	0.14
H\$b(I, I(H\$), II d II(H\$)) Total (I,IA,II,&IIA)	1612.47	1586.47



AZmy//r 11- AÝ` AmpñV`n() SCHEDULE -11- OTHER ASSETS

(₹.करोड़ों में) (₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$no	31.03.2010 H\$10
ludo Farticulais	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
I. Cn(MV â nO Interest accrued	468.60	435.59
II. A{J <u>«</u> ê\$n gonkëv H\$a / òn v / na H\$n0xnJ`mH\$a		
Tax paid in advance/tax deducted at source	15.32	47.78
III. bil Z gm_Jk Ed§ñ0nn Stationery and stamps	13.30	12.63
IV. Xndn H\$s g\$V(ii>gonxá H\$s J`r µla ~B\$H\$nar Ampñ V`ne		
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	22.82	0.24
V. AnñW{JV H\$a AnnñV`n⊭(निवल) Deferred Tax assets (Net)	5.74	7.07
VI. AÍ` Others	1022.31	813.09
H#D Total	1548.09	1316.40

AZwyl/r 12- Anhl\n_H\xi\) VnE\\ SCHEDULE -12- CONTINGENT LIABILITIES

(₹.करोड़ों में)

(₹. in Crore)

		(\lambda, iii Grore)
{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$no	31.03.2010 H\$10
	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
ı. ∼B\$ H6 {déÕ Xndo{OÝh F\$U H6 ê\$n _ ñdrH\$na Zht {H\$`m J`m h; (निवल)		
Claims against the Bank not acknowledged as debts (Net)	124.08	120.68
II. A&VnXEV {ZdenH6 {be Xm Ed Liability for partly paid Investments	19.40	33.08
III. ~H\$m`mdm`Xm{d{Z_` g\$dXmAn H6~m~V Xn(`Ëd		
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	19506.31	8402.88
IV. gKWMH\$ Am goXr JB©lmW>n Guarantees given on behalf of constituents		
H\$. ^maV _ (a)In India	9803.05	6890.08
I. ^maV Hib ~mha (b)Outside India	40.61	44.00
V. ñdrH¥(V`n§ nðn#k)\$Z Anp AÝ` Xn(`Ëd		
Acceptances, endorsements and other obligations	3777.70	3591.59
VI. AÝ`_X {OZH\${bE~H\$AnH\$pn_H\$ê\$n goCëVaXm`rh;		
Other items for which the bank is contingently liable	672.59	776.59
HID Total	33943.74	19858.90

AZmyl/r 13- A{0 f a no SCHEDULE -13- INTEREST EARNED

(₹. करोड़ों में)

(₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$mg_mádf© Y E 31.03.2011	31.03.2010 H\$ng_ná df © Y E 31.03.2010
I. A{J@n/ {~bnna a no /~00mInterest/discount on advances/bills	7099.01	5789.91
II. {Zdenna Am` Income on Investments III. ^maVr` [apd@ #\$ Hinng ef Ama Aý` Alya ~#\$ {Z{Y`nna ā`no Interest on balances with Reserve Bank of India and other	2230.54	1854.69
inter-bank funds	33.17	59.85
IV. AÝ` Others	0.04	0.04
HND Total	9362.76	7704.49

AZgy/r 14- AÝ` Am` SCHEDULE -14- OTHER INCOME

(₹.करोड़ों में) (₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$mg_mádf [©] Y E 31.03.2011	31.03.2010 H\$nog_ná df © Y E 31.03.2010
I. H\$_reZ, {d{Z_` Ama Xbribr Commission, exchange and brokerage	335.53	223.51
II. {ZdenH6(dH6 na bm' ({Zdb) Profit on sale of Investments(net) III. {ZdenH6n星拳 例如 na bm' ({Zdb)	147.70	367.11
Profit on Revaluation of Investments (net) IV. ^(_, ^dZ Am AÝ` AmñV`nH6{dH\$` na bm`({Zdb)	0.00	0.00
Profit on sale of land, buildings and other assets(Net)	1.10	-0.36
V. {d{Z_`g§`dhmm na bm^ ({Zdb) Profit on exchange transactions(net) VI. H\$) nQ9m-{dEV / {H\$mimI arX goAm}	147.22	114.84
a) Lease finance / Hire Purchase income I){dXe / ^maV _ Hn{Z`m VWm/`mgh CÚ_m gobm^ne An{X Hnp[aE A{O♥ Am`	0.72	2.95
b) Income earned by way of dividends etc. from companies and/ or		
joint ventures abroad/ in India	8.39	8.76
VII. {d{dY Am Miscellaneous Income	547.40	616.01
HNO Total	1188.06	1332.82

AZmy//r 15- i`` {H\$ mJ mã nO SCHEDULE -15- INTEREST EXPENDED

(₹.करोड़ों में)

(₹. in Crore)

{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$ng_ná df©	31.03.2010 H\$ng_ná df ©
	Y E 31.03.2011	Y E 31.03.2010
I. O_mAn na ā`nO Interest on deposits	5128.34	4469.34
II. ^maVr` [apOd©-H\$ / A\$Va ~H\$ CYman na ā`mO		
Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	175.54	
III. AÝ` Others	16.15	32.05
HMD Total	5320.03	4547.89

AZmy/ 16- n[aMnbZ i`` SCHEDULE -16- OPERATING EXPENSES

	{ddaU Particulars	31.03.2011 H\$nog_ná df©	31.03.2010 H\$ng_ná df ©
		Y E 31.03.2011	Y E 31.03.2010
I.	H\$_Mn[a`n H\$no^u\nZ Ana CZH\${bE nwdYnZ		
	Payments to and provisions for employees	1337.92	1216.35
II.	(HSamin HSa Anna anne Zr Rent, taxes and lighting	132.01	111.63
III.	_NKU Amp bol Z gm_Jk Printing and stationery	19.63	19.22
	(dkmZ Amp nMma Advertisement and publicity	10.39	10.72
V.	H\$) n0:99:xH\$V AnpñV`n goAÝ`~B\$ H\$s gfinjËV na _jë`hwg		
	(a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	72.27	88.62
	I) n019:mH\$V AmpnīV`n na _jë`hmg (b) Depreciation on Leased Assets	0.30	0.40
	{ZXeH\$nH\$\\$g, ^EV0Ampi` Directors' fees, allowances and expenses	0.43	0.35
VII.	bd mnarj H\$n H\$s \\$sg Ama i`` (eml mbd mnarj H\$n H\$s \\$sg Ama i`` g{hV)		
	Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	15.93	15.22
VIII.	{d{Y n n n Law charges	6.67	3.68
IX.		11.50	11.04
X.	_aå_V Ana AZnij U Repairs and maintenance	42.46	37.69
XI.	-	83.37	72.22
XII.	AÝ` ì`` Other expenditure	202.91	154.52
Hilb	Total	1935.79	1741.66



vuq poh &17 eq; y (kkadu uhfr; ka (समेकित लेखा 2010–11)

1 ys kkadu i Fkk %

1.1 वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत प्रथा चालू संस्था संकल्पना के आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा भारतीय शाखाओं के संबंध में भारत में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के अनुरूप हैं तथा विदेशी शाखाओं के संबंध में अन्यथा न बताये जाने पर संबंधित देशों में प्रचलित सांविधक प्रावधानों एवं पद्धतियों के अनुरूप है।

2 lesdu dhistØz k%

- 2.1 बैंक के (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां) समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियां, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, (3) इंड फंड मेनेजमेंट लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ / हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके तैयार किये गये हैं । मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भी बनाए गए हैं ।
- 2.2 अनुषंगियां और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों को मद्देनजर रखते हुए अधिदेश / सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
- 2.3 मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल सस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिज़र्व / गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ / हानियों में मूल सस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है।
- 2.4 परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है ।
- 2.5 एसोसियेटस में निवेश का हिसाब एसोसियेटस के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस–23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेटस में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धित के तहत किया जाता है।

3 fonskh fofue; 1 s 1 æ f/kr ysunsu

3.1 भारतीय परिचालनों और ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक — 11 (एएस — 11) के अनुसार किया जाता है।

3.2 lekdfyr fonskh i fjpkyuka dsekeysea i fjor**z**u ½e¥k l**ä**LFkk½

- 3.2.1 विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ इंडिया (फेडाई) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक सकल दर (डब्लयूआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज़ किए जाते हैं।
- 3.2.2 विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
- 3.2.3 विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
- 3.2.4 वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है जब वे उत्पन्न होते हैं।
- 3.2.5 बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फ़ेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए किया जाता है।
- 3.3 x § & lektory fonskh ifjpkyu dslætak en ifjor Zu keny l LEKkt/2
- 3.3.1 विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नवत् किया जाता है :
- 3.3.2 आकरिमक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा वर्षांत पर अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
- 3.3.3 आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
- 3.3.4 निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को "विनिमय उतार—चढ़ाव निधि" नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

SCHEDULE - 17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Consolidated Accounts 2010-11)

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are prepared on an accrual basis by following the going concern concept on historical cost convention and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India unless otherwise stated and in respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE

- 2.1 Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. (3) Indfund Management Ltd after eliminating intra group transactions and unrealised profit/losses and making necessary adjustments. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date of the parent.
- 2.2. The Subsidiaries and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.
- 2.3. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognised in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.
- **2.4.** The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.
- 2.5. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) -23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

3 TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

3.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Translation in respect of integral foreign operations (PARENT)

- **3.2.1.** Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
- 3.2.2. Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- **3.2.3.** Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- **3.2.4.** Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- **3.2.5.** Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.3 Translation in respect of non-integral foreign operations (PARENT)

- 3.3.1 Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:
- 3.3.2 Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- 3.3.3 Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
- 3.3.4 All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Exchange Fluctuation Fund" till the disposal of the net investments.



4. fuos k

ew l LFkk %

- 4.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :
 - परिपक्वता के लिए रखे गए (एचटीएम)
 - बिक्री हेत् उपलब्ध (एएफएस)
 - व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचटीएम'' प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य ब्याज दर में उतार—चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचएफटी'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, ''एएफएस'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

- 4.1.1 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखें में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :
- 4.1.2 भारत में निवेश का मुल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :
- i) **, pVh e** प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अविध में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य हास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जा रहा है।
- ii) **, , Q1 ** प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यहास हो, तो उसे लाभ—हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबिक किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभृतियों के बही मुल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- iii) *, p, QV * प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभृतियों के बही मृल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- iv) **, , Q, l ** , oa **, p, QVh* i zoxkalea i źrHohr; ka dk eW; kodu fuEuor~fd; k x; k gS%
 - क) प्राइमेरी डीलर्स ऐसोसिएशन आफ़ इंडिया (पीडीएआई) और फ़िक्स्ड इनकम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स असोसिएशन आफ़ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।
 - ख) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई / एफआईएमएमडीए द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।
 - ग) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक—अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।
 - घ) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।
 - ङ) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मुल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।
 - च) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मृल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।
 - छ) कोटे होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक—इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य / बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक—इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।
- 4.1.3 विदेशी शाखाओं द्वारा किए गए निवेशों का मूल्यांकन संबंधित देशों में प्रचलित पद्धित के अनुसार होता है।
- 4.1.4 ऐसे डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन जिनमें ब्याज / मूलधन 90 दिनों से अधिक के लिए बकाया हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करते हुए किया जाता है।

4. INVESTMENTS

PARFNIT

- 4.1. The investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,
 - » Held To Maturity (HTM)
 - » Available For Sale (AFS)
 - » Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price/interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

- 4.1.1 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.
- **4.1.2** Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:
- i. Securities in **HTM** category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually.
- ii. Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.
- iii. The individual scrips in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.
- iv. Securities in AFS and HFT categories are valued as under:
 - a) Central Government Securities are valued at prices / YTM Rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA)
 - b) State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.
 - c) Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at ₹ 1 per company
 - d) Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
 - e) All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.
 - f) Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.
 - g) Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
- 4.1.3 Investments of Foreign Branches are valued as per the practice prevailing in the respective countries.
- **4.1.4** Debentures and Bonds, where interest / principal is in arrears for more than 90 days are valued applying the prudential norms prescribed by RBI.



- 4.1.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली / कमीशन / अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली / कमीशन / स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।
- 4.1.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए ब्याज दरों की अदला—बदली के लेनदेनों की गणना संचयन आधार पर की जाती है और व्यापार संबंधी लेनदेन पाक्षिक अंतरालों पर बाज़ार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला—बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन—पत्र की तारीख पर अदला—बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त / प्राप्य या प्रदत्त / प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबिक लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अदला बदलियों की समाप्ति पर लाभ अथवा हानियों को स्थिगत किया जाता हैं ओर अदला—बदली की बाकी, संविदात्मक अविध अथवा विनिर्दिष्ट आस्ति अथवा देयता की बकाया अविध दोनों में जो भी कम हो, हिसाब में लिया जाएगा।
- 4.1.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।
- 4.1.8 केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।
- 4.1.9 यदि ब्याज / मूल किस्त (परिपवक्ता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में नहीं हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अद्यधीन रखा जाता है।
- 4.2. vuökan da fu; k %
- 4.2.1 band cand epw candax 1 fo \mathbb{Z} st + fyfe \mathbb{Z} shift in \mathbb{Z} st + fyfe \mathbb{Z} shift in \mathbb{Z} shif

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं तथा अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को ह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है । कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाज़ार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों / डिबेंचरों के मूल्य में ह्रास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य / उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है ।

4.2.2 bald card glamfl ax fyfeVsM

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है । राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मुल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग—अलग लागत से निम्नतर लागत पर अथवा बाज़ार मुल्य पर किया गया है ।

4.2.3 bMQM esust esV fyfeVM

निवेशों को लागत पर लिया गया है तथा इसमें आकस्मिक प्रभार, स्टैम्प शुल्क और दलाली जहां लागू हो, शामिल है । तथापि रखाव लागत की तुलना में ईक्विटी निवेश के बाज़ार मूल्य में मूल्यहास के लिए 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है ।

- 5. vkfLr ol wh daifu; ka dks coph xbZfoRrh, vkfLr; ka ew l 1.Fkk %
- 5.1. एआरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद (एसआर) मूल्यांकन प्रतिभूति रसीद के प्रतिदान मूल्य या वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास कोई हो तो, उस के लिए प्रावधान किया जाता है और मूल्य वृद्धि हो तो निरस्कृत किया जाता हैं।
- 5.2. परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के कारण उत्पन्न निवल कमी, यदि कोई हो तो उसे लाभ व हानि लेखे में दर्शाया जाता है।
- 6. **vfxz**e
- 6.1 ewy laLFkk
- 6.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, भारत में अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि वाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।
- 6.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए प्रतिभूति की उपलब्धता पर ध्यान दिए बिना प्रावधान किए जाते हैं अवमानक संवर्ग के लिए 20 प्रतिशत

अन्यों के लिए - 100 प्रतिशत

- 6.1.3 भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधान किये जाते हैं
- 6.1.4 विदेशी शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण हानियों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिकतर सख्त हैं, उसके अनुसार प्रावधान किए जाते हैं ।
- 6.1.5 प्रकटीकरण अग्रिम, गैर–निष्पादक आस्तियां, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएसआई से प्राप्त दावों तथा लंबित समायोजन हेतु रखे प्राप्त पुनर्भुगतान तथा विविध खातों में रखे, ब्याज लगाये जाने योग्य खातों में शेष सहभागिता प्रमाण पत्रों एवं पुनः कटौती वाले मीयादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद निवल हैं ।

- **4.1.5** Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.
- 4.1.6 Interest Rate Swap transactions for hedging are accounted on accrual basis and transactions for trading are marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising therefrom, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored. Gains or loss on termination of swaps is deferred and recognised over the shorter period of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset or liability.
- **4.1.7** Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.
- 4.1.8 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- 4.1.9 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ instalment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days

4.2. SUBSIDIARY COMPANIES:

4.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD:

The investments held are all long-term investments and are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Diminution in value of shares / debentures is reckoned as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value/ fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

4.2.2 INDBANK HOUSING LTD:

Investments are classified into current investments and long-term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

4.2.3 INDFUND MANAGEMENT LTD:

Investments are stated at cost including incidental charges, stamp duty and brokerage wherever applicable. However, 100% provision is made towards depreciation in the market value of the Equity investment as compared to the holding cost.

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSET RECOVERY COMPANIES

PARENT

- 5.1 Security Receipts (SR) issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by ARCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
- 5.2 The shortfall, if any, arising on sale of financial assets to ARCs is charged to Profit & Loss Account.

6. ADVANCES

6.1 PARENT

- 6.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise,
- **6.1.2** Provisions are made for non performing advances irrespective of availability of security:

For substandard category - 20 %

For others – 100 %

- **6.1.3** General provision is made for standard advances as per RBI directives.
- **6.1.4** In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.
- **6.1.5** Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTSI claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates and usance bills rediscounted.



7. vpy vkfLr; k@ eW; gkl

7.1 ewy l **1.1.Fk**k %

- 7.1.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत / पुनर्मूल्यांकित राशि के आधार पर लगाया गया है।
- 7.1.2 भारत में भवन (ज़मीन की लागत सहित जहाँ कहीं अलग नहीं किया जा सकता है/ अलग नहीं किया गया है) तथा अन्य अचल अस्तियों (7.1.3 से 7.1.5 में दी गई मदों को छोड़कर); पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली से किया गया है और 'पुनर्मूल्यंकित आस्तियों' के संबंध में शेष उपयोगिता काल पर आधारित बैंक निर्धारित दरों पर किया जाता है।
- 7.1.3 कंप्यूटरों (हार्डवेयर और साफ्टवेयर) और निर्बाध बिजली आपूर्ति सिस्टमों (यूपीएस) पर मूल्यह्रास की गणना सीधी कटौती पद्धति में बही मूल्य पर 33.33% प्रतिवर्ष के हिसाब से की जाती है।
- 7.1.4 मोटर कार पर मूल्यह़ास की दर सीधी कटौती पद्धति में 20 प्रतिशत है।
- 7.1.5 सेल फोनों और रु.5000 / मूल्य तक की अल्प लागत मदों पर 100 प्रतिशत मूल्यहास का प्रावधान है।
- 7.1.6 वर्ष के दौरान अर्जित नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास, 30 सितंबर को या उसके पूर्व अर्जित आस्तियों पर 100 प्रतिशत दर से तथा उसके बाद अर्जित आस्तियों पर आधी दर पर प्रभारित किया जाता है।
- 7.1.7 पट्टे की ज़मीन पर प्रीमियम अधिग्रहण वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- 7.1.8 विदेशी शाखाओं की आस्तियों के संबंध में मूल्यह्नास का प्रावधान संबंधित देशों में प्रचलित पद्धित के अनुसार किया जाता है।
- 7.1.9 गैर बैंकिंग आस्तियों के मामले में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।

7.2 vuökaxh daifu; k; %

7.2.1 bild clid epill clidax l foll st +fyfeVsM %

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यहास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

eW; gN

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यह़ास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। साफ्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

पटटेदारी आस्तियों पर

पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी, मूल्य पद्धित पर यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी हे, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अविध के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यह्रास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़िरए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

7.2.2 bald card glamfl ax fyfeVsM %

अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यहास घटाकर दिखाया जाता है। मूल्यहास का परिकलन कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दी गई दरों पर मूल्यहासित पद्धति से किया जाता है।

7.2.3 band Qand essist east fyfevsn %

अचल आस्तियाँ

अचल संपत्तियों को उनके अर्जन की लागत तथा ऐसे अर्जन में हुए प्रासंगिक प्रभार को जोड़ते हुए मूल लागत पर दिखाया जाता है। वर्ष के दौरान घटावों पर आस्ति को बेचने की तारीख तक मूल्यहास का प्रावधान है।

मूल्यहास

मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर और उसमें दी गई पद्धति में किया गया है।

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

7.1 PARENT

- 7.1.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at revalued amount in respect of assets revalued.
- 7.1.2 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets (excluding items mentioned in 7.1.3 to 7.1.5) in India is provided for on the straight-line method at rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 and at the Bank determined rates based on Residual Life in the case of 'Revalued Assets'. Depreciation relatable to revalued component is charged against revaluation reserve.
- **7.1.3** Depreciation on computers (hardware and software) and Uninterrupted Power Supply Systems (UPS) is provided at the rate of 33.33% per annum on Straight Line Method (SLM).
- **7.1.4** The rate of depreciation on motor car is 20 % on straight line method.
- 7.1.5 100% depreciation is provided on all cell phones and on small value items costing upto Rs.5000/-.
- **7.1.6** Depreciation on fixed assets acquired on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter.
- 7.1.7 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.
- **7.1.8** Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.
- 7.1.9 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged

7.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

7.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

Depreciation

On Assets other than given on lease

In respect of assets other than assets given on lease, it is provided under Straight Line Method (SLM) at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956, on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

On Leased assets

In respect of leased assets depreciation is provided under WDV method at the rates prescribed in schedule XIV to the Companies Act 1956 on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Leased Assets are amortised fully during the Lease period in accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

7.2.2 INDBANK HOUSING LTD

Fixed Assets are capitalised at cost and are stated at cost less depreciation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in schedule XIV to the Companies Act, 1956.

7.2.3 INDFUND MANAGEMENT LTD

Fixed Assets

Fixed Assets are stated at original cost of acquisition plus incidental charges incurred in connection with the acquisition. Depreciation on deletions during the year is provided up to the date of sale.

Depreciation

Depreciation has been provided on straight-line method in the manner and at the rates provided in schedule XIV of the Companies Act, 1956.



8. jkt Lo vfHkKku

- 8.1 ew l **1.Fk**k
- 8.1.1 आय और व्यय मदों को, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाए, सामान्यतः उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।
- 8.1.2 ग़ैर निष्पादक आस्तियों से आय, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जहां वह 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहा हो) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख—पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से संबंधित को छोडकर अन्य) बैंक अश्यूरेंस उत्पादों पर आय खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, लॉकर किराया, केंडिट कार्डों पर वित्त प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति के बैंक के अधिकार पर आय, आदि से आय को उनकी वसली होने पर हिसाब में लिया जाता है ।
- 8.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ंडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलाईजेशन की तारीख तक माना जाता है ।
- 8.2 vuökach da fu; k
- 8.2.1 bl cl ep V cl dax l fo I t + fyfeVsM
 - क) इश्यु प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।
 - ख) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है ।
 - ग) स्टाक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।
 - घ) अतिदेय पटटा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है ।
 - ङ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

8.2.2 bald card glamfl ax fyfeVsM %

- क) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान के लिए एनएचबी के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।
- ख) आवास ऋणों की, पुनरदायगी समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध–वर्ष / वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध–वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई–पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

8.2.3 bM QM eSut es fyfeVM

- क) निवेश प्रबंधन तथा सलाहकार शुल्क को उपचय के आधार पर इंड बैंक म्यूच्युवल फ़ण्ड की पुनःशोधित योजनाओं के संबंध में तिमाही आधार पर देय दावा न की गई पुनःशोधित प्राप्तियों के 0.5 प्रतिशत की दर पर, जोकि प्रत्येक कैलेन्डर तिमाही की शुरुआत पर बकाया राशि पर आधारित है, हिसाब में लिया जाता है ।
- ख). ईक्विटी शेयरों पर लाभांश का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है ।
- ग). निष्पादक डिबेंचरों पर ब्याज का लेखांकन उपचित आधार पर किया जाता है । गैर–निष्पादक डिबेंचरों पर ब्याज, नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।

9. fuoy ykk@gkfu

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात है

- ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान
- स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- सामान्य और / या अन्य आवश्यक प्रावधान

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 PARENT

- 8.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.
- 8.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days)), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from bancassurance products, additional interest/ overdue charges on bills purchased, locker rent, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, etc. are accounted for on realisation.
- 8.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

8.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD.

- a. Issue Management Fee and fees for other managerial services Considered on the completion of assignment.
- b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products Considered on receipt of subscription particulars.
- c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contract.
- d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis.
- e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.

8.2.2 INDBANK HOUSING LTD.

- a. NHB's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non-Performing Assets are followed.
- b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMI) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month.

8.2.3 INDFUND MANAGEMENT LTD.

- a. Investment Management and Advisory Fees are accounted for on accrual basis in respect of redeemed schemes of Indian Bank Mutual Fund @ 0.5% of the unclaimed redemption proceeds, payable quarterly, based on outstanding amount at the beginning of each calendar quarter.
- b. Dividend on Equity shares is accounted for on cash basis.
- c. Interest on performing debentures is accounted for on accrual basis. Interest on non-performing debentures is accounted for on cash basis.

9. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and/ or Investments
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes in accordance with statutory requirements
- Usual or/and other necessary provisions



10. LVkQ dksl soktuofRr ij iktr gkuskysyktk

10.1 ew l **LFk**k

- 10.1.1 पेंशन निधि व ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदानों का निर्धारण एवं प्रावधान किया जाता है :
 - बीमांकित मृत्यांकन के आधार पर
 - विदेशी शाखाओं के संबंध में वहां के स्थानीय कानुनों के अनुसार
- 10.1.2 कर्मचारियों के लिए छुट्टी की भुनाई का लाभ, बीमांकित आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- 10.1.3 बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित कर्मचारी लाभ से संबंधित संक्रमणकालीन देयता को आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखाकरण मानक 15 (एएस 15) ''कर्मचारी लाभ' के अनुसार में पांच वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।
- 10.1.4 वर्तमान कर्मचारियों के लिए द्वितीय पेंशन विकल्प तथा ग्रेच्युटी के प्रति देयता संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पांच वर्षों की समान अविध के लिए परिशोधित किया जाता है।

10.2 अनुषंगी कंपनियाँ

10.2.1 ball call ep all caldax look, afy-%

अल्प कालिक कर्मचारी हितों /बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया।

ग्रेच्युटि — ग्रेच्युटि, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ आयोजना है के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। आयोजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटि निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी के ज़िरए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटि के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकित निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धित का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकित लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि — अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान आयोजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हकदार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकित आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता योग्य भविष्यनिधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

10.2.2 ballcard gland ax fyfeVsM %

भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रूप ग्रेच्युटि योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटि देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के जरिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भूनाई की देयता के लिए बीमांकित आधार पर प्रावधान किया जाता है।

10.2.3 banQ+M esust early fyfeVsM %

कंपनी के स्टॉफ़, इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त हैं। चूँिक संपूर्ण सेवानिवृत्ति के लाभ मूल संस्था द्वारा अदा किए जाते हैं, प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्विटी एवं छुट्टी भुनाई के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

11. m/kkj ykxr

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसस लि. के मामले में जिन उधार लागतों से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ होने की संभावना है, उन्हें अईकारी आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया गया है। अन्य उधार लागतें जिस वर्ष के दौरान ख़र्च हुई हैं, उन्हें व्यय के रूप में उसी वर्ष में अभिज्ञात किया जाता है।

12. vkdfLed ns rk; vks i ko/kku %

पहले किए गए कार्यकलाप, जिनसे वर्तमान में या संभाव्य बाध्यताएँ हो सकती हैं, को आकस्मिक देयता माना जाता है। वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में, जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए आर्थिक लाभ के साथ निधि का साकार बाहरी प्रवाह निहित है, वहाँ प्रावधान की पहचान की जाती है।

10. STAFF RETIREMENT BENEFITS

10.1 PARENT

- 10.1.1 Annual contributions to Pension Fund and Gratuity Fund are determined and provided for:
 - On the basis of actuarial valuation
 - As per the local laws in respect of foreign branches.
- 10.1.2 Leave encashment benefit for employees is accounted for on actuarial basis.
- 10.1.3 Transitional liability relating to employee benefits determined as per actuarial valuation is written off over a period of five years in terms of Revised Accounting Standard 15 (AS -15), "Employee Benefits", issued by ICAI.
- 10.1.4 In accordance with RBI Guidelines in respect of liability towards pension second option and gratuity for existing employees is amortised equally over a period of five years

10.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

10.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD.

Short Term employee benefits/ obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days' salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Subsidiary's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the Law are paid to the Provident fund and pension fund with the provident fund authorities.

Leave encashment - The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days un-utilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

10.2.2 INDBANK HOUSING LTD.

Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

10.2.3 INDFUND MANAGEMENT LTD.

The staff are on deputation from Parent Bank. Liability towards Gratuity and leave encashment payable at the time of retirement of deputed employees is not provided for since the entire retirement benefits are paid by the Parent.

11. BORROWING COSTS

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd. - Borrowing costs are capitalised as part of the cost of a qualifying asset when it will result in future economic benefits to the Company. Other borrowing costs are recognised as an expense in the year in which they are incurred.

12. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Past events leading to, possible or present obligations are treated as contingent liability. Provision is recognised in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying forgoing of economic benefits to settle the obligations.



बाजार जोखिमों, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों अंनुसार किए जाते हैं फलोटिंग प्रावधान आवश्यकताओं की अभिपहचान बैंक प्रबंधन द्वारा की जाती है और प्रावधान किया जाता है।

vkfLr: kadh {kfr % 13.

13.1 आस्तियों की क्षति (यदि हो), की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा इस संबंध में जारी लेखाकरण मानक(एस) — 28 के अनुरूप की जाती है।

14. vk, ij dj %

- कर हेत प्रावधान, चाल कर तथा आस्थिगत कर दोनों के लिए किया जाता है। 14.1
- प्रयोज्य कर दरें, कर नियम और अनुकूल न्यायिक निर्णय / विधिक मत का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को देय आकलित राशि के आधार पर 14.2 वर्तमान कर का आकलन किया जाता है।
- समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्थिगित कर आस्तियां और देयताएं जोिक बाद के वर्षों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हैं, को तुलन पत्र की तारीख तक 14.3 अथवा बाद में तैयार किए गए कर दरों व कर कानुनों का प्रयोग करके अभिपहचानित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को तब तक अभिपहचानित नहीं किया जाता है जब तक कि " असली निश्चितता " हो जाए कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उत्पन्न होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही जा सके।

ifjpkyukadksch djuk% 15.

इंड बैंक मर्चेट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

टी एम भसीन T M BHASIN AÜ`j Ed§n«§ {ZXæH\$ Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$m FmbH\${ZXeH Executive Director

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI H\$mi findH\${ZX@H Executive Director

R RAVI General Manager

निदेशक DIRECTORS: शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH,

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS:

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कृते गणेसन एंड कंपनी For GANESAN AND COMPANY gZXr bl क्षेश्र Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000859S एसं स्वामिनाथन

S SWAMINATHAN gniPiKma Partner

Partner (M.No. 023998) कृते कल्याणसुंदरम एंड कंपनी For KALYANASUNDARAM & CO g/Xr bl क्षेत्रक Chartered Accountants

पंजीकरण सं. Registration No.001676S के रमेशकुमार K. RAMESHKUMAR gnPkma Partner

(M.No. 023962)

ñWnZ Place: ZB (X,, r New Delhi VnarI Date: 09.05.2011

कृते चंद्रन एंड रामन For CHANDRAN & RAMAN gZXr bol nH\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000571S एस पट्टाभिरामन S. PATTABIRAMAN S. PATTABIRAMAN gnPkm Partner (M.No. 14309) कृत एस मोहन एण्ड कंपनी For S. MOHAN & CO gZXr bi nism Chartered Accountants

पंजीकरण सं. Registration No.000608N रवीन्दर अरोड़ा RAVINDER ARORA

gnPkma Partner (M.No. 085542)

कृते सूरी एण्ड कंपनी For SURI & CO gZXr bol nH\$ma Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.004283S एस स्वामिनाथन S SWAMINATHAN S ŚWAMINATHAN
gIPKim
Partner
(M.No. 020583)
कृत एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स
For ABP & ASSOCIATES
gZXr bol nilsm
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No. 315104E
बिमल कुमार चंदुका
BIMAL KUMAR CHANDUKA
साधेवर

साझेदार Partner (M.No. 053714) Provisions for Market Risks, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

Floating provision requirements are identified by the Bank management and provided for.

13. **IMPAIRMENT OF ASSETS**

13.1 Impairment losses if any, are recognised in accordance with the Accounting Standard (AS) -28 issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India.

14. TAXES ON INCOME

- 14.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.
- 14.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.
- 14.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

15. **DISCONTINUING OPERATIONS**

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd., accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

टी एम भसीन T M BHASIN AÜ`j Ed§n«§ {ZXæH\$ Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$m`fmbH\${ZXeH Executive Director

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI H\$mi findH\${ZX@H **Executive Director**

आर रवि R RAVI General Manager

निदेशक DIRECTORS: शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH,

साविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS:

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कृते गणेसन एंड कंपनी For GANESAN AND COMPANY gZXr bol mH\$ma Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000859S एस स्वामिनाथन S SWAMINATHAN gniPikna Partner (M.No. 023998) कृते कल्याणसुंदरम एंड कंपनी For KALYANASUNDARAM & CO gZXr bol nH\$ma Chartered Accountants

पंजीकरण सं. Registration No.001676S के रमेशकुमार K. RAMESHKUMAR gnPkma Partner (M.No. 023962)

ñWnZ Place: ZB∜X"ſNew Delhi Vnaſl Date: 09.05.2011

कृते चंद्रन एंड रामन For CHANDRAN & RAMAN gZXr bol nH\$na Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000571S एस पट्टाभिरामन S. PATTABIRAMAN S. PAI IABIHAMAN
gnPkm
Partner
(M.No. 14309)
कृते एस मोहन एण्ड कंपनी
For S. MOHAN & CO
gZXI bi nith Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.000608N रवीन्दर अरोड़ा RAVINDER ARORA

gnPkm Partner (M.No. 085542)

कृते सूरी एण्ड कंपनी For SURI & CO gZXr bol nH\$ma Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.004283S एस स्वामिनाथन S SWAMINATHAN gnPk/ma Partner Partner (M.No. 020583) कृते एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स For ABP & ASSOCIATES gZXr bl ॥\%a Chartered Accountants

पंजीकरण सं. Registration No.315104E बिमल कुमार चंदुका BIMAL KUMAR CHANDUKA साझेदार Partner

(M.No. 053714)



vu **q psh** & 18 lester for Recht, foojf. k, ka ds fy, ys kk fVlif. k, ka ½ 010 & 11½

1- vuöktx; ka

Øe la	vuğlaxlı dk uke	l 1.Fk i uk dk nsk	LokfeRo dk vu i jkr
1-	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	51.00%
2-	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.	भारत	64.84%
3-	इंडफंड मैनेजमेंट लि.	भारत	100.00%

2 1 g; ksch

l g; kfx; ka dk uke	शेयरधारण ढांचा
पल्लवन ग्राम बैंक	35%
सप्तिगिरि ग्रामीण बैंक	35%
पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक**	35%

^{**}भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनः पंजीकरण योजना के अनुसार बैंक ने 3.325 करोड़ रुपए मूल बैंक से प्राप्त किया है और उसके प्रस्तुतः शेयर पूंजी जमा खाते में रखा गया है।

3 ys[kklek/kku, oalek, kt u

ewy laLFkk

- 3.1 मूल संस्था की अंतर शाखा एवं अंतर बैंक मदों का लेखा समाधान 31.03.2011 तक पूरा किया जा चुका है। विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा मूल संस्था ने बकाया प्रविष्टियों के निपटान में और कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार 7.55 करोड़ रुपए के कुल मुल्य के 10548 प्रविष्टियाँ बकाया है।
- 3.2 31.03.2011 तक 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया अंतर शाखा लेखा में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल ऋण स्थिति को घ्यान में रखते हुए किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- 3.3 देय ड्राफ़्ट, समाशोधन, समायोजन विविध प्राप्य, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक लेखा तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।
- 3.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बिहयों / रिजस्टरों का तुलन और सामान्य बिहयों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

4- vpy vklr; ka

- 4.1 मूल संस्था के परिसर में 11.11 करोड़ रुपए लागत वाली परिसंपत्यां शामिल हैं जिनका बही मूल्य 64.50 करोड़ रुपए(गत वर्ष क्रमश:11.11 करोड़ रुपए और 66.27 करोड़ रुपए) जिनके लिए पंजीकरण की औपचारिकताएं जारी हैं।
- 4.2 वर्ष 2008–09 में बैंक ने मूल संस्था के कुछ परिसरों का पुनर्मूल्यन किया तथा परिणामस्वरूप 1057.76 करोड़ रुपए की मूल्य वृद्धि राशि को ''पूनर्मल्यन रिजर्व खाते'' में जमा की गई। पुनर्मूल्यन किए गए अंश पर अतिरिक्त मूल्यह्रास 30.52 करोड़ रुपए के मूल्यह्रास (गत वर्ष में 30.52 करोड़ रुपए) को लाभ व हानि लेखा में प्रभारित कर दिया गया तथा उसकी सममूल्य राशि का आहरण ''पूनर्मूल्यन रिजर्व खाते'' से कर दिया गया है।

5- dj garqitao/kku

5-1 ew l LFkk

वर्तमान वर्ष के लिए कराधान (आईटी और डब्ल्यूटी) के लिए प्रावधान 920.39 करोड़ रुपए है। (पिछले वर्ष 796.62 करोड़ रुपए)

31.03.2011 को विवादित आयकर मांग बकाया शेष 507.35 करोड़ रुपए (गत वर्ष 574.94 करोड़ रुपए) था, जिसमें से 348.60 करोड़ रुपए (गत वर्ष 348.34 करोड़ रुपए) वापसी आदेशों के एवज में विभाग द्वारा अदा/समायोजित कर दिए गए। एक हीं तरह के मामलों पर बैंक के पक्ष में विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं पर विचार करते हुए और, पूर्व निर्धारण वर्षों के लिए बैंक द्वारा दायर की गई अपीलों के कारण जो विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अनिर्णीत हैं, किन्हीं प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया।

इस वर्ष से बैंक को सामान्य पद्धित में कर अदायगी करनी है। अतः वर्ष के दौरान, 120 करोड़ रुपए तक की एमएटी क्रेडिट हकदारी पूर्व वर्षों में सृजित एमएटी क्रेडिट हकदारी आस्तियों में से प्रत्यावर्तित की गई हैं। 31.03.2011 को एमएटी हकदारी क्रेडिट खाते में बकाया 436.27 करोड़ रुपए है।

SCHEDULE 18 Notes On Accounts to CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2010-11)

1. SUBSIDIARIES:

SI. No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
а	Ind Bank Housing Ltd	India	51.00%
b	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	64.84%
С	Indfund Management Ltd	India	100.00%

2. ASSOCIATES:

Name of the Associates	Shareholding pattern
a Pallavan Grama Bank	35%
b Saptagiri Grameena Bank	35%
c Puduvai Bharathiar Grama Bank**	35%

^{**} As per recapitalization plan approved by Government of India, the Bank has received ₹ 3.325 crore from the Parent Bank and the same is kept in share capital deposit account for the present.

3. RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

- 3.1. Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2011. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding entries. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 10548 entries aggregating to ₹7.55 crore are outstanding.
- 3.2. In view of net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2011, no provision is required.
- 3.3. Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- 3.4. Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

4. FIXED ASSETS

- 4.1. Premises include properties costing ₹11.11 Crore, the book value of which is ₹64.50 Crore (previous year ₹11.11 Crore and ₹66.27 Crore respectively), for which registration formalities are in progress.
- 4.2. Bank revalued its immovable properties during the year 2008-09 at fair market value by approved valuers and the resultant appreciation of ₹1057.76 Crore was credited to "Revaluation Reserve Account". Depreciation on the revalued portion amounting to ₹30.52 Crore (previous year ₹30.52 Crore) has been charged to Profit & Loss A/c and an equivalent withdrawal is made from the "Revaluation Reserve Account".

5. PROVISION FOR TAXATION

5.1 **PARENT**:

Provision for Taxation (IT & WT) during current year is ₹ 920.39 crore (Previous year ₹ 796.62 crore)

The disputed Income Tax demand outstanding as at 31 03 2011 amounts to ₹ 507.35 Crore (previous year ₹ 574.94 Crore), out of which ₹ 348.60 Crore (previous year ₹348.34 Crore) has been paid / adjusted by the Department against refund orders. Considering the various judicial pronouncements on similar issues in favour of the Bank and the Appeals filed by the Bank for earlier Assessment Years pending before various appellate authorities, no provision is considered necessary.

The Bank has to pay tax under normal method for the current year. Hence, during the year, MAT entitlement credit to the tune of ₹120.00 Crore has been reversed out of the MAT credit entitlement assets created in the earlier years. Balance outstanding under MAT entitlement Credit account as on 31.03.2011 is ₹436.27 Crore.



5-2 vuğlaxlı da fu; ka

- 5.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.
- क. हानियों (आय कर के अनुसार) तथा बही हानियों (एमएटी अभिकलन के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए कर प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- ख. विषयों पर न्यायिक निर्णयों और / या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर के विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

6- udnh i poky fooj. k $\frac{1}{4}$, l $3\frac{1}{2}$

वर्ष 2010-11 के लिए नकदी प्रवाह विवरण अलग से अनुबद्ध किया गया है।

7- de**z**kjh ykłk ¼, l 15½

- 7.1 मूल संस्था
- 7.1.1 वर्ष 2007—08 के दौरान एएस 15 के पहली बार कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न संक्रमणकालीन देयता के लिए 92 करोड़ रुपए की राशि लाभ हानि खाता में रखा गया है। बाकी अमान्य संक्रमणकालीन देयता का जो लाभ व हानि लेखे में शेष एक वर्ष में प्रभारित किया जाएगा 92 करोड़ रुपए होगा।
- 7.1.2 वर्ष के दौरान बैंक ने पूर्व में पेंशन विकल्प न देने वाले कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प देने का अवसर दिया। परिणामतः 12018 कर्मचारियों के पेंशन विकल्प देने के कारण बैंक को 961.60 करोड़ रुपए की देयता (सेवा निवृत्त और पृथक कर्मचारियों के लिए 148.38 करोड़ रुपए सिहत) संभालना पड़ा। आगे, वर्ष के दौरान, उपदान के भुगतान अधिनियम 1972 में संशोधन के कारण, कर्मचारियों को देय उपदान की राशि में वृद्धि की गई। परिणामतः बैंक का यह उपदान देयता के सही मूल्यांकन में 166.00 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

लेखा प्रणाली मानक 15 (एएस) के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी हित की संपूर्ण राशि 1127.60 करोड़ रुपए (अर्थात् 961.60 करोड़ रुपए + 166.00 करोड़ रुपए) को लाभ हानि खाते में प्रभारित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी:बीपी:बीसी/80/21.04.018/2010—11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार निम्नांकित राशि का लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है:

	(₹. करोड में)
(क) वर्तमान कर्मचारियों के लिए द्वितीय पेंशन विकल्प के 1/5 देयता के लिए	162.60
(ख) पृथक / सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए	148.38
(ग) उपदान देयता के लिए 1/5	33.20
कुल	344.18
शेष : पेंशन निधि में उपलब्ध	157.92
	186.26
शेष अवधि में प्रभारित अपरिशोधित अंश निम्नानुसार है :	
पेंशन देयता	650.62
उपदान देयता	132.80
	783.42

अगर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा परिपत्र जारी न किया होता तो, बैंक का लाभ, एएस 15 के प्रावधानों के लागू करने के कारण, 783.42 करोड़ रुपए कम होता।

7.1.3 लेखा मानक—15(संशोधित) के तदनूरूप लाभ व हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए, नियोजनोत्तर हित और दीर्घकालीन कर्मचारी हित की सारांश स्थिति निम्नानुसार है —

The state of the s		
I. मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31-03-2011	31-03-2010
बट्टे की दर	* 8.45 %	8 %
वेतन बढोत्तरी की दर	1% बेसिक पर और 7.5% डीए पर	2 % बेसिक पर और 7.5% डीए पर
पदत्याग की दर	1.00%	4.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर	9.00%	9%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण ((पीयूसी) बीमांकक तरीका

^{*} प्लान आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर छुट्टी भुनाई हेतु प्रयोज्य नहीं भावीं वेतन वृद्धियों के आकलन पर मुद्रा स्फ़ीति, वरिष्ठता, पदोन्नित और अन्य संबंधित संघटक जैसे नियोजन बाज़ार में आपूर्ति एवं मांग को हिसाब में लेकर विचार किया जाता है।

5.2 SUBSIDIARY COMPANIES

5.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

- a) In view of losses (as per Income tax) as well as book losses (as per MAT computation) no provision for tax is required for the year.
- b) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.

6. CASH FLOW STATEMENT (AS 3)

The cash flow statement for the year 2010-11 is annexed separately.

7. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

7.1 PARENT

- 7.1.1 A sum of ₹ 92 crore has been charged to Profit & Loss Account towards transitional liability arising upon first time implementation of AS 15 during the financial year 2007-08. The remaining unrecognized transitional liability is to be charged to Profit & Loss Account in the remaining one year is ₹ 92 crore
- 7.1.2 During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of 12018 employees opting for pension, the bank has incurred a liability of ₹ 961.60 crores (including ₹148.38 crore for retired / separated employees). Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the bank was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the actuarial valuation of such gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 166.00 crores.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of ₹ 1127.60 crores (ie. ₹ 961.60 crores + ₹ 166.00 crores) is required to be charged to the Profit and Loss Account. In accordance with the RBI circular no DBOD:BP:BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the following amounts have been charged to the Profit & Loss Account:

		(₹ in crore)
a)	Towards 1/5 th Second Option pension liability in respect of exisiting employees	162.60
b)	Towards separated/retired employees	148.38
c)	Towards 1/5th of Gratuity liability	33.20
	Total	344.18
	Less: Available in Pension Fund	157.92
		186.26
	The unamortized portion to be charged off over the remaining	
	period is as under:	
	Pension liability	650.62
	Gratuity liability	132.80
		783.42

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the bank would have been lower by ₹ 783.42 crores pursuant to application of the requirements of AS 15.

7.1.3 The summarised position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2011	31/03/2010
Discount Rate	8.45%	8%
Salary escalation rate	1% on Basic and 4.70% on DA	2% on Basic and 7.5% on DA
Attrition rate	1.00%	4%
Expected rate of return on Plan Assets *	9%	9%
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

^{*} Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.



pkywo"kZ2010&11 (₹.करोडों में)

II. ck/; rk dsorZeku eW; ¼ hohvk½ esa i fjorZu & vFk′kkk, oavar′kkk dk ys[kk l ek/kku	i s ku fuf∕k	mi nku fuf/k	N∛√h HaµkbZ
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	1939.00	572.00	262.00
ब्याज लागत	147.45	42.40	18.72
वर्तमान सेवा लागत	249.26	65.66	18.03
विगत सेवा लागत – मान्य	162.64	33.20	0
विगत सेवा लागत – अमान्य	650.58	132.80	0
प्रदत्त लाभ	(191.82)	(83.89)	(56.10)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकक हानि / (लाभ)	605.90	(5.17)	10.35
o"MZdh l eMTr ij i hohvks	3563.00	757.00	253.00

fi Nys o"ld 2009&10 (₹.करोडों में)

II. ck/; rk dsorZeku eW; ¼ hohvk½ en i fjorZu & vFk kk, oavar kk dk y {kk l ek/kku	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛Vh HaqakbZ
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	1735.00	540.07	238.00
ब्याज लागत	134.99	39.38	16.15
वर्तमान सेवा लागत	122.32	49.62	18.67
विगत सेवा लागत – (गैर निहित लाभ)	0	0	0
विगत सेवा लागत – (निहित लाभ)	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(95.27)	(29.94)	(45.44)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकक हानि / (लाभ)	41.96	(27.13)	34.62
o"kZdh l ekTr ij i hohvks	1939.00	572.00	262.00

pkywo"kZ2010&11 (₹.करोडों में)

III.; kstuk vk/Lr; kadsmfpreW; eaifjorZi & vFk'kkk, oavar'kkkdk y{kklekklek	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛Vh HqukbZ
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1815.80	561.60	0
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	202.07	51.07	0
नियोजक के अंशदान	1050.56	95.64	56.10
प्रदत्त लाभ	(191.82)	(83.89)	(56.10)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकक लाभ / (हानि)	(25.60)	(5.42)	0
o"NZdhleMTrij; ktukvMTr; knadkmfpreW;	2851.00	619.00	0

fi Nys o"ld 2009&10 (₹.करोडों में)

III.; ket uk vkfLr; kadsmfpr eW; eaifjorZu & vFk 'ksk, oavar'ksk dk ys[kklek] lek/kku	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛Vh HaqukbZ
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1550.20	524.47	0
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	146.28	47.11	0
नियोजक के अंशदान	245.62	27.79	45.44
प्रदत्त लाभ	(95.27)	(29.94)	(45.44)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकक लाभ / (हानि)	(31.03)	(7.83)	0
o"MedhleMir ij; ktukvMir; kadkmfpreW;	1815.80	561.60	0

Current Year 2010-11 (₹. in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	1939.00	572.00	262.00
Interest Cost	147.45	42.40	18.72
Current service cost	249.26	65.66	18.03
Past service cost - recognised	162.64	33.20	0
Past service cost - unrecognised	650.58	132.80	0
Benefits paid	(191.82)	(83.89)	(56.10)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	605.90	(5.17)	10.35
PVO as at the end of the year	3563.00	757.00	253.00

Previous year 2009-10

(₹.in crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	1735.00	540.07	238.00
Interest Cost	134.99	39.38	16.15
Current service cost	122.32	49.62	18.67
Past service cost - (non vested benefits)	0	0	0
Past service cost - (vested benefits)	0	0	0
Benefits paid	(95.27)	(29.94)	(45.44)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	41.96	(27.13)	34.62
PVO as at the end of the year	1939.00	572.00	262.00

Current Year 2010-11 (₹.in crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	1815.80	561.60	0
Expected return on plan assets	202.07	51.07	0
Employer's Contributions	1050.56	95.64	56.10
Benefits paid	(191.82)	(83.89)	(56.10)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(25.60)	(5.42)	0
Fair value of plan assets as at the end of the year	2851.00	619.00	0

Previous year 2009-10

(₹.in crore)

			(5. 5. 5/
III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	1550.20	524.47	0
Expected return on plan assets	146.28	47.11	0
Employer's Contributions	245.62	27.79	45.44
Benefits paid	(95.27)	(29.94)	(45.44)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(31.03)	(7.83)	0
Fair value of plan assets as at the end of the year	1815.80	561.60	0



pkywo"lZ2010&11			(₹.करोडों में
IV. ; kt uk vklLr; kaij okLrfod i frQy	i s ku fuf∕k	mi nku fuf/k	N&y∀h HaqukbZ
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	202.07	51.07	0
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ (हानि)	(25.60)	(5.42)	0
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	176.46	45.65	0
fi Nys o"l/22009&10			(₹.करोडों में
IV. ; kt uk vkfLr; kaij okLrfod i £rQy	isku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛y¥h HaqukbZ
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	146.28	47.11	0
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ (हानि)	(31.03)	(7.83)	0
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	115.25	39.28	0
pkywo"kZ2010&11			(₹.करोडों में
V. i gpkuk x; k chekadd ykłk@gkfu	isku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛√Vh HaqukbZ
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि) — बाध्यता	(605.90)	5.17	(10.35)
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि)—योजना आस्तियां	(25.60)	(5.42)	0
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	631.50	0.25	10.35
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि – बाध्यता	631.50	0.25	10.35
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि – बाध्यता	0	0	0
fi Nys o"l Z 2009&10			(₹.करोडों में
V. i gpkuk x; k chekadd ykłk@gkfu	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	Ney Vh HequkbZ
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि) — बाध्यता	(41.96)	27.13	(34.62)
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि)—योजना आस्तियां	(31.03)	(7.83)	0
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	72.99	(19.31)	34.62
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि – बाध्यता	72.99	(19.31)	34.62
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि – बाध्यता	0	0	0
pkywo"lZ2010&11			(₹.करोडों में
VI. ryvu i= ena igpkuh x; hjkf'k; kavký lnoná/kr fo'yšk k	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛Vh HaqıkbZ
बाध्यता का आकलित वर्तमान मूल्य	3563.00	757.00	253.00
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2851.00	619.00	0
अन्तर	712.00	138.00	253.00
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	(61.60)	(5.20)	(12.40)
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत – गैर निहित लाभ	(650.58)	(132.80)	0
rgyu i= enaigpkuh x; h ns, rk	(0.18)	0	240.60
fi Nys o"1/22009&10			(₹.करोडों मे
VI. ryvu i= enigpkuh x; hjkf'k; kavký lnoh/kr fo'yšk k	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	Ney¥h HequkbZ
बाध्यता का आकलित वर्तमान मूल्य	1939.00	572.00	262.00
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1815.80	561.60	0
अन्तर	123.20	10.40	262.00
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	(123.20)	(10.40)	(24.80)
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत – गैर निहित लाभ	0	0	0
ryvu i= enigpkuh x; h ns, rk	0	0	237.20

Current Year 2010-11 (₹.in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	202.07	51.07	0
Actuarial gain (loss) on plan assets	(25.60)	(5.42)	0
Actual return on plan assets	176.46	45.65	0

Previous Year 2009-10 (₹.in crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	146.28	47.11	0
Actuarial gain (loss) on plan assets	(31.03)	(7.83)	0
Actual return on plan assets	115.25	39.28	0

Current Year 2010-11 (₹.in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Acturial gain / (loss) for the year - Obligation	(605.90)	5.17	(10.35)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(25.60)	(5.42)	0
Total (gain) / loss for the year	631.50	0.25	10.35
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	631.50	0.25	10.35
Unrecognized actuarial (gain) / loss at the end of the year	0	0	0

Previous Year 2009-10 (₹.in crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Acturial gain / (loss) for the year - Obligation	(41.96)	27.13	(34.62)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(31.03)	(7.83)	0
Total (gain) / loss for the year	72.99	(19.31)	34.62
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	72.99	(19.31)	34.62
Unrecognized actuarial (gain) / loss at the end of the year	0	0	0

Current Year 2010-11 (₹.in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Estimated Present value of the obligation	3563.00	757.00	253.00
Fair value of plan assets	2851.00	619.00	0
Difference	712.00	138.00	253.00
Unrecognised transitional liability	(61.60)	(5.20)	(12.40)
Unrecognised past service cost – non vested benefits	(650.58)	(132.80)	0
Liability recognized in the balance sheet	(0.18)	0	240.60

Previous Year 2009-10 (₹.in crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Estimated Present value of the obligation	1939.00	572.00	262.00
Fair value of plan assets	1815.80	561.60	0
Difference	123.20	10.40	262.00
Unrecognised transitional liability	(123.20)	(10.40)	(24.80)
Unrecognised past service cost – non vested benefits	0	0	0
Liability recognized in the balance sheet	0	0	237.20



pkywo"lZ2010&11 VII. ykłk , oagkfu y{ ksesigpkusx; s0; ;	i sku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛Vh HaqukbZ
वर्तमान सेवा लागत	249.26	65.66	18.03
	147.45	42.40	18.72
ब्याज लागत योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल			_
	(202.07)	(51.07)	10.25
निवल बीमांकक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	631.50	0.25	10.35
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	61.60	5.20	12.40
विगत सेवा लागत – मान्य विगत सेवा लागत – निहित लाभ	162.64	0	0
	1050.30	33.20	F0.00
ykłk, oagklu ys[kseaigpkusx; s 0, ;	1050.38	95.64	59.60
fi Nys o"122009&10			(₹.करोडों मे
VII. ykłk , oagku ys[ks ea i gpkus x; s 0; ;	isaku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛Vh HaqakbZ
वर्तमान सेवा लागत	122.32	49.62	18.67
ब्याज लागत	134.99	39.38	16.15
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(146.28)	(47.11)	(
निवल बीमांकक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	72.99	(19.31)	34.62
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	61.60	5.20	12.40
विगत सेवा लागत – गैर निहित लाभ	0	0	(
विगत सेवा लागत – निहित लाभ	0	0	(
ykłk, oagklu yskenigpkusx; s Q;	245.62	27.79	81.84
pkywo"lZ2010&11			(₹.करोडों मे
VIII. ryvu i= ea i gpkuh x; h nş krkvka ea i fjorZi	isku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛y¥h HaqukbZ
निवल देयता का आरंभ शेष	0	0	237.20
उपर्युक्तानुसार व्यय	1050.38	95.64	59.50
प्रदत्त अंशदान	(1050.56)	(95.64)	(56.10)
fuoy nş rk dk v r 'kkk	(0.18)	0	240.60
fi Nys o"1 2 2009&10			(₹.करोडों म
VIII. ryu i= eaigpkuh x; h nş rkvka eaifjorZi	isku fuf/k	mi nku fuf/k	N∛√h HaqakbZ
निवल देयता का आरंभ शेष	0	0	200.80
उपर्युक्तानुसार व्यय	245.62	27.79	81.84
प्रदत्त अंशदान	(245.62)	(27.79)	(45.44)
fuoy nş rk dk var' kök	0	0	237.20
			(₹.करोडों म
IX. oræku o"kZdsfy, jkf'k	isku fuf/k	minku fuf/k	Ney¥h HequkbZ
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3563.00	757.00	253.00
योजना आस्तियां	2851.00	619.00	(
अधिशेष (घाटा)	(712.00)	(138.00)	(253.00
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	956.99	(17.83)	(37.35)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन	(25.60)	(5.42)	C

Current Year 2010-11 (₹.in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	249.26	65.66	18.03
Interest Cost	147.45	42.40	18.72
Expected return on plan assets	(202.07)	(51.07)	0
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	631.50	0.25	10.35
Transitional Liability recognised in the year	61.60	5.20	12.40
Past service cost - recognised	162.64	0	0
Past service cost - vested benefits	0	33.20	0
Expenses recognized in the statement of profit and loss	1050.38	95.64	59.60

Previous Year 2009-10 (₹.in crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	122.32	49.62	18.67
Interest Cost	134.99	39.38	16.15
Expected return on plan assets	(146.28)	(47.11)	0
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	72.99	(19.31)	34.62
Transitional Liability recognised in the year	61.60	5.20	12.40
Past service cost - non-vested benefits	0	0	0
Past service cost - vested benefits	0	0	0
Expenses recognized in the statement of profit and loss	245.62	27.79	81.84

Current Year 2010-11 (₹.in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0	0	237.20
Expense as above	1050.38	95.64	59.50
Contribution paid	(1050.56)	(95.64)	(56.10)
Closing net liability	(0.18)	0	240.60

Previous Year 2009-10 (₹.in crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0	0	200.80
Expense as above	245.62	27.79	81.84
Contribution paid	(245.62)	(27.79)	(45.44)
Closing net liability	0	0	237.20

(₹.in crore)

IX. AMOUNT FOR THE CURRENT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	3563.00	757.00	253.00
Plan Assets	2851.00	619.00	0
Surplus (Deficit)	(712.00)	(138.00)	(253.00)
Experience adjustments on plan liabilities	956.99	(17.83)	(37.35)
Experience adjustments on plan assets	(25.60)	(5.42)	0



(₹.करोडों में)

IX. fi Nys o"læds fy, jlf' k	isku fuf/k	mi nku fuf/k	Nay¥h HaqukbZ
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1939.00	572.00	262.00
योजना आस्तियां	1815.80	561.60	0
अधिशेष (घाटा)	(123.20)	(10.40)	(262.00)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	(41.96)	27.13	(34.62)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन	(31.03)	(7.83)	0

(₹.करोडों में)

X.; ktuk vk/Lr; kadse(j; l axZ½dy; ktuk vk/Lr; kadsi£r'kr e½	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	isiku fuf/k	mi nku fuf/k
	2010-11		2009-10	
भारत सरकार प्रतिभूतियां	25.00%	20.00%	25.00%	22.00%
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	29.00%	18.00%	27.00%	22.00%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	44.00%	42.00%	45.00%	53.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
परिसम्पत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियां	0.00%	18.00%	0.00%	0.00%
अन्य (उल्लेख करें) निजी क्षेत्र बांड	2.00%	1.00%	3.00%	3.00%
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(₹.करोडों में)

	isiku fuf/k	mi nku fuf/k	isiku fuf/k	mi nku fuf/k
	2010-11		2009-10	
XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	20.00	10.00	0	0

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2010 - 11

(₹.crore)

IX. AMOUNT FOR THE PREVIOUS YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	1939.00	572.00	262.00
Plan Assets	1815.80	561.60	0
Surplus (Deficit)	(123.20)	(10.40)	(262.00)
Experience adjustments on plan liabilities	(41.96)	27.13	(34.62)
Experience adjustments on plan assets	(31.03)	(7.83)	0

(₹.crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2010	0-11	2009	9-10
Government of India Securities	25.00%	20.00%	25.00%	22.00%
State Government Securities	29.00%	18.00%	27.00%	22.00%
High Quality Corporate Bonds	44.00%	42.00%	45.00%	53.00%
Equity shares of listed companies	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Property	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.00%	18.00%	0.00%	0.00%
Others (to specify) Private Sector Bonds	2.00%	1.00%	3.00%	3.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(₹.crore)

	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2010-11		2009-10	
XI. ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	20.00	10.00	0	0



7-2 vuğlaxlı da fu; ka

7-2-1 bM cSd epW cSdax l foZt fyfeVM &

ifjHdf"kr váknku; kt uk

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जो वर्ष के लिए व्यय माना गया निम्नप्रकार प्रस्तुत है :

(₹.लाखों में)

विवरण	2010-11	2009-10
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	35.14	26.51
कर्मचारी जमा से जुडी बीमा योजना हेतु एलआईसी को अंशदान	0.44	0.41

ifjHkkf"kr yktk; kt uk

परिभाषित लाभ बाध्यता के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

(₹.लाखों में)

fooj.k	mi nku ¾	minku ¼fuf/kd½		n HaqqkbZ Tuf/kcl½
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	44.92	32.23	50.12	27.25
वर्तमान सेवा लागत	6.47	4.95	7.37	18.42
ब्याज लागत	3.59	2.58	4.01	1.91
बीमांकक (लाभ) / हानी	0.30	5.16	-2.46	2.53
प्रदत्त लाभ	3.62	-	-	-
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	51.67	44.92	59.04	50.12

परिभाषित लाभ बाध्यता के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

(₹.लाखों में)

fooj.k	mi nku ½uf/kd½	
	2010-11	2009-10
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	37.91	30.96
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	4.36	3.17
अंशदान	17.38	3.78
बीमांकक (लाभ) / हानी	-	-
प्रदत्त लाभ	3.62	
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	56.02	37.91
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	4.36	3.17

III vktLr; kao ck/; rkvkadsmfpr eW; dk ys[kk l ek/kku

(₹.लाखों में)

fooj . k	mi nku ¼uf/kd½		N ∛ √h ½ x5 &fu	HapkbZ uf/kcl½
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	56.02	44.92	59.04	50.12
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	51.67	37.91	50.12	27.25
तुलन-पत्र में अभिज्ञान राशि	4.36	7.01	8.92	22.86

7.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

7.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD.

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

(₹.in Lakhs)

Details	2010-11	2009-10
Employer's contribution to Provident Fund	35.14	26.51
Employees Deposit Linked Insurance Scheme contribution to LIC	0.44	0.41

Defined Benefit Plan

I Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

(₹. in lakhs)

Details	Gratuity (Funded)					cashment nded)
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10		
Defined benefit obligation at the beginning of the year	44.92	32.23	50.12	27.25		
Current service cost	6.47	4.95	7.37	18.42		
Interest cost	3.59	2.58	4.01	1.91		
Actuarial (gain)/ loss	0.30	5.16	-2.46	2.53		
Benefits paid	3.62	-	-	-		
Settlement cost	-	-	-	-		
Defined benefit obligation at the year end	51.67	44.92	59.04	50.12		

II Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

(₹. in lakhs)

Details		ratuity unded)
	2010-11	2009-10
Fair value of plan assets at the beginning of the year	37.91	30.96
Expected return on plan assets	4.36	3.17
Contributions	17.38	3.78
Actuarial (gain)/ loss	-	-
Benefits paid	3.62	
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	56.02	37.91
Actual return on plan assets	4.36	3.17

III Reconciliation of fair value of assets and obligations

(₹. in lakhs)

			(
Details	Gratuity (Funded)		Leave End (Unfu	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Fair value of plan assets	56.02	44.92	59.04	50.12
Present value of obligation	51.67	37.91	50.12	27.25
Amount recognized in Balance Sheet	4.36	7.01	8.92	22.86



o"kZdsnk§ku vfHkKkr 0;;

(₹.लाखों में)

fooj.k	minku ¼nuf/kd½		N i/∀h HqulbZ ¹ ½x,\$ &fuf/kcl½	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
वर्तमान सेवा लागत	6.47	4.95	7.37	18.42
ब्याज लागत	3.59	2.58	4.01	1.91
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	4.36	3.17	-	-
बीमांकक (लाभ) / हानि	0.30	5.16	-2.46	2.53
fuoy ykłk	6.01	9.52	8.92	22.86

V chekaidd i wikizue ku

fooj.k	minku ¼nuf/kd½			ı HoqlbZ Tuf/kd½
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
मार्टालिटि टेबल (एलआईसी)	1994-96 ¼je½	1994-96 ¼je½	1994-96 ¼je½	1994-96 ¼je½
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	8%	8%	8%	7%
प्रत्याशित प्रतिफल दर (प्रति वर्ष)	8%	8%		
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	5%	6%	5%	5%
पदत्याग की दर	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार किए गए वेतन में वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फ़ीति, विरष्टता, पदोन्नित एवं रोज़गार बाज़ार में आपूर्ति व मांग सिहत अन्य संबंधित संघटकों को हिसाब में लिया जाता है। प्रतिफल की प्रत्याशित दर का निर्धारण कई प्रयोज्य संघटकों पर विचार करके किया जाता है, प्रमुख्तः धारित योजना आस्तियों का संघटन, मूल्यांकित जोखिमों, योजना आस्तियों के प्रतिफल के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्ति प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति। मूल संस्था से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ देयता मूल संस्था द्वारा वहन की जाती है।

वर्ष 2010-11 में कंपनी ने उपदान देयता के प्रति 7.92 लाख रुपए का अंशदान किया है।

7-2-2 bandsal glanfl ax fyfeVsM

ग्रेच्युटि निधि की ओर अनुषंगी की बाध्यता एवं बीमांकिक मूल्यांकन का विवरण निम्नवत् है :

(₹.लाखों में)

i)	कुल विगत सेवा ग्रेच्युटि और बीमांकिक मूल्य	7.08
ii)	एलआईसी को देय अंशदान शेष, अगर हो तो	शून्य
iii)	पूर्वानुमान	
	बट्टा दर	8% पि. ए. काम्पाउन्ड
	वेतन वृद्धि का अनुमान	8% पि. ए. काम्पाउन्ड

8. [k M fjik V 2 4, 1 17 ½]

लेखा प्रणाली मानकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल संस्था के परिचालनों को प्राथमिक खण्ड यथा : कारोबार खण्ड जिसमें "राजकोष", "कापोर्रेट / थोक बैंकिंग", "खुदरा बैंकिंग" एवं "अन्य बैंकिंग परिचालन" तथा द्वितीय खण्ड जोकि भौगोलिक खण्ड है जिसमें "देशी" एवं "अंतर्राष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुषंगियों के परिचालनों को कारोबार खण्ड में "अन्य बैंकिंग परिचालन" तथा भौगोलिक खंड में "देशी" के तहत वर्गीकृत किया है।

IV Expense recognized during the year

(₹. in lakhs)

Details	Gratuity (Funded)		•		Leave End (Unfu	cashment nded)
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10		
Current Service Cost	6.47	4.95	7.37	18.42		
Interest Cost	3.59	2.58	4.01	1.91		
Expected return on plan assets	4.36	3.17	-	-		
Actuarial (gain)/ loss	0.30	5.16	-2.46	2.53		
Net Cost	6.01	9.52	8.92	22.86		

V Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		•		
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	
Mortality Table (LIC)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	
Discount rate (per annum)	8%	8%	8%	7%	
Expected rate of return (per annum)	8%	8%			
Rate of escalation of salary (per annum)	5%	6%	5%	5%	
Attrition Rate	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%	

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed ₹ 7.92 lakhs towards Gratuity liability in the year 2010-11.

7.2.2 INDBANK HOUSING LTD.

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

(₹. in Lakhs)

i)	Total past service gratuity and Actuarial value	7.08
ii)	Balance Contribution payable to LIC, if any	Nil
iii)	Assumptions	
	Discounting rate	8% p.a. compound
	Projections of salary increase	8% p.a. compound

8. SEGMENT REPORTING (AS 17)

As per the Reserve Bank of India guidelines on Accounting Standards, the Parent's operations are classified into Primary segment i.e., the business segment comprising of 'Treasury', 'Corporate/Wholesale Banking', Retail Banking' and 'Other Banking Operations' and Secondary segment being the geographical segment comprising of 'Domestic' and 'International'. The operations of the Subsidiaries are classified under 'Other banking Operations' in Business segment and under 'Domestic' in Geographic segment.



(₹.करोडों में)

भाग	ट्रेश	ारी	कार्पोरेट बैंवि		खुदरा	बैंकिंग	अन्य परिच	बैंकिंग गलन	कु	ल
	2010-11	2009-10	2010-11	2009—10	2010—11	2009-10	2010-11	2009—10	2010—11	2009—10
राजस्व	2426.62	2293.71	4598.92	3575.00	3456.87	3100.15	68.41	68.45	10550.82	9037.31
परिणाम	641.73	712.84	1558.47	1110.21	1030.97	862.39	63.83	62.32	3.295.00	2747.76
अनाबंटित आय									13.77	9.72
अनाबंटित व्यय									641.75	387.20
अल्पसंख्यक हित									3.49	1.97
(हानि)										
कर पूर्व निवल									2670.51	2372.25
लाभ										
आय कर									925.10	802.44
कर पश्चात् निवल									1745.41	1569.81
लाभ										
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	42783.96	36821.18	45475.74	34948.64	32860.85	29011.42	152.95	143.90	121273.50	
अनाबंटित									573.66	598.71
आस्तियां										
कुल आस्तियां									121847.16	
खण्डीय देयताएं	38909.04	34594.58	42644.52	31661.62	30093.40	26412.20	-44.91	-10.03	111602.05	92685.37
अनाबंटित देयताएं									10245.11	8865.48
कुल देयताएं									121847.16	101523.85

Holex ch & Holexolofyd [k M							
	ns	nskh varjkZV I r,			d	y	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	
jkt Lo	10 369.66	8 871.59	181.16	165.72	10 550.82	9 037.31	
vktLr; ka	1 17 503.06	97 571.00	4 344.10	3 952.85	1 21 847.16	1 01 523.85	

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।

(₹in crore)

										(till crore)
Part A Business Segments	Trea	sury	Corpo Wholesale		Retail B	anking		Banking ations	Total	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Revenue	2 426.62	2 293.71	4 598.92	3 575.00	3 456.87	3 100.15	68.41	68.45	10 550.82	9 037.31
Result	641.73	712.84	1 558.47	1 110.21	1 030.97	862.39	63.83	62.32	3 295.00	2 747.76
Unallocated income									13.77	9.72
Unallocated expenses									641.75	387.20
Minority interest (loss)									3.49	1.97
Net Profit before Tax									2 670.51	2 372.25
Income Taxes									925.10	802.44
Net Profit after tax									1 745.41	1 569.81
Other information										
Segment Assets	42 783.96	36 821.18	45 475.74	34 948.64	32 860.85	29 011.42	152.95	143.90	1 21 273.50	1 00 925.14
Unallocated assets									573.66	598.71
Total assets									1 21 847.16	1 01 523.85
Segment Liabilities	38 909.04	34 594.58	42 644.52	31 661.62	30 093.40	26 412.20	-44.91	-10.03	1 11 602.05	92 658.37
Unallocated liabilities									10 245.11	8 865.48
Total liabilities									1 21 847.16	1 01 523.85

Part B Geographic Segments							
	Dom	estic	Interna	ational	Total		
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	
Revenue	10 369.66	8 871.59	181.16	165.72	10 550.82	9 037.31	
Assets	1 17 503.06	97 571.00	4 344.10	3 952.85	1 21 847.16	1 01 523.85	

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible.



9- $l x f / k r i k V k Z i z d V h d j . k \frac{1}{4}$, $l 18\frac{1}{2}$

9-1 ew 1 **1.Fk**k

eq; izcalkdh; dkfeZd

श्री टी.एम भसीन – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अनूप शंकर भट्टाचार्य - कार्यपालक निदेशक (30.09.2010 तक)

श्री वी रामगोपाल – कार्यपालक निदेशक

श्री राजीव ऋषि – कार्यपालक निदेशक (01.10.2010 से)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को वर्ष के दौरान 58.52 लाख रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष 67.94 लाख रुपए)

9.2 vu da uh %

9-2-1 bandsal epal candax 1 fo 2 st fy-

eq; izcaladır, disfezd

श्री पी एन पटेल, प्रेसिडेंट एवं पूर्णकालीन निदेशक (01.04.2010 से 28.04.2010 तक)

श्री सी रंगराजन, प्रेसिडेंट एवं पूर्णकालीन निदेशक (28.04.2010 से 31.03.2011)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को वर्ष के दौरान 18.13 लाख रुपये पारिश्रमिक का भूगतान किया गया (पिछले वर्ष 5.83 लाख रुपए)

9-2-2 banQan esut est fyfeVsm

eq; izakdh; dkfeZd

श्री एम सवरिमृत् – प्रबन्ध निदेशक

वर्ष के दौरान 2.40 लाख रुपए पारिश्रमिक का भूगतान किया गया।

9.3 अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एसएस—18 के पैराग्राफ़ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस—18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर, ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

10- $i VVs \frac{1}{4}$, $l 19\frac{1}{2}$

10-1 ew l **1.Fk**k

पट्टे/किराए के आधार पर ली गई सम्पत्तियाँ बैंक की इच्छानुसार नवीकृत/रद्द करने योग्य हैं। अतिरिक्त किराए/पट्टा किराए के विवादों के संबंध में बैंक की देयताओं को निपटान अथवा नवीकरण पर माना जाता है।

10-2 vuökach daifu; ka

10-2-1 bancard epart candax 1 for t fy-

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में कंपनी, कार्यालय परिसर के लिए परिचलानात्मक पट्टे रखता है। वर्ष की समाप्ति पर, गैर रद्द योग्य परिचालनात्मक पट्टे के तहत, आवश्यक न्यूनतम भुगतान निम्नवत् हैं—

	31.03.2011 को	31.03.2010 को
वर्ष के लिए पट्टा भुगतान	78.09	75.28
न्यूनतम पट्टा भुगतानः एक साल से अधिक नहीं	55.70	75.99
एक साल के बाद परंतु पांच साल से कम	82.90	254.15
पांच साल के बाद	27.03	52.37

पट्टा करारों में गैर रद्द करने योग्य अवधि के बाद पट्टा अवधि का नवीकरण करने के लिए कंपनी को विकल्प का प्रावधान है। पट्टा करारों में कोई अपवाद स्वरूप / प्रतिबंधात्मक शर्त नहीं है।

9. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

9.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Shri. T M Bhasin Chairman & Managing Director
Shri. Anup Sankar Bhattacharya Executive Director (upto 30.09.2010)

Shri. V RamaGopal Executive Director

Shri Rajeev Rishi Executive Director (from 01.10.2010)

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 58.52 lakhs (previous year is ₹ 67.94 lakhs)

9.2 SUBSIDIARY COMPANY:

9.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD.

Key Managerial Personnel:

Shri P N Patel President & Wholetime Director(from 01.04.2010 upto 28.04.2010)

Shri C Rangarajan President & Wholetime Director (from 28.04.2010 to 31.03.2011)

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year is ₹ 18.13 lakhs (previous year is ₹ 5.83 lakhs)

9.2.2 INDFUND MANAGEMENT LTD.

Key Managerial Personnel:

Shri. M Savarimuthu - Managing Director

Remuneration Paid during the year is ₹ 2.40 lakhs

9.3 Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

10. Leases (AS 19)

10.1 PARENT

The properties taken on lease/rental basis are renewable/ cancelable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

10.2 SUBSIDIARY COMPANY:

10.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease

The company has operating leases for office premises. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

(₹. in lakhs)

	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
Lease payments for the year	78.09	75.28
Minimum Lease payments: Not later than one year	55.70	75.99
Later than one year but not later than five years	82.90	254.15
Later than five years	27.03	52.37

The lease agreements provide for option to the company to renew the lease period after the non-cancellable period. There are no exceptional/restrictive covenants in the lease agreements.



11. i£r 'kş j vt Z1 ¼, l 20½

fooj.k	2010-11	2009-10
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलबध कर के बाद निवल लाभ (रु.करोड़ में)	1698.92	1523.01
ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	429770000	429770000
मूल प्रति शेयर तथा कम किया हुआ अर्जन	₹ 39.53	₹ 35.44
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

12- le**s**dr fo**R**rh, fooj.k ¼, l 21½

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस 21) "समेकित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप किए गए हैं।

13- vk, ij djkadsfy, yslkkdj.k ¼, l 22½

13-1 ewy 1 **1.**Fkk

डीटीए(आस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (आस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

MHVh, @ MHVh, y l akVd

(₹.करोडों में)

l all Vd	31.03.2011	31.03.2010
आस्थगित कर आस्तियां		
1. भुगतान / क्रिस्टाइलेजेशन पर अनुमेय, देयताओं का प्रावधान	129.29	125.84
2. भावी मूल्यांकनों में अनुमेय व्यय	0.00	1.44
3. स्टाफ़् कल्याण व्यय	0.56	1.41
dy&MiVh,	129.85	128.69
आस्थगित कर देयताएं		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	44.14	35.73
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	149.97	138.43
3. ऋण आस्तियों हेतु प्रावधान	291.82	250.50
4. विशेष रिजर्व	52.33	22.43
dy & MiVh, y	538.27	447.10
fuoy MNh, @ MNh y	(408.43)	(318.41)

13-2 vuölkach dai fu; ka

13-2-1 bandcard epal cardax l fo2 st + fy-

इस वर्ष के लिए 132.88 लाख रुपए (पिछले वर्ष 395.53 लाख रुपए) की निवल आस्थिगित कर देयता (निवल) को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया गया है। 31. 03.2011 तक संचित आस्थिगित कर परिसंपित्त (निवल) 573.88 लाख रुपए (पिछले वर्ष 706.76 लाख रुपए) है। वर्चुवल सर्टिनिटि की आवश्यकता पर विचार करते हुए केरिफावर्ड व्यापारिक मुल्याहास पर कोई डीटीए का अभिपहचान नहीं किया गया है। आस्थिगित कर परिसंपित्त / देयता के मुख्य संघटक निम्न प्रकार है।

	आस्थगित कर (₹. लाखों में)				
	31.03.2011 को		31.03.2010 को		
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं	
i) मूल्य ह्रासित आस्तियों में समय का अंतर		375.22		395.57	
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	929.02		1084.12		
iii) अन्य	20.08		18.21		
कुल		573.88		706.76	

11. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2010-11	2009-10
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	1698.92	1523.01
Weighted Average Number of Equity Shares	429770000	429770000
Basic & Diluted Earning Per Share	₹ 39.53	₹ 35.44
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

12. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21). "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

13. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

13.1 PARENT

The major components of DTA (Deferred Tax Assets) / DTL (Deferred Tax Liabilities) are as follows:

DTA / DTL components

(₹. in Crore)

Components	31.03.2011	31.03.2010
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment / crystallization	129.29	125.84
2. Expenditure allowable in future assessments	0.00	1.44
3. Staff welfare expenses	0.56	1.41
TOTAL- DTA	129.85	128.69
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	44.14	35.73
2. Interest on Government securities	149.97	138.43
3. Provision for Written-off Accounts	291.82	250.50
4. Special Reserve	52.33	22.43
TOTAL – DTL	538.27	447.10
NET DTA/ DTL	(408.43)	(318.41)

13.2 SUBSIDIARY COMPANY:

13.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The provision for deferred tax (net) for the year is ₹132.88 lakhs (Previous year ₹395.53 lakhs) which has been charged to profit & loss account. The cumulative deferred tax asset (net) upto 31.03.2011 is ₹573.88 lakhs (Previous year ₹706.76 lakhs). No DTA has been recognised on carry forward business loss and depreciation considering requirement of virtual certainty. The major components of deferred tax asset/liability are as below:

	Deferred Tax (₹ in lakhs)			
	As on 31.3.2011		As on 31.3.2010	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		375.22		395.57
ii) Provision for Bad debts and NPAs	929.02		1084.12	
iii) Others	20.08		18.21	
Total	573	3.88	70	6.76



31.03.2011 को आय कर /ब्याज कर पर विवादास्पद मांग कूल 3974.44 लाख रुपए है और उसे आकरिमक देयता में शामिल किया गया है।

13-2-2 bancaid glamfl ax fyfeVsM

- क. भविष्य की करयोग्य आय के विरुद्ध संमजन के लिए योग्य, अनवशोषित मुल्यहास और अग्रानीत हानि को, विवेकाधार पर आस्थगित कर आरित नहीं माना गया हैं।
- ख. आय कर विभाग ने निर्धारण वर्ष 1999—2000 के लिए, ब्याज सिहत, रु4.32 करोड़ की मांग सूचना भेजीं है। उपचय आधार पर गैर—निष्पादक आस्तियों पर अन्य को विचार कर, जो राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के निदेशों के अनुसार, आय के रूप में पहचाना न जा सका, मांग भेजा गया है। कंपनी ने इस मांग का प्रतिवाद किया है और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर किया है।
- ग. निर्धारण वर्ष 2005–06 के संदर्भ में, आय कर विभाग ने 19.02 लाख रुपए की मांग भेजी है, जिसके लिए कंपनी ने आय कर कमीशनर के समक्ष अपील दायर किया है और अपील में सफल होने की आशा के कारण कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- घ. कंपनी की बहियों के अनुसार प्राप्य वापसी 2.85 करोड़ है।

14: प्रश्नेस 24 को अस्तिभीत भवन्दितिक्ष्णेत आधिक्षासूर्व ६ वांव भिन्निकास

bà chì ep chà chà lok afyfe Và dà uh ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एकस्पोज़र उनकी संविदाकृत अविध समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। जोकि स्थायी जमाओं की पुनरदायगी और दावा न की गई स्थायी जमाओं को जब कभी उनका दावा किया जाता है, उनकी पुनरदायगी करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रो खाते में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के रद्द किया जाने की अनुमित प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

15. ब्याज पुनःक्षतिपूर्ति पात्रता धारक / अनुषंगी कंपनियों द्वारा वापसी / निपटान पर लेखाकरण किए जाते हैं। 31.03.2011 को प्राप्य / देय शेष राशि 8.98 करोड़ रुपए है जो यथानुसार भुगतान के लिए जाने / वसूली पर लेखाकरण किया जाएगा और अल्पसंख्यक हित में परिणामस्वरूप संमजन नहीं किए गए है।

16. ew l LFkk

विविध आय में वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली गई 128.15 करोड़ रुपए की राशि शामिल है (पिछले वर्ष 241.30 करोड़ रुपए) और 146.42 करोड़ (पिछले वर्ष 142.84 करोड़ रुपए) जो कि वर्ष के दौरान संसाधन प्रभार की वसूली है।

17. इस वर्ष के दौरान, मजदूरी बकाया के लिए किए प्रावधान में 73.78 करोड़ रुपए की राशि निकाल दी गयी है, क्योंकि यह अब आवश्यक नहीं है।

18. केंगिर बहणेर सोविंग और बहणेर सेव्हता सोराजार 2008

लघु और सीामंत कृषकों को कृषि उधार चूक के अंतर्गत, बैंक ने 24.06.2009 को भारतीय रिजर्व बैंक को 459.01 करोड़ रुपए का अंतिम लेखा परिक्षित दावा दाखिल किया। 459.01 करोड़ रुपए की संपूर्ण दावा राशि की प्रतिपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी। 30.06.2011 की अंतिम तारीख के पहले भारतीय रिजर्व बैंक को अनुपुरक दावा दाखिल किया जाएगा।

''अन्य कृषकों'' को ऋण राहत के तहत 57.57 करोड़ रुपए का अंतिम लेखा परीक्षित दावा भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 30.06.2010 दाखिल किया गया और प्रतिपूर्ति की गयी। ऋण राहत के अंतर्गत ''अतिरिक्त अंतिम दावा'' भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम तारीख 30.06.2011 के पहले दाखिल किया जाएगा।

- 19. बैंक के एक अनुषंगी द्वारा प्रबंधित एक म्युचूअल फंड योजना से संबंधित मामले में, अक्तूबर 2008 में, बैंक के पक्ष में अपील पारित होने के कारण और आगे इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील न होने के कारण, वर्ष 1999–2000 में 73 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान, अब आवश्यक नहीं है और अतः इसे निकाल दिया गया है।
- 20. बैंक ने अपनी दो अनुषंगियों में निवेश के लिए किए गए प्रावधान में से, 76.21 करोड़ रुपए निकाल दिया है।
- 21. विभिन्न बैंक अश्यूरेन्स उत्पादों के व्यय / विपणन से, बैंक ने इस वर्ष के दौरान 12.55 करोड़ का आढ़त कमाया (पिछले वर्ष यह 18.21 करोड़ रुपए) था।

As at 31.03.2011, Disputed demand on Income Tax / Interest Tax aggregated to ₹ 3974.44 lakhs and included under Contingent Liability

13.2.2 INDBANK HOUSING LTD

- a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered as deferred tax asset on the ground of prudence
- b. The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹4.32 crores for the assessment year 1999-00 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognised as income. The Company has contested the demand and filed an appeal before the Hon'ble Madras High Court.
- c. In respect of the Assessment year 2005-06 Income Tax department has raised a demand of ₹19.02 Lakhs for which the company has filed appeal before the commissioner of Income Tax and is hopeful of succeeding in the appeal and hence no provision for tax has been considered necessary.
- d. The refund receivable as per books of the Company is ₹2.85 crores.

14. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24 – DISCONTINUED OPERATIONS

INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD:

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to an escrow account with a nationalised bank for repayment as and when claimed. The Company is now governed only by SEBI regulations.

15. Interest Recompense Entitlements are accounted for by the Holding / Subsidiary Companies on Realisation / Settlement. The Balance amount payable / receivable as on 31.03.2011 is ₹ 8.98 crore which will be accounted for as and when payment is made / realized and consequent adjustments to minority interests have not been made.

16. **PARENT**

Miscellaneous income of parent include a sum of ₹128.15 Crore (previous year ₹241.30 Crore) being recovery in writtenoff accounts and ₹146.42 Crore (previous year ₹142.84 Crore) being recovery of processing charges during the year.

17. During the year a sum of a ₹73.78 crore has been retrieved from the provision held for wage arrears which is no longer required.

18. AGRICULTURAL DEBT WAIVER AND DEBT RELIEF SCHEME 2008:

Under Agricultural Debt Waiver to Small and Marginal Farmers, Bank has submitted Final Audited claim to the tune of ₹459.01 Crores to RBI on 24.06.2009. The entire claim amount of ₹459.01 crores has been reimbursed by RBI. The "Supplementary Claim" under Debt Waiver will be submitted to RBI before cut-off date i.e. 30.06.2011. The Final Audited claim under Debt Relief to "Other Farmers": has been submitted to RBI for ₹57.57 crores on 30.06.2010 and got reimbursed. The "Additional Final Claim" under Debt Relief will be submitted to RBI before the cut-off date i.e. 30.06.2011.

- 19. Consequent to the disposal of appeals in favour of the Bank in October 2008 and no further appeals having been filed against such order, in the case relating to a Mutual Fund Scheme managed by one of the subsidiaries of the Bank, a sum of ₹73 Crore being the provision made during the year 1999-2000 is considered no longer required and accordingly retrieved during this year.
- 20. Bank has retrieved a sum of ₹76.21Crore, out of provision for depreciation held for its investments in its two subsidiaries.
- 21. During the current year, the Bank has earned commission etc, to the extent of ₹12.55Crore on sale/ marketing of various Bancassurance products (previous year ₹18.21 Crore).



(₹. लाखों में)

क्रमांक	आय का वर्गीकरण	2010-11	2009-10
1.	जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	11.02	17.21
2.	गैर-जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	1.08	0.53
3.	अन्य – म्युचूअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	0.45	0.47
	कुल	12.55	18.21

22- vfrfjDr izdVhdj.k

22-1 ew 1 **LFkk**

31.03.2011 को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा के बाद भी बैंक से एमएसएमई इकाइयों को देय कोई बकाया राशियां नहीं हैं।

22.2 vuÿkach

banQan esust ear fy-

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, दो म्यूचुअल फंड योजनाओं में गैर–िनष्पादित आस्तियों में वसूली का 18.05 करोड़ रुपए तक विनियोजन करने के लिए सेबी ने अनुमति दी है।

23. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

(₹. in Crore)

SI No.	Nature of Income	2010-11	2009-10
1	For Selling Life Insurance Policies	11.02	17.21
2	For selling Non-life insurance policies	1.08	0.53
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.45	0.47
	Total	12.55	18.21

22. ADDITIONAL DISCLOSURES

22.1 PARENT

There is no outstanding dues payable by the bank to MSME units pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 as on 31.03.2011.

22.2 SUBSIDIARIES

INDFUND MANAGEMENT LTD.:

During the current financial year SEBI had permitted to appropriate recovery of NPA of two Mutual Fund Schemes to the extent of ₹ 18.05 crore and the same has been reckoned in Profit and Loss account

23. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.



ekpZ31, 2011. dks l ektr o"kZds fy, l ektr udnh i zkg fooj.k

₹. H\$an**6**> |

		₹. H\$am6>_
	31.03.2011 H\$nog_ná df ©	31.03.2010 H\$ng_ná df ©
ykłk o gkłu [kkrsdsvu) kj fuoy ykłk	1 741.92	1567.84
fuEufyf[kr gsrqlek, kt u		
प्रावधान व आकस्मिकताएँ	1 566.85	1189.64
मूल्यहास	72.57	89.02
भूमि और भवनों की बिक्री पर हानि / (लाभ)	(1.10)	0.36
dk, Zkhy itch i fjor Zuka ds i wZifjpkyuxr ykłk	3 380.24	2846.86
ifjpkyuxr vkfLr; kaeaof) @ deh		
निवेशों में वृद्धि / कमी	(6 521.93)	(5 477.87)
अग्रिमों में वृद्धि	(13 097.49)	(10 754.39)
अन्य आस्तियों में कमी /वृद्धि	(231.69)	298.32
	(19 851.11)	(15 933.94)
ifjpkyuxr ns rkvkaeaof) @ deh		
जमाओं में वृद्धि	17 562.85	15643.12
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	(1 287.53)	(849.31)
	16 275.32	14 793.81
ifjpkyukslslftr døy udnh ½½	(195.55)	1 706.73
fuos k xfrfofik, kal sudnh Áokg		
अचल आस्तियों की खरीद	(135.68)	(111.01)
अचल आस्तियों की बिक्री की संप्राप्तियां	7.68	7.63
fuosk xfrfof/k, kal sl ft r fuoy udnh 4/k/k/2	(128.00)	(103.38)
formiksk k xfrfof/k, kal sdgy udnh i zokg	(319.35)	(255.71)
लाभांश का भुगतान	(53.91)	(43.45)
अदा किया गया लाभांश भूगतान	1 143.01	126.58
m/kkj eaof) @ 1/delt/21/a01/2	769.75	(172.58)
udnh vkj udnh l edj. kka ear fuoy of) @½deli½ ½v-\$vk\$bZ½	446.20	1 430.77
v v		
o"kZdsikjak ea udnh o udnh l edj.k		
नकदी(विदेशी मुद्रा नोट सहित)	303.81	248.04
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	6 756.93	5 963.55
बैंकों में शेष		
(क) चालू खातों में	61.84	59.68
(ख) अन्य जमा खातों में	1.33	101.82
chilkaenekak, oav Yil pouk ij jkf'k; ka	549.62	50.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
i) चालू खातों में	339.28	143.46
ii) अन्य जमा खातों में	84.06	110.44
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	20.22	9.33
	8 117.09	6 686.32
	0 117.00	

Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2011

(₹. in Crore)

	Voor and -1 24 02 2044	Vacuated 21.02.2010
Not Duelit on you Duelit 6 Loop Assessed	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2010
Net Profit as per Profit & Loss Account	1 741.92	1567.84
Adjustments for :	4 500 05	1100.04
Provisions & Contingencies	1 566.85	
Depreciation	72.57	89.02
Loss/(profit) on sale of land and buildings	(1.10)	0.36
Operating Profit before working capital changes	3 380.24	2846.86
INCREASE/DECREASE IN OPERATING ASSETS		
Decrease/(Increase) in Investments	(6 521.93)	(5 477.87)
Increase in advances	(13 097.49)	(10 754.39)
Decrease/(increase) in other assets	(231.69)	298.32
	(19 851.11)	
INCREASE/DECREASE IN OPERATING LIABILITIES		,
Increase in Deposits	17 562.85	15643.12
Increase/(Decrease) in Other Liabilities	(1 287.53)	(849.31)
	16 275.32	
Net cash generated from operations (A)	(195.55)	1 706.73
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Fixed Assets	/ 425.60\	/ 111 01)
Sale of Fixed Assets	7.68	
Net cash generated from Investing Activities (B)	(128.00)	(103.38)
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Payment of dividend	(319.35)	(255.71)
Payment of dividend distribution tax	(53.91)	(43.45)
Increase/(decrease) in borrowings	1 143.01	126.58
Net cash generated from Financing Activities (C)	769.75	(172.58)
Net increase / (decrease) in cash & cash equivalents (A+B+C)	446.20	1 430.77
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	303.81	248.04
Balances with Reserve Bank of India –in current Account	6 756.93	
Balances with Banks	3.736160	2 220,00
(a) in current accounts	61.84	59.68
(b) in other deposit accounts	1.33	
Money at call and short notice with Banks	549.62	
Balances with Banks outside India		
(a) in current accounts	339.28	143.46
(b) in other deposit accounts	84.06	
Money at call and short notice	20.22	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8 117.09	



o"kZdsihnjak enaudnh o udnh l edj.k		
नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	249.73	303.81
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	6 628.23	6 756.93
बैंकों में शेष		
(क) चालू खातों में	56.33	61.84
(ख) अन्य जमा खातों में	0.96	1.33
caldka ea ekax , oa v Yi l youk ij jkf'k; ka		549.62
भारत के बाहर वैंकों मे शेष		
i) चालू खातों में	327.58	339.28
ii) अन्य जमा खातों में	1 272.63	84.06
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	27.83	20.22
	8 563.29	8 117.09

टी एम भसीन T M BHASIN
AÜ j Ed§n«§ (ZXæH\$
Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL H\$mi findH\${ZXeH Executive Director

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI H\$n AmbH\${ZXæH Executive Director

आर रवि R RAVI _hmn«§H\$ General Manager

निदेशक DIRECTORS:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH,

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS:

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कृते गणेसन एंड कंपनी
For GÁNESAN AND COMPANY
gZir bi nism
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.000859S
एसं स्वामिनाथन
S SWAMINATHAN

S SWAMINATHAN
gnPkin
Partner
(M.No. 023998)
कृत कल्याणसंदरम एंड कंपनी
For KALYANASUNDARAM & CO
gZXr bi तीक्षेत्र
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.001676S
कं रमेशकुमार
K. RAMESHKUMAR
cmPkin

gnPkma Partner (M.No. 023962)

ñ₩nZ Place: ZB¶X"r New Delhi VnarI Date: 09.05.2011

कृते चंद्रन एंड रामन
For CHANDRAN & RAMAN
gZXr bi nilsn
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.000571S
एसं पट्टाभिरामन
S. PATTABIRAMAN
and State

S. PATTABIRAMAN gnPkm Partner (M.No. 14309) कृत एस मोहन एण्ड कंपनी For S. MOHAN & CO gZXr bi मोडेक Chartered Accountants

पंजीकरण सं. Registration No.000608N रवीन्दर अरोड़ा RAVINDER ARORA

gnPk/ma Partner (M.No. 085542) कृते सूरी एण्ड कंपनी
For SURI & CO
gZXr bi nilsn
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.004283S
एसं स्वामिनाथन
S SWAMINATHAN

S SWAMINATHAN
gmPXm
Partner
(M.No. 020583)
कृत एबीपी. एण्ड एसीसिएट्स
For ABP & ASSOCIATES
gZXr bd nlsa
Chartered Accountants

Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No. 315104E विमल कुमार चंदुका BIMAL KUMAR CHANDUKA साहेबर Partner

(M.No. 053714)

Cash & Cash equivalents at the end of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	249.73	303.81
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	6 628.23	6 756.93
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	56.33	61.84
(b) in other deposit accounts	0.96	1.33
Money at Call and short notice with Banks		549.62
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	327.58	339.28
(b) in other deposit accounts	1 272.63	84.06
Money at call and short notice	27.83	20.22
	8 563.29	8 117.09

टी एम भसीन T M BHASIN AÜ`j Ed§n*§ (ZXeH\$ Chairman & Managing Director

वी रामगोपाल V RAMAGOPAL Executive Director

राजीव ऋषि RAJEEV RISHI H\$ni AmbH\${ZXæH Executive Director

आर रवि R RAVI _hmn*§H\$ General Manager

निदेशक DIRECTORS:

शक्तिकांता दास SHAKTIKANTA DAS एस करुप्पसामी S KARUPPASAMY एम जयनाथ M JAYANATH,

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS:

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार) (As per our report of even date)

कृते गणेसन एंड कंपनी
For GANESAN AND COMPANY
gZXr bi nilsu
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.000859S
एसं स्वामिनाथन

S SWAMINATHAN S SWANUINAL FIAN GIPKin Partner (M.No. 023998) कृते कल्याणसुंदरम एंड कंपनी For KALYANASUNDARAM & CO

FOR KALYANASUNDARAM & CO gZX bi nith an Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.001676S कं रमेश्कामार K. RAMESHKUMAR

gnPkma Partner (M.No. 023962)

ñWnZ Place: ZB X, I New Delhi VnaI Date: 09.05.2011

कृते चंद्रन एंड रामन
For CHANDRAN & RAMAN
gZXr bi nish
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No. 000571S
एस पट्टाभिरामन
S. PATTABIRAMAN S. PATTABIRAMAN
gnPkm
Partner
(M.No. 14309)
कृत एस मोहन एण्ड कंपनी
For S. MOHAN & CO
gZXr bl nlsm
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.000608N
रवीन्दर अरोड़ा
RAVINDER ARORA

gnPkma Partner (M.No. 085542)

कृते सूरी एण्ड कंपनी For SURI & CO gZXr bd nH\$n प्रकारण मान्स Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.004283S एसं स्वामिनाथन S SWAMINATHAN S SWAMINIATHAN
gmPkm
Partner
(M.No. 020583)
कृते एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स
For ABP & ASSOCIATES
gZXr bd nilsn
Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.315104E बिमल कुमार चंदुका BIMAL KUMAR CHANDUKA साझेदार Partner

(M.No. 053714)



lesdr fork, foojf.k, kaij yskijk(kdkadh fjikVZ

सेवा में.

funskd eMy bM: u cMd

- हमने इंडियन बैंक तथा उसकी अनुषंगियों व सहयोगियों के 31 मार्च 2011 तक के संलग्न समेकित तुलन—पत्र एवं उससे अनुबद्ध उसकी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखा तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की जांच की है जिनमें निम्न निगमित है:
 - i. बैंक के लेखापरीक्षित लेख
 - ii. 3 अनुषंगियों के लेखापरीक्षित लेख
 - iii. 3 सहयोगियों के लेखापरीक्षित लेख

समेकित वित्तीय विवरणियाँ इंडियन बैंक प्रबंधन का दायित्व हैं और प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरणियों और बैंक उसकी अनुषंगियों और सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी की आधार पर तैयार किये जाते हैं। हमारी जिम्म्दारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन विवरिणयों पर मत प्रकट करना है।

- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया हैं। उन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की गई थी कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वरत हो जाएं कि वित्तीय विवरणों सभी ठोस पहलुओं में पहचाने गये सूचना ढांचे के अनुरूप तैयार किये गएं है और विषयवस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखायी गयी राशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में दिए गए साक्ष्य का परीक्षण के तौर पर जांच शामिल है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किये गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा—परीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।
- अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियाँ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गयी है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गयी है तथा जहाँ तक अनुषंगियों के संबंध में शामिल की गई राशि से संबंधित हमारी राय है, वह पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर आधारित है।
- 4. ईक्विटी पद्धित के तहत सहयोगियों में इंडियन बैंक के निवेश मूल्य को निगमित करने के लिए हमने तीन सहयोगियों की वित्तीय विवरणियों पर भी विचार किया है।

- 5. हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस) 21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' और एएस 23 — ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखांकन'' एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए है
- हमारी लेखापरीक्षा और पृथक वित्तीय विवरणों तथा संघटकों की अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षाकों की रिर्पोटों पर विचार करके और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा उपर्युक्त पैरा 3 एवं 4 के अध्यधीन और अनुसूची 18 के नोट सं.15 के साथ पढने पर, हमारी राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा प्रणालियों के समनुरूप सही एवं वास्तविक चित्र प्रकट करते हैं:
 - i. समेकित तुलन—पत्र के मामले में यह 31 मार्च 2011 को बैंक के समेकित कार्यों का
 - ii. समेकित लाभ व हानि लेखे के मामले में उस तारीख को बैंक का समेकित लाभ और
 - iii. समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में समेकित वित्तीय विवरण द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के नकदी प्रवाह का।

ekeysij tkj

हमारी राय को परिमित न करते हुए, हम वित्तीय वक्तव्यों के नोट 7.1.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प फिर से देने और ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि — विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार पर अपने परिपत्र सं डीबीओडी .बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010 11दिनांक 09 02 2011 के जरिए लेखांकन मानक (एएस) 15, कर्मचारी लाभ के प्रावधानों के अनुप्रयोग से दी गई छूट के अनुरूप रू 783.42 करोड़ की सीमा तक बैंक को पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रति अपने दायित्व के आस्थगन का वर्णन करता है।

कृते गणेसन एंड कंपनी
For GANESAN AND COMPANY
gZXr bd Inlsa
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.000859S
एस स्वामिनाथन
S SWAMINATHAN
gnPkm
Partner
(M.No. 023998)
कृते कल्याणसुंदरम एंड कंपनी
For KALYANASUNDARAM & CO
gZXr bd inlsa

Chartered Accountants पंजीकरण सं. Registration No.001676S कें रमेशकुमार K. RAMESHKUMAR

Partner (M.No. 023962) giPkm Partner (M.No. 14309) कृते एस मोहन एण्ड कंपनी For S. MOHAN & CO gZW bi milsa Chartered Accountants पंजीकरण स. Registration No.000608N रेवीन्दर अरोडा RAVINDER ARORA giPkm Partner (M.No. 085542)

कते चंदन एंड रामन

For CHANDRAN & RAMAN

gZXr bil rhista Chartered Accountants

पंजीकरण सं. Registration No.000571S एस पट्टाभिरामन S. PATTABIRAMAN कृते सूरी एण्ड कंपनी
For SURI & CO
gZK bi ill\$\frac{1}{2}\text{M\$\frac{1}{2}\text{M\$\frac{1}{2}\text{M}\text{M}\text{M}\text{M}\text{C}}
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.004283S
एसं स्वामिनाधन
S SWAMINATHAN
gIPNIM
Partner
(M.No. 020583)
कृते एबीपी. एण्ड एसोसिएट्स
For ABP & ASSOCIATES
gZKr bi ill\$\text{M\$\text{M}\text{M}\text{M}\text{C}\text{M\$\text{M}\text{M}\text{M}\text{C}\text{M}\text{M}\text{M}\text{M}\text{M}\text{M}\text{D}\text{AIDUKA}
साधेदार
Partner
(M.No. 053714)

AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO THE BOARD OF DIRECTORS INDIAN BANK

- We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of the Bank, its subsidiaries and associates ("The Bank") as at 31st March 2011, and the Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date annexed thereto and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended in which are incorporated the:
 - i. Audited accounts of the Bank;
 - ii. Audited accounts of 3 subsidiaries
 - iii. Audited accounts of 3 Associates

These Consolidated Financial Statements are the responsibility of the Bank's Management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the Parent Bank, its subsidiaries and associates. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- We conducted our audit in accordance with the generally accepted auditing standards in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material aspects in accordance with identified reporting framework and free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements' presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- The financial statements of the subsidiaries have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us and our opinion, in so far as it relates to the amount included in respect of the subsidiaries, is based solely on the report of the other auditors.
- We have also considered the financial statements of three Associates audited by other auditors for incorporating the Investment value of Indian Bank in Associates under Equity Method.

- 5. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" and AS 23 "Accounting for investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve Bank of India.
- 6. Based on our audit and on consideration of report of other auditors on separate financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us and subject to paragraphs 3 & 4 above and read with Note No.15 of Schedule 18, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - i.) In the case of the Consolidated balance Sheet, of the consolidated state of affairs of the Bank as on 31st March 2011;
 - ii.) In the case of the Consolidated Profit & Loss Account, of the Consolidated Profit of the Bank of that date, and
 - iii.) In the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the consolidated cash flows of The Bank for the year covered by the Consolidated Financial Statements.

"Emphasis of matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 7.1.2 to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 783.42 crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, vide its circular no.DBOD.BP.BC/80/ 21.04.018/2010-11 dt.09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment".

कृते गणेसन एंड कंपनी
For GÁNESAN AND COMPANY
gZKr bl nksn
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.000859S
एसं स्वामिनाधन
S SWAMINATHAN
gnPkm
Partner
(M.No. 023998)
कृते कल्याणसंदरम एंड कंपनी
For KALYANASUNDARAM & CO
gZKr bl nksn
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.001676S
के स्मेशकुमार
K. RAMESHKUMAR
gnPkm
Partner
(M.No. 023962)

कृते चंद्रन एंड रामन
For CHANDRAN & RAMAN
gZV bi ग्रीके
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.000571S
एस पट्टामिरामन
S. PATTABIRAMAN
giPVim
Partner
(M.No. 14309)
कृते एस मोहन एण्ड कंपनी
For S. MOHAN & CO
gZV bi ग्रीके
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.000608N
रवीन्दर अरोडा
RAVINDER ARORA
giPVim
Partner
(M.No. 085542)

कृते सूरी एण्ड कंपनी
For SURI & CO
gZKr bol nhs
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.004283S
एसं स्वामिनाथन
SWAMINATHAN
giPKim
Partner
(M. No. 020583)
कृते एबीपी. एण्ड एसीसिएट्स
For ABP & ASSOCIATES
gZKr bol nhs
Chartered Accountants
पंजीकरण सं. Registration No.315104E
बिमल कुमार चंदुका
BIMAL KUMAR CHANDUKA
साझेवर
Partner
(M.No. 053714)



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट बेसल—II आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

l kj. kh Mh, Q+& 1

vują kx dk (ks=kf/kdkj

xqlkRed izdVhdj.k

यह संरचना इंडियन बैंक पर लागू होती ह\$

- i) संशोधित पूँजी पर्याप्तता मानदंड (बेसल II स्तंभ 3 की आवश्यकताओं के समनुरूप) एकल स्तर पर (सार्वभौमिक स्थिति) इंडियन बैंक पर लागू होते हैं।
- ii) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत प्रथा पर चालू उपक्रम संकल्पना के आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा भारतीय शाखाओं के संबंध में भारत में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के अनुरूप हैं तथा विदेश स्थित शाखाओं के संबंध में अन्यथा न बताये जाने पर उस देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के अनुरूप है।
- iii) बैंक की निम्नलिखित तीन अनुषंगियां है यथा (क) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड (ख) इंड बैंक हाउसिंग लि., तथा (ग) इंड फंड मेनेजमेंट लिमिटेड और तीन असोसिएट हैं यथा (i) पल्लवन ग्राम बैंक (ii) सप्तिगिर ग्रामीण बैंक और (iii) पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक।

समूह (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां एवं असोसिएट) के समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियां, इंडियन बैंक के लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय की एक जैसी मदों को एक साथ जोड़कर, लाइन दर लाइन आधार पर मिलाते हुए अंतर समूह लेनदेनों को एवं अप्राप्त लाभ / हानियों को छोड़कर और एक समान लेखाकरण नीति के अनुसार यथावश्यक समायोजन करने के बाद तैयार किये गये हैं। अनुषंगियों एवं एसोसियेट, सांविधिक आवश्यकाओं के अनुसार सांविधित विनियामक प्राधिकारों द्वारा निर्दिष्ट लेखाकरण नीतियों का अनुकरण करते हैं। ऐसे नितिय लेखाकरण नीतियों का अनुकरण किये जाने की दृष्टि में। समेकित वित्तीय विवरण अनिवार्य / सांविधिक आवश्यकताओं के संविधत लेखकरण नीतियों अपनाते हुए तैयार किया जाता है। मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल कंपनी की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिजर्व तथा सुनाम के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ / हानियों में मूल कंपनी के हिस्से का समायोजन, राजस्व रिजर्व के प्रति किया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ / हानियों में मूल कंपनी के हिस्से का समायोजन, राजस्व रिजर्व के प्रति किया जाता है। अनुषंगी संस्था के परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी की संपत्ति में अल्प संख्यक के अंश से लाभ एवं निवल आस्ति का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय हैं।

लेखाकरण मानक (एएस) — 23, जो कि असोसिएट के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी ''समेकित वित्तीय विवरणों में असोसिएट में निवेशों के लिए लेखाकरण'' के अनुसार असोसिएट में निवेशों को इक्विटी तरीके के तहत लेखाबद्ध किया गया है।

ek«kkRed ÁdVhdj.k

लागु नहीं

1 kj. kh Mh, Q+& 2

i**t**wh l**j**ipuk

xqlkRed izdVhdj.k%

- क) टियर—1 पूंजी में ईक्विटी शेयर पूंजी और बेमियादी ग़ैर संचयी अधिमान्य शेयर पूंजी शामिल है तथा रिज़र्व में सांविधिक रिज़र्व, पूंजी एवं राजस्व रिज़र्व, शेयर प्रीमियम और लाभ व हानि लेखे में शेष राशि शामिल है।
- ख) टियर-2 पूंजी में पूनर्मूल्यांकन रिज़र्व, टियर-|| बांड गौण ऋण एवं सामान्य प्रावधान शामिल हैं।

ekkked izdVldj.k%

fV; j & 1 i wt h

(₹. करोड़ में)

fooj.k	, dy ¼ ko #k\$ ed½	l e s dr
प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी	429.77	429.77
बेमियादी गैर संचयी अधिमान्य शेयर पूंजी	400.00	400.00
रिज़र्व	7412.65	7547.98
घटाएं : आस्थिगित कर आस्ति	0.00	5.74
कुल टियर – I	8242.42	8372.01

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL II REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RESERVE BANK OF INDIA

Table DF – 1 Scope of Application

Qualitative Disclosures

The framework applies to Indian Bank

- i) The revised capital adequacy norms (in conformity with Basel II Pillar 3 requirements) applies to Indian Bank at the solo level (global position).
- ii) The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian branches and in respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries, unless otherwise stated.
- iii) The Bank has the following three subsidiaries namely (a) IndBank Merchant Banking Services Ltd, (b) Ind Bank Housing Ltd. and (c) Indfund Management Ltd. and three associates namely (i) Pallavan Grama Bank, (ii) Saptagiri Grameena Bank and (iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

Consolidated financial statements of the group (parent, its subsidiaries and associates) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and its subsidiaries, combined on line by line basis adding together like items of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit / losses. The Subsidiaries and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.

The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the financial statements as Capital reserve and Goodwill. The parent's share of the post acquisition of profits / losses is adjusted against the Revenue Reserve.

The minority interest in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.

Investments in Associates are accounted for under Equity method as per Accounting Standards (AS) – 23 "Accounting for investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

NA

Quantitative Disclosures

Table DF – 2 Capital Structure

Qualitative Disclosures:

- a) Tier 1 Capital includes Equity Share capital and Perpetual Non-cumulative Preference Share capital, Reserve comprising of Statutory reserves, capital and revenue reserves, share premium and Balance in Profit and Loss account
- b) Tier 2 Capital consists of the Revaluation Reserves, Tier II Bonds Subordinated debt and general provisions.

Quantitative Disclosures:

Tier 1 Capital (₹. in Crore)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Paid up Equity Share Capital	429.77	429.77
Perpetual Non cumulative Preference Share Capital	400.00	400.00
Reserves	7412.65	7547.98
Less Deferred Tax Asset	0.00	5.74
Total Tier 1	8242.42	8372.01



fV; j&2 i **t** h (₹.करोड़ों में)

fooj.k	, dy ¼ ko ZkK ed½	l e s dr
गौण ऋण	1054.06	1054.06
सामान्य रिज़र्व	303.84	268.97
पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व	537.55	537.55
dy fV; j & 2	1895.45	1860.58

fooj.k	, dy ¼ ko #k\$ ed½	l e s dr
dey in the 1/hW; j & 1, oafV; j & 2½	10137.87	10232.59

1 kj . kh Mh, Q+& 3

inthi; kurrk

xqllded izdVldj.k

बैंक एकल तथा समेकित दोनों स्तरों पर 9 प्रतिशत से अधिक का सीआरएआर तथा 6 प्रतिशत से अधिक का टियर 1 सीआरएआर रखता है। बैंक संशोधित ढांचे के अनुसार विवेकी न्यूनतम स्तर से ऊपर अपेक्षित न्यूनतम पूंजी बनाए रखता है, जोकि निम्नलिखित से अधिकतर हो :

- (क) संशोधित ढांचे के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम पूँजी ;
- (ख) बेसेल 1 ढाँचे के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम पूंजी का 80 प्रतिशत

ek⊨kRedizdVhdj.k

(क) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ :

(₹. करोड़ों में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मानकीकृत अभिगम के अद्यधीन संविभाग	5886.28	5893.70
प्रतिभूतिकरण ऋण	शून्य	शून्य

(ख) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं

(₹. करोड़ों में)

मानकीकृत अवधि अभिगम

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	238.30	238.30
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	4.50	4.50
ईक्विटी जोखिम	100.96	100.96

(ग) परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

(₹. करोड़ों में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मूल संकेतक अभिगम	498.21	501.84

(घ) कुल तथा टियर 1 पूंजी अनुपात

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात	13.56%	13.67%
टियर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.02%	11.18%

Tier 2 Capital (₹. in Crore)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Subordinate Debt	1054.06	1054.06
General Provisions	303.84	268.97
Revaluation Reserves	537.55	537.55
Total Tier 2	1895.45	1860.58

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Total Capital (Tier 1 and Tier 2)	10137.87	10232.59

Table DF - 3

Capital Adequacy

Qualitative Disclosures:

Bank maintains at both solo and consolidated level CRAR of more than 9% and Tier 1 CRAR of more than 6%.

The Bank maintains the minimum capital required as per Revised Framework above the Prudential floor viz higher of

- (a) Minimum capital required as per the Revised Framework;
- (b) 80% of the minimum capital required as per Basel 1 framework.

Quantitative disclosures

(a) Capital requirements for credit risk:

(₹. in Crore)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	5886.28	5893.70
Securitization exposures	Nil	Nil

(b) Capital requirements for market risk:

Standardized Duration Approach

(₹. in Crore)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest Rate Risk	238.30	238.30
Foreign Exchange Risk (including gold)	4.50	4.50
Equity Risk	100.96	100.96

(c) Capital requirements for operational risk:

(₹. in Crore)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Basic Indicator Approach	498.21	501.84

(d) Total and Tier 1 capital ratio:

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Total Capital Adequacy Ratio	13.56%	13.67%
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	11.02%	11.18%



1 kj. kh Mh, Q+& 4

_.ktkf[ke %l Hkh c&dkagsrql kekU; izdVhdj.k

xqukRed izdVhdj.k

बैंक ने आय अभिज्ञान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु विनियामक द्वारा परिभाषित पिछले बकाया तथा अनिर्मित परिभाषाओं को (लेखाकरण के प्रयोजनार्थ) अपनाया है।

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है और इसे सभी शाखाओं को परिचालित किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्स्पोज़र, ऋण संपार्शिक हेतु मानक, फोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम सकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक / विधिक अनुपालन पर विवेकी सीमाओं को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों के माप, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकी का प्रयोग करता है।

जबिक बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, बैंक व्यापक आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी करता है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

बैंक (क) एकल तथा सामूहिक उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोज़र सीमा निर्धारण (ख) ग्रेड सीमा रेटिंग (ग) उद्योगवार एक्सपोज़र सीमा तथा (घ) पूरे अंचलों में ऋणों के भौगोलिक संवितरण के विश्लेषण द्वारा जोखिम संकेद्रीकरण का अध्ययन करता है। सभी अंचलों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम।

बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधार खाते की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार बैंक में एक द्विआयामीय ऋण रेटिंग प्रणाली शुरु की गई थी। विभिन्न खंडों के लिए बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त साफ्टवेयर चालित रेटिंग / स्कोरिंग मॉडल तैयार किये गये हैं और इसे विभिन्न खंडों हेतु शाखाओं / अंचल कार्यालयों में परिचालित किया गया है।

ek⊨kRed izdVhdj.k

(क) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजार पृथकत निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित :

(₹. करोडों में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सकल ऋण जोखिम एक्स्पोश्र		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	75725.81	75732.74
निवेश	22352.75	22360.36
अन्य आस्तियां	11684.64	11723.46
कुल निधि आधारित	109763.20	109816.56
गैर निधि आधारित जिस में आकरिमक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न शामिल	53146.16	53191.45
कुल ऋण जोखिम एक्स्पोशर	162909.36	163008.01

(ख) एक्सपोशर का भौगोलिक वितरण (समेकित), निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित अलग पृथकत :

(₹. करोड़ों में)

भौगोलिक क्षेत्र	निधि आधारित	आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर–निधि आधारित	कुल
ओवरसीज़	4207.52	2364.88	6572.40
देशों	105609.04	50826.57	156435.61

Table DF - 4

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by the regulator for Income Recognition and Asset Classification norms.

The Bank has put in place the Credit Risk Management Policy and the same has been circulated to all the branches. The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

The Bank studies the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West.

Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly 'a two dimensional credit rating system' was introduced in the Bank. A software driven rating / scoring models for different segments have been customized to suit the Bank's requirements and the same have been rolled out to the Branches / Zonal offices.

Quantitative Disclosures

(a) Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately.

(₹. in Crore)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	75725.81	75732.74
Investments	22352.75	22360.36
Other Assets	11684.64	11723.46
Total Fund Based	109763.20	109816.56
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	53146.16	53191.45
Total Credit Risk Exposure	162909.36	163008.01

(b) Geographic distribution of exposures (Consolidated), Fund based and Non-fund based separately

(₹. in Crore)

Geographical	Fund Based	Non Fund Based including contingent	Total
Region		credit, contracts and derivatives	
Overseas	4207.52	2364.88	6572.40
Domestic	105609.04	50826.57	156435.61



(सी) 31 03 2011 तक एक्स्पोशर का उद्योगवार वितरण (एकल – सार्वभौमिक)

(₹. करोड़ों में)

क्रमांक	उदयोग का नाम	-	बकाया	प्रतिबद्ध ऋण	
ж-шч-	्रव्याग वर्ग ॥ग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	AIKING ACT	
1	रत्न और जेवर हीरा सहित	197.99	100.54	319.85	
2	आधारिक संरचना				
2.1	बिजली	7817.86	1235.77	13337.78	
2.2	पोर्ट / सडक	1594.85	128.58	3988.17	
2.3	टेलीकॉम	650.63	434.58	1295.78	
2.4	अन्य आधारिक संरचना	1498.55	385.36	4135.36	
2.5	शैक्षिक संस्था	2357.36	118.92	3058.03	
2.6	अस्पताल	490.44	20.92	748.14	
2.7	होटल	559.78	28.78	886.54	
3	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद	2392.23	359.53	4918.71	
4	वस्त्र	3357.31	273.38	4823.04	
5	चीनी	910.65	55.34	1171.84	
6	लोहा एवं इस्पात	2311.45	615.30	4409.60	
7	सभी इंजीनियरिंग	1385.43	2614.53	6354.60	
8	औषधीय एवं रसायन	492.77	113.46	947.23	
9	खाद संसाधन (काजू, खाद तेल एवं वनस्पति सहित)	1092.46	147.28	2147.09	
10	कोल्यरी एवं मैनिंग	302.24	49.98	509.05	
11	उर्वरक	33.17	3.18	410.64	
12	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	1045.73	58.38	2078.97	
13	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	146.16	49.53	299.22	
14	इलेक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर)	680.06	262.01	1138.84	
15	चाय / काफी	60.43	0.37	107.47	
16	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	944.19	2153.72	5343.50	
17	रबड, प्लोस्ट्क्स एवं अन्य उत्पाद (टायर सहित)	189.18	82.50	923.84	
18	आटोमोबइल (वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर)	900.09	839.88	2021.31	
19	पेय एवं तम्बाकू	214.32	0.50	335.99	
20	लकडी एवं लकडी उत्पाद	156.09	88.53	396.91	
21	कागज एवं कागज उत्पाद	328.34	72.06	676.36	
22	ग्लैस एवं गलैसवेयर	189.87	103.31	363.55	
23	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	900.26	143.67	1152.37	
24	मुद्रण एवं प्रकाशन	189.73	94.71	429.60	
25	विमानन	1045.60	0.00	1045.60	
26	मीडिया एवं मनोरंजन	519.41	532.49	1340.76	
27	लाजिस्टीक्स	448.39	175.45	989.26	
28	जहाज निर्माण	161.86	158.14	905.76	
29	व्यापार (फुटकर खुदरा व्यापार के अलावा)	4788.87	1109.59	9101.84	
30	एनबीएफसी	5531.54	199.71	7226.57	

(c) Industry-wise distribution of exposures (Solo - Global) as on 31 03 2011

(₹. in Crore)

S.No.	Name of the Industry	Out	standing	Commited
J.110.	indine of the industry	Fund Based	Non Fund Based	Exposure
1	Gems and Jewellery including Diamond	197.99	100.54	319.85
2	Infrastructure			
2.1	Power	7817.86	1235.77	13337.78
2.2	Ports / Roads	1594.85	128.58	3988.17
2.3	Telecom	650.63	434.58	1295.78
2.4	Other infrastructure	1498.55	385.36	4135.36
2.5	Educational Institution	2357.36	118.92	3058.03
2.6	Hospital	490.44	20.92	748.14
2.7	Hotel	559.78	28.78	886.54
3	Petroleum and Petroleum Products	2392.23	359.53	4918.71
4	Textiles	3357.31	273.38	4823.04
5	Sugar	910.65	55.34	1171.84
6	Iron & Steel	2311.45	615.30	4409.60
7	All Engineering	1385.43	2614.53	6354.60
8	Pharmaceuticals & Chemicals	492.77	113.46	947.23
9	Food Processing (including Cashew, Edible Oils & Vanaspati)	1092.46	147.28	2147.09
10	Colliery & Mining	302.24	49.98	509.05
11	Fertilizer	33.17	3.18	410.64
12	Cement & Cement Products	1045.73	58.38	2078.97
13	Leather & leather products	146.16	49.53	299.22
14	Electronics & Computers (Hardware & software)	680.06	262.01	1138.84
15	Tea / Coffee	60.43	0.37	107.47
16	Construction contractors	944.19	2153.72	5343.50
17	Rubber, Plastics and their products (including tyre)	189.18	82.50	923.84
18	Automobiles (Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipments)	900.09	839.88	2021.31
19	Beverages and Tobacco	214.32	0.50	335.99
20	Wood and Wood Products	156.09	88.53	396.91
21	Paper and Paper Products	328.34	72.06	676.36
22	Glass and Glassware	189.87	103.31	363.55
23	Other metal and metal products	900.26	143.67	1152.37
24	Printing and Publishing	189.73	94.71	429.60
25	Aviation	1045.60	0.00	1045.60
26	Media and Entertainment	519.41	532.49	1340.76
27	Logistics	448.39	175.45	989.26
28	Ship Building	161.86	158.14	905.76
29	Trade (Other than retail trade)	4788.87	1109.59	9101.84
30	NBFC	5531.54	199.71	7226.57



(घ) अग्रिमों एवं निवेशों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग अलग आंकडे (एकल – सार्वभौमिक)

(₹. करोड़ों में)

विवरण	1 दिन	2-7 दिन	8—14 दिन	15—28 दिन	29 दिन — 3 माह	3 माह से अधिक	6 माह से अधिक	1 वर्ष से अधिक	3 वर्ष से अधिक	5 वर्ष से अधिर्क	कुल
						6 माह तक	1 वर्ष तक	3 वर्ष तक	5 वर्ष तक		
अग्रिम	1029.57	817.52	2254.21	2534.02	7784.67	4774.32	12594.68	22253.37	10924.73	10282.83	75249.91
निवेश	166.30	2030.36	1142.65	1969.26	5159.12	2092.71	5459.83	8082.84	913.29	7767.40	34783.76

	(₹. करोड़ों में)
(ङ) एनपीए की राशि (सकल) — (एकल सार्वभौमिक)	740.31
अवमानक	681.73
संदिग्ध 1	28.24
संदिग्ध 2	1.71
संदिग्ध 3	17.22
हानि	11.41
(च) निवल हानि	397.04
(छ) एनपीए अनुपात	
सकल अग्रिम के प्रति कुल एनपीए	0.98%
निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	0.53%
(ज) एनपीए का आवागमन (सकल)	
अथशेष	510.10
जोड	953.92
घटाव	723.71
अंतशेष	740.31
(झ) एनपीए के प्रावधान का आवागमन	
अथशेष	117.21
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	705.00
बट्टेखाते डालना	693.56
अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	31.08
अंतशेष	159.73
(ञ) गैर निष्पादक निवेशों की राशि	6.68
(ट) गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	6.68
(ठ) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	,
अथशेष	275.63
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	56.85
बट्टेखाते डालना	
अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	174.03
अंतशेष	158.45

(d) Residual contractual maturity break-up of advances and investments (Solo-Global)

(Rs. in Crore)

Details	1 Day	2-7 Days	8-14 Days	15-28 Days	29 Days - 3 M	>3M - 6 M	>6 M - 1 Year	>1 Y – 3Years	>3 Y -5Years	>5 Years	Total
Advances	1029.57	817.52	2254.21	2534.02	7784.67	4774.32	12594.68	22253.37	10924.73	10282.83	75249.91
Investments	166.30	2030.36	1142.65	1969.26	5159.12	2092.71	5459.83	8082.84	913.29	7767.40	34783.76

(₹. in Crore)

	(1. 11 01010
(e) Amount of NPAs (Gross) - (Solo-Global)	740.31
Substandard	681.73
Doubtful 1	28.24
Doubtful 2	1.71
Doubtful 3	17.22
Loss	11.41
(f) Net NPAs	397.04
(g) NPA Ratios	
Gross NPAs to gross advances	0.98%
Net NPAs to net advances	0.53%
(h) Movement of NPAs (Gross)	
Opening Balance	510.10
Additions	953.92
Reductions	723.71
Closing Balance	740.31
(i) Movement of provisions for NPAs	
Opening Balance	117.21
Provisions made during the period	705.00
Write Off	693.56
Write-back of excess provisions	31.08
Closing balance	159.73
(j) Amount of Non-Performing investments	6.68
(k) Amount of Provisions held for non-performing investments	6.68
(I) Movement of provisions for depreciation on investments	
Opening balance	275.63
Provisions made during the period	56.85
Write-off	
Write-back of excess provisions	174.03
Closing balance	158.45



1 kj. kh Mh, Q+& 5

_.ktkf[ke %ekudhdr vfHxe dsvl/khu l foHkxkagrqizdVhdj.k

xqlkRed izdVhdj.k%

नए पूँजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार अर्ह एक्स्पोशरों जैसे कार्पोरेट, पूंजी बाज़ार एक्स्पोशर आदि के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित चार दर निर्धारण अभिकरणों यथा क) क्राइसिल ख) इक्रा ग) केर और घ) फ़िट्च द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। इसके ऊपर व उनके अतिरिक्त विनियामक दिशानिर्देशों में अनुमत किए गए अनुसार, बैंक इश्यू आधारित बाहरी दर — निर्धारण के मेपिंग पर भी भरोसा करता है। कार्पोरेट पर शेष दावे ''गैर दर — निर्धारित'' माने जाते हैं।

ek≒kRed izdVhdj.k%

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोशर (एकल – सार्वभौमिक) निम्नानुसार है : (₹. करोडों में)

fooj.k	100 प्रतिशत जोखिम भार के नीचे		100 प्रतिशत जोखिम भार		100 प्रतिशत से अधिक जोखिम भार		कुल योग	
	बही मूल्य	जोखिम भारित मूल्य	बही मूल्य	जोखिम भारित मूल्य	बही मूल्य	जोखिम भारित मूल्य	बही मूल्य	जोखिम भारित मूल्य
निधि आधारित								
ऋण व अग्रिम	38253.84	16581.92	26017.61	25806.68	11454.36	10250.67	75725.81	52639.27
निवेश	22121.89	44.49	211.35	211.35	19.51	29.25	22352.75	285.08
अन्य आस्तियाँ	9649.42	804.78	2035.22	1928.52	0.00	0.00	11684.64	2733.31
कुल निधि आधारित	70025.15	17431.19	28264.18	27946.55	11473.87	10279.92	109763.20	55657.66
कुल गैर –िनधि आधारित जिसमें प्रासंगिक ऋण शामिल है	33081.89	2904.77	15933.24	5243.08	4131.03	1597.55	53146.16	9745.40
कुल ऋण जोखिम एक्सपोशर	103107.04	20335.96	44197.42	33189.63	15604.90	11877.47	162909.36	65403.06

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोशर (समेकित) निम्नानुसार है :

(₹. करोडों में)

fooj.k	100 प्रतिशत जोखिम भार के नीचे		100 प्रतिशत जोखिम भार		100 प्रतिशत से अधिक जोखिम भार		कुल योग	
1003.11	बही मूल्य	जोखिम भारित मूल्य	जोखिम भार	जोखिम भारित मूल्य	बही मूल्य	जोखिम भारित मूल्य	बही मूल्य	जोखिम भारित मूल्य
निधि आधारित	निधि आधारित							
ऋण व अग्रिम	38253.84	16581.92	26024.54	25813.61	11454.36	10250.67	75732.74	52646.20
निवेश	22121.94	44.49	218.91	218.90	19.51	29.25	22360.36	292.64
अन्य आस्तियाँ	9665.72	804.97	2057.74	1951.05	0.00	0.00	11723.46	2756.02
कुल निधि आधारित	70041.50	17431.38	28301.19	27983.56	11473.87	10279.92	109816.56	55694.86
कुल गैर —निधि आधारित जिसमें प्रासंगिक ऋण शामिल है	33081.89	2904.77	15978.53	5288.37	4131.03	1597.55	53191.45	9790.69
कुल ऋण जोखिम एक्सपोशर	103123.39	20336.15	44279.72	33271.93	15604.90	11877.47	163008.01	65485.55

Table DF-5

Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures:

The Bank uses ratings assigned by the four Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE and d) FITCH for the eligible exposures such as Corporate, Capital Market Exposures etc. according to the New Capital Adequacy Framework. Over and above the same, the Bank also relies on mapping of issue based external ratings as permitted in the regulatory guidelines. The rest of the claims on corporates are treated as 'unrated'.

Quantitative Disclosures:

The total credit risk exposure (Solo-Global) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹. in Crore)

Particulars	Below 100% Risk Weight		100% Risk Weight		More than 100% Risk Weight		Grand Total	
Turtiouluis	Book Value	Risk Weighted value	Book Value	Risk Weighted value	Book Value	Risk Weighted value	Book Value	Risk Weighted value
Fund Based	Fund Based							
Loans and Advances	38253.84	16581.92	26017.61	25806.68	11454.36	10250.67	75725.81	52639.27
Investments	22121.89	44.49	211.35	211.35	19.51	29.25	22352.75	285.08
Other Assets	9649.42	804.78	2035.22	1928.52	0.00	0.00	11684.64	2733.31
Total Fund Based	70025.15	17431.19	28264.18	27946.55	11473.87	10279.92	109763.20	55657.66
Non Fund Based including Contingent Credit.	33081.89	2904.77	15933.24	5243.08	4131.03	1597.55	53146.16	9745.40
Total Credit Risk Exposure	103107.04	20335.96	44197.42	33189.63	15604.90	11877.47	162909.36	65403.06

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹.in Crore)

Particulars	Below 100% Risk Weight		100% Risk Weight		More than 100% Risk Weight		Grand Total	
Tarticulars	Book Value	Risk Weighted value	Book Value	Risk Weighted value	Book Value	Risk Weighted value	Book Value	Risk Weighted value
Fund Based	Fund Based							
Loans and Advances	38253.84	16581.92	26024.54	25813.61	11454.36	10250.67	75732.74	52646.20
Investments	22121.94	44.49	218.91	218.90	19.51	29.25	22360.36	292.64
Other Assets	9665.72	804.97	2057.74	1951.05	0.00	0.00	11723.46	2756.02
Total Fund Based	70041.50	17431.38	28301.19	27983.56	11473.87	10279.92	109816.56	55694.86
Non Fund Based including Contingent Credit.	33081.89	2904.77	15978.53	5288.37	4131.03	1597.55	53191.45	9790.69
Total Credit Risk Exposure	103123.39	20336.15	44279.72	33271.93	15604.90	11877.47	163008.01	65485.55



1 kj. kh Mh, Q+& 6

_.ktlf[le fuolj.k& eludh-r vfHxelagrqÁdVldj.k

xqlkRed izdVhdj.k

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसेल ।। / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना को ध्यान में रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरुकता बढ़ाने तथा (ख) बेसेल।।/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अभिगम के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा, एस्क्रो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

बैंक पर्याप्त नेटवर्थ वाले वैयक्तिकों तथा कार्पोरेटों से गारंटियाँ स्वीकार करता है। केवल काउंटर पार्टी के बजाए न्यूनतम जोखिम भार वाली संस्थाओं द्वारा जारी गारंटियां ही स्वीकार की जाएंगी, ताकि काउंटर पार्टी ऋण हेतू सुरक्षा प्राप्त हो।

ऋण जोखिम निवारण में जोखिम संकेंद्रीकरण : निवारण हेतु योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियां आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं। इस कारण से, बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम निवारकों में ऋण संकेंद्रीकरण को हटाने के लिए वर्तमान में कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

ek⊨kRed izdVhdj.k

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (एकल – सार्वभौमिक / समेकित) कुल जोखिम (तुलन–पत्र नेटिंग के बाद, उस पर अथवा उस से बगैर, जहां प्रयोज्य हों) जो कि हेर्कट के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹. करोडों में)

एक्स्पोशर का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियां				
सकल ऋण जोखिम एक्सपोशर						
निधि आधारित						
ऋण और अग्रिम	8465.01	3315.74				
निवेश	0.00	78.98				
अन्य आस्तियों	106.69	0.00				
कुल निधि आधारित	8571.70	3394.72				
गैर निधि आधारित जिस में प्रासंगिक क्रेडिट, संविदाएं	1959.85	682.91				
और व्युत्पन्न शामिल हैं						
कुल	10531.55	4077.63				

1 kj. kh Mh, Q+& 7

ÁfrHardj.k%ekudh-r vfHaxe garqÁdVhdj.k

xqloRrk ÁdVhdj.k % बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : श्रून्य

1 kj. kh Mh, Q+& 8

0, ki kj cgh WMMx cql½eackt kj tkf[ke

xqlkRed izdVhdj.k

व्यापार बही में बाज़ार जोखिम का मूल्यांकन मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा किया जाता है। एचएफ़टी और एएफ़एस हेतु पूंजी प्रभार की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

ek=kRed izdVhdj.k

निम्न हेत् पंजी आवश्यकताएं (एकल सार्वभौमिक / समेकित)

(₹. करोडों में)

ब्याज दर जोखिम	238.30
विदेशी विनिमय जोखिम	4.50
इक्विटी स्थिति जोखिम और	100.96

Table DF-6

Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel II / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel II / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy.

Bank accepts guarantees from individuals with considerable networth and the Corporates. Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty shall be accepted to get the protection for the counter party exposure.

Concentration Risk in Credit Risk Mitigation: All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Solo-Global / Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts:

(₹.in Crore)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	8465.01	3315.74
Investments	0.00	78.98
Other Assets	106.69	0.00
Total Fund Based	8571.70	3394.72
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	1959.85	682.91
Total	10531.55	4077.63

Table DF - 7

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.

Quantitative Disclosures: NIL

Table DF-8

Market risk in trading book

Qualitative Disclosures

Market Risk in trading book is assessed as per the Standardized duration method. The capital charge for HFT and AFS is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements (Solo-Global / Consolidated) for:

(₹. in Crore)

Interest rate risk	238.30
Foreign exchange risk	4.50
Equity position risk	100.96



1 kj. kh Mh, Q+& 9

ifjpkyukRed tkf[ke

xqlkRed izdVhdj.k%

परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूंजी प्रभार की गणना मूल संकेतक अभिगम के आधार पर की जाती है। नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे संबंधी दिशानिर्देशों में परिभाषित किए गए अनुसार सकल आय की औसत में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009—10, 2008—09 एवं 2007—08 को पूंजी प्रभार की गणना हेतु हिसाब में लिया गया है। आवश्यक पूंजी रु.498.21 करोड़ (एकल — सार्वभौमिक) और रु.501.84 करोड़ (समेकित) है।

l kj. kh Mh, Q+& 10

cSack cghesaC; kt nj tks[ke ¼vkà vkj vkj chch½

xqlkRed izdVhdj.k

अंतःस्थापित वैकल्पिक जोखिम का अध्ययन किया जाता है और ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण में फैक्टर किया जाता है। ब्याज दर संवेदनशीलता के आधार पर बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अध्ययन त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। जोखिम पर अर्जन की गणना स्थिर स्थिति में पारंपरिक गैर विश्लेषण के आधार पर की जाती है। ईक्विटी का बाज़ार मूल्य (एमवीई) की गणना, अविध गैप विश्लेषण को अपनाकर किया जाता है।

ek⊨kRed izdVhdj.k

आईआरआरबीबी (एकल – देशी) को मापने हेतु प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार ऊर्ध्वगामी व अधोगामी रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबंधित माप) में वृद्धि (गिरावट)।

- i) 31.03.2011 तक ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि हेतु अर्जन पर जोखिम रु.86.40 करोड़ हैं।
- ii) इक्विटी के बाज़ार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से ब्याज दर पर असर रु.214.97 करोड़ हैं (2 समय वाले बकेट में बीपीएलआर/आधार दर का पुनर्मूल्यिनिर्धारण)।

Table DF - 9

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach. The average of the gross income, as defined in the New Capital Adequacy Framework guidelines, for the previous 3 years ie 2009-10; 2008-09 and 2007-08 is considered for computing the capital charge. The required capital is Rs. 498.21 Crore (Solo-global) and Rs. 501.84 Crore (Consolidated).

Table DF – 10 Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Embedded Option Risk is studied and factored in the interest rate sensitivity analysis. Based on the interest rate sensitivity, interest rate risk in the Banking Book is studied on a quarterly basis. Earnings at Risk are computed based on the Traditional Gap Analysis on a static position. Market Value of Equity (MVE) is computed adopting the Duration Gap Analysis.

Quantitative Disclosures:

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB (Solo-Domestic).

- i) Earnings at Risk for 25 bps interest rate increase as on 31 03 2011 for one year time horizon is Rs. 86.40 Crore
- ii) Change in Market Value of Equity for 200 bps interest rate shock is Rs. 214.97 Crore (Repricing of BPLR/Base rate in the 2nd time bucket)



; g i "B t kucw dj [kkyh NkMk x; k gSA This page is intentionally left blank



izku dk, ky; %66 jkt kt h l ky\$ pku\$600 001 ukekdu QkeZ

l sok esa v/; {k , oai x: ak funs kd baM; u c ad प्रधान कार्यालय, 66 राजाजी सालै चेन्नै 600 001

प्रिय महोदय,

funskalkadk fuokou

	र्म में मैं, इंक्विटी शेयर के मंगलवार, 31 मई 2011 को अर्थात् निर्वाचन में के रु.10/— प्रत्येक शेयर के इंक्विटी शेयर धारित करनेवाला
शेयरधारक, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती	सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री निवा
सी	को २९ जून २०११ को आयोजित की जानेवाली
	किंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार
बक के शयरधारका के प्रातानाधत्व करनेवाल इंडि	डियन बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित करने के लिए नामित करता / करती हूँ।
uke	
gLrk(kj	
ˈksˌjksadhla[; k	
i t hÑr Qkfy; ksua ¼ fn	
MresVlfj; ykbTM ughafd; k gSrkV2	
Mhih vkb Mhlavkji Dykb AV vkb Mhua	
¼ fn MeVlfj; ykbTM fd; k x; k g%	
LFku	
fnukrd	

fVIi.kl%

- 1. यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया गया है तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष के हस्ताक्षर में जिस बैठक में ऐसा संकल्प पारित किया गया था, उसकी अधिप्रमाणित सत्यप्रति संलग्न की जाए।
- 2. उम्मीदवारी को नामित करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के साथ उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
- 3. यदि उपर्युक्त स्तंभों में से किसी स्तंभ को रिक्त छोड दिया गया है या विवरणों को गलत पाया जाता है तो नामांकन को अस्वीकार किया जाएगा।





Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001 NOMINATION FORM

To
The Chairman & Managing Director,
Indian Bank,
Head Office, 66, Rajaji Salai,
CHENNAI- 600 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

equity shares of ₹ 10/- eac Election, do hereby nominate Shri / Sm residing at	, I,			
Name				
Signature				
No. of shares				
Regd. Folio No. (if not dematerialized)				
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)				
Place				

Date Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



izku dk ky; %66 jkt kt h l ky \S pkuS600~001

?kk k

			निवासी .		
		एतद्द्वारा पुष्टिकृत करता / करती हूँ कि :			
	में, 31मई, 2011, जोकि निर्वाचन में भाग ले र धारक हूँ और	नि के लिए रिकार्ड की तारीख है, को बैंक के	ईक्विटी शेयरों को धारित करनेवाला		
ख.	ख. *मुझे (i)कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi)विधि (vii) लघु उद्योग या 				
ग.	节	नंबरवाले नामांकन को स्वीकार करत	ा∕ करती हूँ, और		
घ.	में इंडियन बैंक के निदेशक के पद के लिए	र प्रतिस्पर्धा करने हेतु तैयार हूँ।			
ਫ.					
च.	. मैं न ही किसी प्रकार के लाभार्थ पदधारी हूँ, न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप—धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बेंक या भारतीय स्टेट बेंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित रूप से किसी अनुषंगी बैंक क कर्मचारी हूँ।				
छ.	. मैं अपने निजी विवरण संलग्न कर रहा हूँ, जो मेरी उत्तम जानकारी के अनुसार सच एवं पूर्ण हैं और				
ज.	त. इस घोषणा के बाद घटनेवाली ऐसी घटनाओं यदि हो, से मैं बैंक को पूर्णतः जानकार रखने का वचन देता हूँ, जो इसमें प्रदत्त जानकारी र संबंधित हैं और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन किए जाने पर इकरारनामा विलेख निष्पादित करूँगा।				
uk	e				
gI	rkkj				
	; jkadh l {; k				
	z hÑr Qkfy; ks ua ¼ fn esVlfj; ykbTM ughafd; k gSrk½				
	ihvkbWhuavkj DykbV vkbWhua fn MheVkj;ykbTM fd;kx;kg%				
LF	kku				
fn	ukod				
उपर	र्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गर	रू रु			
	पाधीश, मेजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार टोयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और म		ो या भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन बैंक या किसी		

* जो लागू न हो उसे काट दें।





Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

DECLARATION

	DEGENERATION			
	son / daughter / wife of Shri / Smt			
a.	I am a shareholder holding equity shares of the Bank on May 31, 2011 i.e. the record date participating in the elections, and	of for		
b.	* I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or	 seful sub-		
c.	I accept the nominations numbering and			
d.	I am willing to contest for the election of Director of INDIAN BANK, and			
e.	I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1sthe Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Managen and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.			
f.	f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constitution under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.			
g.	I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and			
h.	h. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subseq to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Cover upon my election as a Director of the Bank.			
Name				
Signature				
No. of sh	ares			
Regd. Fol	io No. materialized)			
DP ID No (If demat	. & Client ID No. erialized)			
Place				
Date				
The above	declaration was signed before me.			
	with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer re Bank of India or Indian Bank or any Nationalized Bank.	er of		

*Delete whichever is not applicable.



i Æku dk, Æy; %66 jkt kt h l ky\$ p&u\$600 001

mFelmolj dh fut h t kudljh mi yCk djkus ds fy, ik i

Øe la	fooj.k	
I	mEelnolgi dh futh t kudkjh	
1.	पूरा नाम	
	पिता / पति का नाम	
2.	जन्म तिथि	
3.	स्थायी पता	
4.	वर्तमान पता	
5.	दूरभाष एवं फैक्स संख्या	
6.	ई—मेल आईडी	
7.	स्थायी खाता संख्या (पैन) तथा आयकर मण्डल का नाम ओर पता जहाँ निजी कर विवरणी (रिटर्न) जमा कराए जाते हैं (पैन की प्रति तथा जमा कराए गए अद्यतन आयकर रिटर्न की पावती की प्रति संलगन की जाएं)	
8.	शैक्षिक योग्यता (कृपया शैक्षिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्रों को संलग्न करें)	
9.	संगत विषय का ज्ञान और अनुभव (कृपया ज्ञान और / अथवा अनुभव के प्रमाण स्वरूप स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्रों को संलग्न करें)	
10.	कोई अन्य सूचना, जिसे उम्मीदवार देना चाहता है	
II	funskdkadklærlEcVk	
11.	उम्मीदवार के संबंधी, यदि कोई हों, तो उनकी सूची जो बैंक से जुड़े हों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1ए के अनुसार)	
12.	एंटिटीज़ की सूची, जिनमें उम्मीदवार की रुचित का होना माना जाता है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(ए); धारा 300 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का संदर्भ लें)	
13.	एंटिटीज़ की सूची, जिनमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अभिप्राय के अंतर्गत पर्याप्त रुचि का होना माना जाता है।	
14.	बैंक का / बैंकों के नाम, जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का एक सदस्य है अथवा एक सदस्य रहा है (उस अवधि का विवरण दें, जिसमें ऐसा पद उसके पास था)	
15.	उम्मीदवार द्वारा उपर्युक्त मद संख्या 12 और 13 में बताई गई एंटिटीज़ की सूची में से यदि वर्तमान में कोई निधि और गैर—निधि आधारित सुविधाएँ बैंक से ली गई हैं तो उसका विवरण।	
16.	यदि कोई ऐसे मामले हों, जहाँ उम्मीदवार अथवा उपर्युक्त मद संख्या 12 और 13 में बताई गई एंटिटीज़ की सूची में से किसी ने बैंक अथवा किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्था से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की हो, तो उनका उल्लेख करें।	
III	isknoj miyfCk, kadsfjdkWWZ	
17.	उम्मीदवार की पेशेवर उपलब्धियाँ यदि कोई हों	
IV	mEelnkj dsfo#); fn dkbZdkjZkbZgks	





Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

FORMAT FOR PROVIDING PERSONAL DETAILS OF THE CANDIDATE

SI. No.	Particulars	
I.	Personal Details of the Candidate	
1.	Full Name	
	Father's / Husband's name	
2.	Date of Birth	
3.	Permanent Address	
4.	Present Address	
5.	Telephone & Fax Number	
6.	Email id	
7.	Permanent Account Number (PAN) and name and address of the Income Tax Circle where personal tax returns are filed (Copy of PAN and acknowledged copy of the latest IT return filed to be attached)	
8.	Educational Qualifications (please attach self attested certificates evidencing the qualification)	
9.	Relevant Knowledge and Experience (Please attach self attested certificates evidencing knowledge and/ or experience)	
10.	Any other information which the candidate desires to furnish	
II	Relevant Relationships of Directors	
11.	List of relatives of the Candidate, if any, who are connected with the Bank (In terms of Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
12.	List of entities in which the candidate is considered as being interested {Refer section 299(3)(a); Section 300 of the Companies Act, 1956 and Section 20 of the Banking Regulations Act 1949}	
13.	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (ne) of the Banking Regulation Act, 1949	
14.	Name of Bank(s) in which the candidate is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held)	
15.	Fund and Non Fund Facilities, if any presently availed by the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above from the Bank	
16.	Cases, if any, where the candidate or entities listed in 12 and 13 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/Financial Institution	
Ш	Records of professional achievements	
17.	Professional achievements of the candidate, if any	
IV	Proceedings, if any, against the Candidate	

4.0		
18.	यदि उम्मीदवार किसी पेशेवर संघ / निकाय का एक सदस्य है तो उम्मीदावार के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई लिम्बत हो अथवा की गई हो अथवा उसके परिणामस्वरूप उसे पहले कभी दोषी ठहराय गया हो अथवा यदि उम्मीदवार का किसी पेशे / कार्य में प्रवेश करने के लिए किसी समय निषेध किया गया हो, तो उसका विवरण दें।	
19.	यदि उम्मीदवार और / अथवा उपर्युक्त मद संख्या 12 और 13 में उल्लिखित एंटिटीज़ के विरुद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के कारण अभियोजन लम्बित हो अथवा शुरू किया गया हो अथवा उसके परिणास्वरूप उसे पहले कभी दोषी ठहराया गया हो तो उसका विवरण दें।	
20.	यदि उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन लम्बित हो अथवा शुरू किया गया हो और उसके परिणामस्वरूप उसे पिछले वर्षों में दोषी ठहराया गया हो तो उसका विवरण दें।	
21.	क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के अंतर्गत बताई गई अयोग्यताओं में से कोई अयोग्यता उम्मीदवार में है।	
22.	क्या उम्मीदवार अथवा उपर्युक्त मद संख्या 12 और 13 में उल्लिखित किसी भी एंटिटी की सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के कहने पर जाँच हुई है।	
23.	क्या उम्मीदवार को किसी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों विनियमों / वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है यदि हाँ हो कृपया विवरण दें।	
24.	क्या उम्मीदवार अथवा उपर्युक्त मद संख्या 12 और 13 में उल्लिखित एंटिटीज़ को कभी किसी समय सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईआरडीए, एमसीए आदि जैसे नियामक की प्रतिकूल टिप्पणी मिली है।	
V	मद संख्या । से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना तथा अन्य जानकारी जो योग्य एवं उपयुक्त होने का निर्णय लेने में संगत मानी गई हो।	

दिनांक : हस्ताक्षर



18.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
19.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in 12 and 13 above for violation of economic laws and regulations.	
20.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past years against the Candidate.	
21.	Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged under section 274 of the Companies Act 1956	
22.	Has the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
23.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
24.	Whether the Candidate or entities listed in 12 and 13 above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, RBI, IRDA, MCA etc.,	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

Date: Signature:



प्रधान कार्यालय : 66, राजाजी सालै, चेन्नै 600 001

b**Z** h, l vf/knsk@c\d [kkrk fooj.k g\srqQkeZ

l sok ea dse; ks dki kg V l fo Z st + fy fe V M ; fru V % b fM; u c sid सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002

प्रिय महोदय

lan HZ% baM; u câd ds b2DoVh 'ksj & ftu dsinkanea; g lajo/kk miy0′k g\$, muea by5DV Mrud lek'kko ku laok ½b2′h, l½@ ds tfj, ykHklák ikhr djus dk fodYi

में / हम इंडियन बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक हैं।

मैं / हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान`ईसीएस सुविधा के ज़रिए करने की व्यवस्था करें तथा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उसे मेरे / हमारे खाते में जमा करें:

0131	again on any early and a one and			
1.	प्रथम	/एकल शेयरधारक का नाम		
2.	क)	पंजीकृत फोलियो सं.		
		(यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड नहीं किए गए होता)		
	ख)	डीपी आईडी सं.		
		क्लाइंट आईडी सं.		
		(यदि शेयर डीमेटीरियलाइज्ड किए गए होता)		
3.	बैंक	खाते के विवरण		
	क.	बैंक का नाम		
	ख.	शाखा का नाम		
	ग.	शाखा का पता (पिनकोड के साथ)		
	घ.	दूरभाष एवं फैक्स नंबर		
	ङ	बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में दिए अनुसार		
		बैंक एवं शाखा का 9 vædkookyk ekbdj dkM uæj		
	च.	(/ &/ · / / / /		
	छ.	चेक बुक में दिए अनुसार खाता संख्या		

(कृपया उपर्यक्त विवरणों के सत्यापन के लिए निरस्त कोरा चेक या आपके बैंक द्वारा जारी चेक की फोटो प्रति संलग्न करें)

मैं / हम एतद्द्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही एवं पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण कोई लेनदेन में विलंब होता है या लेनदेन किया ही न जाता है, तो मैं / हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएँगे। मैं / हम समझते हैं कि बैंक अपने नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों में, जो मुझे / हमें ईसीएसे से लाभांश का भुगतान करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, कागज़ी रूप में लाभांश अधि एपत्र भेजने का अधिकार रखता है।

भवदीय.

स्था	न

दिनांक

(प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम एवं हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे रिकार्डों के अनुसार सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

- 1. यदि आप इलेक्ट्रानिक रूप (डी-मेट) में शेयर रखते हैं तो सीधे अपने डेपाजिटरी प्रतिभागी को बैंक विवरण दे दें।
- 2. कृपया सभी कॉलम भरें। अपूर्ण फार्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं तो कृपया इस फ़ार्म पर ध्यान न दें।
- 3. वर्तमान में ईसीएस सुविधा सिर्फ चयनित शहरों में उपलब्ध है।





Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001
Form for ECS Mandate / Bank Account Details

To

Cameo Corporate Services Limited,

Unit: Indian Bank, Subramanian Building, 1, Club House Road, CHENNAI 600 002.

Dear Sir,

Re: Equity Shares of Indian Bank – option to receive dividend through Electronic Clearing Service(ECS) facility at Centres where it is available.

I/ We hold equity shares of Indian Bank.

I/We request you to arrange for payment of my / our dividend through ECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1. First / Sole Shareholder's name	
2. (a) Registered Folio No.	
(If shares are not dematerialized)	
(b) DP ID No.	
Client ID No.	
(If shares are dematerialized)	
3. Particulars of Bank Account	
a. Bank Name	
b. Branch Name	
c. Address of the Branch (with PIN Code)	
d. Telephone number and Fax number	
e. 9 - digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on	
the MICR Cheques issued by the Bank	
f. Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)	
g. Account Number as appearing on the Cheque Book	

(Please attach a cancelled blank cheque or photocopy of a cheque issued by your Bank for verification of the above details).

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information. I/We would not hold the Bank responsible. I /We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me / us by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may affect the payment of dividend through ECS.

Valira	faithful	ll.
10015	iaillillu	ιy,

Place:

Date: (Name and signature of First / Sole Shareholder)

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place :

Date : Signature of the Branch Manager

- 1. In case you hold shares in electronic (D-Mat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository Participant.
- 2. Kindly fill in all columns. Incomplete forms shall not be entertained. Please ignore this form, if the same is already submitted.
- 3. The ECS facility is available at present at certain specified cities only.



प्रधान कार्यालय : 66, राजाजी सालै, चेन्नै 600 001

i XVVI h QkeZ

4ksj/kkjdka}kjk Kjk v⁹ gLrk(kj fd; k t k, ½

पंजीकृत फ़ोलियो संख्या		डीपी आईडी	
		क्लाइंट आईडी	
(यदि शेयर डीमेटीरियलाइ		(यदि शेयर डीमेटी	रियलाइज्ड किये गए होता)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ज़िले के निवासी हैं.
			।जल <i>क</i> ।नवासा ह, जो
			जा
			राज्य के
			सभागार, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028
			$\operatorname{cohol} okf k k l l kek l l k c s d$ $i i i k l l s l k l l k l l l l l l l l$
रूप में मेरी / हमारी ओर	से मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूँ	हैं /करते हैं।	on on the field, obtaining the property
आज	दिनांक	2011 को ह	स्ताक्षरित
			कृपया 15
			पैसे का राजस्व
			स्टाम्प चिपकाएँ
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर		गशम न	ामवाले / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर
भागामा प्रभाप		प्रथम ग	निपाल / ९५७ल रायस्वास्य पे हस्सावर
	djusvký mlsnkj djusdsfy,	vu q s'k	
	त तब तक वैध नहीं होगी, जब तक	00 %00	
	ं के मामले में, शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वार		प्राधिकृत नहा किया जाता ह ; धिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है।
	त में राजस्टर में पहले नामित रायरधारक या उर नामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिव		
			कती है, तो यदि उसका चिहन उस पर लगाया जाता है और
			या इंडियन बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है
तो उसे पर्याप्त रूप से ह			
			वत पते पर कम से कम वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के
			हो या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार के साथ, जो कि किसी
नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्र हो और बैंक के साथ पंर्ज		गया हा, जब तक ाक ऐसा	। मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पहले ही जमा न किया गया
, ,	न कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष,		मियो कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड
			ब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600002
4. बैंक के पास जमा की गई	र्ह प्रॉक्सी की लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम	न होगी।	

हकदार नहीं होगा। 7. कोई भी व्यक्ति जो इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

6. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, उस वार्षिक सामान्य बैठक से जिससे ऐसी लिखत संबंधित हो, व्यक्तिगत रूप से वोट करने के लिए

5. प्रॉक्सी की लिखत विकल्प के रूप में दो लोगों के पक्ष में दिए जाने के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।





Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001 PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If	shares are not dematerialised)	(If share	es are dematerialised)
of	ofin the state of in the state of the Shareholders of the INDIAN IRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 60	ian Bank hereby appo district of lent of our proxy to vote for r I BANK to be held on V	int Shri / Smtin the State ofin the State ofin the State ofin the me / us and on my / our behalf at the Vednesday, the June 29, 2011 at 10.30
Signed this		day of	2011.
			Please affix 15 paise Revenue Stamp
Sigi	nature of the Proxy	Signature o	f first named / Sole shareholder
Name			
Address			
Instructions for s	signing and lodging the proxy form:		
a. in case of b. in case of writing; c. in case of 2. An instrument if his / her m Government 3. No proxy shadate of the A	of proxy shall be valid unless, if individual shareholders, it is signed by the share of joint holders, it is signed by the shareholder first if body corporate signed by its officer or an attornate of proxy shall be sufficiently signed by any share wark is affixed thereto and attested by a Judge, I Gazetted Officer or an Officer of Indian Bank. Il be valid unless it is duly stamped and deposited nual General Meeting, together with Power of A agistrate, unless such a power of attorney or the	at named in the register ney duly authorised in we holder, who is, for any Magistrate, Registrar or d at the following addres ttorney or other author	or his / her attorney duly authorised in riting. reason, unable to write his / her name Sub-Registrar of Assurances or othe ss not less than FOUR DAYS before the ity, certified as a true copy by a Notar
	Indian Bank Head Office, vestor Services Cell, 5 th Floor 6, Rajaji Salai, Chennai 600 001	Uni : Subra	oorate Services Limited t : Indian Bank Imanian Building Road, CHENNAI 600 002

- 4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 5. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- 7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of INDIAN BANK.



प्रधान कार्यालय : 66, राजाजी सालै, चेन्नै 600 001

mifLFkfr iphZ

4LFku eaizsk djrsle; okil fd; ktk, ½

(XZn)\$...29 जून, 2011 **g_` ...**प्रात 10.30 बजे

ñ₩nZ ...इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै—600 028.

n©rH\$V j\\$n(b`m `{X eò a S\$_Qr{a`bnBjÁS>Zht {H\$`oJE hn Vm		S#Nr AnB\$# EÊS ŠbnB\$D>AnB\$# (`{X eò a S#_Or{a`bnB\AS>{H\$E JE hn Vn)}	
eò aYnaH\$ H\$mZm_			
eò anl H\$s g\$>`m			
eò aYmaH\$ / nmŠgr / nm{YH\$V n{V{Z{Y H\$ hñ V	mja		



प्रधान कार्यालय 66, राजाजी सालै, चेन्नै–600 001 **E**्रा∮ **nin**

(~RH\$H6XmamZ AnZonng hr al mOnE)

(XZn)\$...29 जून, 2011

g_` ...प्रात 10.30 बजे

ñ₩nZ ...इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै-600 028.

n©rH\$V).\$n(b`m `{X eòaS\$_@r{a`bnBµÁS>Zht{H\$`oJE hn vm		S#Nr AnB\$# EÊS ŠbnB@>AnB\$# (`{X eò a S#_ûr{a`bnB#AS>{H\$E JE hn Vn)	
eò aYnaH\$ H\$m Zn_			
eò amH\$s g\$>`m			
eò aÝnaH\$ / nnŠgr / nn{YH\$V n{V{Z{Y H\$ hñ Vnj a			

 $\vec{h} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2$



प्रधान कार्यालय 66, राजाजी सालै, चेन्नै–600 001 ½SyV isj t kjh djusgsrqikYyax dkm¥jkaeai½rq fd; k t k, ½

n©rH\$V jù\$n(b`no `{X eòa S⊁_ûr{a`bnBjÁS>Zht {H\$`oJE hn vno		S#Nr AnB\$# EÊS ŠbnBØ>AnB\$# (`{X eò a S#_Or{a`bnB#S>{H\$E JE hn Vn)	
eò aYnaH\$ H\$m Zn_			
eò an H\$s g\$>`m			
eò aÝnaH\$ / nnŠgr / nn{YH\$V n{V{Z{Y H\$ hñ Vnj a			





Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date: June 29, 2011 Time: 10.30 a.m.

Venue: IMAGE, MRC NAGAR, RAJA ANNAMALAIPURAM, CHENNAI - 600 028.

Regd. Folio No. (if not dematerialized)		DP ID & Client ID (if Shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			



Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001 ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : June 29, 2011 Time : 10.30 a.m.

Venue: IMAGE, MRC NAGAR, RAJA ANNAMALAIPURAM, CHENNAI - 600 028.

Regd. Folio No. (if not dematerialized)		DP ID & Client ID (If Shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under any circumstance, no duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)


Regd. Folio No. (if not dematerialized)		DP ID & Client ID (If Shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			

fVIif.k, kNOTES



fVIif.k, k NOTES

Financial Inclusion... Opening up new avenues



- Micro Insurance for the masses
- Branchless Banking for the unreached
- Bank on Wheels
- Banking Service Centres
- Biometric ATMs

- Specialised Microfinance Branches for SHGs
- Financial Literacy and Credit Counselling Centre (FLCC)
- Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI)
- Dharavi brought under Urban Financial Inclusion

Towards Inclusive Growth... Spreading Smiles...

www.indianbank.in

Indian Bank offers



E-banking Lounges 24 * 7 * 365 Services

- ▶ Cash in ATM/Cash dispensing ATM
- Electronic Cheque drop box
- Internet Banking
- Self Service Kiosks
- Instant Inter-bank electronic fund transfer service through Mobile Phone
- ► 24 * 7 * 365 payment delivery channel
- Money Transfer to accounts within the Bank or other Banks

Inter-bank Mobile Payment Services

 \bigstar

ATM /
Debit card
for Senior
Citizens

- **▶** Photo Identity
- ▶ POS related transaction upto Rs. 50,000/-
- ► ATM withdrawal upto Rs. 50,000/-

Printed at Print Shop Pvt. Ltd

H.O: 66, Rajaji Salai, Chennai 600 001 Email: indmail@indianbank.co.in Toll Free No: 1800 425 00 000 Visit us at: www.indianbank.in

